Digital India
Power To Empower

G20
भारत 2023 INDIA

Azadi Ka Amrit Mahotsav

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2021-22

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेटंर सर्विसिज़ इंक.
रा.सू.वि.के. के अन्तर्गत भारत सरकार का एक उद्यम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.
A Government of India Enterprise under NIC Ministry of Electronics and Information Technology

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक, नई दिल्ली

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (निकसी) की स्थापना 1995 में राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कंपनी धारा–8 के रूप में (भूतपूर्व धारा 25 कंपनी) की गई, जो मंत्रालयों, विभागों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के संगठनों, संघ शासित राज्य क्षेत्रों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सकल आई टी सोल्यूशन प्रदान करती है ।

दूरदृष्टिः

“भारत की प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाने के लिए नेतृत्व स्थिति को प्राप्त करना तथा अन्य विकासशील देशों को प्रभावी रुप से योगदान देकर सामाजिक–आर्थिक विकास में तेजी लाना।”

मिशनः

सामाजिक–आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ – साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ग्राहकों के लिए सेवाओं की प्राप्ति तथा व्यापार के समाधान को शामिल करते हुए पारदर्शी मूल्य आधारित सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को एंड टू एंड सोल्यूशन की सुविधा प्रदान करना तथा उसे संवर्धित करना।

उद्देश्योंः

सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर–संचार नेटवर्क, सूचना विज्ञान आदि का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केंद्र, भारत सरकार द्वारा विकसित सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, अवसंरचना एवं सुविज्ञता तथा कंप्यूटर–संचार नेटवर्क, निकनेट व संबंध अवसरंचना व सेवाओं को लाभदायक बनाते हुए भारत के आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को प्रोन्नत करना।

राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केंद्र की राजस्व अर्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए एनआईसी ने जो कुछ भी विकसित किया है, उसे पूरक करने के लिए सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता के आगे विकास को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केंद्र तथा निकनेट द्वारा विकसित मूल अवसरंचना व सेवाओं पर मूल्य संवर्धित कंप्यूटर और कंप्यूटर–संचार सेवाओं को विकसित एवं संवर्धित करना ।

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिस इंक. अपने उद्देश्यों के अनुसार मंत्रालय, विभागों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित राज्य क्षेत्रों के संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में निम्नलिखित उत्पाद व सेवाएँ प्रदान कर रही हैः–

- डेटा एनालिटिक्स
- वेबसाइट विकास
- रोलआउट सर्विसिस
- जनशक्ति सेवाएँ
- डाटा सेंटर सेवाएं
- उत्पादकता
- वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग
- आई.टी. कंसल्टेंसी
- कॉल सेंटर सेवाएं
- प्रशिक्षण सेवाएँ

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक. पूर्णतया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सोल्यूशन कंपनी है जो राष्ट्र की सेवा में सलंग्न है।

निकसी:

पूर्णतया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सोल्यूशन कंपनी है जो राष्ट्र की सेवा में संलग्न है ।

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक: ई–शासन में प्रौद्योगिकी प्रसार हेतु सहक्रिया का विनिर्माण।

भारत के दूरस्थ भागों में प्रौद्योगिकी लाभों के समावेशन हेतु निकसी सरकार, उद्योग एवं शिक्षा जगत में लोगों के नेटवर्क स्थापित करती है।

जिससे सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को कार्यगत किया जा सके।

NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC., NEW DELHI

National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) was set up in 1995 as a section 8 Company (erstwhile Section 25 Company) under National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India to provide total ICT solutions to Ministries, Departments, Organizations in the Central Government, State Governments, UTs and P S Us.

Vision

"Achieve leadership position in the technology enablement of India and other developing countries thereby contributing effectively to accelerate socio-economic growth".

Mission

"To promote and provide transparent value added Information and Communication Technology on end to end solutions including procurement services and business solutions to customers at competitive prices with a focus on socio-economic development".

Objectives

To provide the economic, scientific, technological, social and cultural development of India by promoting the utilization of Information Technology, Computer-Communication Networks, Informatics etc. by a spinoff of the services, technologies, infrastructure and expertise developed by the National Informatics centre of the Government of India including its computer-communication network, NICNET and associated infrastructure and services.

To promote further development of services, technologies, infrastructure and expertise to supplement what NIC has developed, in order to increase NIC's revenue earning capacity.

To develop and promote value added computer and computer-communications services over the basic infrastructure and services developed by NIC including NICNET.

In furtherance of these objectives, NICSI has been providing following Products & services to Ministries, Departments, Organizations in the Central Government, state governments, UTs and PSUs etc.:

- Data Analytics
- Website Development
- Rollout Services
- Manpower Services
- Data Centre Services
- Productization
- Video-conferencing
- I.T. Consultancy
- Call Centre Services
- Training Services

NICSI is truly a Total ICT solutions Company in the Service of the Nation.

NICSI:

Is truly a total ICT Solutions Company in the Service of the Nation.

Creating Synergy for Technology Diffusion in e-governance.

Networks people in Government, Industry & academia to permeate the technology benefits to the remotest part of India.

Harnessing Information & Communication Technologies.

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2021-22

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक

नई दिल्ली

National Informatics Centre Services Inc.

New Delhi

विषय सूची

निदेशक मंडल 07

27वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना 09

निदेशकों की रिपोर्ट 10

31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र 31

आय व व्यय लेखा 33

नकदी प्रवाह विवरण 35

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियॉं तथा टिप्पणियॉं 38

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 84

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 93

CONTENTS

Board of Directors 115

Notice for 27th Annual General Meeting 117

Directors' Report 118

Balance Sheet as at 31st March, 2022 140

Income and Expenditure Account 142

Cash Flow Statement 145

Significant Accounting Policies & Notes to the Financial Statements for the year ended March 31, 2022 147

Auditor's Report 190

Comments of the Comptroller and Auditor General of India 199

निदेशक मण्डल
(31.03.2022 तक)

अध्यक्ष	:	डॉ. राजेन्द्र कुमार, आईएएस अपर सचिव, एम ई आई टी वाई
निदेशक	:	श्री अनिल कुमार नायक, आईएएस, एसएस एंड एफए, एमईआईटीवाई
		डॉ. जयदीप मिश्रा, एएस, एमईआईटीवाई
		श्री एस. के मारवाह, वैज्ञानिक जी और समूह समन्वयक, एमईआईटीवाई
		श्री सुनील कुमार, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी
		श्री इंदर पाल सिंह सेठी, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी
		श्री राजीव राठी, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी
		सुश्री अल्का मिश्रा, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी
		सुश्री सुचित्रा प्यारेलाल, वैज्ञानिक–जी, औरएसआईओ (असम), एनआईसी
		श्री अजय सिंह चहल, वैज्ञानिक–जी और एसआईओ (एचपी), एनआईसी
		श्री प्रशांत कुमार मित्तल, एमडी, एनआईसीएसआई
कम्पनी सचिव	:	श्री सन्नी जैन
लेखापरीक्षक	:	मैसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना (सीआर 0604) चार्टर्ड अकाउटैट I–79, 7वां तल, हिमालय भवन, 23, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली – 110001
पंजीकृत कार्यालय	:	हॉल नं0 2 व 3, 6वाँ तल, एन बी सी सी टावर, 15वाँ, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066
बैंकर्स	:	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भीकाजी कामाप्लेस, नई दिल्ली और आईसीआईसीआई बैंक लिमि., सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली, इंडियन बैंक, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली।
Pan No NICSI		**AAACN2185J**
GSTN No NICSI		**07AAACN2185J1ZE**
Website of NICSI		**www.nicsi.com**

निदेशक मण्डल
(30.09.2022 तक)

अध्यक्ष	:	डॉ. राजेन्द्र कुमार, आईएएस, अपर सचिव, एम ई आई टी वाई
निदेशक	:	डॉ. जयदीप मिश्रा, एएस, एमईआईटीवाई
		श्री राजेश सिंह, जेएस एंड एफए, एमईआईटीवाई
		श्री एस. के. मारवाह, वैज्ञानिक–जी और समूह समन्वयक, एमईआईटीवाई
		श्रीमती सुनीता वर्मा, वैज्ञानिक जी और समूह समन्वयक, एमईआईटीवाई
		श्री इंदरपाल सिंह सेठी, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी
		श्री सुनील कुमार, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी
		श्री राजीव राठी, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी
		सुश्री अल्का मिश्रा, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी
		सुश्री सुचित्रा प्यारेलाल, वैज्ञानिक–जी, और एसआईओ (असम), एनआईसी
		श्री अजय सिंह चहल, वैज्ञानिक–जी और एसआईओ (एचपी), एनआईसी
		डॉ. विनय ठाकुर, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी और एमडी, एनआईसीएसआई
कम्पनी सचिव	:	श्री सन्नी जैन
लेखापरीक्षक	:	मैसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना (सीआर 0604) चार्टर्ड अकाउटैट I–79, 7वां तल, हिमालय भवन, 23, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली – 110001
पंजीकृत कार्यालय	:	हॉल नं. 2 व 3, 6वाँ तल, एन बी सी सी टावर, 15वाँ, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066
बैंकर्स	:	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भीकाजी कामाप्लेस, नई दिल्ली और आईसीआईसीआई बैंक लिमि., सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली, इंडियन बैंक, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली, केनरा बैंक, जनपथ शाखा।

27वीं वार्षिक आम बैठक

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंकॉर्पोरेटेड (निकसी) के सदस्यों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य–व्यापार संपन्न करने के लिए इसकी सत्ताईसवीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, दिनांक 26 दिसंबर, 2022 को सायं 03:00 बजे कांफ्रेंस कक्ष सं. 4009, चतुर्थ तल, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी निकेतन, 6 सी.सी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 में आयोजित की जायेगी:

सामान्य कार्यव्यापार:

1. दिनांक 31.3.2022 की स्थिति अनुसार लेखा–परीक्षित तुलनपत्र तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की आय व व्यय लेखा और उसके संबंध में निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट तथा उस पर भारत के नियंत्रक और महा लेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त करना, विचार करना और उनका अनुपालन करना।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए भारत के नियंत्रक और महा लेखा–परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखा–परीक्षकों के पारिश्रमिक का नियतन करना।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक.

ह0/–
(सन्नी जैन)
कंपनी सचिव
(एम.सं. ए 31700)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 22.12.2022

सेवा में,

1. सभी सदस्यों को

साथ ही:

1. निकासी के अध्यक्ष के लिए
2. एनआईसीएसआई के सभी निदेशक मंडल के सदस्य

और:

1. मेसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना, चार्टर्ड अकाउंटेंट
2. मेसर्स जे एन मित्तल एंड कं., सांविधिक लेखापरीक्षक, एनआईसीएसआई

ध्यान दें:

1. उपस्थित रहने एवं मतदान करने का पात्र सदस्य अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को उपस्थित रहने एवं मतदान करने हेतु नियुक्त करने का हकदार है।
2. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 19(1) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (कंपनी अधिनियम, 1956 की पूर्ववर्ती धारा 25) के तहत पंजीकृत कंपनी के सदस्य को तब तक किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा जब तक नियुक्त किया जाने वाला अन्य व्यक्ति ऐसी कंपनी का सदस्य न हो।
3. प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी प्रारूप (फॉर्म) को सभी मायनों में पूरी तरह से भरने के बाद बैठक शुरु होने से 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करा दिया जाना चाहिए।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2022को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड ('कंपनी') के व्यवसाय और संचालन पर सत्ताईसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है।

पिछले वर्ष 2020–21 की तुलना में 31 मार्च 2022को समाप्त हुए वर्ष के लिए सारांशित वित्तीय परिणाम इस प्रकार हैं:

वित्तीय विशिष्टताएं

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
(क)	**आयः**		
1	संचालन राजस्व	1402.13	1282.02
2	अन्य आय	75.51	74.59
	कुल (क)	1477.64	1356.61
(ख)	**व्ययः**		
1	स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	179.56	119.84
2	सेवा समर्थन व्यय	1082.83	969.83
3	कर्मचारी लाभ व्यय	9.64	8.68
4	वित्त लागत	8.99	9.53
5	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	65.98	65.62
6	अन्य व्यय	68.84	51.59
	कुल (ख)	1415.84	1225.09
	आय/(हानि) कर पूर्व (क)–(ख)	61.80	131.52
6	कर व्यय	15.63	33.29
7	वर्ष के लिए आय/(हानि)	46.17	98.23

(1) संचालन लाभ (ऑपरेटिंग मार्जिन)

निदेश मंडल ने क्रमशः26.03.2022 और 03.06.2022 को आयोजित अपनी 121वीं और 122वीं बैठक में सभी प्रकार की परियोजनाओं/ सेवाओं के लिए एनआईसीएसआई के संचालन लाभ की संशोधित दरों को इस प्रकार अनुमोदित किया थाः

परियोजना मूल्य (राशि रु. में)	संचालन लाभ की दर
50 करोड़ तक	9%
50 करोड़ से अधिक और 100 करोड़ तक	7%
100 करोड़ से अधिक	5%

(2) लाभांश

कंपनी (पूर्व में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) कंपनी अधिनियम, 2013की धारा 8 के तहत पंजीकृत है और धारा के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को किसी भी लाभांश का भुगतान नहीं कर सकती।

(3) आरक्षित निधि में अंतरण

कंपनी ने किसी भी राशि को आरक्षित निधि यानि सामान्य आरक्षित निधि, पूंजीगत आरक्षित निधि, पूंजी मोचन आरक्षित निधि आदि में नहीं डाला है।

(4) डीपीई द्वारा एनआईसीएसआई की ग्रेडिंग

वित्तीय वर्ष	लेखापरीक्षित आकंड़ों के आधार पर एमओयू समग्र स्कोर के अनुसार डीपीई द्वारा ग्रेडिंग
2020-21	छूट प्राप्त
2019-20	अच्छा
2018-19	खराब
2017-18	ठीक–ठाक
2016-17	उत्कृष्ट
2015-16	उत्कृष्ट

(5) वित्त वर्ष 2021–22 में जारी परियोजनाएं/गतिविधियां

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन परियोजना)

मार्च, 2010 में शुरू की गई, एनकेएन परियोजना को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा लगभग 5990 करोड़ रु. की लागत से 10 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। एनआईसी इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है जबकि एनआईसीएसआई खरीद और आईटी सपोर्ट प्रदान करने में मदद कर रही है। यह परियोजना उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क स्थापित करने के बारे में है जो उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को एकदृदूसरे से जोड़ने का काम करेगी ताकि उनके बीच ज्ञान संसाधनों का निर्माण, अधिग्रहण और स्थापना को सक्षम बनाया जा सके। यह एनआईसी के जिला केंद्रों से संपर्क करने वाली संस्थाओं के लिए लिंक को चालू कर, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में केद्र स्थापित कर सहयोगी अनुसंधान, देशव्यापी कक्षाओं आदि की सुविधा भी प्रदान करेगा। एमईआईटीवाई ने इस परियोजना को दो वर्ष यानि मार्च, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, एनआईसीएसआई को इस परियोजना के लिए एमईआईटीवाई से 500 करोड़ रु. मिले, 31.03.2022तक प्राप्त कुल राशि 5,134 करोड़ रु. है। हालांकि, एनकेएन परियोजना को एमईआईटीवाई ने उसी वित्तीय परिव्यय के तहत एक और वर्ष के लिए यानि मार्च 2023 के लिए बढ़ा दिया है।

(6) वित्त वर्ष 2021–22के दौरान, एनआईसीएसआई को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से कार्यान्वयन हेतु 1997 नई परियोजनाएँ प्राप्त हुईं थीं।

(7) एनआईसीएसआई में व्यापार विभाग

उत्पाद व्यवसाय विभाग (पीबीडी)

पीबीडी का उद्देश्य दक्षिण आसियान, अफ्रीकी, लातिन अमेरिकी आदि में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में एनआईसी/एनआईसीएसआई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के उत्पादीकरण, मानकीकरण और संवर्धन की सुविधा प्रदान करना है। प्रत्येक विदेशी परियोजना के लिए विदेश मंत्रालय की सहमति प्राप्त करना। लागत लचीला रखा जाएगा क्योंकि इसे एनआईसी बजट से बनाया गया है।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डाटा एनालिटिक्स (सीईडीए)

डेटा एनालिटिक्स क्षेत्र में विशेषज्ञता और उत्कृष्टता का केंद्र बनाकर उन्नत विश्लेषणात्मकध्मशीन सीखने की क्षमताओं को अपनाना शुरू करना और तेजी से ट्रैक करना। यह उपयुक्त उपकरणों, प्रौद्योगिकियों की पहचान करके, सही विशेषज्ञता वाले लोगों को तैनात करके और जटिल नीतिगत मुद्दों को हल करने में मदद करके सभी स्तरों पर सरकारी विभागों की गुणवत्ता डेटा एनालिटिक्स सेवाएं प्रदान करेगा।

क्लाउड सर्विसेस और डाटा सेंटर बिजनेस डिवीजन

एनआईसीएसआई शास्त्री पार्क, पुणे और भुवनेश्वर में एनडीसी से क्लाउड सेवाओं को कार्यान्वित कर रहा है। वर्तमान क्लाउड सेवाओं और भविष्य के लिए अधिक कुशल और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए नया प्रभाग स्थापित किया गया है।

(8) वित्त वर्ष 2020–21की गतिविधियों की तुलना में वित्त वर्ष 2021–22 की मुख्य बातें

8.1 प्रोफॉर्मा चालान (पीआई) विवरण

(करोड़ रु. में)

सेवा प्रकार	वित्त वर्ष 2021–22		वित्त वर्ष 2020–21	
	जारी किए गए पीआई की सं.	पीआई की कुल राशि	जारी किए गए पीआई की सं.	पीआई की कुल राशि
कर्मचारी	4064	785.06	4055	738.42
विविध	3130	562.75	3009	253.85
नेटवर्क	114	24.98	170	27.05
रोल आउट	29	3.29	92	11.63
सुरक्षा लेखा परीक्षा	106	1.52	138	1.45
वेबसाइट डेवलपमेंट	189	70.19	209	81.89
जेम (जीईएम)	-	-	55	42.76
ई–ऑफिस	254	75.81	347	115.06
ई–ग्रंथालय	240	0.84	259	0.93
सॉफ्टवेयर ओसीआई	-	-	4	116.12
अन्य संयोजन	919	1153.58	952	849.64
विक्रेताओं के प्रस्ताव आधार	-	-	39	129.62
कुल योग	9045	2678.03	9329	2368.42

8.2. कार्य आदेश (डब्ल्यूओ) विवरण

(करोड़ रु. में)

सेवा प्रकार	वित्त वर्ष 2021–22		वित्त वर्ष 2020–21	
	जारी किए गए डब्ल्यूओ की सं.	डब्ल्यूओ की कुल राशि	जारी किए गए डब्ल्यूओ की सं.	डब्ल्यूओ की कुल राशि
जनबल	6679	851.76	6535	758.13
विविध	69	14.78	68	43.75
नेटवर्क	185	27.05	280	34.30
एनकेएन	76	107.12	158	505.12
रोल आउट	38	3.46	122	14.31
सुरक्षा लेखापरीक्षा	108	1.40	139	2.52
एसएमएस	1505	94.75	1145	101.32
वेबसाइट डेवलपमेंट	241	177.65	217	97.21
एलपीसी, जीईएम और अन्य	230	145.49	502	207.27
कुल योग	**9131**	**1423.46**	**9166**	**1763.93**

8.3. प्राप्त हुई नई परियोजनाओं का खंड–वार विवरण

	मद	**01.04.2021 से 31.03.2022**	**01.04.2020 से 31.03.2021**
(i)	हार्डवेयर की वस्तुएं	1	1
(ii)	कर्मचारी	666	678
(iii)	वेबसाइट / सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट	122	142
(iv)	नेटवर्क	8	28
(v)	सामान्य परियोजनाएं (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कर्मचारी आदि सब मिला कर)	786	798
(vi)	अन्य परियोजनाएं (एसएमएस / बीएएस / ई–मेल आदि)	375	406
	कुल	1958	2053

8.4. निविदाएं

	मांगी गई निविदाएं		
(i)	खुली निविदाओं की संख्या	20	21
(ii)	सीमित निविदाओं की संख्या	-	1
	कुल	20	22

8.5. एमओयू / समझौते

विभिन्न विभागों / संगठनों के साथ एनआईसी द्वार एस आई किए गए	73	49

(9) जनबल

भारत के राजपत्र दिनांक 03.03.1998में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदित जनबल प्रोफाइल के अनुसार, एनआईसीएसआई मेंजनबल एनआईसी से उनके पदों के साथदृ साथ अस्थायी घूर्णी प्रतिनियुक्ति के आधार पर योगी।

31 मार्च 2022तक एनआईसीएसआई में एनआईसी के कर्मचारियों की कुल संख्या 28थी।

(10) कर्मचारियों का विवरण

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के तहत निध ारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था।

(11) कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड (एनआईसीएसआइ)एकधारा 8 (पूर्व में धारा 25 कंपनी)कंपनी है। एनआईसीएसआई का उद्देश्य आईसीटी सॉल्यूशन और तकनीक को बढ़ावा देना और अपने लाभ, यदि कोई हो, या अन्य आय को अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए लागू करना है और इसे अपने सदस्यों को लाभांश का भुगतान करने की मनाही है।

बोर्ड ने 26 दिसंबर, 2016 को हुई अपनी 99वीं बैठक में सीएसआर समिति का गठन किया था, जिसका संदर्भ नीचे दिया गया है:

- कंपनी अधिनियम, 2013के अनुसार एनआईसीएसआई द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बताने वाली सीएसआर नीति तैयार करना और बोर्ड को उनकी अनुशंसा करना;
- कंपनी द्वार की जाने वाली गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि की समीक्षा करना और उसकी अनुशंसा करना;
- समय–समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की अनुवीक्षा करना;

- कोई भी अन्य मामला जिसे सीएसआर समिति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद या निदेशक मंडल द्वारा निर्देशित किए जाने के बाद उचित समझे, समयदृ समय पर।

एनआईसीएसआई के कंपनी सचिव सीएसआर समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

सीएसआर समिति के लिए न्याय सभा (कोरम) इसकी कुल क्षमता का एकदृ तिहाई होगा (उस एक तिहाई में निहित किसी भी अंश को पूर्णांकित किया जाएगा) या दो सदस्य, जो भी अधिक हो।

बोर्ड ने 26 नवंबर 2021 को आयोजित अपनी 120वीं बैठक में सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया था जिसमें निम्नलिखित सदस्य थेः

बोर्ड ने 28 जनवरी 2020 को आयोजित अपनी 112वीं बैठक में सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया था, जिसमें निम्नलिखित सदस्य थेः

क्र.सं.	नाम और पद	पद नाम
1.	डॉ. जयदीप मिश्रा, एएस, एमईआईटीवाई	अध्यक्ष
2.	श्री सुनील कुमार, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी	सदस्य
3.	श्री आईपीएस सेठी, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी	सदस्य
4.	सुश्री अल्का मिश्रा, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी	सदस्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और अन्य प्रावधानों के अनुसार, जैसा लागू हो, वित्त वर्ष 2021–22के लिए एनआईसीएसआई द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, 1.12 करोड़ रु. थीः

(रुपये करोड़ में)

वित्त वर्ष	कर पूर्व शुद्ध लाभ (करोड़ रु. में)	बीते 3 वर्षों में औसत शुद्ध लाभ (करोड़ रु. में)	बीते 3 वर्षों में औसत शुद्ध लाभ का 2% (करोड़ रु. में)
2018-19	(97.86)	55.56	1.12
2019-20	132.99		
2020-21	131.53		

कंपनी ने सीएसआर पर व्यय के लिए वित्त वर्ष 2021–22 में 1.12 करोड़ रु. का प्रावधान किया था। 26.03.2022 को निदेशक मंडल की हुई 121वीं बैठक में दिए गए निर्देश के अनुसार, एनआईसीएसआई ने एक अलग बैंक खाता खोला और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित 1.12 करोड़ रु. की राशि उसमें जमा की, इस राशि को 29.04.2022 को पीएम केयर्स फंड में डाल दिया गया।

(12) कॉरपोरेट गवर्नेंस

कॉरपोरेट गवर्नेंस एक नैतिक रूप से संचालित व्यवसाय प्रक्रिया है जो किसी संगठन के ब्रांड और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। यह नैतिक व्यावसायिक निर्णय करने और मूल्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ व्यवसाय को संचालित करने से सुनिश्चित होता है। एनआईसीएसआई में, यह आवश्यक है कि हमारी कंपनी के मामलों का प्रबंधन निष्पक्ष और पारदर्शी हो। यह हमारे हितधारकों का विश्वास हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

वित्त वर्ष 2021–22 में हुई बोर्ड की बैठकों और आम बैठकों की संख्याः

क्र.सं0	वित्तीय वर्ष 2020–21	दिनांक	स्थान
1.	118वीं बोर्ड बैठक	28-06-2021	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
2.	119वींबोर्ड बैठक	29-07-2021	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
3.	120वींबोर्ड बैठक	26-11-2021	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से

4.	121वीं बोर्ड बैठक	26-03-2022	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
5.	26वींवार्षिक आम बैठक	30-11-2021	सम्मेलन कक्ष सं. 4009, चौथा तल, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
6.	असाधारण आम बैठक	25-01-2022	सम्मेलन कक्ष सं. 4009, चौथा तल, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

(13) लेखापरीक्षा समिति

कंपनी को, पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत, जिसे कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पढ़ा जाएगा, लेखापरीक्षा समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, 26 दिसंबर, 2016को निदेशक मंडल ने अपनी 99वीं बैठक में सुशासन प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने वित्तीय और लेखापरीक्षा मामलों की समीक्षा करने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनआईसीएसआई ने निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का पालन किया है, लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था। एनआईसीएसआई के कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्र.सं.	नाम व पदनाम	पद नाम
1	श्री राजेश सिंह, जेएस एंड एफए, एमईआईटीवाई	अध्यक्ष
2	श्री एस के मारवाह, वैज्ञानिक जी और समूह समन्वयक, एमईआईटीवाई	सदस्य
3	सुश्री सुनीता वर्मा, वैज्ञानिक जी और समूह समन्वयक, एमईआईटीवाई	सदस्य
4	श्री सुनील कुमार, डीडीजी, एनआईसी	सदस्य
5	सुश्री अल्का मिश्रा, डीडीजी, एनआईसी	सदस्य

लेखापरीक्षा समिति की 7वीं बैठक 26–07–2021 को आयोजित की गई जिसमें 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक लेखा पर विचार किया गया और निदेशक मंडल एवं शेयरधारकों के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई।

(14) स्वतंत्र निदेशकों का वक्तव्य

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 की धारा 149(4) और नियम 4 के तहत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कोई वक्तव्य प्राप्त नहीं किया गया।

(15) योग्यता, सकारात्मक गुए, निदेशक की स्वतंत्रता और धारा 178की उप–धारा (3) के तहत दिए गए अन्य मामलों का निर्धारण करने के मानदंड समेत निदेशकों की नियुक्ति और वेतन पर कंपनी की नीति

कंपनी को, एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) और कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं उसके अधिकार) नियम, 2014के नियम 6 के तहत नामांकन एवं वेतन समिति और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) के तहत हितधारक संबंध समिति बनाने की आवश्यकता नहीं थी।

(16) प्रपत्र एमजीटी–9 में वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार, वार्षिक विवरणी का उद्धरण अनुबंध –प्में दिया गया है।

(17) वित्त वर्ष के समाप्त होने और बोर्ड की रिपोर्ट की तिथि के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

कंपनी के वित्त वर्ष समाप्त होने और संबंधित वित्तीय विवरण एवं रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं की गईं थीं।

(18) व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(19) भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक लेखा

भारतीय लेखा मानक के अनुसार वित्त वर्ष 2021–22के लिए वार्षिक लेखा तैयार किया गया है।

(20) ऊर्जा संरक्षण, तकनीक समावेशन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

ऊर्जा संरक्षण और तकनीक समावेशन पर कोई जानकारी नहीं है। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में आय शून्य थी और कंपनी का विदेशी मुद्रा में व्यय भी शून्य रहा।

(21) कंपनी अधिनियम, 2013की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई ऋण/गारंटी/निवेश नहीं किया है।

(22) संबंधित पक्ष लेन–देन

कंपनी (लेखा) नियम, 2014के एओसी–2 के रूप में धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन निष्पक्ष आधार पर किया गया था और व्यवसाय के सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा था।

अधिनियम की धारा,134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014के नियम 8(2) के अनुसारः

1. निष्पक्ष आधार पर नहीं किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरणः शून्य
2. निष्पक्ष आधार पर सामग्री अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरणः शून्य

(23) नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेश जो भविष्य में कंपनी की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नियामकों या अदालतों या ट्रिब्यूनलों द्वारा कोई ऐसा महत्वपूर्ण आदेश नहीं दिया गया न ही कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है जो भविष्य में कंपनी के संचालन की स्थिति और संचालन को प्रभावित करे।

(24) सहायक कंपनी

31 मार्च 2022 तक, कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं थी।

(25) लेखापरीक्षक

31मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनआईसीएसआई के खातों की लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में मेसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना (सीआर0604), चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, I–79, 7वां तल, हिमालय भवन, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली –110001 को नियुक्त किया गया था।

(26) निदेशक उत्तरदायित्व वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के तहत आवश्यकता के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल एतद् द्वारा कहते हैं किरू

क) वार्षिक लेखा तैयार करने में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाए थे

जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके। उस अवधि के लिए कंपनी का नुकसान;

ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की हैय

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किया था; एवं

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे।

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

(27) अभिस्वीकृति

बोर्ड एनआईसी और एमईआईटीवाई समेत केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा कंपनी को दिए गए सहयोग, सहायता और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता है। निदेशक भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एवं लेखापरीक्षकों के सहयोग के लिए उनके भी आभारी हैं। बोर्ड सदस्यों, बैंकरों और उपभोक्ताओं को उनके निरंतर समर्थन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है।बोर्ड भी कंपनी के सभी कर्मचारियों एवं कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता है।

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक. के
निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली

फार्म सं. एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का सारांश

31.03.2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अनुसार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन)
नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

I. पंजीकरण एंव अन्य विवरण

i)	सीआईएन	यू74899डीएल1995एनपीएल072045
ii)	पंजीकरण तिथि	29.08.1995
iii)	कंपनी का नाम	नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकोर्पोरेटिड
iv)	कंपनी की श्रेणी / उप–श्रेणी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन प्राइवेट लिमिटेड धारा 25 (अब धारा 8 कंपनी) कंपनी।
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	कक्ष सं. 2 और 3, 6वां तल, एनबीसीसी टावर, 15, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066 फोन : 91–11–26105054, 26105193
vi)	सूचीबद्ध कंपनी है या नहीं	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंट, यदि हो, का नाम, पता और संपर्क विवरण	कोई नहीं है

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में बताया जाएगाः

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं के नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एन आई सी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	व्यापारिक वस्तुओं की बिक्री	–	12.48
2	सेवा और अन्य आय	–	87.52

III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन / जीएलएन	होल्डिंग / सहायक / सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1	शून्य				

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

(i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरू में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष की समाप्ति पर धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डीमेट	वास्तवीक	कुल	कुल शेयर का %	डीमेट	वास्तवीक	कुल	कुल शेयर का %	
क. प्रोमोटर्स									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत / एचयूएफ									
(ख) केंद्र सरकार	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य
(ग)राज्य सरकार (सरकारें)									
(घ) निगम निकाय									
(ड़)बैंक / वित्तीय संस्थान									
(च)कोई अन्य									
उप–योग (क) (1)									
(2) विदेशी									
क) एनआरआई–व्यक्ति									
ख) अन्य व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)निकाय निगम									
(घ)बैंक / वित्तीय संस्थान									
(ड़)कोई अन्य									
कुल–योग (क) (2)									
प्रोमोटर्स (क) कुल शेयर होल्डिंग (क) = (क)(1)+(क)(2)	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य
ख. सरकारी शेयरहोल्डिंग	लागू नहीं								
1. संस्थान	लागू नहीं								
क) म्यूचुअल फंड									
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान									
ग) केंद्र सरकार									
घ) राज्य सरकार(रें)									
ड) उपक्रम पूंजी कोष									
च) बीमा कंपनियां									
छ) एफआईआई									
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी कोष									
झ) अन्य (बताएं)									
कुल योग (ख)(1)									

2 .गैर– संस्थागत क) निकाय निगम i) भारतीय ii) विदेशी ख) व्यक्ति i) 1 लाख रु तक का सांकेतिक शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक ii) 1 लाख रु. से अधिक के सांकेतिक शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक ग) अन्य (बताएं) **कुल योग(ख)(2)**	लागू नहीं								
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	लागू नहीं								
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	लागू नहीं								
कुल योग (क+ख+ग)	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य

(ii) प्रमोटरों की शेयर होल्डिंग

क्र.सं.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के लिए गिरवी/भारित शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के लिए गिरवी/भारित शेयरों का %	वर्ष के दौरान हिस्सेदारी में हुए परिवर्तन का %
1	एनआईसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	200000	100	शून्य	200000	100	शून्य	शून्य
	कुल	200000	100	शून्य	200000	100	शून्य	शून्य

(iii) प्रमोटरों की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
1		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
2	वर्ष के शुरू में	वर्ष 1 के दौरान श्री एस.बी. सिंह, भूतपूर्व उप–महानिदेशक, एनआईसी द्वारा धारित इक्विटी शेयर सुश्री रचना श्रीवास्तव, उप–महानिदेशक, एनआईसी को हस्तांतरित कर दिया गया था।			
3	वर्ष के दौरान प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग में तिथि वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी का कारण (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) बताएं।				
4	वर्ष की समाप्ति पर				

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रोमोटरों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा) की शेयर होल्डिंग का पैटर्नः

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं			
	वर्ष के दौरान प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग में तिथि वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/ कमी का कारण (जैसे आवंटन/ हस्तांतरण/ बोनस/ स्वेट इक्विटी आदि) बताएं।				
	वर्ष के अंत में (या अलग होने की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान अलग हुए हों)				

(v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिताः

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
	प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
	वर्ष के आरंभ में	शून्य			
	वर्ष के दौरान प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग में तिथि वार वृद्धि/ कमी, वृद्धि/ कमी का कारण (जैसे आवंटन/ हस्तांतरण/ बोनस/ स्वेट इक्विटी आदि) बताएं।				
	वर्ष के अंत में				

V. **ऋणग्रस्तता**

बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान हेतु अदेय ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण	**असुरक्षित ऋण**	**जमा**	**कुल ऋण**
वित्त वर्ष ASQ की शुरुआत में ऋणग्रस्तता i) मूलधन ii) देय ब्याज लेकिन अदत्त iii) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं **कुल (i+ii+iii)**	लागू नहीं			
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन .. वृद्धि .. कमी				
शुद्ध परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i) मूलधन ii) देय ब्याज लेकिन अदत्त iii) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं				
योग (i+ii+iii)				

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों का वेतन

क. प्रबंध निदेशक, पूर्ण–कालिक निदेशकों और/या प्रबंधकों का वेतनः

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना ज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से एनआईसीएसआई को प्राइवेट लिमिटेड धारा 25 कंपनी (अब धारा 8 कंपनी) के रूप में प्रोतसाहित किया गया है। कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 59(i) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की ओर से एनआईसी के महानिदेशक द्वारा एनआईसी के उपयुक्त अधिकारी को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जाएगा।

क्र. सं.	वेतन विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम	कुल धनराशि (रु. में)
		श्री प्रशांत कुमार मित्तल	
1	कुल आय (क) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत लाभ (ग) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	40.47 लाख रु.	40.47 लाख रु.
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं	
3	स्वीट इक्विटी		
4	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, बताएं..		
5	अन्य, कृपया बताएं कुल (क) अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा		

ख. अन्य निदेशकों को वेतन

क्र.सं.	वेतन का विवरण	निदेशकों का नाम		कुल धन राशि	
		-------	-------	-------	-------
	1. स्वतंत्र निदेशक बोर्ड/समिति की बैठकों में शामिल होने का शुल्क कमिशन अन्य, कृपया बताएं	लागू नहीं			
	कुल (1)				
	2. अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक • बोर्ड/समिति की बैठकों में शामिल होने का • शुल्क • कमिशन अन्य, कृपया बताएं				
	योग (2)				
	योग (ख)=(1+2)				
	कुल प्रबंधकीय वेतन				
	अधिनियम के अनुसार कुल अधिकतम सीमा				

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों का वेतन

क्र.सं.	वेतन का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी कंपनी सचिव	
		श्री सन्नी जैन	कुल
1	कुल वेतन (क) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत लाभ (ग) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	11.43 लाख रु.	11.43 लाख रु.
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं	
3	स्वीट इक्विटी		
4	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, बताएं		
5	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल		

VII. **आर्थिक जुर्माना/दंड/समाधेय अपराध**

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	आर्थिक जुर्माना/दंड/समाधेय अपराध पर लगाया गया शुल्क	प्राधिकरण [आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायलय]	यदि कोई अपील की गई हो (विवरण दें)
आर्थिक जुर्माना	शून्य				
दंड					
समाधेय					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
आर्थिक जुर्माना	शून्य				
दंड					
समाधेय					

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक के
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

अनुलग्न

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त प्रारूपः **कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने के लिए।**

2. सीएसआर समिति की संरचनारू 31 मार्च 2022 तकः

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशकत्व की प्रकृति	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की हुई बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या जिनमें हिस्सालिया गया
1	डॉ. जयदीप मिश्रा, एएस, एमईआईटीवाई	अध्यक्ष	3	3
2	श्री सुनील कुमार, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी	सदस्य	3	2*
3	श्री आई पीएससेठी, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी	सदस्य	3	1*
4	सुश्री अल्का मिश्रा, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी	सदस्य	3	2*

**श्री सुनील कुमार, श्री आईपीएस सेठी और सुश्री अल्का मिश्रा को 26 नवंबर, 2021 को आयोजित 120वीं बैठक में निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ सीएसआर समिति में सदस्य के रूप में नामित किया गया है।*

3. वह वेब–लिंक (लिंक्स) प्रदान करें जिन पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति दी गई हो और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के बारे में कंपनी की वेबसाइट पर बताया जाता है। www.nicsi.com

4. नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन के वेब–लिंक (लिंक्स) के साथ कार्य कारी सारांश प्रदान करें, यदि लागू हो। लागू नहीं है।

5. (क) धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ 55.56 रु. (करोड़ रु. में) है।
   (ख) धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत 1.12 रु. (करोड़ रु. में) है।
   (ग) पिछले वित्त वर्षों की सी एसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से मिला अधिशेष। शून्य
   (घ) वित्त वर्ष के लिए मुआवजे के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो। शून्य
   (ड) वित्त वर्ष के लिए कुल सीएसआर भार [(ख)(ग)–(घ)]. 1.12 रु. (करोड़ रु. में)

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (जारी परियोजनाओं और अन्य जारी परियोजनाओं, दोनों के लिए)। शून्य
   (ख) प्रशासनिक उपरि व्यय पर खर्च की गई राशि। शून्य
   (ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो। शून्य
   (घ) वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(क)(ख)(ग)]। शून्य
   (ड) वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च नहीं की गई सीएसआर राशिः

वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रु. में)	खर्च नहीं की गईराशि (रु. में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि		धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी कोष में स्थानांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण तिथि	कोष का नाम	राशि	हस्तांतरण तिथि
शून्य	शून्य	शून्य	पीएम केयर्स फंड#	1.12 रु. (करोड़ रु. में)	30.04.2022

#वित्त वर्ष 202122 के समाप्त होने के बाद खर्च की गई सीएसआर राशि, और जिसके कारण उक्त राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित बैंक में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(च) मुआवजे (सेट–ऑफ) के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो : शून्य

क्र. सं.	विवरण	राशि (रु. में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	

(ii)	वित्त वर्ष में खर्च की गई कुल राशि	
(iii)	वित्त वर्ष में खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	
(iv)	पिछले वित्त वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से मिलने वाला अधिशेष, यदि हो	
(v)	अनुवर्ती वित्त वर्षों में मुआवजे के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	

7. पिछले तीन वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरणः शून्य

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. सं.	**पूर्ववर्ती वित्त वर्ष**	**धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि (रु. में)**	**धारा 135 की उप–धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रु. में)**	**वित्तवर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)**	**धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी कोष में स्थानांतरित राशि, यदि हो**		**अनुवर्ती वित्तवर्षों में खर्च की जानेवाली शेष राशि (रु. में)**	**कमी, यदि कोई हो**
					राशि (रु. में)	**स्थानांतरण तिथि**		
1	वित्त वर्ष–1							
2	वित्त वर्ष–2							
3	वित्त वर्ष–3							

8. वित्त वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई हैः नहीं

हाँ नहीं

यदि हाँ, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें

वित्तवर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या प्राप्त की गई ऐसी संपत्ति (संपत्तियों) से संबंधित विवरण प्रदान करेंः

क्र. सं.	**संपत्ति (संपत्तियों) के लघु विवरण [संपत्ति के पूर्ण पते और स्थान सहित]**	**संपत्ति (यों) का पिनकोड**	**निर्माण तिथी**	**खर्च की गई सीएसआर राशि**	**पंजीकृत स्वामिकी इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर	नाम	पंजीकृत
					पंजीकरण		पता
					संख्या, अगर		
					लागू हो		

(राजस्व अभिलेख में दर्शाए गए अनुसार सभी फील्ड अंकित किए जाने चाहिए, फ्लैटसं., मकान सं., नगर पालिका कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत निर्दिष्ट किए जाने हैं और साथ ही अचल संपत्ति क्षेत्र के साथ–साथ उसकी सीमाएं भी बतानी है।)

9. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो उसका कारण बताएंरू कंपनी ने कंपनी की तरफ से सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए आवेदन मंगाने हेतु समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया था। योग्य संगठन(नों)/ एनजीओ द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद, कंपनी को एक भी ऐसे प्रस्ताव नहीं मिला जो कंपनी के उद्देश्य को पूरा करता हो। इसलिए सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली पूर्ण 1.12 करोड़ रु. की राशि को 30.04.2022 को पीएमकेयर्स फंड में स्थानांतरित कर दिया गया था।

ह0/–	ह0/–
(प्रबंध निदेशक)	(अध्यक्ष सीएसआर समिति)

प्रपत्र सं. एमजीटी–8

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(2) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 11(2) के अनुसार]

कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणपत्र

मैंने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटड, सेक्शन 8 कंपनी, जिसका सीआईएनः यू 74899डीएल1995एनपीएल072045 और जिसका पंजीकृत कार्यालय हॉल सं. 2 और 3, 6 तल, एनबीसीसी टावर, 15 भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली –110066, भारत ("कंपनी") में है, के रजिस्टरों, अभिलेखों और बहीखातों और कागजातों की, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए बनाए रखे जाने की आवश्यकता है, की जांच की है। मेरे विचार से और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और मेरे द्वारा की गई जांच एवं कंपनी, उसके अधिकारियों एवं एजेंटों द्वारा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, मैं प्रमाणित करता हूं किः

क. वार्षिक विवरणी में पूर्वोक्त वित्त वर्ष की समाप्ति के तथ्यों को उचित और पर्याप्त रूप से बताया गया है।

ख. उपरउल्लिखित वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित के संबंध में अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया हैः

1. अधिनियम के तहत इसकी स्थिति;
2. निर्धारित समय सीमा में रजिस्टरों/अभिलेखों का रखरखाव और उसमें प्रविष्टियां करना;
3. कंपनी के रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, केंद्र सरकार, ट्रिब्यूनल, न्यायालय और अन्य प्राधिकरणों के साथ निर्धारित समय में/उसके बाद वार्षिक रिटर्न में बताए गए फॉर्म और रिटर्न दाखिल करना;
4. 28–06–2021, 29–07–2021, 26–11–2021 और 26–03–2022 को निदेशक मंडल की बैठकें या कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के लिए 24–09–2021, 16–03–2022, 24–03–2022 को इसकी समितियों की बैठकें और 26–07–2021 को लेखापरीक्षा समिति और 30–11–2021 को (वार्षिक आम बैठक) और 25–01–2022 को (असाधारण आम बैठक) नियत तिथियों पर जैसा कि वार्षिक रिटर्न में उल्लिखित है, बुलाना/आयोजित करना/रखना, इन बैठकों के संबंध में उचित सूचना दी गई थी और परिपत्र संकल्पों और डाक मतपत्र द्वारा पारित संकल्पों समेत कार्यवाही, यदि कोई हो, को इस प्रयोजन के लिए रखी गई कार्यवृत्त पुस्तक/रजिस्टरों में उचित रूप से दर्ज किया गया है और उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं;
5. समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कंपनी को अपने सदस्यों के रजिस्टर को बंद करने की आवश्यकता नहीं थी।
6. अधिनियम की धारा 185 में निर्दिष्ट कोई भी अग्रिम/ऋण निदेशकों औरध्या व्यक्तियों या फर्म या कंपनियों पर नहीं था,
7. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के तहत परिभाषित संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई थी;
8. 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान सभी मामलों में प्रतिभूतियों को जारी करने या आवंटन या प्रेषण या वापस खरीदने/वरीयता वाले शेयरों या डिबेंचरों के मोचन/शेयर पूंजी में परिवर्तन या कमी/शेयरों/प्रतिभूतियों का रूपांतरण और सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था।
9. अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण के लंबित लाभांश, अधिकार शेयरों और बोनस शेयरों के अधिकारों को स्थगित रखते हुए, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान ऐसी कोई गतिविधि नहीं की गई थी;
10. लाभांश की घोषणा/भुगतान; अधिनियम की धारा 125 के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष पर लागू अवैतनिक/दावा न किए गए लाभांश/अन्य राशियों का हस्तांतरण अधिनियम की धारा 8 (1)(C) के तहत लाभांश की घोषणा/भुगतान निषिद्ध है।
11. अधिनियम की धारा 134 के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर हस्ताक्षर और निदेशकों की रिपोर्ट उसकी उप–धारा (3), (4) और (5) के अनुसार है;

12. कंपनी ने निदेशकों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल को समाप्त करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। वित्त वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को दिया गया वेतन;

- श्री नागेश शास्त्री, रचना श्रीवास्तव, पवन कुमार जोशी, शाहिद अहमद और के. श्रीनिवास राघवन 30–09–2021 को निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए,
- इसके बाद, इंदर पाल सिंह सेठी, सुचित्रा प्यारेलाल, सुनील कुमार, अल्का मिश्रा, राजीव राठी को 01/10/2021 को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया,
- इसके अलावा, सुश्री गीता कठपालिया और बुलुसु कृष्णामूर्ति निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए और 31–12–2021 को श्री सुधीर कुमार मारवाह निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे,
- इसके अलावा, सुश्री ज्योति अरोड़ा निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुईं और 25/01/2022 को श्री अनिल कुमार नायक को निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था।

13. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षक की नियुक्ति। मेसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना (सीआर0604), चार्टर्ड अकाउंटेंट, को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में 31 मार्च 2022 के लिए नियुक्त किया गया था।

14. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार, ट्रिब्यूनल क्षेत्रीय निदेशक, रजिस्ट्रार, न्यायालय या ऐसे अन्य प्राधिकरणों से कोई अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं थी;

15. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान जमाराशियों को स्वीकार/नवीनीकृत/पुनर्भुगतान नहीं किया था।

16. कंपनी ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान अपने निदेशकों, सदस्यों, सार्वजनिक वित्त संस्थानों, बैंकों और अन्य से उधार नहीं लिया है,

17. कंपनी ने अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों के तहत आने वाले अन्य कॉर्पोरेट निकायों या व्यक्तियों को कोई ऋण या निवेश या गारंटी नहीं दी है या प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की है;

18. कंपनी ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान 25 जनवरी, 2022 के विशेष संकल्प को पारित करके निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन के लिए एसोसिएशन के अनुच्छेद को बदल दिया है;

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 03.11.2022

अग्रवाल मनीष कुमार एंड कंपनी के लिए
कंपनी सचिव

यूडीआईएनः F009528D001469899

ह0/–
मनीष कुमार अग्रवाल
(स्वत्वधारी)
सी.पी. सं. 7057
सदस्यता सं.: F-9528

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सविर्सिज इंकोरपोरेटिड (निकसी)

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट, एनआईसीएसआई के खातों पर मेसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से प्राप्त वित्त वर्ष 2021–22 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में टिप्पणियों के उत्तर

लेखा परीक्षा टिप्पणी	एनआईसीएसआई का उत्तर
योग्य राय के आधार	
1. व्यापार देनदारियों (नोट 18), व्यापार प्राप्य (नोट 9), ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम (सहायता अनुदान परियोजनाओं समेत) (नोट 20), सुरक्षा जमा देय (नोट 17) और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (नोट 8 और 14) से संबंधित कुछ शेष राशि वर्ष के अंत में पुष्टि और/या समायोजन के अधीन हैं। प्रबंधन इसका समाधान करने की प्रक्रिया में है और उसका विचार है कि प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार की पुष्टि प्राप्त/प्राप्त होने और/या परिणामी समायोजन के परिणामस्वरूप आय/व्यय और/या संपत्ति/देयताओं पर प्रभाव वर्तमान में वर्ष के अंत में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	31.03.2022को सभी संबँधित खाता मदों की शेष राशि की पुष्टिकरण पत्र जारी किए गए हैं, यह एक नियमित कार्य है कि ऐसे पत्र विभागों/संगठनों/विक्रेताओं आदि को जारी किए जाते हैं लेकिन बहुत ही नगण्य प्रतिक्रिया प्राप्त होती है और एनआईसीएसआई उस पर आवश्यक कार्रवाई करता है। हालांकि, भविष्य में उनसे पुष्टि प्राप्त करने के प्रयास इसके बाद और तेज किए जाएंगे।
2.वित्तीय विवरण की नोट सं. 20 के संदर्भ पर ध्यान दें जहां ग्राहकों से 1,92,452.00 लाख रु. का अग्रिम प्राप्त हुआ। एक–एक खाते की समीक्षा से पता चला कि वर्ष के अंत में कई ग्राहक ऐसे थे जिन पर 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया था। अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और भारत सरकार के मंत्रालयों से प्राप्त इन अग्रिमों को कंपनी द्वारा विभिन्न बैंकों में सावधि जमा में ब्याज और परिपक्वता प्रोफाइल की विभिन्न दरों पर निवेश किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ग्राहकों से प्राप्त ऐसे अग्रिम की राशि अप्रयुक्त रह गई और सावधि जमा में उसे निवेश कर दिया गया है, प्रबंधन को ऐसे प्रत्येक अग्रिम की समीक्षा करने और प्रत्येक उपभोक्ता के साथ अनुबंध के अनुरूप नियमों और शर्तों के आधार पर उपभोक्ता को वापस करने की आवश्यकता है। ऐसे प्रत्येक अग्रिम के संबंध में दस्तावेजों, अनुबंधों और विवरणों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, इस प्रकार के विवरण उपलब्ध कराए जाने के परिणामस्वरूप संपत्ति/देनदारियों और/या आय/व्यय पर पूर्ववर्ती पैरा में संदर्भित मामलों का समग्र प्रभाव तो है जिसका वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सकता है।	एनआईसीएसआई को विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों आदि से हजारों नए खरीद आदेश मिलते हैं। उन आदेशों के खिलाफ गतिविधियों को पूरा करने के बाद, एनआईसीएसआई लेखा विवरण का अंतिम निपटान तैयार करता है और संबंधित उपयोगकर्ता को अतिरिक्त व्यय के खिलाफ राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए भेजता है या उसमें अव्ययित शेष की वापसी के लिए उनके पूर्ण बैंक विवरण को सूचित करने को भेजता है। जबकि कुछ उपयोगकर्ता बैंक विवरण प्रदान करते हैं, कई मामलों में ये प्राप्त नहीं होते हैं और इस प्रकार, अव्ययित राशि एनआईसीएसआई के पास रहती है। तथापि, लेखापरीक्षा निरीक्षण के अनुसार, एनआईसीएसआई ऐसे मामलों की समीक्षा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रयास करेगा और उपयोगकर्ताओं को अव्ययित राशि जल्द–से–जल्द वापस करेगा। एनआईसीएसआई भविष्य में ऐसी राशियों को शीघ्र निपटान के लिए उपयोगकर्ताओं के साथ आगे बढ़ने के लिए एक विशिष्ट टीम स्थापित करने पर भी विचार करेगा।

3. महत्वपूर्ण लेखा नीति (कृपया नोट 2(vii) औरनोट 2(xii))देखें) के संदर्भ में चालान बनाते समय सेवाओं की बिक्री पर राजस्व को गलत तरीके से दर्ज किया जा रहा है, यानि इसे 'नियंत्रण' के हस्तांतरण के समय पर दर्ज किया जाना चाहिए या निवादा की गई सेवा दिए जाने पर, इस तरह कंपनी ने, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 द्वारा निर्धारित 'ग्राहकों से अनुबंध से राजस्व' पर एएस 115 का अनुपालन नहीं किया है। सीजीएसटी अधिनियम के नियम 47 के तहत चूक के साथ–साथ कंपनी की रिपोर्ट की गई आय/व्यय और संपत्ति/ देनदारियों पर सेवा के पूरा होने के30दिनों के भीतर चालान न बनाने के कारण इसका प्रभाव वर्तमान में पता लगाने योग्य नहीं है।	एनआईसीएसआई नीति/प्रथा के अनुसार, यह वस्तु की बिक्री के लिए चालान बनाते समय अपने राजस्व को दर्ज करता रहा है। वित्त वर्ष 2021–22के लिए वित्तीय लेखा तैयार करने के दौरान कंपनी ने लागू भातरतीय लेखा मानकों के सभी प्रावधानों और आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया है और यह राजस्व स्वीकृति की अवधारणाओं के अनुसार है।
4. अब, तक, कंपनी प्रत्येक वर्ष के अंत के बाद विक्रेताओं से प्राप्त चालानों के संबंध में अगले वित्त वर्ष में व्यय और संबंधित आय को दर्ज कर रही थी, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसे अर्जित किए बिना। हालांकि वर्ष के दौरान कंपनी ने वर्ष के अंत के प्राप्त ऐसे चालानों के लिए 9957.54 लाख रु. व्यय के लिए और 9439.13 लाख रु. बिना बिल वाले राजस्व हेतु प्रदान कर इनका हिसाब रखा है(वित्त विवरण के नोट 58 को देखें)। हालांकि कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 द्वारा निर्धारित 'लेखानीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन' पर भारतीय लेखा मानक 8 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है, जिसमें नई लेखा नीति के लागू होने पर पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों के पूर्वव्यापीपुन कथन की आवश्यकता होती है। तदनुसार वित्त वर्ष 2020–21 के संबंध में पिछले वर्ष के आंकड़ों को भी वर्ष के अंत तक प्राप्त नहीं हुए विक्रेता चालान के संबंध में व्यय और संबंधित आय को दर्ज करने के संदर्भ में लिखा जाना चाहिए था। रिपोर्ट की गई आय पर इसका प्रभाव/ भारतीय लेखा मानक 8 के संदर्भ में इस प्रकार के पुनर्कथन के परिणामस्वरूप कंपनी का व्यय और परिसंपत्तियों/ दायित्व है, जिनका वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सकता है।	पिछले वर्ष के लेखा निरीक्षणों के अनुसार, एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल ने 29.07.2021 को आयोजित अपनी 119वीं बैठक में "पूर्व अवधि बुकिंग"पर एक लेखा नीति पर विचार किया और उसे अनुमोदिच किया। 31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष के वित्त विवरण ों में, एनआईसीएसआई ने तदनुसार राशि बुक की है और खाता बही के प्रावधान लागू किए हैं। चालू वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान वित्त वर्ष 2021–22 से संबंधित चालान 99.58 करोड़ रु. के हैं जिसमें 94.39करोड़ रु. की आय को बिना बिल वाले राजस्व के रूप में दिखाया गया है, वित्त विवरण सं. 58देखें।
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्त नियंत्रणों पर योग्य विचार	
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे 31मार्च,2022को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा राय में वेंडर शेष के मिलान/पुष्टि से संबंधित सिस्टम के संबंध में योग्य राय तैयार किया है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से बकाया शेष राशि का गलत विवरण हो सकता है। (हमारे स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट के योग्य विचार हेतु आधार के तहत पैरा1देखें)जिसमें वर्तमान आंतरिक नियंत्रणों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।	31.03.2022को सभी संबंधित खाता मदों के लिए शेष राशि की पुष्टि पत्र जारी किए गए हैं, यह एक नियमित प्रक्रिया है कि ऐसे पत्र विभागों/संगठनों/ विक्रेताओं आदि को जारी किए जाते हैं। लेकिन बहुत ही नगण्य प्रतिक्रिया प्राप्त होती है और एनआईसीएसआई उस पर आवश्यक कार्रवाई करता है। हालांकि भविष्य में उनसे पुष्टि प्राप्त करने के प्रयास इसके बाद और तेज किए जाएंगें।

अन्य मामले	
क) कंपनी को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अलगदृ अलग मदों के मानचित्रण से संबंधित वर्तमान नियंत्रणों को उनके भौतिक सत्यापन पर नियंत्रणों को प्रस्तुत कर मजबूत करने की आवश्यकता है जहां सभी व्यक्तिगत वस्तुओं द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित उनकी विशिष्ट पहचान सं. के माध्यम से संबंधित पीपीई रिकॉर्ड के साथ मैप किया जाता है।	वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण समाधान हेतु वर्तमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त बनाया गया है। हालांकि कोविड–19महामारी के कारण, संबंधित मदों का पालन करने में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है। इन सभी गतिविधियों को फिर से शुरू किया गया है और निकट भविष्य में संपत्तियों के लिए पहचान संख्या के उचित मानचित्रण के साथ पूरा किया जाएगा। हालांकि, संपत्ति का विवरण निर्धारित रजिस्टरों में रखा जा रहा है। साथ ही प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में एनआईसीएसआई मुख्यालय और इसकी इकाईयों में प्रत्येक 3 सदस्यीय समिति द्वारा सभी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। 31.03.2022 को एनआईसीएसआई मुख्यालय और इसकी इकाईयों, दोनों ही स्थानों पर परिसंपत्तियों का ऐसा ही भौतिक सत्यापन भी किया गया था।
ख) हालांकि, कंपनी ने 01जुलाई 2017से ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लागू किया था, व्यक्तिगत पार्टी बैलेंस की मैपिंग और ओपनिंग बैलेंस को आगे बढ़ाने से संबंधित कुछ नियंत्रण कमियों को सशक्त करने और वर्तमान नियंत्रणों के आधार पर पहचाने जाने की जरूरत है, जो एक सिस्टम लेखापरीक्षा द्वारा मान्य किए जा रहे हैं, बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा।	एनआईसीएसआई ने खातों और अन्य संबंधित क्षेत्रों के लिए 01. 07.2017 से ईआरपी सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से अपनाया लिया है। एनआईसीएसआई खातों की जांच के दौरान यह पाया गया कि इसे तदनुसार सत्यापन की आवश्यकता है, एनआईसीएसआई ने मेसर्स डॉ. सीबीएस साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज एलएलपी से अपने ईआरपी सिस्टम को सत्यापित कराया है। ऑनसाइट लेखापरीक्षा कर 06.07.2022 को दी अपनी रिपोर्ट में कंपनी ने पाया कि”एप्लीकेशन व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न त्रुटियों से मुक्त है। इसके अलावा, ओरैकल ईबीएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और संबंधित आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की लेखापरीक्षा एक वर्ष में कम–से–कम एक बार कराई जाएगी या किसी भी प्रकार की प्रॉसेस/कंप्यूटर सिसोर्स में किसी महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन पर। साथ ही, उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत आंकड़ों की अतिरिक्त सुरक्षा हेतु सशक्त एन्क्रिप्शन और प्रमाणीकरण का उपयोग कर एप्लिकेशन को नवीनतम संस्करण में अपडेट किया जाना चाहिए”। एनआईसीएसआई इस पर विचार करने की प्रक्रिया में है और इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा।

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक के
निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएनः यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31.03.2022 बैलंस शीट

₹ लाखो में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
संपत्तियां			
गैर–तात्कालिक संपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	2,336.88	2,377.57
संपत्ति के उपयोग का अधिकार	4	16,035.80	17,227.19
अन्य अमूर्त संपत्तियां	5	6,275.10	8,682.03
वित्तीय परिसंपत्तियांः			
अन्य वित्तीय संपत्तियां	6	1,077.32	642.98
आस्थगित कर संपत्तियां (शुद्ध)	7	3,578.62	3,167.11
अन्य गैर–तात्कालिक संपत्तियां	8	8,544.57	2,316.68
वर्तमान संपत्तियां			
वित्तीय संपत्तियांः			
(क) व्यापार प्राप्य	9	34,429.17	26,360.57
(ख) नकद और नकद समकक्ष	10	93,139.05	75,247.95
(ग) उपरोक्त '(ख)' के अलावा बैंक बैलेंस	11	1,14,759.60	1,04,355.89
(घ) अन्य वित्त परिसंपत्तियां	12	2,832.51	3,678.34
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	13	17,165.29	13,830.45
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	14	32,541.67	28,149.64
कुल संपत्तियां		**3,32,715.57**	**2,86,036.40**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	15	200.00	200.00
अन्य इक्विटी	16	73,986.10	69,368.66

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
देयताएं			
गैरदृ वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
(क) पट्टा देयता	34	14,623.62	15,741.75
(ख) अन्य वित्तीय देयताएं	17	59.46	39.46
वर्तमान देयताएं			
वित्तयी देयताएंः			
(क) पट्टा देयता	34	3,219.74	2,319.17
(ख) व्यापार देय	18		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		8,491.68	2,668.91
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य कुल बकाया राशि		35,590.04	27,898.71
(ग) अन्य वित्तीय देयताएं	19	1,261.16	1,574.46
अन्य वर्तमान देयताएं	20	1,95,209.26	1,66,150.76
प्रावधान	21	74.52	74.52
कुल इक्विटी और देयताएं		**3,32,715.57**	**2,86,036.40**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		

संलग्न टिप्पणियाँ (1—61) वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या 002405सी

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/—
वर्णिका गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 430967

ह0/—
इंदर पाल सिंह सेठी
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09512006

ह0/—
डॉ. राजेन्द्र कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02677079

ह0/—
सन्नी जैन
कंपनी सचिव
एसीएसः 31700

ह0/—
महेन्द्र पाल
एफए/सीए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2022

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएनः यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एंव व्यय लेखा

₹ लाखो में

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष
	आय			
I	संचालन से राजस्व	22	1,40,213.47	1,28,202.26
II	अन्य आय	23	7,551.07	7,459.87
III	कुल आय (I+II)		**1,47,764.54**	**1,35,662.13**
IV	व्यय			
	स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	24	17,956.39	11,983.57
	सेवा सहायता व्यय		1,08,283.71	96,983.33
	कर्मचारी लाभ व्यय	25	964.22	867.72
	वित्त लागत	26	899.26	953.23
	मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्यय	27	6,597.29	6,561.78
	अन्य व्यय	28	6,883.76	5,160.44
	कुल व्यय (IV)		**1,41,584.63**	**1,22,510.08**
V	कर पूर्व (III–IV) आय / (हानि)		6,179.91	13,152.06
VI	कर व्ययः		**1,562.48**	**3,329.11**
	(1) वर्तमान कर		1,966.91	3,504.78
	(2) आस्थगित कर		(411.51)	1,142.35
	(3) पिछले वर्षों के लिए कर समायोजन/(बट्टा खाता में डालना)		7.07	(1,318.02)

₹ लाखो में

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष
VII	निरंतर संचालन से वर्ष में हुई आयध (हानि) (V–VI)		**4,617.43**	**9,822.95**
VIII	अन्य व्यापक आय			
IX	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (आय/(हानि) और वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय सहित)		**4,617.43**	**9,822.95**
X	प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रति शेयर सांकेतिक मूल 100 रु.):			
	(1) बेसिक (रु. में)	29	2,308.72	4,911.47
	(2) डाइलूटेड (रु. में)	29	2,308.72	4,911.47

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 2

संलग्न टिप्पणियां (1–61) वित्तीय कथनों का अभिन्न अंग है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या 002405सी

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
वर्णिका गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 430967

ह0/–
इंदर पाल सिंह सेठी
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09512006

ह0/–
डॉ. राजेन्द्र कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02677079

ह0/–
सन्नी जैन
कंपनी सचिव
एसीएसः 31700

ह0/–
महेन्द्र पाल
एफए/सीए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2022

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विर्सिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएनः यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. जारी, अभिदान और चुकता इक्विटी शेयर की इक्विटी शेयर पूंजी 100/– रु. प्रत्येक

₹ लाखो में

विवरण	टिप्पणी	धन राशि
31 मार्च 2020 तक	15	200.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन		-
31 मार्च 2021 तक	15	200.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन		-
31 मार्च 2022 तक	15	200.00

ख. अन्य ईक्विटी (टिप्पणी 16 देखें)

₹ लाखो में

विवरण	आरक्षित निधियां और अधिशेष प्रतधारित आय	अन्य कुल इक्विटी
31 मार्च 2020 तक	59,014.02	59,014.02
पूर्व अवधि आय (कर्मचारी)	531.69	531.69
वर्ष के लिए अधिशेष (कमी)	9,822.95	9,822.95
31 मार्च 2021 तक	69,368.66	69,368.66
वर्ष के लिए अधिशेष/(कमी)	4,617.43	4,617.43
वर्ष के लिए कुल अधिशेष	4,617.43	4,617.43
31 मार्च 2022 तक	73,986.10	73,986.10

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या 002405सी

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
वर्णिका गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 430967

ह0/–
इंदर पाल सिंह सेठी
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09512006

ह0/–
डॉ. राजेन्द्र कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02677079

ह0/–
सन्नी जैन
कंपनी सचिव
एसीएसः 31700

ह0/–
महेन्द्र पाल
एफए/सीए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2022

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएनः यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष
संचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर और असाधारण वस्तुओं से पूर्व अधिशेष/(घाटा)	6,179.91	13,683.75
के लिए समायोजनः		
मूल्यह्रास और ऋणपरिशोधन व्यय	6,597.30	6,561.79
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ/(हानि)	(0.18)	(0.28)
वित्त लागत	899.26	953.23
ब्याज आय	(5,747.59)	(7,001.70)
अग्रिम के एवज में प्रावधान/(वसूली योग्य राशि)	82.90	283.65
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन अधिशेष/(घाटा)	**8,011.60**	**14,480.44**
के लिए समायोजनः		
व्यापार प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	(8,068.60)	(7,373.05)
ऋणों और अग्रिमों एवं अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(14,429.92)	247.15
व्यापार प्राप्यों और अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	42,279.30	24,903.83
संचालन से उत्पन्न नकद	**27,792.38**	**32,258.37**
आयकर का भुगतान	(1,966.91)	(3,504.78)
पिछले वर्षों के लिए आयकर	(7.07)	1,318.02
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह) (क)	**25,818.40**	**30,071.61**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल संपत्तियों की खरीद	(1,876.35)	(6,198.19)
एफडीआर में निवेश	(10,403.72)	(28,218.41)
अचल संपत्तियों की बिक्री	0.24	0.44
प्राप्त हुआ ब्याज	6,551.33	7,344.04
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/(बहिर्वाह) (बी)	**(5,728.50)**	**(27,072.12)**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
भुगतान किया गया ब्याज	(899.26)	(953.23)

पट्टा देयता के मूलधन का भुगतान	(1,299.54)	(1,406.73)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह) (ग)	(2,198.80)	(2,359.96)
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क्+ख्+ग)	**17,891.10**	**639.53**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	**75,247.95**	**74,608.42**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	**93,139.05**	**75,247.95**

टिप्पणी

1) नकदी प्रवाह के उपरोक्त विवरण को अप्रत्यक्ष तरीके से भारतीय लेखांकन मानक–7, 'नकद प्रवाह विवरण' के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

2) वर्ष के अंत में नकद और बैंक शेष में बैंकों के पास बची नकद और शेष राशि शामिल होती है। इनका विवरण इस प्रकार हैः

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
नकद और नकद समकक्ष		
बैंकों में शेष	54,642.59	29,226.99
अग्रदाय खाता	0.50	0.50
अन्य बैंक शेष		
सावधि जमा	38,495.96	46,020.46
	93,139.05	**75,247.95**

3) नकद प्रवाह के उपरोक्त विवरण में सीएसआर गतिविधियों के लिए 112.00 लाख रु. (पिछले वर्ष 57.20 लाख रु.) को शामिल किया गया है। नोट सं. 55 देखें।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या 002405सी

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
वर्णिका गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 430967

ह0/–
इंदर पाल सिंह सेठी
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09512006

ह0/–
डॉ. राजेन्द्र कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02677079

ह0/–
सन्नी जैन
कंपनी सचिव
एसीएसः 31700

ह0/–
महेन्द्र पाल
एफए/सीए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2022

नेशनल इंर्फोमेटिक्स सेंटर सर्विर्सिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की महत्तवपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

कॉरपोरेट सूचना

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इन्कॉर्पोरेटेड('निगम/कार्पोरेशन') का गठन 29 अगस्त, 1995 को कंपनी अधिनिय, 1956 की धारा–25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8)के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ('एनआईसी'), इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन किया गया था। निगम सरकारी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को कुल आईटी समाधान प्रदान करने का कार्य करता है।

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल के दिनांक 28जुलाई 2022के संकल्प के अनुसार जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

i. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमएसी') द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों (अब के बाद इसे 'भारतीय लेखा मानक' कहा जाएगा), के अनुसार कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक)(संशोधित) नियम, 2016 के साथ पढ़ा जाएगा, के तहत जारी और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां एवं उचित मूल्य पर मापी गई देनदारियों को छोड़कर (वित्तीय साधनों के संबंध में लेखा नीति देखें)।

वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण भारतीय रूपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है। वित्तीय विवरणों एवं नोटों में दी गई सभी राशियों को अनुसूची III की आवश्यकतानुसार निकटतम लाख रु. में पूर्णांकित किया गया है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो। पूर्णांकन त्रुचियों को नजरअंदाज कर दिया गया है।

ii. संपतियों और देयताओं का वर्तमान बनाम गैर–वर्तमान वर्गीकरणः

एक संपत्ति को तब वर्तमान संपत्ति माना जाता है जबः

- सामान्य परिचालन चक्र में उसकी बिक्री या उपभोग के लिए उसके साधित या अभिप्रेत होने की आशा हो;
- मुख्य रूप से व्यापार उद्देश्य के लिए रखा गया हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतरबेचे जाने की आशा हो;
- नकद या नकद समतुल्य जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम–से–कम बारह माह के लिए विनिमय किए जाने या देनदारी का निपटान करने हेतु प्रतिबंधित न हो

अन्य सभी संपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक देयता को वर्तमान तब माना जाता है जबः

- इसके सामान्य संचालन चक्र में व्यवस्थित होने की आशा हो;
- इसे मुख्य रूप से व्यापार के लिए रखा गया हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 माह के भीतर इसे निपटाया जाना हो, या

- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम–से–कम 12 माह के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का, कोई बिनाशर्त अधिकार न हो।

अन्य सभी प्रकार की देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आस्थगित कर संपत्ति और देयताओं को गैरदृवर्तमान संपत्ति और देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिचालन चक्र प्रसंस्करण के लिए संपत्तियों के अधिग्रहण और नकद एवं नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच का समय है। निगम ने अपने परिचालन चक्र के रूप में 12 माह की अवधि को स्वीकार किया है।

iii. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और मूल्यह्रास

(क) मान्यता और प्रारंभिक माप

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण उनके अधिग्रहण की लागत पर बताए गए हैं। भारतीय–लेखा मानक में संक्रमण पर, कंपनी ने अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को पिछले जीएएपी वहन मूल्य (डीम्ड कॉस्ट) पर मापने के लिए चुना था।

लागत में, खरीद मूल्य, उधार लागत शामिल है, यदि पूंजीकरण मानकों को पूरा कर लिया जाता है और संपत्ति को इच्छित उपयोग के लिए अपनी कार्यशील स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी लागत शामिल हो। खरीद मूल्य निकालने के लिए किसी भी प्रकार के व्यापारिक छूट और कमीशन को उसमें से घटा लिया जाता है। बाद की लागत को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल कर दिया जाता है या उपयुक्त के रूप में अलग संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, केवल तभी जब इस बात की संभावना हो कि वस्तुओं से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे। जब संयंत्र और मशीन के महत्वपूर्ण हिस्सों को समय–समय पर बदलने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी उनके उपयोगी जीवन के आधार पर उनका अलग–अलग मूल्यह्रास निकालती है। इसी प्रकार, जब एक प्रमुख जांच की जाती है, इसकी लागत को संयंत्र की वहन राशि माना जाता है और यदि स्वीकृति मानदंड पूर्ण होता है तो उपकरण बदल दिए जाते हैं। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव लागत को लाभ या हानि के विवरण में व्यय के रूप में स्वीकृत किया गया है।

(ख) बाद की माप (मूल्यह्रास और उपयोगी जीवन)

पीपीई की वस्तुओं पर मूल्यह्रास रिटेन डाउन वैल्यू मेथड पर और कंपनी अधिनियम, 2013की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर प्रदान की गई है। निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के साथ संरेखण में पीपीई की सभी वस्तुओं का उपयोगी जीवन निर्धारित किया है।

प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास की पद्धति की समीक्षा की जाती है।

(ग) मान्यता रद्द करना

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कोई वस्तु और आरंभ में स्वीकृत किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से की मान्यता उसके निपटान पर या उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो, पर रद्द की गई मानी जाती है। संपत्ति की मान्यता रद्द करने से होने वाले किसी भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और संपत्ति की अग्रणीत राशी के बीच अंतर के रूप में परिकलित) आय विवरण में तब शामिल किया जाता है जब संपत्ति की मान्यता रद्द हो जाती है। प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की गैर–मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और जब परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त हो जाती है तो लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

(घ) अमूर्त संपत्ति और परिशोधन

अमूर्त संपत्ति को आरंभ में लागत पर मापा गया है। अमूर्त संपत्तियों को बाद में लागत कम संचित परिशोधन और संचित हानि के रूप में मापा गया है। अमूर्त संपत्ति का उपयोगी जीवन परिमित या अनंत हो सकता है। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के अनुसार परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया गया है। परिशोधन अवधि और

परिमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन पद्धति की कम–से–कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन या परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों की खपत के अपेक्षित पैटर्न को परिशोधन अवधि या विधि को उपयुक्त के रूप में संशोधित करने के लिए माना जाता है और इसे लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन व्यय आय और व्यय के विवरण में मान्यताप्राप्त है जब तक कि ऐसा व्यय किसी अन्य संपत्ति के मूल्य को वहन करने का हिस्सा न हो।

कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सर्वर से संबंधित लागतों को क्रमशः एक वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष और छह वर्ष के उनके अनुमानित उपयोगी आर्थिक जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर पूंजीकृत और परिशोधित किया जाता है। ईआरपी सॉफ्टवेयर से संबंधित लागतों को दस साल के अनुमानित उपयोगी आर्थिक जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर पूंजीकृत और परिशोधित किया जाता है।

(ङ) वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध हो सकता है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को तेजी से बढ़ाता है।

वित्तीय संपत्तियां

प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय संपत्तियों को आरंभ में उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है, साथ ही लाभ या हानि, लेनदेन लागत के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण हैं। वित्तीय संपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार में विनियमन या सम्मेलन (नियमित तरीके से व्यापार) द्वारा स्थापित एक समय सीमा के भीतर संपत्ति की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, को व्यापार तिथि पर मान्यता प्रदान की जाती है अर्थात वह तिथि जब कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध हो।

बाद के माप

बाद के माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः

परिशोधन लागत पर ऋण साधन

एक 'ऋण साधन' को परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती होंः

क) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए संपत्ति रखना है, और

ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान बकाया मूलधन पर होता है।

सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभित मान्यता पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। लेनदृदेन की लागतें जो सीधे वित्तीय देयताओं के मुद्दे के कारण होती हैं, जो आय या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं होती हैं, प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य में जोड़ दी जाती हैं। प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ या हानि के रूप में दर्ज किया जाता है।

अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई)के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन

एक 'ऋण साधन' को निम्नलिखित दो शर्तों के पूरा होने पर एफवीटीओसीआई श्रेणी में रखा जाता हैः

क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र कर और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर, दोनों तरीके से प्राप्त

किया जाता है और

ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को आरंभ में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य आंदोलनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। हालांकि, कंपनी लाभ और हानि खाते में ब्याज आय, क्षति हानि और उत्क्रमण एवं विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को दर्ज करती है। परिसंपत्तियों की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यताप्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि खाते में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन रखने के दौरान अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीपीएल)

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साझन, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड को पूरा करता है, जैसा कि एफवीटीपीएल में है। हालांकि, इस प्रकार के विकल्प की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगति कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है (जिसे 'लेखा बेमेल' कहा जाता है)। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में कोई ऋण साधन निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। इक्विटी साधन जो व्यापार के लिए रखे जाते हैं और आकस्मिक विचार के लिए एक व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा मान्यताप्राप्त है, जिस पर भारतीय लेखांकन मानक 103 (व्यापार संयोजन) लागू होता है, उन्हें एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई के रूप में इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है तो लाभांश को छोड़कर साधन पर सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में स्वीकार किया जाता है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से लाभ और हानि खाते तक की राशि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालांकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतक स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी साधनों को लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या उसी वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) को प्राथमिक रूप से रद्द कर दिया जाता है जब ;

परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हों, या

संबंधित कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया हो या एक श्पास थ्रूश व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को वास्तविक देरी के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया है और

या तो कंपनीः

(क) संपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बहुत हद तक स्थानांतरित कर दिया हो,या

(ख) परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है लेकिन संपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया हो या पास–थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया हो, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किसी सीमा तक उसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया हो और न ही बरकरार रखा हो, न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित किया हो, कंपनी–कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित संपत्ति को स्वीकार करना जारी रखती है। उस मामले में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी स्वीकार करती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबंधित देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है।

निरंतर भागीदारी जो हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेती है, को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि के निचले हिस्से में मापा जाता है और अधिकतम राशि जिसे चुकाने के लिए कंपनी की आवश्यकता हो सकती है।

वित्तीय संपत्तियों का नुकसान

भारतीय लेखांकन मानक 109के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम पर नुकसान हानि की माप और पहचान हेतु अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल लागू करती हैः

क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं और परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं जैसे–ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष।

कंपनी अपनी प्रारंभिक मान्यता से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर नुकसान हानि भत्ता की पहचान करती है।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल नुकसान हानि भत्ता (या उत्क्रमण) को लाभ और हानि खाते के विवरण में आय/व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

(च) उचित मूल्य माप

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों को मापती है।

उचित मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए लेनदेन या तो होता हैः

- परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में।

मूलधन या सबसे लाभप्रद बाजार कंपनी द्वारा सुलभ होना चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य इस धारणा का उपयोग करके मापा जाता है कि बाजर सहभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार सहभागियों ने अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य किया है। एक गैरदृ वित्तीय परिसंपत्ति का उचिक मूल्य माप एक बाजार सहभागी की अपने उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में संपत्ति का उपयोग करके या इसे किसी अन्य बाजार भागीदार को बेचकर आर्थिक लाभ पैदा करने की क्षमता को ध्यान में रखता है जो संपत्ति का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में उपयोग करेगा।

कंपनी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करने और अप्राप्य इनपुट के उपयोग को कम करने के लिए।

सभी परिसंपत्तियों और देयताओं जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जो कि निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर वर्णित हैं, जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैः

- स्तर 1 – समान संपत्ति या देयताओं के लिए सक्रिए बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य

- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देखने योग्य है
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, जांच योग्य नहीं है।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने परिसंपत्ति या देयता की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों एवं उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्ग निर्धारित किए हैं।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी का प्रबंधन परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों में उतारदृ चढ़ाव का विश्लेषण करता है, जिन्हें कंपनी की लेखा नीतियों के अनुसार पुनर्माप या पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन कर पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैं, समग्र रूप से)।

यह नोट उचित मूल्य निर्धारण के लिए लेखांकन नीति का सार प्रस्तुत करता है। अन्य उचित मूल्य संबंधी प्रकटीकरण संगत नोटों में इस प्रकार हैः

- महत्वपूर्ण अनुमानों और अनुमानों के लिए प्रकटीकरण
- उचित मूल्य माप पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण
- वित्तीय साधन (परिशोधन लागत पर किए गए समेत)

(छ) उपभोक्ताओं के साथ अनुबंध से राजस्व

राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिले और राजस्व को मजबूती से मापा जा सके, भले ही भुगतान कभी भी किया जा रहा हो। राजस्व को मान्यता देने से पूर्व निम्नलिखित विशिष्ट मान्यता मानदंडों को भी पूरा किया जाना चाहिएः –

वस्तु/सेवा की बिक्री के संबंध में राजस्व

राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि निगम को आर्थिक लाभ हो और राजस्व को मजबूती से मापा जा सके। भुगतान की संविदात्मक रूप से परिभाषित शर्तों को ध्यान में रखते हुए और सरकार की ओर से एकत्र किए गए करों या शुल्कों को छोड़कर, राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

माल/स्टॉक और बेचे जाने वाली वस्तुओं की बिक्री के संबंध में राजस्व को चालान के निर्माण के समय या उस समय माना जाता है जब सामान का नियंत्रण खरीददारों को दिया जाता है, आमतौर पर माल की डिलीवरी और डिलीवरी के प्रमाण पर। माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य, रिटर्न और भत्ते के शुद्ध, व्यापार छूट और वॉल्यूम छूट के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

सेवा की बिक्री के संबंध में राजस्व को चालान बनाते समय या उस समय जब खरीददारों को सेवा दी जाती है, आमतौर पर सेवा के प्रमाण पर मान्यता दी जाती है। सेवा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

निगम परियोजना लागत के आधार पर समय–समय पर निर्धारित स्लैब दरों पर परिचालन मार्जिन को मान्यता देता है। आमतौर पर ऑपरेटिंग मार्जिन दरें परियोजना लागत के विपरीत अनुपात में होती हैं यानि परियोजना की लागत जितनी अधिक होगी, परिचालन मार्जिन दर उतनी ही कम होगी। परियोजना लागत में वृद्धि के कारण परिचालन मार्जिन दर में बाद में होने वाली किसी भी कमी को वर्ष के अंत में या परियोजना बंद होने के समय संबंधित क्रेडिट नोट जारी करके हिसाब किया जाता है। इस प्रकार जारी किए गए क्रेडिट नोट आय के संबंधित मदों से निवल कर दिए जाते हैं।

बिल से अधिक राजस्व को बिल न किए गए राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जबकि राजस्व से अधिक की बिलिंग को अनुबंध देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ब्याज आय

सभी ऋण साधनों के लिए या तो परिशोधन लागत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो अनुमानित भविष्य के नकद भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन या छोटी अवधि में, जहां उपयुक्त हो, वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि या वित्तीय देयता की परिशोधित लागत पर छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय, कंपनी वित्तीय साधन की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित नकद प्रवाह का अनुमान लगाती है, लेकिन अपेक्षित क्रेडिट नुकसान पर विचार नहीं करती है। ब्याज आय को लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल किया जाता है।

(ज) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से परियोजना अनुदान के लिए अग्रिम

एनआईसीएसआई ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से वस्तु और सेवा की बिक्री के लिए अग्रिम प्राप्त किया। ये लेनदेन इकाई के सामान्य व्यापारिक लेनदेन हैं। वित्तीय विवरणों में मंत्रालयों के प्रकटीकरण के लिए प्राप्त अग्रिम को 'अन्य वर्तमान देयताओं' शीर्ष के तहत 'ग्राहकों से प्राप्त सहायता में अनुदान' के रूप में अलग से किया गया है क्योंकि ये सामान्य व्यापारिक लेनदेन हैं। इन अग्रिमों का उपयोग संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए किया जाता है और यदि संबंधित परियोजना के अंत में एनआईसीएसआई के पास शेष राशि उपलब्ध है तो उसे ब्याज (यदि कोई हो) के साथ अनुदानकर्ता संस्थान को वापस कर दिया जाता है। सभी सहायता अनुदान राशि केवल परियोजनाओं के लिए प्राप्त की जाती है।

एनआईसीएसआई हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की खरीद और जनशक्ति प्रदान करने के लिए सरकारी विभागों/संगठनों के विभिन्न आदेशों को लागू करता है। यह समय–समय पर अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार प्रत्येक आदेश की कुल लागत पर परिचालन मार्जिन लेता है। एनआईसीएसआई उन आदेशों के विरुद्ध विभागों/संगठनों से विभिन्न आदेशों को लागू करता है। एनआईसीएसआई को किसी अन्य प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती है, जिससे वह सीधे तौर पर लाभान्वित होती है। एनआईसीएसआई को रियायती दर पर या निःशुल्क कोई मौद्रिक या गैर–मौद्रिक संपत्ति का अनुदान नहीं दिया जाता है।

एनआईसीएसआई मंत्रालयों/विभागों द्वारा सहायता अनुदानों को जारी करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन/स्वीकृति जारी करने से जुड़े सभी नियमों और शर्तों को पूरा करता है।

(झ) इन्वन्टॉरीज

इन्वन्टॉरी की लागत में इन्वन्टॉरी को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए खरीद की सभी लागत, रूपांतरण की लागत और अन्य लागत शामिल हैं। इन्वन्टॉरी (सॉफ्टवेयर की इन्वन्टॉरी समेत) का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है, जो भी फर्स्टदृइनदृफर्स्टदृआउट (फीफो) पद्धति पर है। उपभोज्य भंडार नगण्य होने के कारण क्रय के वर्ष में राजस्व के लिए प्रभारित किया गया है।

(ञ) सेवानिवृत्ति लाभ

एनआईसी के साथ प्रबन्ध के अनुसार, छुट्टी वेतन और पेंशन योगदान की राशि की गणना भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत के आधार पर संबंधित कर्मचारी के मूल वेतन और ग्रेड वेतन (पे) पर की जाती है और एनआईसी को दी जाती है। कंपनी कर्मचारियों को किसी भी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है जो कि भविष्य में पूरी तरह से एनआईसी द्वारा वहन किया जाएगा।

(ट) पूर्व अवधि वस्तु

पूर्व अवधि की वस्तुएं एक इकाई के पहले की अवधि के वित्तीय विवरणों में चूकध गलत विवरण हैं, जिसमें बैलेंस शीट गलत वर्गीकण भी शामिल है। भारतीय लेखा मानक 8 को पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से अनुमोदित वित्तीय विवरणों के पहले सेट में सुधार की आवश्यकता है, उनकी खोज के बाद पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनःप्रस्तुत करके जिसमें त्रुटि हुई थी। हालांकि, यदि ऐसा पुनर्कथन अव्यावहारिक है अर्थात जब कोई संस्था ऐसा करने के लिए हर उचित प्रयास करने के बाद इसे लागू नहीं कर सकती है तो भारतीय लेखा मानक को पहले की अवधि की तुलना में ऐसी पूर्व अवधि की वस्तुओं के पुनर्कथन की आवश्यकता नहीं होती है।

(ठ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं

निगम के पास हर वर्ष प्रबंधन द्वारा अनुमोदित एक कट–ऑफ तिथि है, जिस तक विक्रेताओं के चालान 31 मार्च तक प्रदान की गई सेवाओं के लिए जमा किए जाते हैं और तदनुसार पिछले वर्ष में व्यय के रूप में हिसाब लगाया जाता है। 31 मार्च तक की अवधि के लिए उस तिथि तक प्राप्त आय को भी उसी वित्त वर्ष में शामिल किया जाता है। तदनुसार, खातों में मिलान अवधारणा सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार 31 मार्च के बाद विक्रेताओं द्वारा उठाए गए चालान या वास्तव में उस तारीख के बाद एनआईसीएसआई में देर से प्राप्त होने वाले खर्चों को अगले वर्ष में बुक किया जाता है और इसी आय को अगले वर्ष में भी बुक किया जाता है क्योंकि ये सभी चालान निर्धारित/अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होते हैं। मार्च के लिए जीएसटी जमा करने/जीएसटी रिटर्न भरने के संबंध में।

व्यय और आय, जीएसटी प्रावधानों और आयकर प्रावधानों के उपर्युक्त लेखांकन मिलान अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए, निगम प्रबंधन द्वारा निर्धारित कट–ऑफ तिथि के अनुसार विक्रेताओं से चालान बुक करने के लिए और चालान तिथि/वास्तविक प्राप्ति तिथि को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे व्यवसाय के प्रकार।

उपरोक्त बुकिंग संबंधित वित्तीय वर्ष में उत्पन्न कुल राजस्व के 0.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ड) पट्टे

कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए भारतीय लेखांकन मानक 116 को लागू किया है और इसलिए तुलनात्मक जानकारी को बहाल नहीं किया गया है एवं भारतीय लेखांकन मानक 17के तहत रिपोर्ट किया जाना जारी है।

पट्टेदार के रूप में

कंपनी पट्टे शुरू होने की तिथि में उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और पट्टा देयता को पहचानती है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है जिसमें आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और लागत का अनुमान शामिल है, अंतर्निहित परिसंपत्ति या अंतर्निहित परिसंपत्ति या जिस साइट पर वह स्थित है, को पुनर्स्थापित करने के लिए प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटाकर।

राइट–ऑफ–यूज एसेट को बाद में स्ट्रेटदृलाइन विधि का उपयोग करके शुरू की तिथि से लेकर राइट–ऑफ–यूज एसेट के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टा अवधि के अंत तक मूल्यह्रास किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जैसे संपत्ति और उपकरण के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को समय–समय पर नुकसान हानियों, यदि कोई हो, से कम किया जाता है, और पट्टा देयता के कुछ पुनःमाप के लिए समायोजित किया जाता है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जो कि प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, ब्याज दर (यानी सरकारी बॉन्ड की औसत ब्याज दर –7.75%)का उपयोग करके छूट दी जाती है।

पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैः

- निश्चित भुगतान, जिसमें इनदृसब्सटांस फिक्स्ड पेमेंट्स शामिल हैं।
- परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो एक सूचकांक या दर पर निर्भर करता है, प्रारंभ में आरंभ तिथि के अनुसार सूचकांक या दर का उपयोग करके मापा जाता है;
- अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशियां; और
- एक खरीद विकल्प के तहत एक्सरसाइज प्राइस जो कंपनी के लिए निश्चित रूप से निश्चित है, एक वैकल्पिक नवीनीकरण अवधि में पट्टे का भुगतान, यदि कंपनी एक विस्तार विकल्प का प्रयोग करने के लिए निश्चित रूप से निश्चित हैं और एक पट्टे की जल्द समाप्ति के लिए दंड जब तक कि कंपनी यथोचित रूप से निश्चित नहीं है जल्द समाप्त करने के लिए।

पट्टे की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसका पुनर्माप तक किया जाता है जब किसी सूचकांक या दर में बदलाव से पैदा होने वाले भविष्य के पट्टे के भुगतान में कोई बदलाव होता है, यदि कंपनी के अनुमान में एक अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने की उम्मीद की राशि में बदलाव होता है या यदि कंपनी अपना मूल्यांकन बदलती है क्या यह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगा।

जब पट्टे की देयता को इस प्रकार फिर से मापा जाता है तो उपयोग की जाने वाली संपत्ति की वहन राशि के लिए एक समान समायोजन किया जाता है या लाभ या हानि में दर्ज किया जाता है यदि उपयोग की जाने वाली संपत्ति की वहन राशि कम हो गई है शून्य करने के लिए।

कंपनी उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियां प्रस्तुत करती है जो बैलेंस शीट में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' में निवेश संपत्ति की परिभाषा और 'अन्य वित्तीय देयताएं' में पट्टा देयताओं को पूरा नहीं करती है।

अल्प–कालिक पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे

कंपनी ने 12 माह की अवधि वाली अचल संपत्तियों के अल्प–कालिक पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार की संपत्ति और पट्टे की देयताओं को मान्यता नहीं देने का निर्णय किया है। कंपनी इन पट्टों से जुड़े पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता देती है।

एक पट्टे को आरंभ तिथि पर वित्त पट्टे या एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पट्टा जो कंपनी के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित करता है उसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्त पट्टों को पट्टे के प्रारंभ की तिथि में पट्टे पर दी गई संपत्ति का उचित मूल्य या यदि कम हो, तो न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टा भुगतानों को वित्त प्रभारों और लीज देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष पर ब्याज की एक स्थिर दर प्राप्त हो सके। वित्त प्रभारों को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि सीधे अर्हक आस्तियों के लिए जिम्मेदार न हों, इस मामले में उन्हें ऋण लेने की लागतों पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में खर्च के रूप में पहचाना जाता है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

संपत्ति के उपयोगी जीवन पर एक पट्टे पर दी गई संपत्ति का मूल्यह्रास किया जाता है। हालांकि अगर कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त कर लेगी, तो परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन और पट्टे की अवधि के कम होने पर संपत्ति का मूल्यह्रास किया जाता है।

संचालन पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान पर सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

यह निर्धारित करना कि क्या कोई व्यवस्था पट्टा है (या इसमें शामिल है) पट्टे की शुरूआत में व्यवस्था के सार पर आधारित है। यदि व्यवस्था की पूर्ति एक विशिष्ट संपत्ति या संपत्ति के उपयोग पर निर्भर है और व्यवस्था संपत्ति या संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार बताती है, तो व्यवस्था एक पट्टा है, या इसमें शामिल है, भले ही वह अधिकार किसी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो।

पट्टा वाली व्यवस्थाओं का मूल्यांकन संक्रमण की तिथि अर्थात के अनुसार किया गया है यानि 1अप्रैल 2016 को भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार भारतीय लेखा मानकों का पहली बार अंगीकरण वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण के लिए भारतीय लेखा मानक में संक्रमण की तिथि के अनुसार उस तिथि पर वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर।

(ढ) आय कर

वर्तमान आयकर

वर्तमान आयकर आस्तियों और देयताओं को कराधान, अधिकारियों से वसूल किए जाने या भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो भारत में रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित होते हैं।

लाभ या हानि के अलावा मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान आयकर को लाभ या हानि के बाहर(या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) मान्यता दी जाती है। प्रबंधन समयदृ समय पर रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन उन स्थितियों के संबंध में करता है जिनमें लागू कर नियम व्याख्या के अधीन हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान करते हैं।

वर्तमान आयकर आस्तियों और देयताओं को ऑफसेट किया जाता है यदि इन्हें सेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद है।

आस्थगित कर

रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधारों और उनकी वहन राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर देयता पद्धति का उपयोग करके आस्थगित कर दिया जाता है।

आस्थगित कर देयताओं को सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों को आगे ले जाने और किसी भी अप्रयुक्त कर हानियों के लिए मान्यता प्राप्त है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि वह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभावना नहीं है कि सभी या आस्थगित कर संपत्ति के उपयोग की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैरदृ मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर संपत्ति की वसूली की अनुमति देगा।

उन स्थितियों में जहां कंपनी भारत में अधिनियमित आयकर अधिनियम, 1961, के तहत कर अवकाश की हकदार है, अस्थायी अंतर के संबंध में कोई आस्थगित कर (संपत्ति या देयता) मान्य नहीं है जो कर अवकाश अवधि के दौरान उलट जाता है।

अस्थायी अंतरों के संबंध में आस्थगित कर जो कर अवकाश अवधि के बाद उलट हो जाते हैं उस वर्ष में पहचाने जाते हैं जिसमें अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हैं।

हालांकि, कंपनी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता को इस हद तक प्रतिबंधित करती है कि यह यथोचित रूप से निश्चित हो गया है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके खिलाफ ऐसी आस्थगित कर संपत्ति की वसूली की जा सकती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है जो उस वर्ष में लागू होने की उम्मीद है जब परिसंपत्ति का एहसास होता है या देयता का निपटान कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर किया जाता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित होते हैं।

लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आस्थहित कर को लाभ या हानि (या तो ओसीआई या इक्विटी में) के बाहर मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर मदों को ओसीआई में सीधे इक्विटी में अंतर्निहित लेनदेन के संबंध में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर संपत्ति और आस्थगित कर देयताएं ऑफसेट हैं यदि कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार वर्तमान कर देयताओं के खिलाफ वर्तमान कर परिसंपत्तियों को सेट करने के लिए मौजूद है और आस्थगित कर एक ही कर योग्य इकाई और एक ही कराधान प्राधिकरण से संबंधित है।

न्यूनतम वैकल्पिक कर

कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) जो भविष्य में आयकर देयता के समायोजन के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभ देता है, को एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है यदि इस बाद के पुख्ता सबूत हैं कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। तदनुसार एमएटी को बैलेंस शीट में एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह संभावना होती है कि इससे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे।

(ण) गैर–वित्त संपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकलन करती है कि क्या किसी परिसंपत्ति के खराब हो सकने का कोई संकेत है। यदि कोई संकेत हो या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि जांच की आवश्यकता होती है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति या नकद–उत्पादक इकाईयों (सीजीयू) के उचित मूल्य से अधिक होती है जिसमें निपटान की लागत और उपयोग में इसका मूल्य कम होता है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है तो संपत्ति को बिगड़ा हुआ माना जाता है और उसकी वसूली योग्य राशि के लिए लिखा जाता है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने में अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्वदृकर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को कई मूल्यांकन, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए शेयर की कीमतों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा पुष्टि की जाती है।

साख को छोड़कर परिसंपत्तियों के लिए, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह निर्धारित करने के लिए एक मूल्यांकन किया जाता है कि क्या कोई संकेत है कि पहले से मान्यता प्राप्त नुकसान हानियां अब मौजूद नहीं है या कम हो गई हैं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। पहले से मान्यताप्राप्त नुकसान हानि को केवल तभी उलट दिया जाता है जब पिछली नुकसान हानि की पहचान के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं में कोई परिवर्तन हुआ हो। रिवर्सल सीमित है ताकि परिसंपत्ति का वहन इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो और न ही वहन राशि से अधिक हो, जो निर्धारित किया गया हो, मूल्यह्रास के शुद्ध, पिछले वर्षों में संपत्ति के लिए कोई नुकसान हानि की पहचान नहीं की गई थी। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद हो तो कंपनी संपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। पहले से मान्यता प्राप्त नुकसान हानि को केवल तभी उलट दिया जाता है जब परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं में कोई परिवर्तन हुआ हो क्योंकि पिछले इस तरह के उत्क्रमण को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी गई है जब तक कि परिसंपत्ति को एक पुनर्मूल्यांकन राशि पर नहीं ले जाया जाता है, जिसमें मामले में, उत्क्रमण को पुनर्मूल्यांकन में वृद्धि के रूप में माना जाता है।

(त) वित्तीय आस्तियों का नुकसान/ खराब होना और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

संदेहास्पद ऋणों के प्रावधान को बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार 10 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 100%, 5–10 वर्षों के लिए 50% और 3–5 वर्षों के लिए 25% पर विचार करते हुए मान्यता दी गई है।

(थ) आपूर्तिकर्ताओं को बकाया अग्रिमों के लिए प्रावधान

आपूर्तिकर्ताओं को बकाया अग्रिमों के लिए एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है जो तुलन पत्र की तिथि के अनुसार तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया है।

(द) प्रति इक्विटी शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण शुद्ध लाभ की अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण शुद्ध लाभ को विभाजित करके इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से प्रति इक्विटी शेयर की मूल आय प्राप्त करने के लिए माना जाता है और साथ ही जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या सभी डायल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर यदि इक्विटी शेयर वास्तव में उचित मूल्य (अर्थात बकाया इक्विटी शेयरों का औसत बाजार मूल्य) पर जारी किए गए थे, तो प्राप्त होने वाली आय के लिए डायल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों को समायोजित किया जाता है।डायल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों को अवधि की शुरूआत के रूप में परिवर्तित माना जाता है जब तक कि बाद की तिथि में डेटा जारी नहीं किया जाता है। प्रस्तुत की गई प्रत्येक अवधि के लिए डायल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया जाता है।

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पहले किए गए परिवर्तनों सहित किसी भी शेयर विभाजन और बोनस शेयरों को जारी करने के लिए प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए इक्विटी शेयरों और संभावित रूप से कमजोर इक्विटी शेयरों की संख्या पूर्वव्यापी रूप से समायोजित की जाती है।

(ध) प्रावधान और आकस्मिकताएं

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है जब किसी उद्यम की पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। लंबी अवधि के प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्यों पर उचित जोखिम समायोजित रियायती दर पर छूट दी जा सकती है। अल्पकालिक प्रावधानों को छूट देने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान

प्रबंधन अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। रचनात्मक दायित्वों के संबंध में प्रावधान भी बनाए जाने की आवश्यकता है। तथापि, रिपोर्टिंग अवधि में निगम का कोई रचनात्मक दायित्व नहीं था।

पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया जाता है और जिसकें अस्तित्व की पुष्टि केवल भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

(न) नकद और नकद–समकक्ष

बैलेंस शीट में नकद और अल्पकालिक जमा में बैंकों में नकदी और हाथ में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन है।

नकद और नकद समकक्ष में बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं जो कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग हैं।

2.1 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, मूल्यांकन और अनुमान

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, मूल्यांकन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तारीख में राजस्व, व्यय, संपत्ति और देयताओं की रिपोर्ट की गई मात्रा और साथ के खुलासे और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। अनुमानों और मान्यताओं का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और प्रबंधन के अनुभव एवं अन्य कारकों पर आधारित होते हैं जिसमें भविष्य की घटनाओं की अपेक्षाएं शामिल हैं जिन्हें परिस्थितियों में उचित माना जाता है। इन मूल्यांकनों और अनुमानों के बारे में अनिश्चिततता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधियों में प्रभावित परिसंपत्तियों या देयताओं की वहन राशि के लिए एक भौतिक समायोजन की आवश्यकता होती है।

विशेष रूप से, कंपनी ने निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है जहां महत्वपूर्ण निर्णय, अनुमान और धारणाएं आवश्यक हैं। इन क्षेत्रों में से प्रत्येक के बारे में अधिक जानकारी और वे विभिन्न लेखा नीतियों को कैसे प्रभावित करते हैं, नीचे वर्णित हैं और वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियों में भी हैं। अनुमानों में परिवर्तन का संभावित हिसाब लगाया जाता है।

निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हैः

आकस्मिक व्यय

कानूनन, ठेकेदार, भूमि तक पहुंच और अन्य दावों समेत कंपनी के खिलाफ दावों के संबंध में व्यवसाय के सामान्य क्रम से आकस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती हैं। उनकी प्रकृति से, आकस्मिकताओं का समाधान तभी होगा जब एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएं घटित होंगी या घटित होने में विफल होंगी। आकस्मिकताओं के अस्तित्व और संभावित मात्रा के आकलन में स्वाभावित रूप से महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रयोग और भविष्य की घटनाओं के परिणआम के बारे में अनुमानों का उपयोग शामलि है।

मूल्यांकन और अनुमान

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएं, जिनमें अगले वित्त वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन मात्रा में सामग्री समायोजन करने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित है। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर कंपनी ने अपनी धारणाओं और अनुमानों को आधार बनाया। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, बाजार परिवर्तन या कंपनी के नियंत्रण से बाहर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती है। इस तरह के परिवर्तन होने पर मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।

(क) गैर–वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या किसी संपत्ति के खराब होने के कोई संकेत हैं। यदि कोई संकेत मौजूद हैं, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि जांच की आवश्यकता होती है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति या सीजीयू के उचित मूल्य से अधिक है जिसमें निपटान की लागत और उपयोग में इसका मूल्य कम है। यह एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह पैदा

नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों या संपत्ति के समूहों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। जहां किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, संपत्ति को बिगड़ा हुआ माना जाता है और उसकी वसूली योग्य राशि के लिए लिखा जाता है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदृदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेनदृदेन की पहचान नहीं की जा सकती हो तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को कई मूल्यांकनों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली सहायक कंपनियों के लिए उद्धृत शेयरों की कीमतों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा पुष्टि की जाती है।

(ख) वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

जब बैलेंस शीट में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों को सक्रिए बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर नहीं मापा जा सकता हो तो उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। इन मॉडलों के इनपुट जहां संभव हो अवलोकन योग्य बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ हद तक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

(ग) वित्तीय संपत्तियों की हानि

वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में धारणाओं पर आधारित हैं। कंपनी इन अनुमानों को बनाने और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ–साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के अनुमानों के आधार पर हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

आस्थगित कर संपत्तियां स्वीकृति दृजिस सीमा तक आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी जा सकती है वह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है जिसके विरुद्ध आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

2.2 मानक जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हुए

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए")नए मानक या वर्तमान मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो 01अप्रैल 2021से लागू होती।

हाल में की गई घोषणा

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") समय–समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत वर्तमान मानकों में नए मानक या संशोधन को अधिसूचित करता है। 23 मार्च 2022 को एमसीए ने 1 अप्रैल 2022 से लागू कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 में संशोधन किया, जैसा कि नीचे दिया गया है:

भारतीय लेखा मानक 103–संकल्पनात्मक रूपरेखा का संदर्भ

संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के हिस्से के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्जित की गई पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देयताओं को संस्थान द्वारा अधिग्रहण की तिथि में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान जारी भारतीय लेखा मानकों (वैचारिक रूपरेखा) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अवधारणात्मक ढांचे में संपत्ति और देयताओं की परिभाषाओं को पूरा करना चाहिए। ये परिवर्तन भारतीय लेखा मानक 103 की आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करते हैं। कंपनी को यह उम्मीद नहीं है कि संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय लेखा मानक 16–इच्छित उपयोग से पूर्व लाभ

संशोधन मुख्य रूप से एक इकाई को संपत्ति की लागत, संयंत्र और उत्पादित वस्तुओं को बेचने से प्राप्त उपकरण राशि में कटौती करने

से रोकते हैं जबकि कंपनी अपने इच्छित उपयोग के लिए संपत्ति तैयार कर रही है। इसके बजाए, एक प्रतिष्ठान ऐसी बिक्री आय और संबंधित लागत को लाभ या हानि में मान्यता देगा।

कंपनी यह उम्मीद नहीं करती है कि संशोधनों का उसके वित्तीय विवरणों में उसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मान्यता पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय लेखा मानक 37–कठिन अनुबंध–एक अनुबंध को पूरा करने की लागत

संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि एक अनुबंध को पूरा करने की लागत में वह लागत शामिल होती है जो सीधे अनुबंध से संबंधित होती है। एक अनुबंध से सीधे संबंधित लागत या तो उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागत हो सकती है (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होंगे) या अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं। संशोधन अनिवार्य रूप से एक स्पष्टीकरण है और कंपनी यह उम्मीद नहीं करती है कि संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय लेखा मानक 109 – भारतीय लेखामानक (2021) में वार्षिक सुधार

संशोधन स्पष्ट करता है कि एक इकाई में कौन सी फीस शामिल है जब यह आकलन करने के लिए कि क्या वित्तीय दायित्व को अमान्य करना है या नहीं, यह आकलन करने के लिए भारतीय लेखा मानक 109 का '10 प्रतिशत'परीक्षण लागू करता है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय लेखा मानक 116 – भारतीय लेखा मानक (2021) में वार्षिक सुधार

संशोधन पट्टा प्रोत्साहनों के प्रबंध के संबंध में किसी भी संभावित भ्रम को हल करने के लिए पट्टेदार द्वारा लीजहोल्ड सुधारों की प्रतिपूर्ति के चित्रण को हटा देता है जो कि उस दृष्टांत में पट्टा प्रोत्साहनों का वर्णन करने के तरीके के कारण उत्पन्न हो सकता है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

3. संपत्ति, संयंत्रा और उपकरण

₹ लाखो में

विवरण	भवन	फर्नीचर और फिक्सर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर्स	कुल
लागत 1 अप्रैल 2020	1,985.85	1,599.67	7.02	4,335.20	6,995.16	14,922.90
संवर्धन	-	3.82	10.61	45.87	293.63	353.93
निपटान	-	-	-	-	5.43	5.43
31 मार्च 2021 तक	**1,985.85**	**1,603.49**	**17.63**	**4,381.07**	**7,283.36**	**15,271.40**
संवर्धन	-	4.12	-	418.47	305.96	728.55
निपटान	-	-	-	-	0.06	0.06
31 मार्च 2022	1,985.85	1,607.61	17.63	4,799.54	7,589.26	15,999.89
मूल्यह्रास						
1 अप्रैल 2020 तक	1,105.55	1,312.12	6.68	3,466.82	4,338.98	10,230.15
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	43.06	72.63	1.75	324.11	370.65	812.20
नुकसान हानि		-				-
अन्य निपटान (नीचे 2 देखें)	-	-	-	-	1,856.74	1,856.74
निपटान	-	-	-	-	5.26	5.26
31 मार्च 2021 तक	1,148.61	1,384.75	8.43	3,790.93	6,561.11	12,893.83
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	40.96	53.96	2.34	361.53	310.39	769.18
31 मार्च 2022 तक	1,189.57	1,438.71	10.77	4,152.46	6,871.50	13,663.01
शुद्ध अंकित मूल्यः						
31 मार्च 2022 तक	796.28	168.90	6.86	647.08	717.76	2,336.88
31 मार्च 2021 तक	837.24	218.74	9.20	590.14	722.25	2,377.57

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सूत्र हेतु पूंजी प्रतिबद्धता के प्रकटीकरण पर नोट सं. 36 देखें।
2. वित्त वर्ष 2017–18 से वित्त वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान 'कंप्यूटर' पर 1856.74 लाख रु. के मूल्यह्रास को गलती से 'अन्य अमूर्त संपत्ति' मद से कम कर लिया गया था। चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। के तहत निर्धारित दरों के आधार पर कंप्यूटरों पर मूल्यह्रास की गणना उचित तरीके से की गई थी, इसलिए कथित पुनर्समूहन/पुनर्कथन के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है। इसे 'अन्य समायोजन' के माध्यम से पिछले वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान पुनर्समूहित/ पुनर्स्थापना किया गया है।

अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख का विवरण, जो कंपनी के नाम पर नहीं है

लाख रु. में

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति के आइटम का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक एक प्रोमोटर, निदेशक या प्रोमोटर/निदेशक का रिश्तेदार है या प्रोमोटर/ निदेशक का कर्मचारी	संपत्ति किस तिथि से ध ारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
इमारतें	हॉल सं. 2 और 3, छठा तल, 15 एनबीसीसी टावर, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली– 110066	931.50	एनबीसीसी	नहीं	2001 और 2003 से	एनआईसीएसआई के नाम पर स्वत्व विलेख का निष्पादन लंबित है, मामले को एनबीसीसी के समक्ष रखा गया है। 'नोट– 43 देखें'।

4. परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

₹ लाखो में

विवरण	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	कुल
31 मार्च 2020 तक	21,285.61	21,285.61
वृद्धि	694.52	694.52
अधिकारों में संशोधन	18.18	18.18
निपटान	842.06	842.06
31 मार्च 2021 तक	**21,119.89**	**21,119.89**
वृद्धि	1,081.98	1,081.98
अधिकारों में संशोधन	-	-
निपटान	-	-
31 मार्च 2022 तक	**22,201.87**	**22,201.87**
ऋणपरिशोधन		
31 मार्च 2020 तक	**2,360.92**	**2,360.92**
वर्ष के लिए ऋणपरिशोधन शुल्क	2,373.84	2,373.84
निपटान	842.06	842.06
31 मार्च 2021 तक	3,892.70	3,892.70
वर्ष के लिए ऋणपरिशोधन शुल्क	2,273.37	2,273.37
निपटान	-	-
31 मार्च 2022 तक	**6,166.07**	**6,166.07**
शुद्ध अंकित मूल्य		
31 मार्च 2022 तक	**16,035.80**	**16,035.80**
31 मार्च 2021 तक	**17,227.19**	**17,227.19**

5. अन्य अमूर्त संपत्तियां

₹ लाखो में

विवरण	**सॉफ्टवेयर**	**कुल**
लागत		
1 अप्रैल 2020 तक	17,583.30	17,583.30
वृद्धि	5,844.26	5,844.26
निपटान		-
31 मार्च 2021 तक	**23,427.56**	**23,427.56**
वृद्धि	1,147.81	1,147.81
निपटान	-	-
31 मार्च 2022 तक	**24,575.37**	**24,575.37**
ऋणपरिशोधन		

विवरण	सॉफ्टवेयर	कुल
1 अप्रैल 2020 तक	**13,226.53**	**13,226.53**
वर्ष के लिए ऋणपरिशोधन शुल्क	3,375.74	3,375.74
अन्य समायोजन (नीचे 2 देखें)	(1,856.74)	(1,856.74)
31 मार्च 2021 तक	**14,745.53**	**14,745.53**
वर्ष के लिए ऋणपरिशोधन शुल्क	3,554.74	3,554.74
निपटान	-	-
31 मार्च 2022 तक	**18,300.27**	**18,300.27**
शुद्ध अंकित मूल्य		
31 मार्च 2022 तक	**6,275.10**	**6,275.10**
31 मार्च 2021 तक	**8,682.03**	**8,682.03**

1. अन्य अमूर्त संपत्तिों के सूत्र हेतु प्रकटीकरण या पूंजी प्रतिबद्धता के लिए नोट सं. 36 देखें।

2. वित्त वर्ष 2017–18 से वित्त वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान ''कंप्यूटर'' पर 1856.74 लाख रु. के मूल्यह्रास को गलती से ''अन्य अमूर्त संपत्ति'' मद से कम कर लिया गया था। इसे चालू वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान ''अन्य समायोजन'' के माध्यम से पुनर्समूहित/पुनःकथन किया गया है। चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों के आधार पर कंप्यूटरों पर मूल्यह्रास की गणना उचित तरीके से की गई थी, इसलिए कथित पुनर्समूहन/पुनर्कथन के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

6 – अन्य वित्तीय संपत्तियां

₹ लाखो में

विवरण	गैर–वर्तमान	
	31 मार्च 2022 तक	**31 मार्च 2021 तक**
सुरक्षा जमा		
सुरक्षा जमा	500.60	108.34
सावधि जमा		
12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि के सावधि जमा*	291.60	291.60
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज		
अर्जित ब्याज	285.12	243.04
कुल	**1,077.32**	**642.98**

* गारंटी के बदले मार्जिन मनी के रूप में बैंकों में सावधि जमा

7. आस्थगित कर

वर्ष के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक

क. आय और व्यय खाते में दर्ज राशि

₹ लाखो में

	विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
(i)	**आय या हानि खंड**		
	वर्तमान आयकर शुल्क	1,966.91	3,504.78
	पिछले वर्ष के वर्तमान आयकर के संबंध में समायोजन	7.07	(1,318.02)
	आस्थगित करः		
	अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण से संबंधित	(411.51)	1,142.35
	आय और व्यय खाते में सूचित आयकर व्यय	**1,562.47**	**3,329.11**
(ii)	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई) खंड**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में दर्ज वस्तुओं से संबंधित आस्थगित करः	-	-
	कुल	**1,562.47**	**3,329.11**

ख. 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए भारत की घरेलू कर दर से कर व्यय और लेखांकन लाभ का मिलानः

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
निरंतर संचालन से कर पूर्व लेखांकन आय	6,179.91	13,152.06
बंद परिचालन से कर पूर्व आय	-	-
आयकर से पूर्व आय की गणना	6,179.91	13,152.06
भारत की वैधानिक आयकर दर 25.17% पर(31 मार्च 2021: 25.17%)	1,555.35	3,310.11
पिछले वर्षों के वर्तमान आयकर के संबंध में समायोजन	7.07	(1,318.02)
कर मुक्त सरकारी अनुदान		-
अन्य अंतर	0.05	
आयकर दर में परिवर्तन के कारण	-	1,337.02
अन्य परिसंपत्तियां		
कर उद्देश्यों के लिए गैर–कटौती योग्य व्यय		
25.28% की प्रभावी आयकर दर पर(31 मार्च 2021: 25.31%)	1,562.47	3,329.11
आय और व्यय खाते में सूचित आयकर व्यय	1,562.47	3,329.11
बंद परिचालन के कारण आयकर	-	-
कुल	**1,562.47**	**3,329.11**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA, उक्त धारा में परिभाषित प्रावधानों/शर्तों के अनुसार कम दरों पर आयकर का भुगतान करने के लिए कंपनियों को एक विकल्प प्रदान करता है और तदनुसार, कंपनी ने उक्त खंड में निर्धारित दर के आधार पर आयकर हेतु नई कर दर और मान्यता प्राप्त प्रावधान को अपनाने का निर्णय लिया है और 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी आस्थगित कर संपत्ति/देयताओं का पुनर्माप किया है।

ग. आस्थगित कर:

आस्थगित कर निम्नलिखित से संबंधित हैं:

₹ लाखो में

विवरण	बैलेंस शीट		आय और व्यय कथन	
	31 मार्च 2022 तक	**31 मार्च 2021 तक**	**31 मार्च 2022 तक**	**31 मार्च 2021 तक**
कर उद्देश्यों के लिए त्वरित मूल्यह्रास	173.68	183.02	9.34	272.86
संदिग्ध ऋणों और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिमों के लिए प्रावधान	2,553.06	2,387.43	(165.63)	1,000.43
चालू वर्ष में अस्वीकृत व्यय, आगामी वित्त वर्ष में स्वीकार्य	29.43	11.50	(17.93)	(11.50)
पट्टा देयताओं के निवल संपत्ति के उपयोग का अधिकार	822.45	585.16	(237.29)	(119.44)
आस्थगित कर व्यय/(आय)			**(411.51)**	**1,142.35**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	**3,578.62**	**3,167.11**		

बैलेंस शीट में इस प्रकार दिखता है: **₹ लाखो में**

विवरण	**31 मार्च 2022 तक**	**31 मार्च 2021 तक**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	3,578.62	3,167.11
आस्थगित कर देयताएं		-
आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं), शुद्ध	**3,578.62**	**3,167.11**

8 – अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2022 तक**	**31 मार्च 2021 तक**
असुरक्षित, अच्छा माना जाने वाला		
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य पक्षों के लिए		
क) पूंजी अग्रिम*	6,957.69	1,105.61
ख) पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिमय		
–आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	1,586.88	1,211.07
कुल	**8,544.57**	**2,316.68**

*वर्ल्ड ट्रेड टावर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में कार्यालय स्थल की खरीद हेतु अग्रिम

9. व्यापार प्राप्य

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य पक्षों के लिए		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	34,429.17	26,360.57
असुरक्षित को संदिग्ध माना जाता है*	9,249.75	8,508.75
घटा लें: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(9,249.75)	(8,508.75)
कुल	**34,429.17**	**26,360.57**

व्यापार प्राप्य की समय–सीमा बढ़ाने की अनुसूची

₹ लाखो में

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्न अवधि के लिए बकाया						कुल
	बकाया नहीं	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च 2022 तक							
निर्विवाद–अच्छा माना जाता है		6,115.79	5,059.00	6,529.00	4,743.00	11,793.00	34,239.79
घटाएं: संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए भत्ता						(9,249.75)	(9,249.75)
बिना बिल वाले व्यापार प्राप्यों को अच्छा माना जाता है	9,439.13						9,439.13
	9,439.13	6,115.79	5,059.00	6,529.00	4,743.00	2,543.25	34,429.17
31 मार्च 2021 तक							
निर्विवाद–अच्छा माना जाता है		4,947.32	9,823.00	7,506.00	1,514.00	11,079.00	34,869.32
घटाएं: संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए भत्ता						(8,508.75)	(8,508.75)
बिना बिल वाले व्यापार प्राप्यों को अच्छा माना जाता है	-	4,947.32	9,823.00	7,506.00	1,514.00	2,570.25	26,360.57

*वित्त वर्ष 2020–21 के 8508.75 लाख रु. के संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान पूरा कर दिया गया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान संदिग्ध ऋणों के लिए 9249.75 लाख रु. का प्रावधान किया गया है। नोट सं. 52 देखें।

10 – नकद और नकद समकक्ष

₹ लाखो में

विवरण	**वर्तमान परिसंपत्तियां**	
	31 मार्च 2022 तक	**31 मार्च 2021 तक**
बैंकों में अधिशेष		
बचत खाता	54,642.59	29,226.99
अन्य		
अग्रदाय खाता	0.50	0.50
सावधि जमा (मूल परिपक्वता 3 माह से कम)*	38,495.96	46,020.46
कुल	93,139.05	75,247.95

*स्वीप जमा खातों के बैंक शेष भी शामिल हैं।

11 – उपरोक्त के अलावा बैंक अधिशेष

₹ लाखो में

विवरण	**वर्तमान परिसंपत्तियां**	
	31 मार्च 2022 तक	**31 मार्च 2021 तक**
सावधि जमा	1,12,588.44	1,03,253.45
बैंक गारंटी पर गिरवी रखा गया सावधि जमा	2,171.16	1,102.44
कुल	**1,14,759.60**	**1,04,355.89**

12 – अन्य वित्तीय संपत्तियां

₹ लाखो में

विवरण	**वर्तमान**	
	31 मार्च 2022 तक	**31 मार्च 2021 तक**
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज		
अर्जित ब्याज	2,832.51	3,678.34
कुल	**2,832.51**	**3,678.34**

13 – वर्तमान कर आस्तियां (शुद्ध)

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
भुगतान किया गया आयकर (शुद्ध प्रावधान 8940.87 लाख रु.) (पिछले वर्ष 6973.96 लाख रु.)	19,001.17	15,666.33
घटाएं: –		
आयकर के लिए प्रावधान (रिफंड प्राप्त नहीं हुआ)	(1,835.88)	(1,835.88)
(अकाउंट सं. 55 के लिए नोट देखें)		
कुल	**17,165.29**	**13,830.45**

14 – अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
पूंजी अग्रिम के अलावा		
कर्मचारियों को अग्रिम		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	31.96	24.31
कुल (क)	31.96	24.31
अन्य अग्रिम		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
अग्रिमों और अन्यों पर जीएसटी	30,839.78	27,246.47
प्रीपेड व्यय	149.41	1.52
कुल (ख)	30,989.19	27,247.99
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है		
वसूली योग्य कार्य अनुबंध पर बिक्री कर/डीवीएटी और टीडीएस'	120.45	120.45
घटावः –		
बिक्री कर/वैट के लिए प्रावधान (वापस नहीं किया गया है)	117.91	117.91
डब्ल्यूटीसी पर टीडीएस हेतु प्रावधान (वापस नहीं किया गया)	2.54	2.54
(अकाउंट सं. 55 के लिए नोट देखें)		
कुल (ग)	-	-
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		

आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	1,520.52	877.34
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है		
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	894.32	977.22
घटावः –		
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम हेतु प्रावधान (समायोजित/निपटान नहीं)	894.32	977.22
(अकाउंट सं. 53 के लिए नोट देखें)		
कुल (घ)	1,520.52	877.34
कुल योग (क+ख+ग+घ)	32,541.67	28,149.64

15 – इक्विटी शेयर पूंजी

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2022 तक**	**31 मार्च 2021 तक**
अधिकृत		
200,000 (पिछले वर्ष 200,000) 100/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर	200.00	200.00
जारी, अभिदान और पूर्ण भुगतान		
200,000 (पिछले वर्ष 200,000) 100/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर	200.00	200.00
कुल	200.00	200.00

क. कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारक*: –

शेयरधारकों के नाम	**31 मार्च 2022 तक**		**31 मार्च 2021 तक**	
	धारित इक्विटी शेयरों की सं.	**प्रतिशत (%)**	**धारित इक्विटी शेयरों की सं.**	**प्रतिशत (%)**
डीजी, एनआईसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	1,99,995	99.9975	1,99,995	99.9975
श्रीमती रचना श्रीवास्तव	1	0.0005	1	0.0005
श्री नागेश शास्त्री	1	0.0005	1	0.0005
श्री दीपक चंद्र मिश्रा	1	0.0005	1	0.0005
श्री विष्णु चंद्र	1	0.0005	1	0.0005
श्री आर एस मणि	1	0.0005	1	0.0005
कुल	**200,000.00**	**100.00**	**200,000.00**	**100.00**

*भारत सरकार की तरफ से धारित 5% से अधिक शेयर रखने के बावजूद सभी शेयरधारकों को शेयरधारिता की जानकारी दी गई है।

ख. रिपोर्टिंग वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया चुकता शेयरों का समायोजन

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00
शामिल करेंः वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर/(बाईबैक)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00

ग. इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का एक वर्ग है जिसका मूल्य 100 रु. प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

घ. 31 मार्च 2022 से ठीक पहले के पांच वर्षों की अवधि में, न तो कई बोनस शेयर जारी किए गए और न ही नकद के अलावा अन्य किसी शेयर को प्रतिफल हेतु आवंटित किया गया। इसके अलावा, उक्त अवधि के दौरान कोई शेयर वापस नहीं लाया गया था।

ड. प्रोमोटरों की शेयरधारिता

प्रोमोटर का नाम	**31 मार्च 2022 को धारित शेयर**		**31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्रतिशत में हुआ परिवर्तन**
	शेयरों की सं.	**कुल शेयरों का %**	
एनआईसी के डीजी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति और अन्य	2,00,000	100	.

16 – अन्य इक्विटी

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
आय और व्यय खाते के अनुसार अधिशेष		
प्रारंभिक जमा	69,368.66	59,014.02
पूर्व अवधि आय (कर्मचारी)*	-	531.69
जोड़ेंः वर्ष के लिए अधिशेष/ (कमी)	4,617.43	9,822.95
कुल	**73,986.10**	**69,368.66**

17 – अन्य वित्तीय देयताएं (गैर–वर्तमान)

₹ लाखो में

विवरण	**गैर–वर्तमान**	
	31 मार्च 2022 को	**31 मार्च 2021 को**
सुरक्षा जमा देय	59.46	39.46
कुल	**59.46**	**39.46**

18 – व्यापार प्राप्य

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
व्यापार देय		
–सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया*	8,491.68	2,668.91
–सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्यों का कुल बकाया	35,590.04	27,898.71
कुल	**44,081.72**	**30,567.62**

*नोट सं. 45 देखें

व्यापार देय का एजिंग शेड्यूल

₹ लाखो में

विवरण	**भुगतान की देय तिथि से निम्न अवधि के लिए बकाया:**					**कुल**
	देय नहीं	**1 वर्ष से कम**	**1 – 2 वर्ष**	**2 – 3 वर्ष**	**3 वर्षों से अधिक**	
31 मार्च 2022 तक						
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	8,419.36	70.85	1.10	0.37	8,491.68
अन्य	-	18,785.73	357.29	650.88	3,234.18	23,028.07
विवादित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-	-
अन्य विवादित	-	2,623.21	61.39	11.58	407.13	3,103.30
बिना बिल वाले व्यापार देय	9,458.67	-	-	-	-	9,458.67
	9,458.67	29,828.30	489.53	663.56	3,641.68	44,081.72
31 मार्च 2021 तक						
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	2,351.66	316.88	0.10	0.26	2,668.91
अन्य	-	20,789.01	891.31	963.37	2,434.61	25,078.30
विवादित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-	-
अन्य विवादित	-	2,401.70	11.58	-	407.13	2,820.41
बिना बिल वाले व्यापार देय						-
	-	**25,542.37**	**1,219.77**	**963.47**	**2,842.00**	**30,567.62**

19 – अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान)

₹ लाखो में

विवरण	**वर्तमान**	
	31 मार्च 2022 तक	**31 मार्च 2021 तक**
देय बनाया राशि	675.36	983.27
कर्मचारी लाभ देय	251.10	208.80
देय व्यय	85.33	139.36
प्रतिधारण धन*	249.37	243.03
कुल	**1,261.16**	**1,574.46**

*प्रदर्शन बैंक गारंटी पर विक्रेता से प्रतिधारण।

20 – अन्य वर्तमान देयताएं

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	1,65,660.32	1,41,188.48
ग्राहकों से प्राप्त अनुदान सहायता	26,791.68	20,856.11
अन्य		
सांविधिक बकाया और कर	2,645.26	4,106.17
कॉरपोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी	112.00	-
कुल	**1,95,209.26**	**1,66,150.76**

21 – प्रावधान

₹ लाखो में

विवरण	**वर्तमान**	
	31 मार्च 2022 को	**31 मार्च 2021 को**
स्टाम्प शुल्क का प्रावधान (नोट सं. 43 देखें)	74.52	74.52
कुल	**74.52**	**74.52**

22–संचालन से राजस्व

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष
संचालन से राजस्व		
व्यापारिक वस्तुओं की बिक्री	17,420.15	12,383.61
सेवा आय*	1,22,143.31	1,15,125.37
कुल (ए)	**1,39,563.46**	**1,27,508.98**
अन्य संचालन राजस्व		
प्रशासनिक शुल्क	650.01	693.28
कुल (ख)	**650.01**	**693.28**
संचालन से कुल राजस्व (क)+(ख)	**1,40,213.47**	**1,28,202.26**

*सेवा आय शीर्ष के तहत बिल न किए गए राजस्व 9439.13 लाख रु. को वर्तमान अवधि में बुक किया गया है।

23 – अन्य आय

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष
ब्याज आय*	6,023.66	7,220.98
घटावः–		
सहायता अनुदान परियोजनाओं पर ब्याज (एनकेएन के अलावा)	267.10	190.30
एनकेएन परियोजनाओं पर ब्याज (सहायता अनुदान)	8.97	28.97
अन्य गैर–परिचालन आय	1,720.58	174.51
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (समायोजित/निपटान नहीं) (नोट सं. 53 देखें)	82.90	283.65
	7,551.07	**7,459.87**

*आयकर की वापसी पर ब्याज के लिए शून्य लाख (पिछले वर्ष 226.02 लाख रु.) शामिल है।

24 – खरीद

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष
खरीदः –		
हार्डवेयर	7,376.73	9,043.86
सॉफ्टवेयर	10,579.66	2,939.71
कुल	**17,956.39**	**11,983.57**

25 – कर्मचारी लाभ योजना

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष**	**31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष**
वेतन और प्रोत्साहन	942.69	842.98
कर्मचारी कल्याण	21.53	24.74
कुल	**964.22**	**867.72**

26 – वित्त लाभ

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष**	**31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष**
पट्टा देयता के बंधन से मुक्त होने पर ब्याज व्यय	899.26	953.23
कुल	**899.26**	**953.23**

27 – मूल्यह्रास और ऋणपरिशोधन व्यय

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष**	**31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष**
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट सं. 3 देखें)	769.18	812.20
संपत्ति के उपयोग का अधिकार (नोट सं. 4 देखें)	2,273.37	2,373.84
अन्य अमूर्त संपत्तियां (नोट सं. 5 देखें)	3,554.74	3,375.74
कुल	**6,597.29**	**6,561.78**

28 अन्य व्यय

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क (नोट सं. 38 देखें)	10.04	9.98
बैंक शुल्क	4.57	1.74
बोर्ड बैठक व्यय	0.21	-
खाताबही और पत्र–पत्रिकाएं	2.95	12.95
व्यापार संवर्धन	0.92	3.86
जीएसटी (गैर–सेनवाटेबल)	47.79	29.56
सम्मेलन संगोष्ठी कार्यशाला व्यय	19.46	67.46
उपभोग्य भंडार	43.03	37.92
वाहन व्यय	8.07	4.83
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	112.00	57.20
डी.जी. सेट के लिए डीजल	1.60	1.69
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (नोट सं. 52 देखें)	741.00	73.40
बिजली और पानी शुल्क	948.99	821.18
किराया शुल्क	5.25	7.24
हाउस कीपिंग और साफदृसफाई शुल्क	394.02	352.88
मकान पट्टा शुल्क	0.94	4.66
सदस्यता और अंशदान शुल्क	1.09	0.92
विविध व्यय	70.37	9.64
कार्यालय व्यय	2,761.16	2,570.99
कार्यालय किराया	374.38	0.57
मुद्रण और स्टेशनरी	2.06	4.32
पेशेवर और परामर्श शुल्क	475.73	349.61
किराया दरें और कर	9.99	10.18
मरम्मत और रखदृरखाव	445.70	352.56
टैक्सी किराया शुल्क	283.34	276.69
टेलीफोन शुल्क	51.06	42.51
यात्रा शुल्क	65.88	54.56
वाहन– पेट्रोल	2.16	1.34
कुल	**6,883.76**	**5,160.44**

29 – प्रति शेयर आय

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष
प्रति शेयर आय		
इक्विटी शेयरधारकों के कारण अधिशेष (क)	4,617.43	9,822.95
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	2,00,000	2,00,000
प्रति शेयर डायलूटेड अर्निंग की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (ग)	2,00,000	2,00,000
प्रति शेयर मूल आय (क/ख) (रु. में)	**2,308.72**	**4,911.47**
प्रति शेयर डायलूटेड आय (क/ग) (रु. में)	**2,308.72**	**4,911.47**
प्रति शेयर अंकित मूल्य	100.00	100.00

30. उचित मूल्य पैमाइश

(i) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
व्यापार प्राप्य	-	34,429.17	-	26,360.57
नकद और नकद समकक्ष	-	93,139.05	-	75,247.95
अन्य बैंक शेष	-	1,14,759.60	-	1,04,355.89
अर्जित ब्याज (वर्तमान)	-	2,832.51	-	3,678.34
सुरक्षा जमा	-	500.60	-	108.34
सावधि जमा	-	291.60	-	291.60
अर्जित ब्याज (गैरदृ वर्तमान)	-	285.12	-	243.04
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	-	2,46,237.65	-	2,10,285.73
वित्तयी देयताएं				
व्यापार देय	-	44,081.72	-	30,567.62
अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान)	-	4,480.90	-	3,893.63
अन्य वित्तीय देयताएं (गैर–वर्तमान)	-	14,683.08	-	15,781.21
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**63,245.70**	**-**	**50,242.46**

(ii) उचित मूल्य पदानुक्रम

सभी वित्तीय साधन जिनके लिए उचित मूल्य को मान्यता दी गई है या प्रकट किया गया है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है जो निम्नानुसार वर्णित हैं, निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वहीन है।

स्तर1 : एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिए बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) मूल्य

स्तर 2 : मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर के इनपुट जिनका उचित मूल्य माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं।

स्तर 3: मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जिसका उचित मूल्य माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है।

निम्नलिखित तालिका कंपनी की संपत्ति और देयताओं के उचित मूल्य माप पदानुक्रम प्रदान करती है, उनके अलावा जिनके उचित मूल्य उनके वहन मूल्यों के करीब अनुमान हैं।

वर्ष के दौरान स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के बीच कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।

नकद और नकद समकक्षों, व्यापार प्राप्यों, अन्य प्राप्यों, व्यापार देय और अन्य वित्तीय देयताओं के लिए प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि उनका उछित मूल्य इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर उनकी अग्रणीत राशि है।

कंपनी की लंबी अवधि के ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा के उचित मूल्यों का निर्धारण डिस्काउंटेड कैश फ्लो ('डीसीएफ') पद्धति को लागू कर किया जाता है जिसमें छूट दर का उपयोग किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार उधार दर को दर्शाता है। प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम सहित गैरदृअवलोकन योग्य इनपुट को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

नोट सं. – 31. वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार देय, सुरक्षा जमा, बयाना राशि जमा और कर्मचारी देयताएं शामिल हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में व्यापार प्राप्य, सुरक्षा जमा, सावधि जमा, नकद और बैंक शेष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के अधीन है। कंपनी का प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को निदेशक मंडल का सहयोग मिलता है जो कंपनी के लिए वित्तीय जोखिमों और उपयुक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन ढांचे पर परामर्श देते हैं। बोर्ड कंपनी के प्रबंधन को आश्वासन देता है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन किया जाता है। प्रबंधन इन जोखिमों में से प्रत्येक के प्रबंधन हेतु नीतियों की समीक्षा करता है और सहमत होता है जिनका सारांश नीचे दिया गया है।

I. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिस पर बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतारदृ चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैंदृ ब्याज दर का जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में सावधि जमा शामिल होते हैं।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिस पर बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य की नकदी प्रवाह में उतारदृ चढ़ाव होगा। बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम प्राथमिक रूप से बैंकों के साथ सावधि जमा में कंपनी के निवेश से संबंधित है। कंपनी की सावधि जमा निश्चित दर पर की जाती है। इसलिए भारतीय लेखांकन मानक 107 में परिभाषित ब्याज दर के अधीन नहीं है क्योंकि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा।

ख. विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिस पर किसी एक्सपोजर के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण उतारदृ चढ़ाव होगा। विदेशी मुद्रा जोखिम संवेदनशीलता मौद्रिक संपत्ति और देयताओं के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण कर से पूर्व कंपनी के लाभ पर प्रबाव डालता है। कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में नहीं है क्योंकि उसके पास कोई विदेशी मुद्रा मौद्रिक संपत्ति और देयताएं नहीं है।

II. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जो एक प्रतिपक्ष कंपनी के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है। ऋण जोखिम के लिए कंपनी का एक्सपोजर मुख्य रूप से नकद और नकद समकक्षों, व्यापार प्राप्तियों और परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित होता है। कंपनी लागतार ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षकारों की चूक की निगरानी करती है और इस जानकारी को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करती हैः

ऋण जोखिम	वर्गीकरण का आधार	अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान
ऋण जोखिम कम	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक जमा एवं अन्य बैंक शेष	12 माह के ऋण हानि की उम्मीद
ऋण जोखिम मध्यम	व्यापार प्राप्य, ऋण और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	आजीवन अपेक्षित ऋण हानि या 12 माह के ऋण हानि की उम्मीद

कारोबारी माहौल के आधार पर जिसमें कंपनी संचालित होती है, वित्तीय परिसंपत्तियों पर डिफॉल्ट पर विचार किया जाता है जब प्रतिपक्ष अनुबंध के अनुसार सहमत समय अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है। चूक को दर्शाने वाली हानि दरें वास्तविक ऋण हानि अनुभव और वर्तमान और ऐतिहासिक आर्थिक स्थितियां के बीच अंतर पर विचार करने पर आधारित हैं।

जब वसूली को कोई उचित उम्मीद नहीं होती है, तो संपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जैसे कि दिवालिया घोषित करने वाला देनदार या कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी। कंपनी उन पार्टियों के साथ जुड़ना जारी रखती है जिनकी शेष राशि बट्टे खाते में डाल दी जाती है और पुनर्भुगतान को लागू करने का प्रयास करती है। की गई वसूली को आय और व्यय खातों में लिखा जाता है।

₹ लाखो में

ऋण जोखिम	विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
न्यून ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और अन्य बैंक शेष	2,11,307.89	1,83,816.82
मध्यम ऋण जोखिम	व्यापार प्राप्य और अन्य वित्तीय संपत्तियां	34,929.77	26,468.91

व्यापार प्राप्यों की सांद्रता

व्यापार प्राप्तियों में भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में ग्राहक शामिल होते हैं जिनमें ऋण जोखिम का कोई महत्वपूर्ण संकेंद्रण नहीं होता है।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए ऋण जोखिम एक्सपोजर प्रावधान। कंपनी निम्नलिखित वित्तयी परिसंपत्तियों के लिए 12 माह की अपेक्षित ऋण हानियों का प्रावधान करती है–

₹ लाखो में

विवरण	सकल वहन राशि	अपेक्षित ऋण हानि	अपेक्षित ऋण हानियों की शुद्ध वहन राशि
31 मार्च 2022 तक			
व्यापार प्राप्य	43,678.92	(9,249.75)	34,429.17
31 मार्च 2021 तक			
व्यापार प्राप्य	34,869.32	(8,508.75)	26,360.57

हानि प्रावधान का समायोजन–आजीवन अपेक्षित ऋण हानि

₹ लाखो में

हानि भत्ते का समायोजन	व्यापार प्राप्य
31, मार्च 2020 तक हानि भत्ता	8,435.35
वर्ष के दौरान दर्ज/(प्राप्त) हानि क्षति	73.40
बट्टे खाते में डाली गई राशि	
31 मार्च 2021 तक हानि भत्ता	8,508.75
वर्ष के दौरान दर्ज/(प्राप्त) हानि क्षति	741.00
बट्टे खाते में डाली गई राशि	
31 मार्च 2022 तक हानि भत्ता	9,249.75

III. तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में बाधा डालती है जिन्हें नकद या अन्य वित्तीय संपत्तियों के माध्यम से पूरा किया जाता है। तरलता के प्रबंधन हेतु कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव यह सुनिश्चित करना है कि उसके पास अपनी देयताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त तरलता होगी जब वे देय हों। प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता की स्थिति और नकदी एवं नकद समकक्षों के रोलिंग पूर्वानुमानों पर नजर रखता है। कंपनी उस बाजार की तरलता को ध्यान में रखती है जिसमें इकाई संचालित होती है।

नीचे दी गई तालिका संविदात्मक बिना छूट वाले भुगतानों के आधार पर कंपनी की वित्तीय देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल का सार प्रस्तुत करती है

₹ लाखो में

	मांग पर	3 से कम माह	3 से 12 माह	1 से 5 वर्ष	5 वर्षों से कम	कुल
समाप्त हुआ वर्ष 31 मार्च 2022 को						
व्यापार देय	44,081.72	-	-	-	-	44,081.72
अन्य वित्तीय देयताएं	1,261.16	813.10	2,406.64	3,166.00	11,517.07	19,163.97
कुल	**45,342.88**	**813.10**	**2,406.64**	**3,166.00**	**11,517.07**	**63,245.69**
समाप्त हुआ वर्ष 31 मार्च 2021 को						
व्यापार देय	30,567.62	-	-	-	-	30,567.62
अन्य वित्तीय देयताएं	1,574.46	709.87	1,609.30	3,720.80	12,060.41	19,674.84
कुल	**32,142.08**	**709.87**	**1,609.30**	**3,720.80**	**12,060.41**	**50,242.46**

32. पूंजी प्रबंधन

कंपनी की पूंजी प्रबंधन संरचना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिबद्ध कार्य कायक्रमों को पूरा करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त तरलता बनी रहे। कंपनी, उद्देश्योंक पूरा करने और लचीलेपन को बनाए रखने हेतु पूंजी संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए व्यवसाय की दीर्घकालिक नकदी प्रवाह आवश्यकताओं की निगरानी करती है।

कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन के अनुसार इसमें समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकती है, पूंजी वापस कर सकती है, नकदी हेतु नए शेयर जारी कर सकती है, ऋण चुका सकती है, नई ऋण सुविधाएं स्थापित कर सकती है या ऐसी अन्य पुनर्गठन गतिविधियां कर सकती है।

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
ऋण		
व्यापार देयताएं	44,081.72	30,567.62
अन्य देयताएं	2,14,447.75	1,85,900.12
घटावः नकद और नकद समकक्ष	(93,139.05)	(75,247.95)
निवल ऋण	**1,65,390.42**	**1,41,219.79**
कुल इक्विटी	**74,186.10**	**69,568.66**
पूंजी और निवल ऋण	**2,39,576.52**	**2,10,788.45**
गियरिंग अनुपात (%)	**69.03%**	**67.00%**

33. वित्त अनुपात

31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए अनुपात इस प्रकार हैः

अनुपात/माप	में मापा गया	अंश गणक	भाजक	समाप्त हुए वर्ष के लिए		अंतर (% में)
				31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	
वर्तमान अनुपात	गुना	वर्तमान संपत्तियां	वर्तमान देयताएं	1.21	1.25	-3.56%
ऋण–इक्विटी अनुपात	गुना	कुल ऋण*	शेयरधारकों की इक्विटी	0.24	0.26	-7.35%
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	गुना	ईबीआईटी	कुल ऋण**	0.40	0.78	-49.20%
इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)	%	कर के बाद शुद्ध लाभ	शेयरधारक की औसत इक्विटी	6.42%	15.26%	-57.89%
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	गुना	राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	4.61	5.65	-18.41%
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	गुना	सेवाओं की खरीद और अन्य व्यय	औसत व्यापार देय	3.38	3.96	-14.68%
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	गुना	राजस्व	शेयरधारक की इक्विटी	1.89	1.84	2.56%
शुद्ध लाभ अनुपात	%	शुद्ध लाभ	राजस्व	3.29%	7.66%	-57.02%
नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई)	%	ब्याज और कर पूर्व आय	नियोजित पूंजी	7.69%	16.10%	-52.21%
निवेश पर आय (आरओआई)	%	ब्याज आय	सावधि जमा	3.74%	4.65%	-19.45%

*ऋण केवल पट्टा देयताओं को दर्शाता है

**कुल ऋण केवल पट्टा देयता को दर्शाता है

ईबीआईटी–ब्याज और कर पूर्व आय

नियोजित पूंजी का अर्थ है शेयरधारकों की कुल इक्विटी और ऋण

25% से अधिक भिन्नताओं के लिए स्पष्टीकरण

अन्य लागत में वृद्धि के साथ उच्च संचालन लाभ हेतु राजस्व को कम कर दिया गया है।

34. पट्टे

पट्टेदार के रूप में

(क) संपत्ति के उपयोग के अधिकार में संवर्धन

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
निवेश संपत्ति को छोड़कर, उपयोग की जाने वाली संपत्तियां	1,081.98	694.52

(ख) श्रेणी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति के उपयोग के अधिकार का वहन मूल्य

₹ लाखो में

विवरण	श्रेणी 1	श्रेणी 2	कुल
1 अप्रैल 2020 को शेष राशि		18,924.69	18,924.69
वृद्धि		694.52	694.52
अधिकारों का संशोधन		18.18	18.18
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क		2,373.84	2,373.84

1 अप्रैल 2021 को शेष राशि		17,227.19	17,227.19
वृद्धि		1,081.98	1,081.98
अधिकारों का संशोधन		-	-
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क		2,273.37	2,273.37
31 मार्च 2022 को शेषराशि		16,035.80	16,035.80

(ग) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
रोकड़ जमा	18,060.91	18,791.29
संवर्धन	1,081.98	694.52
ब्याज	899.26	953.23
अधिकारों में संशोधन	-	(18.18)
देयताओं का भुगतान	(2,198.80)	(2,359.96)
जमा शेष	17,843.35	18,060.91

₹ लाखो में

परिपक्वता विश्लेषण – संविदात्मक बिना छूट वाला नकदी प्रवाह	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
एक वर्ष से कम	3,219.74	2,319.17
एक से पांच वर्ष	10,497.20	10,367.95
पांच वर्षों से अधिक	11,517.07	12,060.42
बिना छूट वाली कुल पट्टा देयताएं	**25,234.01**	**24,747.54**

₹ लाखो में

बैलेंस शीट में शामिल पट्टा देयताएं	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
वर्तमान	3,219.74	2,319.17
गैर–वर्तमान	14,623.62	15,741.75
कुल	**17,843.36**	**18,060.92**

(घ) लाभ या हानि में स्वीकृत राशि

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष
पट्टा देयताओं पर ब्याज	899.26	953.23
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान पट्टा देयताओं की पैमाइश में शामिल नहीं है	-	-
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के उप–पट्टे से आय	-	-
अल्पकालिक पट्टे से संबंधित व्यय	374.38	0.57
कम मूल्य वाली संपत्तियों के अल्पकालिक पट्टों को छोड़कर कम–मूल्य वाली संपत्तियों के पट्टे से संबंधित व्यय	-	-

(ङ) नकद प्रवाह विवरण में स्वीकृत राशि

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष
पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह	2,198.80	2,359.96

35. आकस्मिक देयताएं

बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार, कंपनी द्वारा उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई ऑफसाइट वारंटी के संबंध में आकस्मिक देयता पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि परियोजनाओं के लिए आपूर्ति किए गए सभी उपकरण वारंटी अवधि के बाद समयदृसमय पर विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं से एएमसी के अंतर्गत आते हैं।

उपरोक्त के अलावा, अन्य आकस्मिक देयताएं, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है, वे इस प्रकार हैंः –

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
कंपनी के खिलाफ दावा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	164.78	99.66
गारंटी	1275.47	691.10
दिल्ली वैट डिमांड (सितंबर 2005 से नवंबर 2008)	678.00	-
आयकर मांग (आकलन वर्ष 2014–15)	206.29	206.29
आयकर मांग (आकलन वर्ष 2015–16)	350.60	350.60
आयकर मांग (आकलन वर्ष 2018–19)*	2434.58	2434.58
कुल	**5109.72**	**3782.23**

*उपरोक्त मांग 5139.45 लाख रु. के आईटीआर में दावा किए गए रिफंड के समायोजन के बाद निवल छूट है।

36. प्रतिबद्धताएं

कंपनी ने खरीद आदेश और आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए समझौतों के आधार पर व्यापारिक वस्तुओं की खरीद और बाद की अवधि में सेवाओं का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता की है। उन प्रतिबद्धताओं को सहमत शर्तों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। हालांकि, 31 मार्च 2022 तक कंपनी की आंतरिक परियोजनाओं के लिए ऐसी राजस्व प्रतिबद्धताओं की राशि 532.05 लाख रु. (पिछले वर्ष 509.70 लाख रु.) है। इसके अलावा, "आरक्षित" में से पूंजीगत व्यय की प्रतिबद्धता इस प्रकार हैः–

₹ लाखो में

क्र. सं.	ब्यौरा	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
1.	नेशनल डेटा सेंटर, भुवनेश्वर	20543.48	22501.31
2.	एनआईसी क्लाउड सेवाओं का संवर्द्धन	1600.02	1874.07
3.	डिस्ट्रिक्ट 2.0–डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का विस्तार	1380.21	1380.21
4.	ब्लॉक–1,दूसरा तल, शास्त्री पार्क, दिल्ली, डीएमआरसी–सीपीडब्ल्यूडी से लीज रेंट पर (डेटा सेंटर के लिए इंटीरियर फर्निशिंग–1305.68/डेवलपमेंट शीट्स– 875.00) (पिछले वर्ष 2021–22 में जारी 382.18 लाख रु. का अग्रिम शून्य)	1898.50	2280.68
5.	वर्ल्ड ट्रेड टावर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में कार्यालय स्थल की खरीद (यूनिट सं. ए–300) (2020–21 में भुगतान की गई कुल लागत 13043.31 घटाव1105.61 और 2021–22 में 5852.07 में, दोनों करों को छोड़कर)	6085.63	11937.70
	कुल	**31507.84**	**39973.97**

37. कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची ।।। के तहत दिए गए आय और व्यय खाते को तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश के पारा 5(viii) के अनुसार सूचना

i. सी.आई.एफ. आधार पर आयात का मूल्यः शून्य (पीवाई रु. शून्य)

ii. विदेशी मुद्रा में व्यय (प्रोद्भवन आधार पर):

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष
यात्रा–स्टाफ (विदेश)	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

iii. विदेशी मुद्रा में आय (प्रोद्भवन के आधार पर): शून्य रु. (पीवाई रु. शून्य)

38. लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक*

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष
कर लेखापरीक्षा शुल्क समेत लेखापरीक्षक शुल्क	7.01	6.36
आयकर लेखा परीक्षा	0.93	0.85
जीएसटी लेखापरीक्षा	0.00	0.85
खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए	2.10	1.91
कुल	10.04	9.97

* लागू करों को छोड़कर। इसके अलावा, 2.10 लाख रु. (1.80 लाख रु., पिछले वर्ष) जीएसटी को छोड़कर, विभिन्न परियोजनाओं के प्रमाणन कार्य के लिए प्रदान किए जाते हैं जो संबंधित परियोजनाओं में सीधे डेबिट किए जाते हैं।

39 भारतीय लेखा मानक 19के अनुसार प्रकटीकरण – 'कर्मचारी लाभ'

i. **भविष्य निधि में योगदान**

दिनांक 3 मार्च, 1998 को जारी भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी के पास कोई भविष्य निधि योजना नहीं है क्योंकि कंपनी के कर्मचारी अपने पदों के साथ एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर हैं। भविष्य निधि को उनके वेतन से हर महीने इस उद्देश्य के लिए निर्धारित दरों के अनुसार काटा जाता है और बाद में सरकार के दिशानिर्देशों को एनआईसी को पारित कर दिया जाता है क्योंकि इसका पूरा खाता उनके द्वारा बनाए रखा जाता है। इस प्रकार भविष्य निधि खाते पर कर्मचारियों को किसी भी भुगतान के लिए कंपनी की कोई देयता नहीं है।

ii. **छुट्टी वेतन**

चूंकि कर्मचारी 3 मार्च 1998 को भारत सरकार की जारी अधिसूचना के अनुसार एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर हैं, छुट्टी वेतन योगदान (संबंधित कर्मचारी के वेतन के लिए निर्धारित दरों के अनुसार),कंपनी द्वारा हर महीने अपने खाते में गणना/प्रदान की जाती है, एनआईसी को दे दिए जाते हैं। इस प्रकार, छुट्टी वेतन/नकदीकरण के भुगतान के लिए कंपनी पर कोई दायित्व नहीं है।

iii. **पेंशन अंशदान**

चूंकि कर्मचारी 3 मार्च 1998 को भारत सरकार की जारी अधिसूचना के अनुसार एनआईसी से प्रति नियुक्ति पर हैं, पेंशन योगदान (संबंधित कर्मचारी के वेतन के लिए निर्धारित दरों के अनुसार), कंपनी द्वारा हर महीने अपने खाते/प्रदान की जाती है और बाद में एनआईसी को हस्तांतरित कर दी जाती है। इस प्रकार, पेंशनरी लाभों के भुगतान के लिए कंपनी पर कोई दायित्व नहीं है।

iv. **ग्रेच्युटी (आनुतोषिक)**

चूंकि कर्मचारी 3 मार्च 1998 को भारत सरकार की जारी अधिसूचना के अनुसार एन आईसी से प्रति नियुक्ति पर हैं,कंपनी किसी भी ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से एनआईसी द्वारा वहन किया जाएगा।

40. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

संबंधित पार्टियों की सूची

पक्ष का नाम	**संबंध**
श्री प्रशांत कुमार मित्तल (प्रबंध निदेशक)	मुख्य प्रबंधकीय कर्मी
श्री सनी जैन (कंपनी सचिव)	मुख्य प्रबंधकीय कर्मी

संबंधित पक्षों के साथ लेन–देनः –

₹ लाखो में

पक्ष का नाम	**लेन–देन का प्रकार**	**31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष**	**31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष**
श्री प्रशांत कुमार मित्तल	प्रबंधकीय वेतन	40.47	36.88
श्री सनी जैन	प्रबंधकीय वेतन	11.43	10.36
	कुल	**51.90**	**47.24**

संबंधित पार्टियों को 31मार्च 2022 तक देय राशिः 3.85 लाख रु. (पिछले वर्ष 3.39 लाख रु.)

41. भारतीय लेखांकन मानक–108 'संचालन सेग्मेंट' के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी केवल दिल्ली में स्थिति केंद्रीकृत कार्यालय से 'सूचना प्रौद्योगिकी' खंड में सेवाएं प्रदान कर रही है। इसे केवल एक खंड मानते हुए, वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखांकन मानक–108 'संचालन सेग्मेंट' के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

42. शेष राशि की पुष्टि

विभिन्न शीर्षों के तहत शेष राशि पुष्टिकरण पत्र जारी किए गए हैं। उसके खिलाफ प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

43. वाहन/स्वामित्व विलेख का गैर–निष्पादन

कंपनी ने एनबीसीसी टावर्स, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली के छठे तल पर हॉल सं. 2 और 3 को मेसर्स एनबीसीसी लिमि. से क्रमशः वर्ष 2003 और 2001 में खरीदा था। हालांकि, इसके लिए हस्तांतरण विलेखध स्वामित्व विलेख की राशि 931.50 लाख रु. (पिछले वर्ष 931.50लाख रु.)का भुगतान, एनबीसीसी द्वारा कई बार अनुरोध किए जाने के बाद भी कंपनी ने नहीं किया है। इसलिए, वित्तीय विवरणों में स्टाम्प शुल्क की राशि के लिए 74.52 लाख रु. (पिछले वर्ष 74.52लाख रु.) का प्रारंभिक प्रावधान किया गया और अंतर राशि, यदि हो, उस वर्ष के लिए दी जाएगी, जिस वर्ष उसे पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में एनआईसीएसआई ने समय–समय पर विभिन्न अवसरों पर इस मामले को एनबीसीसी के समक्ष रखा और दिनांक 10.09.2020, 01.10.2020, 08.12.2020, 26.03.2021 और 14.06. 2021को जारी किए गए अनुस्मारक के साथनवीनतम संदर्भ दिनांक 17.07.2020 का है। इसके बाद, एनबीसीसी ने एनआईसीएसआई को ड्राफ्ट डीड प्रदान की है और संबंधिक अधिकारियों के साथ इसे पंजीकृत करने से पूर्व, एनआईसीएसआई और एनबीसीसी के बीच ग्राउंड रेंट आदि के भुगतान की स्थिति को फिर से जोड़ा जा रहा है।

44. प्रबंधन के विचार में, वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम एवं व्यापार प्राप्य का व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में कम–से–कम उस राशि के बराबर मूल्य है जिस पर उन्हें बताया गया है।

45. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत प्रकटीकरण

₹ लाखो में

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
1	मूलधन और उस पर देय ब्याज किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया*।	8491.68	2668.91
2	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ खरीददार द्वारा भुगतान की गई ब्याज राशि।	शून्य	शून्य
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज की राशि, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
4	अर्जित ब्याज की राशि और बकाया राशि।	शून्य	शून्य
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय को अस्वीकार करने के उद्देश्य से, आगामी वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज का भुगतान वास्तव में छोटे उद्यम को नहीं कर दिया जाता।	शून्य	शून्य

*हालांकि, उपरोक्त में उल्लिखित राशि पर देय ब्याज शामिल नहीं है।

46. भारतीय लेखांकन मानक–36 'संपत्तियों की हानि' के अनुसार प्रकटीकरण

भारतीय लेखा मानक–36 'संपत्ति की हानि'के अनुसार, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान लक्ष्मी नगर में डेटा सेंटर, शास्त्री पार्क में नेशनल

डेटा सेंटर के संबंध में "एनआईसी क्लाउड सर्विसेस के संवर्धन" और शास्त्री पार्क में डेवलपमेंट सेंटरके संबंध में संपत्ति की हानि का आकलन किया गया है, ये कंपनी की नकदी पैदा करने वाली इकाईयां हैं और उस पर कोई नुकासन हानि की पहचान नहीं की गई है। .

47. डीओटी लाइसेंस सं. 815–100 / एनआईसीएसआई / 2009–डीएस दिनांक 20.11.2009 (31.03.2017 को एनआईसीएसआई द्वारा आत्मसमर्पण किया गया और डीओटी द्वारा स्वीकार किया गया) के खिलाफ वीसैट परियोजनाओं के लिए राजस्व सृजन (जीआर / एजीआर) और डीओटी को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान।

एनआईसीएसआई ने 31.03.2017 को डीओटी लाइसेंस सरेंडर कर दिया था और डीओटी ने इसे स्वीकार कर लिया था। डीओटी द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, एनआईसीएसआई ने 31.03.2017 तक केवल इस गतिविधि से संबंधित राजस्व पर लाइसेंस शुल्क / स्पेक्ट्रम शुल्क की पूरी राशि का भुगतान किया है। साथ ही एमएचए / एनडीआरएफ से भी राशि प्राप्त होती है। हालांकि, प्रधान सीसीए कार्यालय, डीओटी ने पूरी कंपनी से राजस्व लेने के लिए एनआईसीएसआई पर ब्याज / जुर्माना लगाया है, जिसके लिए एमईआईटीवाई ने डीओटी के साथ मामला उठाया था।

कार्यालय आदेश प्रधान सीसीए डीओटी, दिनांक 17.07.2020 के पत्र के माध्यम से, लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायलय के दिनांक 11.06.2020 के निर्णय और डीओटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12–25 / 2019–एलएफपी दिनांक 17.07.2020 के आधार पर) के लिए एनआईसीएसआई के खिलाफ सभी मांग नोटिस वापस ले लिया है। एफएंडसी लेखापरीक्षा कार्यालय को तदनुसार, एनआईसीएसआई द्वारा पत्र संख्या के माध्यम से सूचित किया गया था। एनआईसीएसआई / फिन / इंस्पेक्टर एफएंडसी विज्ञापन / 2018–19 / 289 दिनांक 20.07.2020 और तदनुसार, उस कार्यालय ने पत्र सं. एएमजी–II / एनआईसीएसआई / एफ–2516 / 2019–20 / 323 दिनांक 23.09.2020.।

हालांकि, एनआईसीएसआई ने डीओटी को 4 बैंक गारंटी (बीजी) जमा की थी जो कुल 92 लाख रु., समय–समय पर नवीनीकृत किया गया था। एनआईसीएसआई ने दिनांक 10.08.2020के पत्र के माध्यम से, दिनांक 09.11.2020के अनुस्मारक के साथ इन सभी बीजी को वापस करने के लिए डीओटी के समक्ष मामले को उठाया था। प्रत्युत्तर में, कार्यालय प्रधान सीसीए, दूरसंचार विभाग, के पत्र सं. 50–4 / 2018–स्पष्टीकरण और नियम / प्रधान सीसीए / दिल्ली / 1413 दिनांक 05.02.2021, ने डीओठी (एलएफपी डिवीजन) से गैर–दूरसंचार पीएसयू के संबंध में एलएफ / एसयूसी के पुनर्मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया था, क्योंकि डीओटी द्वारा उठाई गई मांग को इसके आदेश संख्या 12–25 / 2019–एलएफपी दिनांक 13.07.2020 के तहत वापस ले लिया गया था। एनआईसीएसआई ने डीओटी को दिनांक 11.03.2021, 27.05.2021, 22.06.2021, 22.07.2021, 09.08.2021, 13.09.2021, 22.11.2021, 08.03.2022 और 21.04.2022 को लिखे पत्र के माध्यम से अनुस्मारक जारी किए हैं लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है और बीजी अभी भी डीओटी के पास है। इस संदर्भ में, एमईआईटीवाई के सचिव ने डीओटी के अध्यक्ष और डीसीसी एवं सचिव को दिनांक 13.05.2022 को डीओ पत्र भी लिखा है।

48. नेशनल डेटा सेंटर परियोजनाओं पर आय / व्यय

नेशनल डेटा सेंटर, शास्त्री पार्क, दिल्ली को एमईआईटीवाई और एनआईसी से वित्तीय सहायता से स्थापित किया गया था और जुलाई, 2011 में चालू हो गया था। स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन के अनुसार, एनआईसीएसआई को प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 800 लाख रु. की दर से परिचालन व्यय वहन करना था। अपने परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए, एनआईसीएसआई को आवंटित 60 रैक से आय प्राप्त करनी थी जबकि एनआईसीएसआई ने 2 वर्षों के बाद भी उस पर परिचालन व्यय को पूरा करना जारी रखा था, एमईआईटीवाई ने मंजूरी दे दी थी कि 01–04–2014 से, एनआईसीएसआई राष्ट्रीय डेटा सेंटर, शास्त्री पार्क, दिल्ली पर परिचालन व्यय के मद में 800 लाख रु. तक, किराया एवं रखरखाव / बुनियादी अवसंरचना ओएंडएम जनबल के मद में, वहन करेगा और एनआईसी अपने बजटीय प्रावधान से एनआईसीएसआई को बिजली एवं डीजल शुल्क / भौतिक सुरक्षा एवं हाउसकीपिंग शुल्क / जल शुल्क / रसद सहयोग / आकस्मिक शुल्क, इन सभी शुल्कों के 3% तक, की प्रतिपूर्ति करेगा, आरंभ में इन खर्चों को एनआईसीएसआई द्वारा किए जाने के बाद। भुवनेश्वर में नेशनल डेटा सेंटर बनाने के बाद एनआईसीएसआई और एनआईसी ने संचालन और प्रबंधन की व्यवस्था के लिए काम किया और साथ ही, नेशनल डेटा सेंटर, शास्त्री पार्क, दिल्ली के लिए भी काम किया। एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल ने 27.12.2018 को आयोजित अपनी 108वीं बैठक में, इन पर विचार किया और 01 अप्रैल 2018से पूर्वव्यापी प्रभाव से निम्नानुसार अनुमोदित किया थाः –

- एनआईसीएसआई शास्त्री पार्क और भुवनेश्वर डेटा सेंटरों के लिए अलग परियोजना पूल अकाउंट बना सकती है।
- इन दोनों डेटा सेंटरों पर सहदृस्थान सेवाओं के माध्यम से होने वाली आय प्रस्तावित परियोजना मदों के तहत जमा किया जाएगा।

- आय का उपोग इन दोनों डेटा केंद्रों पर ओएंडएम व्यय और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा।
- एनआईसीएसआई द्वारा शास्त्री पार्क से सहदृस्थान सेवा हेतु उपयोग में लाए जा रहे वर्तमान 60 रैकों के अलावा आने वाले वर्षों में एनआईसी ओएंडएम व्यय को पूरा करनेके लिए पर्याप्त धन जुटानेऔर बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु और रैक्स लगवा सकती है।
- वित्त वर्ष 2018–19 और उसके बाद से शात्री पार्क में ओएंडएम व्यय के लिए एनआईसीएसआई प्रति वर्ष 800 लाख रु. खर्च नहीं करेगी। एनआईसी द्वारा शामिल किए जाने वाले कथित 60 और उससे अधिक रैक से होने वाली आय का उफयोग ओएंडएम व्यय को पूरा करने और बुनियादी ढांचे के उन्नयन में किया जाएगा।
- एनआईसीएसआई वित्त वर्ष 2018–19 और उसके बाद से कथित ओएंडएम व्यय पर बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार अपना 7% संचालन मार्जिन और कर लेगी।

एनआईसीएसआई ने राष्ट्रीय एनडीसी–एसपी और भुवनेश्वर में तदनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 में अपनी आय और व्यय को दर्ज किया।

एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल ने 29.07.2020को आयोजित अपनी 114वीं बैठक में एनआईसी से एक निदेशक देने और उनसे एनडीसीदृएसपी और भुवनेश्वर में हुए व्यय और आय के बीच घाटे (क्लाउड को छोड़कर) को पूरा करने संबंधी आइटम को बारे में विचार देने का अवुरोध किया था। मामला अभी विचाराधीन है।

49. अनुदान परियोजनाओं में अनुदान की अप्रयुक्त निधि पर ब्याज

एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2021–22 में जीआईए परियोजनाओं में ब्याज दरों के अनुसार वास्तविक आधार पर काम किया है, जिस पर एनआईसीएसआई ने वर्ष में और वित्त वर्ष 2021–22 में एफडी बनाई थीः

₹ लाखो में

अवधि	एनकेएन परियोजना	अन्य जीआईए परियोजना	कुल
वित्त वर्ष 2020–21 के लिए	28.97	190.30	219.27
वित्त वर्ष 2021–22 के लिए	8.97	267.10	276.07

50. जीआईए परियोजनाओं में ब्याज वापसी पर पीएंडटी लेखापरीक्षा कार्यालय से ड्राफ्ट ऑडिट पैरा

वित्त वर्ष 2011–2012 तक, कंपनी अनुदानकर्ता संस्थान से परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्राप्त राशि को सहायता प्राप्त अनुदान के रूप में मानने के बजाय 'ग्राहक से प्राप्त अग्रिम' के रूप में मान रही थी और तदनुसार, अनुदानकर्ता संस्थान को अप्रयुक्त निधि पर कोई ब्याज नहीं दिया गया था।

निदेशक मंडल ने दिनांक 21–12–2011, को हुई बैठक के द्वारा सहायता परियोजनाओं में अनुदान में उपलब्ध अनुपयोगी निधि पर अर्जित ब्याज की गणना और वापसी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बचत बैंक खातों में लागू ब्याज दर के अनुसार समय–समय पर मंजूरी दी थी। तदनुसार, कंपनी ने अनुदाता संस्थान को ब्याज की राशि की गणना और वापसी की थी यानि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बचत बैंक खातों में लागू ब्याद दर जबकि अनुदानकर्ता संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, सहायता परियोजनाओं में अनुदान के अप्रयुक्त शेष पर अर्जित वास्तविक ब्याज वापस किया जाना है। अनुदानकर्ता विभागों ने वित्त वर्ष 2016–17 तक व्यक्तिगत परियोजनाओं में जमा ब्याज को स्वीकार कर लिया है और इनमें से अधिकांश परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और उनके खातों का निपटारा हो चुका है। फिर भी, कंपनी द्वारा सरकार को जीआईए परियोजनाओं में ब्याज की कम वापसी के लिए कैग कार्यालय से एक पैरा जारी किया गया है। एनआईसीएसआई ने इस पारा का उत्तर दिया था और यह अभी भी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के विचाराधीन है।

इस बीच, निदेशक मंडल ने 28.03.2017 को हुई अपनी 100वीं बैठक में इस मामले पर फिर से विचार किया और एनआईसीएसआई को वास्तविक आधार पर सहायता अनुदान परियोजनाओं पर ब्याज वापस करने की सलाह दी।

तदनुसार, वित्त वर्ष 2018–19में, एनआईसीएसआई ने जीआईए परियोजनाओं में वास्तविक आधार पर ब्याज दरों के अनुसार काम किया है, जिस पर एनआईसीएसआई ने अतीत में एफडी की थी और उसके आधार पर 31.03.2018 तक की अवधि के लिए संबंधित परियोजना

के प्रत्येक खाता बही में अंतर ब्याज प्रदान किया है, कुल 4766.01 लाख रु. (यानि एनकेएन परियोजना में 1414.74 लाख रु. और अन्य जीआईए परियोजनाओं में 3351.27 लाख रु.)।

एफएंडसी लेखापरीक्षा कार्यालय ने, पत्र सं. एएमजी–II/प्रति. पीएसयू/डीएपी/9993/एनआईसीएसआई/डी–2024 दिनांक 14.01. 2020, के माध्यम से, एनआईसीएसआई को "सहायता परियोजनाओं में अनुदान नियंत्रण नियमों और शर्तों के गैर अनुपालन के कारण हुए 26.36 करोड़ रु. की हानि और 78.38 करोड़ रु. की देयता को कम कर बताने परश्श ड्राफ्ट ऑडिट पारा (डीएपी) दिया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला है कि, एनआईसीएसआई ने बीते वर्षों में अपनी जीआईए ब्याज आय पर भुगतान किए गए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की है और अंतर ब्याज की वापसी करते हुए, उसने पहले से भुगतान किए गए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की है और इसलिए कॉरपोरेट कर की वापसी के संबंध में मामले को सीबीडीटी/आयकर विभाग के समक्ष रखा जाना चाहिए। एनआईसीएसआई ने इनके दिनांक 04.12.2019 को भेजे ऑडिट मेमो सं. 12का उत्तर दिनांक 09.12.2019 को दिया , साथ ही दिनांक 12.06.2020 को लिखे पत्र के माध्यम से एनआईसीएसआई ने एफएंडसी लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया कि चूंकि कॉरपोरेट कर का भुगतान भारत सरकार को किया जाता है, यानि आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2012–13से किया जा रहा है, इसलिए इसने मामले को आयकर विभाग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि एनआईसीएसआई को कॉरपोरेट कर की वापसी के बाद भी, इसे भारत सरकार (यानी अनुदानकर्ता विभागों) को फिर से वापस करना होगा। हालांकि, वित्त वर्ष के लिए एनआईसीएसआई के खातों पर वित्त वर्ष 2019–20, कैग संगठन (पीडीए, एफएंडसी), पत्र सं. रेप–एफए/एफ–255/एनआईसीएसआई/2019–20/416 दिनांक 13.11.2020 ने खातों को अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाने के लिए "एनआईसीएसआई फंड और जीआईए फंड पर अर्जित ब्याज को अलग करने के लिए उचित तंत्र"की ओर इसारा किया था।

51. व्यापार प्राप्य

एनआईसीएसआई भारत सरकार और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से हर साल बड़ी संख्या में नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन करता है। सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार, वे एनआईसीएसआई को अग्रिमों की रिहाई को 40% या उससे अधिक तक सीमित रखते हैं, जबकि कई मामलों में मुख्य रूप से आईसीटी हार्डवेयर की खरीद से संबंधित, एनआईसीएसआई को कार्य आदेश पूर्ण सीमा तक जारी करना पड़ता है और उन वस्तुओं के वितरण/स्थापना के बाद, एनआईसीएसआई को कार्य आदेशों में भुगतान शर्तों के अनुसार विक्रेताओं को भुगतान जारी करना होगा। यह कई अवसरों पर, व्यापार प्राप्तियों में परिणत हुआ, जिसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की नोट सं. 9 में किया गया है, 31 मार्च 2022 तक 43678.92 लाख रु. (पिछले वर्ष 34,869.32 लाख रु.) की राशि, एनआईसीएसआई द्वारा इस राशि की वसूली के लिए संबंधित विभागों/संगठनों से समय–समय पर अनुवर्ती कार्यवाई की जाती है।

52. संदिग्ध ऋण राशि, जिनकी वसूली की संभावना न हो, के लिए प्रावधान

एनआईसीएसआई वित्त वर्ष 2018–19 से, 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 100%, 5–10 वर्षों के बीच 50% और 3–5 वर्ष के बीच 25% पर विचार करते हुए लगातार अपने खातों में संदिग्ध ऋणों के लिए "प्रावधान"कर रहा है।

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए जिन संदिग्ध राशियों की वसूली की संभावना नहीं है, उनके लिए प्रावधान बनाने की समीक्षा और उस पर अपनी अनुशंसाएं देने के लिए एनआईसीएसआई में एक समिति का गठन किया गया था।

कथित नीति के अनुसार समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एनआईसीएसआई के खातों के लिए जिन संदिग्ध राशि की वसूली की संभावना नहीं थी, के लिए इस प्रकार "प्रावधान" किए गए,:–

(लाखों में)

अवधि	बकाया राशि	% में प्रावधान	वित्त वर्ष 2021–22 में प्रावधान	वित्त वर्ष 2020–21 में प्रावधान
10 वर्षों से अधिक	7452.00	100	7452.00	6300.00
5 से 10 वर्ष	2852.00	50	1426.00	2028.50
3 से 5 वर्ष	1487.00	25	371.75	180.25
3 वर्षों तक	31887.92	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**43678.92**		**9249.75**	**8508.75**

53. आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम का प्रावधान।

एफएंडसी ऑडिट ने वित्त वर्ष 2017–18 की लेखापरीक्षा करते समय पाया कि "आपूर्तिकर्ताओं को दी जाने वाली 984.16 लाख रु. की राशि 3 वर्ष की अवधि से भी अधिक पुरानी थी। 3 वर्ष से अधिक पुरानी अवधी होने के कारण इस संबंध में प्रावधान किया जाना चाहिए था। गैर–प्रावधान के परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया और प्रावधानों को कम बताया गया जिससे लाभ को अधिक कर दिखाया गया"।

एफएंडसी ऑडिट के उपरोक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, एनआईसीएसआई में समीक्षा करने और अपनी अनुशंसाएं देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति को आपूर्तिकर्ताओं के अग्रिमों, जिनके निपटान की संभावना नहीं है, पर बनाए जाने वाले प्रावधान पर अनुशंसा भी देनी थी। समिति ने आपूर्तिकर्ताओं की अग्रिम राशि के संबंध में, जो 3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया हैं, के लिए "प्रावधान" बनाने की अनुशंसा की थी। तदनुसार वित्त वर्ष 2018–19 से 2020–21तक के लिए लेखा में प्रावधान किया गया था।

उपरोक्त के आधार पर, वित्त वर्ष 2021–22में आपूर्तिकर्ताओं के अग्रिम के संबंध में प्रावधान की अनुशंसा हेतु एक समिति बनाई गई। समिति की अनुशंसा पर, वित्त वर्ष 2021–22 में 31.03.2022 तक 3 वर्ष से अधिक से बकाया राशि और जिनके समायोजन की संभावना नहीं है, के लिए 894.32 लाख रु. (पिछले वर्ष 2020–21 के 977.22 लाख रु. के मुकाबले) का प्रावधान किया गया है, एनकेएन परियोजना को छोड़कर।

54. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

₹ लाखो में

ब्यौरा	**को समाप्त हुए वर्ष के लिए**	
	31 मार्च 2022	**31 मार्च 2021**
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	112.00	57.20
किसी संपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण के अलावा अन्य उद्देश्य पर किए गए व्यय की राशि*	-	57.20
वर्ष के दौरान समायोजित पूर्व वर्षों में किए गए अतिरिक्त व्यय	-	-
वर्ष के अंत में कमी [(d)=(a)–(b)–(c)]	112.00	-
पिछले वर्षों की कुल कमी	-	-
कमी के कारण*	लागू नहीं	लागू नहीं
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	पीएम केयर्स फंड में योगदान	पीएम केयर्स फंड में योगदान

*एनआईसीएसआई ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के व्यय हेतु वित्त वर्ष 2021–22 में 112 लाख रु. (पिछले वर्ष पीएम केयर्स फंड में 57.20 लाख रु. का योगदान किया) का प्रावधान किया है। निदेशक मंडल के 26.03.2022 को हुई 121वीं बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार, एनआईसीएसआई ने अलग बैंक खाता खोला और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित 112 लाख रु. की राशि हस्तांतरित की, इस राशि को 29.04.2022को पीएम केयर्स फंड में डाल दिया गया।

55. आयकर और बिक्री कर आदि के लिए प्रावधान

एफएंडसी ऑडिट ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए की गई लेखापरीक्षा में पाया था कि "वित्त वर्ष 2007–08 से 2014–15 तक टीडीएस/आयकर के रूप में वसूली गई 2,281.03 लाख रु. की राशि का भुगतान आयकर विभाग के पास लंबित है। उक्त राशि 3 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण इस संबंध में कंपनी द्वारा प्रावधान किए जाने चाहिए थे। लेकिन कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इस राशि के लिए कोई प्रावधान न करने के कारण वर्तमान परिसंपत्तियों को अधिक कर बताया गया और प्रावधानों को कम कर बताए जाने से आय में वृद्धि दिखायी गयी।

एफएंडसी ऑडिट के उपरोक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2018–19 के लिए आयकर रिफंड, वसूली योग्य बिक्री कर और कार्य अनुबंध पर टीडीएस जिसके वसूली की संभावना नहीं है, के संबंध में प्रावधान बनाए जाने हेतु समीक्षा करने और अपनी अनुशंसाएं देने के लिए एनआईसीएसआई में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर वित्त वर्ष 2021–22के

लिए एनआईसीएसआई में इस प्रकार प्रावधान किए गए: –

(लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ वर्ष
आय कर	1835.88	1835.88
बिक्री कर / वैट / डीवैट	117.91	117.91
कार्य अनुबंधों पर टीडीएस	2.54	2.54
कुल	**1956.33**	**1956.33**

एनआईसीएसआई अभी भी कर की वसूली के संबंध में संबंधित कर अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है और मामला अभी भी उनके अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर चर्चा में है। तदनुसार, उक्त राशि की वसूली अभी भी प्रतीक्षित है।

56. अप्रचलित आइटम

वित्त वर्ष 2017–18के लिए एनआईसीएसआई के खातों की समीक्षा करते समय, एफएंडसी ऑडिट टीम ने पाया था कि 31 मार्च तक अप्रचलित वस्तुओं के मूल्यह्रास मूल्य और उसके प्रति अनुमानित बिक्री मूल्य के बीच अंतर के संबंध में उस वर्ष की लेखा में प्रावधान नहीं किए गए थे। तदनुसार, मूल्यह्रास मूल्य और अनुमानित बिक्री मूल्य के बीच 31.03.2019 को अप्रचलित वस्तुओं के लिए वित्त वर्ष 2018–19 के लिए एनआईसीएसआई के खातों में किए जाने वाले "प्रावधान"की जांच करने और अनुशंसाएं देने हेतु एनआईसीएसआई में एक समिति बनाई गई थी।समिति ने अनुशंसा की कि 31.03.2019 को अप्रचलित परिसंपत्ति मदों के मूल्यह्रास मूल्य को अनुमानित बिक्री के रूप में लिया जाए और इसलिए, उस वर्ष की लेखा में इस संबंध में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार, उसके बाद के वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए भी, एनआईसीएसआई की लेखा में कोई 'प्रावधान' नहीं था। हालांकि, संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के आधार पर, 31.03.2022 तक अप्रचलित संपत्ति मद का अनुमानित मूल्य 0.90 लाख रु. (पिछले वर्ष 2.06 लाख रु.) था।

57. वर्ष के अंत में व्यय और बिल न किए गए राजस्व का प्रावधान

वर्ष 2019–20 और 2020–21 के वित्तीय विवरण की समीक्षा करते हुए, पीएंडटी ऑडिट (सीएजी) ने पाया कि, पिछले वर्ष के लिए किए गए व्यय से संबंधित चालानों के लिए लेखा पुस्तकों में कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा था, जिसके लिए वित्त वर्ष के अंत में लेकिन वार्षिक वित्त विवरण को अंतिम रूप देने की तिथि से पहले चालान प्राप्त हुए थे। पीएंडटी ऑडिट ने इन खर्चों के लिए उचित प्रावधान करने का सुझाव दिया था। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान वित्त वर्ष 2021–22 से संबंधित चालानों, कुल राशि 9957.54 लाख रु., के लिए प्रावधान किए गए। चालू वित्त वर्ष के दौरान बिल न किए गए राजस्व के रूप में 9439.13 लाख रु. की संबंधित आय भी दर्ज की गई। (पिछले वर्ष शून्य)

58. जीएसटी अधिकारियों के समक्ष अपील

नवंबर, 2017 में, 4,73,37,107/– रु. का जीएसटी एनआईसीएसआई द्वारा इस धारणा पर जमा किया गया था कि उस वर्ष विक्रेताओं के कई चालान बुक किए जाएंगे, लेकिन चालान कम प्राप्त होने के कारण, उस सीमा तक जीएसटी का भुगतान नहीं हुआ। निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 25.09.2020 को समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण दावा खारिज कर दिया गया। एनआईसीएसआई ने 18. 12.2020 को आयुक्त (अपील–ष्), सीजीएसटी, दिल्ली के समक्ष जमा किए गए अतिरिक्त कर की वापसी के लिए अपील की, लेकिन संबंधित आयुक्तालय ने इसे खारिज कर दिया था।एनआईसीएसआई जीएसटी ट्रिब्यूनल में एक नई अपील दायर करने की प्रक्रिया में है लेकिन इसे रोक दिया गया है क्योंकि सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल का गठन किया जाना अभी बाकी है।

59. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराके तहत वित्त वर्ष 2021–22के दौरान कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया था।

60. कोविड–19 प्रभाव

कंपनी ने कोविड–19 से संबंधित महामारी से प्राप्य राशियों, सावधि जमा और अन्य परिसंपत्तियों/देयताओं की अग्रिम राशि पर संभावित प्रभावों का आकलन किया है। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक स्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि को सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है। वर्तमान तिथि तक, कंपनी ने निष्कर्ष निकाला है कि इन अनुमानों के आधार पर कोविड–19 का प्रभाव भौतिक नहीं है। महामारी की प्रकृति के कारण, कंपनी भविष्य में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं, यदि कोई हो, की पहचान करने हेतु विकास पर नजर रखती रहेगी।

नोट सं. 61. पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी ने चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि हेतु पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से वर्गीकृत किया है।

आज की तिथि में हमारी रिपोर्ट के अनुसार
अग्रवाल एंड सक्सेना के लिए
सनदी लेखाकार/चार्टर्ड अकाउंटेंट
कंपनी पंजीकरण संख्या 002405सी

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–	ह0/–	ह0/–
वर्णिका गुप्ता	**इंदर पाल सिंह सेठी**	**डॉ. राजेन्द्र कुमार**
साझेदार	प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
सदस्यता सं. 430967	डीआईएनः 09512006	डीआईएनः 02677079
	ह0/–	ह0/–
	सन्नी जैन	**महेन्द्र पाल**
	कंपनी सचिव	एफए/सीए
	एसीएसः 31700	

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2022

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य विचार

हमने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक. ("कंपनी")के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक की बैलेंस शीट और आय एवं व्यय लेखा, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण और इस तिथि पर समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं समेत वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स थे।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी रिपोर्ट के आधार के लिए योग्य रायखंड में वर्णित मामले के प्रभावों क छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम")के अनुसार उचित रूपसे अनिवार्य जानकारी प्रदान करते हैं और 31मार्च, 2022 तक कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एवं इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय, इक्विटी में परिवर्तन और प्राप्त नकदी प्रवाह पर उचित एवं निष्पक्ष दृष्टि कोण प्रदान करते हैं।

योग्य राय का आधार

1. व्यापार देय (नोट 18), व्यापार प्राप्य(नोट 9), ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम (सहायता अनुदान परियोजनासमेत) (नोट 20), देय सुरक्षा जमा (नोट 17), और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (नोट 8 और 14) से संबंधित कुछ शेष राशियां वर्ष के अंत में पुष्टि और/या समायोजन के अधीन हैं। प्रबंधन इसाक समाधान करने की प्रक्रिया में है और उसका विचार है कि प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार की पुष्टि प्राप्त/प्राप्त होने और/या परिणामी समायोजन केपरिणाम स्वरूप आयध व्यय और/या संपत्ति/देयताओं पर प्रभाव वर्तमान में वर्ष के अंत में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

2. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम जोकि 1,92,452.00 लाख रु. है, के संबंध में वित्तीय विवरण के नोट 20 का संदर्भ देखें। अलग–अलग खातों की समीक्षा से ऐसे अनेकों ग्राहकों का पता चलता है जिन की शेषराशि, वर्ष के समाप्त होने पर, 3 वर्ष से भी अधिक समय से बकाया है। ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और भारत सरकार के मंत्रालयों से प्राप्त इन अग्रिमों को कंपनी द्वारा विभिन्न बैंकों में अलग–अलग ब्याजदर और परिपक्वता प्रोफाइल के साथ सावधि जमा में निवेश किया गया है।

   इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ग्राहकों के अग्रिम के संबंध में ऐसी निष्क्रिए निधि अप्रयुक्त रह गई है और सावधि जमा में निवेश की गई है, प्रबंधन को ऐसे प्रत्येक अग्रिम की समीक्षा करने की आवश्कता है और इसे ग्राहक को संबंधित नियमों औ रशर्तों के आधार पर वापस करना होगा। इस प्रकार के प्रत्येक अग्रिम के संबंध में दस्तावेजों, अनुबंधों और विवरणों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, इसप्रका केविवरण उपलब्ध कराए जाने के परिणाम स्वरूप संपत्ति/देयताओं और/या आय/व्यय पर पूर्ववर्ती पैरामें संदर्भित मामलों का समग्र प्रभावव र्तमान में पताल गाने योग्य नहीं है।

3. सेवाओं की बिक्री पर आय के महत्वपूर्ण लेखानीति (नोट(vii) औरनोट 2(xii)) के संदर्भ में कंपनी (भारतीय लेखामानक) नियम 2015 द्वारा निर्धारित 'ग्राहकों से अनुबंधों से आय' पर भारतीय लेखामानक 115 का अनुपालन नहीं किया गया है, इसे 'नियंत्रण' के हस्तांतरण के समय यानि वादा की गई सेवा के हस्तांतरण के समय दर्ज करने की बजाए गलती से चालान बनाते समय दर्ज किया जा रहा है। सीजीएसटी अधिनियम के नियम 47 के तहत चूक के साथ इसका प्रभाव कंपनी की रिपोर्ट की गई आय/व्यय और संपत्ति/देयता पर सेवा के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर चालान न प्रस्तुत करने के कारण, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

4. अब तक कंपनी प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्जित किए बिना वर्ष के अंत के बाद विक्रेताओं से प्राप्त चालानों के संबंध में अगले वित्त वर्ष में खर्चों और संबंधित आय को दर्ज कर रही थी। वर्ष के दौरान कंपनी ने वर्ष के अंत के बाद प्राप्त ऐसे चालानों के लिए 9957.54 लाख रु. खर्च और 9439.13. लाख रु. के संबंधित बिना बिल के आय (वित्तीय विवरण के नोट सं. 58 को देखें) का प्रावधान किया है।

   हालांकि, कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 द्वारा निर्धारि "लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमामनों एवं त्रुटियों में

परिवर्तन" पर भारतीय लेखा मानक 8 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है, जिसमें नई लेखा नीति के लागू होने पर पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों के पूर्व व्यापी पुन कथन की आवश्यकता होती है। तदनुसार वित्त वर्ष 2020–21 के संबंध में पिछले वर्ष के आंकड़ों को भी वर्ष के अंत तक प्राप्त नहीं हुए विक्रेता चालान के संबंध में खर्चों और संबंधित आय को पहचानने के संदर्भ में बहाल किया जाना चाहिए था। रिपोर्ट की गई आय पर इस का प्रभाव/भारतीय लेखा मानक 8 के संदर्भ में इस प्रकार के पुनर्कथन के परिणाम स्वरूप कंपनी का व्यय और परिसंपत्तियों/देयताओं को वर्तमान में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त पैरा(1) से (4) में उल्लिखित मामलों का वर्ष के लिए संपत्तियों/देयताओं और/या आय/व्यय एवं वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय पर प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखांकन (एसए) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षाहेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम स्वीकार करतेहैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारे योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के अनुसार वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापीरक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तर दायित्वों को पूरा किया है। हम स्वीकार करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया हैवह हमारे योग्यराय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

इंफैसिस ऑफ मैटर

हम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 43 की ओर ध्यान देते हैं, जहां भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में भवन के संबंध में वाहनध्‍ स्वत्वविलेख द्वारा 931.50 लाख रु. वर्ष के अंत तक पंजीकरण के लिए लंबित हैं।

उपरोक्त पैराग्राफों में रिपोर्ट किए गए मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी हैं।अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी भी है लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ भौतिकरूप से असंगत है या नहीं, अन्यथा भौतिकरूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तर दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का उचित और निष्पक्ष स्वरूप प्रदान करते हैं, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखामान कों समेत भारत में सामान्यरूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए कंपनी का निदेशकमंडल उत्तरदायी है।इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा हेतु और धोखा धड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिएअधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेक पूर्ण हों और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के

लिए प्रभावीढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरण की तैयारीऔ प प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, जो उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटि मुक्त हैं, चाहे वह धोखा धड़ी के कारण हो या गलती के कारण।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, चालू संस्था से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू संस्था आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधनयातो कंपनी को समाप्त करने का इरादा नहीं रखता है या संचालन बंद करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न बचा हो।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख रेख के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण वास्तव गलत विवरण से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस ए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा महत्वपूर्ण गलती का पता लगा पाए। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकते हैं और उन्हें तब महत्वपूर्ण माना जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोग कर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एस ए के अनुसार लेखा परीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भीः

- वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत विवरणों के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करेंगें चाहे वे धोखाधड़ी के कारण दिए गए हों या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार और उनका निष्पादन करेंगे एवं लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करेंगें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के कारण वास्तविक गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम गलती/त्रुटि के कारण होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी कई प्रकार से की जा सकती है जैसे मिली भगत, जालसाजी, जानबूझ कर गलती करना, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना कर।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियों को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायीहैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या ऐसे नियंत्रणों का परिचालन प्रभावी है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्क संगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखा परीक्षा प्रमाण के आधार पर, क्या ऐसी घटनाएं या स्थितियों से संबंधित कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी को एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है।यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक वास्तविक अनिश्चितता वर्तमान है तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान देना हो गाया यदि ऐसे प्रकटी करण अपर्याप्त हैं तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू प्रतिष्ठान के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण समेत वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें और क्या वित्तीय विवरण अंत र्निहित लेन देन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिस से निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकत्व वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोग कर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम(i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और कार्य के परिणामों के मूल्यांकन करने; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, मात्रात्मक भौतिकत्व और गुणात्मककार कों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय एवं महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारयों के साथ संवाद करते हैं जिसमें आंतरिक नियंत्रण में वर्तमान ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण कमी भी शामिल होती है जिस की पहचान हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान की हो।

हम शासन के प्रभारियों को, हमारे द्वारा स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, से संबंधित कथन प्रदान करते हैं और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों एवं जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों की जानकारी भी देते हैं जो हमारी स्वतंत्रता में पर्याप्त बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामले पर टिप्पणी नहीं की गई है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत संचालित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त कंपनी को उपलब्ध छूट के मद्दे नजर उक्त आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता है।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण की मांग की है और उन्हें प्राप्त भी किया है जो हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

   (ख) ऊपर दिए गए योग्य राय पैरा के आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित लेखा पुस्तकों को उचित तरीके से तैयार किया गया था, जहां तक उन लेखापुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

   (ग) ऊपर दिए गए योग्य राय पैरा के आधार पर वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, बैलेंसशीट, आय और व्यय खाता, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकद प्रवाह का विवरण बही खाते से मेल खाता है;

   (घ) योग्य राय के आधार पर वर्णित मामलों को छोड़कर, हमारे विचार में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखामानक (भारतीय लेखामानक) का अनुपालन करती है;

   (ङ) उपर दिए गए योग्य राय पैरा के आधार पर वर्णित मामले, हमारे विचार में, कंपनी के काम काज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं;

   (च) चूंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, निदेशक की अयोग्यता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप/धारा(2) दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचनासं. जी एस आर–463 (ई) की शर्तों के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होती है;

   (छ) खातों के रख–रखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित योग्यताएं ऊपर दिए गए योग्य राय पैरा के आधार पर बताई गई हैं;

   (ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नकक" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभाव शीलता पर एक योग्य राय व्यक्त करती है;

   (ज) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर–463 (ई) के संदर्भ में सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

   (ञ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014, के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीयस्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभावका प्रकटीकरण किया है (वित्तीय विवरण ाों के लिए नोट सं. 36 देखें);

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों समेत कोई दीर्घ कालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई भी संभावित नुकसान हुआ था।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv.(क) प्रबंधन ने बताया है कि, अपने सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति में कोई धनराशि अग्रण ाी तया ऋणया निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धन राशिया शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से) या संस्थाएं, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ")शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप मेंद र्जहोया अन्यथा, कि मध्यस्थः

- कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भीतरी के से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें ("अंतिम लाभार्थी") या
- अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी प्रकार की कोई गारंटी प्रदान करें।

(ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि, अपने सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के लिए, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से, विदेशी संस्थाओं("वित्तपोषणपक्ष") समेत, इस समझ के साथ कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनीः

- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋणदाता किसी भीतर हसे पहचाने गए अन्य व्यक्तियों यासंस्थाओं में निवेश करते हैं("अंतिम लाभार्थी") वित्तपोषणपक्ष द्वाराया उसकी ओर से या
- अंतिम लाभार्थी की ओर से या उन की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करना; और

(ग) ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमारे संत्रान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप–खंड(iv) (क) और (iv) (ख) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत–बयानी की गई है।

(घ) चूंकि कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत निगमित किया गया है और यह लाभांश की घोषणा नहीं कर सकती है, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 की धारा143 (11) (ई) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर हमारी रिपोर्ट अनुलग्न क बी के रूप में संलग्न है।

अग्रवाल और सक्सेना केलिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन002405सी)

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 28 जुलाई 2022

वर्णिका गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 430967
यूडीआईएनः–22430967एएनटीटीसीयू7829

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन पर स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

(उस तिथि पर हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताएं" खंड के तहत अनुच्छेद में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (I) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्राण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2022 तक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक. ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की, इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी ने भारतीय लेखामान क वित्तीय विवरणों के संयोजन में लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तर दायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर जारी मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने का उत्तरदायी है। इन उत्तर दायित्वों में, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को बनाना, उनका कार्यान्वयन और उन्हें बनाए रखना, जो कंपनी की नीतियों का पालन करने के साथ–साथ उसके व्यवसाय को व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करना, उसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखा धड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता एवं कंपनी अधिनियम, 2013, के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्ग दर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आई सीएआई द्वारा जारी किए गए एवं कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागूसीमातक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए हमारा नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे या नहीं, इस बारे में उचित आश्वास न प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसका निष्पादन करें और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी तरीके से काम करते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने हेतु निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं।वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समक्ष प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक वास्तविक कमी है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखआपरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, के जोखिमों आकलन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है।वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो (1) जो रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विववरण के साथ कंपनी की संपत्ति के लेनदेन को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता हैय (2) उचित आश्वासन प्रदान करता है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने हेतु लेन देन आवश्यक रूप से दर्ज किए गए हैं और कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अधिकार के अनुसार किए जा रहे हैंय और (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृतअधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरणों पर गंभीर प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिली भगत की संभावनाया नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अनदेखी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता भी नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

योग्य विचार

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी लेखापरीक्षा राय पर राय तैयार करली है, विक्रेता की शेष राशि के समाधान/पुष्टि से संबंधित प्रणाली के संबंध में, क्योंकि इससे संभावित रूप से बकाया शेष राशि का गलत विवरण हो सकता है। (उस तिथि पर हमारे स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के योग्य विचार हेतु आधार के तहत पैरा 1 देखें) जिसमें वर्तमान आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

एक 'वास्तविकदोष' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमीया कमियों का संयोजन है जैसे इस बात की पर्याप्त संभावना है कि कंपनी के वार्षिक भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरणों को समय आधार पर रोका न जा सके या उनकी पहचान न की जा सके।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित वास्तविक कमियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर जारी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च 2022 तक प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे।

हमने 31 मार्च 2022 की हमारी लेखा परीक्षा में अपनाए गए लेखा परीक्षा जांचों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताई गई और रिपोर्ट की गई वास्तविक कमियों पर विचार किया है और ये वास्तविक कमियां कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में हमारे विचार को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य मामले

क. कंपनी को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अलग–अलग मदों के मानचित्रण से संबंधित वर्तमान नियंत्रणों को उनके वास्तविक सत्यापन पर नियंत्रणों को पेशकर मजबूत करने की आवश्यकता है जहां सभी व्यक्तिगत वस्तुओं द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित उनकी विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से संबंधित पीपीई रिकॉर्ड के साथ मैप कियाजाता है।

ख. हालांकि कंपनी ने 01 जुलाई 2017 से ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लागू किया था, व्यक्तिगत पार्टी बैलेंस की मैपिंग और ओपनिंग बैलेंस को आगे बढ़ाने से संबंधित कुछ नियंत्रण कमियों को मजबूत करने और वर्तमान नियंत्रणों के आधार पर सशक्त और पहचाने जाने की जरूरत है जिसे एक बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सिस्टम लेखा परीक्षा द्वारा मान्य किए जाता है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अग्रवाल और सक्सेना केलिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन002405सी)

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 28 जुलाई 2022

वर्णिका गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 430967
यूडीआईएनः–22430967एएनटीटीसीयू7829

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्राक एवम महा लेखा – परीक्षक द्वारा जारी निर्देशो पर रिपोर्ट

1. **क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की कोई प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।**

   कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण हेतु एक लेखा प्रणाली–ईआरपी लेखांकन सॉफ्टवेयर है, जिसे 01 जुलाई 2017 से शुरू कर दिया गया था। हालांकि, ईआरपी सॉफ्टवेयर को शुरू किया गया था और वह अभी भी किसी बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सिस्टम ऑडिट द्वारा प्रमाणित किए बगैर काम कर रहा है। आंकड़ों की शुद्धता में प्रणाली की संभावित कमियों के कारण बहीखाते पर भारतीय वित्तीय विवरणों में उल्लिखित संपत्तियों/देयताओं और/या आय/व्यय पर प्रभाव, यदि कोई हो, तो उसका निश्चय वर्तमान में नहीं किया जा सकता।

   इसके अलावा, संवर्धन/विलोपन/मूल्यह्रास के संदर्भ में अचल संपत्तियों का लेखांकन वर्तमान में मैन्युअल रूप से किया जा रहा है और इसके बाद उसे ईआरपी सिस्टम में अपलोड किया जाता है क्योंकि ईआरपी में कोई ऑटोमेशन मॉड्यूल नहीं है। यह सलाह भी दी जाती है कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण संभावित त्रुटियों से बचने के लिए उक्त प्रक्रिया को भी जल्द–से–जल्द स्वचालित कर लिया जाए।

2. **क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण वर्तमान ऋण की कोई पुनर्रचना की गई है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/उधार/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां., तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है।**

   लागू नहीं होता क्योंकि कंपनी पर वर्ष 2021–22 के दौरान कोई बकाया ऋण नहीं था। तदनुसार, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी भी ऋणदाता द्वारा दिए गए ऋणों/उधार/ब्याज आदि पर छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था।

3. **क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लाए प्राप्त/प्राप्य निधियों को उनके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप लेखा/उपयोग किया गया था? विसंगति के मामलों की सूची बनाएं।**

   वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी को किसी भी केंद्र/राज्य एजेंसियों से न को कई धनराशि प्राप्त हुई है और न ही प्राप्य थी। इसलिए उनके उचित लेखांकन और उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अग्रवाल और सक्सेना केलिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन002405सी)

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 28 जुलाई 2022

वर्णिका गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 430967
यूडीआईएनः–22430967एएनटीटीसीयू7829

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक. (निकसी) के वित्तीय कथन पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहतम निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूप रेखा के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल इंर्फोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (एनआईसीएसआई) के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10)के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मान कों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने को जिम्मेदार हैं। दिनांक 28.07.2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया जाना बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनआईसीएसआई के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों की जांच और कंपनी के कुछ लेखा अभिलेखों की व्यक्तिगत एवं चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक है।

क. लाभ प्रदता पर टिप्पणी

1. आय और व्यय खाता

व्यय–अन्यव्यय 6883.76 लाख रु. (नोटसं. 28)

उपरोक्त मद को 285.34 लाख रु. की राशि से कम कर लिखा गया है क्योंकि एम एस एम ईडी अधिनियम, 2006 के अनुपालन में एमएसएमई को देय ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया था।इसके परिणामस्वरूप आयको उसी राशि से अधिक बताया गया है।

ख. प्रकटीकरण पर टिप्पणी

2. वित्तीय विवरण पर नोट

भारतीय लेखा मानक 7 (इंड–एएस 7) के अनुसार एक इकाई के नकदी प्रवाह के विवरण में प्रबंधन द्वारा टिप्पणी के साथ, महत्वपूर्ण नकदी राशि एवं इकाई द्वारा धारित नकद सम तुल्य शेष राशि जो समूह द्वारा उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है, का प्रकटी करण किया जाएगा।निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह में 2171.16 लाख रुपये की सावधि जमा रसीद (एफडीआर) में निवेश शामिल है, जो गारंटी के खिलाफ लाभराशि के रूप में दिया गया है जो कंपनी के लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है ।कंपनी की ओर से इस का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

ग. अन्य टिप्पणियां

3. प्रतिबद्धताएं–पूंजीगत प्रतिबद्धताएंः 31507.84 लाख रु. (नोट नं. 36)

दिल्ली के शास्त्री पार्क में मिनी डाटा सेंटर बनाने में बढ़ी हुई लागत का राशि को न जोड़ने के कारण उपरोक्त मद को 2315.95 लाखरु. की राशि से कम कर बताया गया है।

4. आकस्मिक देयताएं

बिलिंग तिथि के 180 दिनों के बाद भी विक्रेताओं को भुगतान न करने के कारण आई सीटी के प्रत्यावर्तन पर ब्याज का प्रावधान न करने के कारण उपरोक्तमद में 125.92 लाख रु. की राशि कम कर दर्ज की गई है।

घ. सांविधिक लेखा परीक्षक पर टिप्पणी

5. अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा143 (5) के तहत जारी भारत के सीएजी के निर्देश पर सांविधिक लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया बिन्दु सं. 3 (विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्तियां) तथ्यात्मक रूप से गलत है। कंपनी को वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विशिष्ट योजनाओं के लिए 55603.54 लाख रु. की धन राशि प्राप्त हुई जबकि वर्ष 2021–22 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी द्वारा किसी भी केंद्रीय/राजकीय एजेंसियों से ऐसी कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई थी या कंपनी ऐसी कोई भी राशि प्राप्त कर ने योग्य नहीं थी।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए और की ओर से

(अमनदीप चट्ठा)
मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी
(वित्त और संचार)

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 29.09.2022

2021–22 (वित्त वर्ष 2020–21) के लिए कैग जांच रिपोर्ट से लेखापरीक्षा टिप्णियों के उत्तर

क्र. सं.	परासं.	लेखापरीक्षाराय	एनआईसीएसआई का उत्तर
1.	**वित्त वर्ष 2020–21 भाग–।। ए कीसं. 1 के लिए**	नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई) ने 2016–17 के दौरान टीयर1 के लिए आई सी टी क्षेत्र में ईदृगवर्नेंस परियोजना/ सेवाओं के लिए पांच सलाहकार कंपनियों को अपने पैनल में शामिल किया था, ये कंपनियां हैं– मेसर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्सविप्रोलिमिटेड, मेसर्स डेलॉइट तोहमात्सुइंडिया एलएलपी, मेसर्स केपीएम जी (पंजीकृत) और मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी। पैनल में शामिल कंपनियां दो वर्ष यानि 15.06.2019 तक अपनी सेवाएं देतीं। पैनल में शामिल किए जाने वाले पत्र में आपसी सहमति से एक वर्ष के विस्तार यानि 15.06.2019 का प्रावधान था। हालांकि पैनल में शामिल किए जाने वाले पत्र में 15.06.2020 के बाद विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है। अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, पाया गया कि 15.06.2020 के बाद भी, इस पैनल के संबंध में 3–3 माह की अवधि के पांच विस्तार दिए गए थे यानि 31.12.2021 तक। इसके अलावा, पैनल में नई कंपनियों को शामिल करने की प्रक्रिया में भी देरी की गई थी, पैनल में शामिल किए जाने के पत्र के अनुसार विस्तारित अवधि के समाप्त होने के छह माह बाद, प्रक्रिया जुलाई 2020 में शुरु हुई की गई थी। पैनल में नई कंपनियों को शामिल करने की प्रक्रिया अक्टूबर 2021 में पूरी की गई थी और मेसर्स डेलॉइट टॉश 22.10.2021 से पैनल में शामिल कर लिया गया था। विस्तारित पैनल की दरों और नए पैनल की दरों में बहुत अधिक भिन्नता थी, इस पैरा के अंत में बताया गया है। 16.06.2020 से 21.10.2021 (नए पैनल की तिथि) की अवधि के दौरान, एनआईसीएसआई ने विस्तारित पैनल के आधार पर ई–गवर्नेंस परियोजना के संबंध में 302.35 करोड़रु. के कार्य आदेश जारी किए हैं। इसके कारण उपयोग कर्ता विभागों द्वारा 24.18 करोड़ रु. (302.35 करोड़ रु. पर 8% की दर से गणना की गई है) का अधिक भुगतान किया गया है। इस प्रकार, एनआईसीएसआई द्वारा निविदा जारी करने और निविदा को अंतिम रूप देने में अनुचित देरी के परिणामस्वरूप आईसीटी क्षेत्र में ई–गवर्नेंस परियोजना/सेवाओं के संबंध में उपयोग कर्ता विभागों द्वारा 24.18 करोड़ रु. का परिहार्य भुगतान किया गया और सलाहकार कंपनियों को, पैनल में शामिल किए जाने के पत्र के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पैनल की अवधि को बार–बार बढ़ाकर अनुचित लाभ भी दिया गया। लेखापरीक्षा के माध्यम सेइस बारे में संकेत दिए जाने पर, प्रबंधन द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।	एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल ने, 28.01.2020 को आयोजित अपनी 112वीं बैठक में, सूचित किया था कि, "एनआईसीएसआई सलाहकार कंपनि एजेंसियों को पैनल में शामिल करने के लिए कोई नयी निविदा लाने पर विचार नहीं कर रही थी, क्योंकि इस बात की संभावना थी कि निकट भविष्य में ऐसी सेवाएं जीईएम पर उपलब्ध होंगी"। इसके बाद, उपयोग कर्ताओं की मांग के कारण, "आईसीटी क्षेत्र में ईदृ गवर्नेंस परियोजनाओं/सेवाओं' के लिए पैनल की वैधता अवधि को, पैनल पत्र में उल्लिखित निविदा नियम के अनुसार 15.06.2020 तक और फिर, एनआईसीएसआई के अध्यक्ष के अनुमोदन से 31.12.2020 तक बढ़ा दिया गया था। इस बीच. जुलाई, 2020 के महीने में नई निविदा लाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई लेकिन कोविड–19 महामारी और इसके संबंधित देरी के कारण, नए नामिकायन को समय से अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की महत्वपूर्ण/ जारी परियोजना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बोर्ड ने समय–समय पर, 31.12.2020 के बाद भी, 31.12.2021 तक, नामिकायन के विस्तार की अनुमति दी। हालांकि नई नामिकायन को 22.10.2021को अंतिम रूप दे दिया गया और नामिकायन पत्र जारी कर दिया गया। एनआईसीएसआई ने मंत्रालयों/विभागों के अनुरोध के अनुसार और समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पूर्व नामिकायन के खिलाफ पी ओ जारी कर दिए थे और लेकिन नए नामिकायन के बाद, एनआईसीएसआई द्वारा पूर्व नामिकायन दरों के अनुसार कोई पीओ जारी नहीं किया गया। एनआईसीएसआई ने जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार खुली निविदा के माध्यम से एजेंसी के नएनामिकाय न हेतु प्रक्रिया समय पर आरंभ कर दी थी। हालांकि कोविड–19 महामारी और उसके कारण देरी की वजह से, नामिकायन की प्रक्रिया को समय से पूरा नहीं किया जा सका। यह कहना उचित नहीं है कि एनआईसीएसआई ने वर्तमान पैनल में शामिल एजेंसियों को अनुचित लाभ दिया है। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एनआईसीएसआई समय पर नामिकायन की प्रक्रिया आरंभ करे और वर्तमान नामिकायन अवधि के समाप्त होने से पूर्व उसे अंतिम रूप दे, अ प्रत्याशित परिस्थितियों को छोड़कर। (सभी निविदा गतिविधियों का कालानुक्रमिक विवरण तैयार किया जाता है और अनुलग्नक–ग में है और तालिका के अंत में उपलब्ध है।) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस पैरा को हटाने का अनुरोध है।

क्र. सं.	विवरण	विस्तारित नामिकायन के अनुसार विक्रेतादर/व्यक्ति द्वारा माह में किए गए काम के घंटे (रु. में)	नई नामिकायन के अनुसार दर (रु. में)	दरों में भिन्नता (रु. में)	दरों में अंतर का प्रतिशत
1.	15 वर्ष और उससे अधिक के अनुभव वाले सलाहकार (प्रबंधन/ कार्यात्मक/ प्रौद्योगिकी प्रोफाइल)	3,88,000	3,50,000	38,000	9.79
2.	10 वर्ष लेकिन 15 वर्ष से कम अनुभव रखने वाले सलाहकार (प्रबंधन/कार्यात्मक/ प्रौद्योगिकी प्रोफाइल)	3,84,800	3,00,000	84,800	10.39
3.	6 वर्ष लेकिन 10 वर्ष के कम अनुभव वाले सलाहकार (प्रबंधन/ कार्यात्मक/प्रौद्योगिकी प्रोफाइल)	3,02,400.00	2,75,000.00	27,400.00	9.06
4.	3 वर्ष लेकिन 6 वर्ष के कम अनुभव वाले सलाहकार (प्रबंधन/ कार्यात्मक/प्रौद्योगिकी प्रोफाइल)	2,70,000.00	2,35,000.00	35,000.00	12.96
5.	3 वर्ष से कम अनुभव वाले सलाहकार (प्रबंधन/कार्यात्मक/ प्रौद्योगिकी प्रोफाइल)	2,16,000.00	2,10,000.00	6,000.00	2.78
6.	विषय विशेषज्ञ	3,34,800.00	3,34,800.00	0.00	0.00
	कुल	18,46,000.00	17,04,800.00	1,41,200.00	7.65

2.	**वित्त वर्ष 2020–21 भाग–।। ए कापारासं. 2**	विदेश मंत्रालय (एमईए) से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई) ने दिनांक 27.08.2018 के नामिकायन पत्र के माध्यम सेदेश भर के सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में मशीनरी डेबल पासपोर्ट (एमआरपी) के निजीकरण हेतु मेसर्स स्टैंडर्ड ट्रेडिंग कंपनी को सूची में शामिल किया है। भारत के प्रवासी नागरियों (ओसीआई) और भारत सरकार के इसी प्रकार के अन्य यात्रा दस्तावेजों के निजीकरण हेतु एजेंसी को काम पर रकने हेतु नामिकायन पत्र में, 04.09.2018 को एक संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार इसमें विदेशी मुद्रा में होने वाले उतार–चढ़ाव दर को शामिल किया गया था। नियम में यह कहा गया है कि यदि विदेशी विनिमय दर निविदा जमा करने की अंतिम तिथि पर दर्ज दर से 10% से अधिक है तो दर संशोधन लागू होगा। मंत्रालय के साथ कार्य आदेश के नियमों और शर्तों के अनुसार, विदेश मंत्रालय क्षति पूर्ति बॉन्ड के एवज में एनआईसीएसआई के पास 40% (वार्षिक अनुमानित कार्य का) अग्रिम के रूप में रखेगा। इसके अलावा, एनआईसीएसआई प्रशासनिक शुल्क, 7% की दर से, के साथ लागू जीएसटी के साथ विदेश मंत्रालय को मासिलबिल देगा। विदेश मंत्रालय से एनआईसीएसआई को प्राप्त भुगतान से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि, विदेशी विनिमय दर में भिन्नता के कारण 3.34 करोड़ रु. की राशि का भुगतान विदेश मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है और प्रबंधन ने इस राशि को प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। लेखा परीक्षा के दौरान इस राशि की प्राप्ति से संबंधित कोई पत्राचार प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया था और आज की तिथि तक विदेश मंत्रालय द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षकों द्वारा इस बारे में पूछे जाने पर प्रबंधन द्वारा कोई उत्तर नहीं दियागया।	एनआईसीएसआई ने विदेशी मुद्रा परिवर्तन के कारण जो अतिरिक्त राशि विदेश मंत्रालय को भुगतान की जानी है, का मामला उठाया है। एनआईसीएसआई ने 21.06.2021 और 07.07.2021 को ईमेल/पत्र लिखा था। विदेश मंत्रालय ने दिनांक 13.09. 2021को लिखे पत्र के माध्यम से, इस मामले में एनआईसीएसआई से कुछ जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करने का अनुरोध किया था। एनआईसीएसआई ने दिनांक 28.09.2021 और फिर दिनांक 04.04.2022 को लिखे पत्र के माध्यम से, विदेश मंत्रालय को जानकारी/स्पष्टी करण प्रदान की थी। हालांकि विदेश मंत्रालय से अभी भी राशि के भुगतान की प्रतीक्षा है। एनआईसीएसआई ने हाल ही में विवरणों को व्यक्तिगत स्तर पर स्पष्ट करने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ बैठक की थी और संभावना है कि निकट भविष्य में विदेश मंत्रालय द्वारा एनआईसीएसआई को भुगतान कर दिया जाएगा। **उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस पैरा को हटाने का अनुरोध है।**

क्र. सं.	पारासं.	लेखापरीक्षाराय	एनआईसीएसआई का उत्तर
3.	**वित्त वर्ष 2020–21 भाग– ।। एकापारासं. 3**	नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई) ने चुनींदा सार्क देशों में छह नेटवर्क लिंक यानि अफगानिस्तान से दिल्ली (अफ–दि) या अफगानिस्तान से मुंबई (अफ– मु), बांग्लादेश से कोलकाता (बादृको), भूटान से कोलकाता (भो–को), मालदीव से मुंबई (मा– मु) या मालदीव से चेन्नई (मा–च), नेपाल से दिल्ली (ने– दि), श्रीलंका से चेन्नई (श्री–च) या श्रीलंका से मुंबई (एसएल–मु) में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) को वैश्विक अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क तक विस्तारित करने के लिए खुली निविदा जारी (मार्च 2020) की। एनआईसीएसआई द्वार गठित निविदा मूल्यांकन समिति ने 25.06.2020 को निविदा कर्ताओं से प्राप्त निविदाओं को खोला और केवल दो निविदाकर्ताओं यानि मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड और मेसर्स टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लिया था।समिति ने पाया कि दोनों ही निविदाकर्ता तकनीकी विशिष्टताओं की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे। वित्तीय मूल्यांकन समिति की दिनांक 04.08.2020 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, समिति ने अफगानिस्तान लिंक को छोड़कर सभी नेटवर्क लिंक के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले निविदा कर्ता (एल1) के रूप में मेसर्स भारती एयरटेल की अनुशंसा की और पांचलिंकों के लिए 27.08.2020 को मेसर्स भारती एयरटेल को नामिकायन पत्र जारी किया गया था। अभिलेखों की जांच के दौरान लेखा परीक्षकों को निम्नलिखित कमियां मिलीः– (I) जीएफआर, 2017 का नियम 183, जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया है किः (i) जहां परामर्श सेवा की अनुमानित लागत पच्चीस लाख रु. तक हो, संभावित सलाहकारों की एक लंबीसूची, ऐसी ही गतिविधियों में शामिल अन्य मंत्रालयों या विभागों या संगठनों, वाणिद्य और उद्योग मंडल, परामर्श कंपनियों के संघ आदि से औपचारिक या अनौपचारिक पूछताछ के आधार पर तैयार की जा सकता है, नियम 183 (i)। (ii) जहां परामर्श सेवाओं की अनुमानित लागत पच्चीस लाख रु. से अधिक है, तो उपरोक्त (i)के अलावा, सलाहकारों से 'दिलचस्पी की अभिव्यक्ति' प्राप्त करने के लिए की जाने वाली पूछताछ को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) यानि www.eprocure.gov.in पर या सरकारी ई मार्केट प्लेस (जीईएम/GeM)पर डाली जानी चाहिए। ऐसा संगठन जिसकी स्वयं की वेबसाइट हो, उसे सभी विज्ञापित निविदा सवालदृजवाबों को वेबसाइट पर पब्लिश करना चाहिए– नियम 183 (ii)।	एनआईसीएसआई संबंधित क्षेत्र में संभावित सलाहकारों की सूची बनाएगी और भविष्य में इस संबंध में जीएफआर प्रावधानों का पालन करेगी। एनआईसीएसआई ने ईओआई को पब्लिश नहीं किया था और पिछली कार्य प्रणाली के अनुसार, इसने आरएफपी समिति की अनुशंसाओं का पालन किया है। हालांकि, लेखा परीक्षा जांच के अनुसार, एनआईसीएसआई ने निविदा जारी करने से पूर्व, जीएपआर प्रावधानों के अनुसार सलाहकार सेवाओं हेतु ईओआई रूट का पालन करना आरंभ कर दिया है। एनआईसीएसआई ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसाओं का पालन किया था और फिर से निविदा नहीं दी थी, क्योंकि इससे नामिकायन प्रक्रिया में और अधिक देरी हो सकती थी। व्यय का आकलन पूर्व कार्य प्रणाली के अनुसार नहीं किया गया है। हालांकि, लेखापरीक्षा परामर्श को नोट कर लिया गया है और भविष्य में इसका अनुपालन किया जाएगा। एनआईसीएसआई ने वित्तीय मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आध ाार पर एल–1 की दरों के अनुसार विक्रेताओं को खंडदृवारनामित किया था। हालांकि, लेखापरीक्षा राय के बाद, एनआईसीएसआई ने जीएफआर प्रावधानों के अनुसार सभी निविदाओं के लिए उचित व्यय अनुमान लगाना आरंभ कर दिया है। एनआईसीएसआई ने (मेसर्स भारती एयरटेल लिमि. और मेसर्स टाटा कम्युनिकेशंस लिमि, 23.03.2018को लिखे दोनों पत्रों के माध्यम से), 24.04.2018 को दोनों एजेंसियों को लिखे पत्र के माध्यम सेय एनआईसी नामिकायन को केवल 23.03.2020की अवधि तक के लिए अपनाया था। इसके बाद, दिनांक15.05.2020 को लिखे पत्र के माध्यम से, दोनों ही एजेंसियों के लिए नामिकायन अवधि को 23.03.2020 से 30.09.2020 तक के लिए बढ़ा दिया था। तदनुसार, आंतरिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, एनआईसीएसआई ने भी दोनों ही एजेंसियों के लिए नामिकायन अवधि को 23.03.2020 से 30.09.2020 तक की अवदि के लिए उन्हीं नियमों और शर्तों पर बढ़ा दिया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि, ष्एनआईसीएसआई, 23.03.2020 के बाद नए नामिकायन दर के अनुसार मूल्य का भुगतान करेगा यदि निविदा के माध्यम से, नई दरें वर्तमान दरों की तुलना में कम पाई जाती हैंष्। हालांकि, नामित एजेंसियों की अवधि को 01.10. 2020 से 30.11.2020 तक बढ़ाने संबंधी निविदा फाइल में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है, न तो एनआईसी की ओर से न ही एनआईसीएसआई से।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>परासं.</th><th>लेखापरीक्षाराय</th><th>एनआईसीएसआई का उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
जीएफआर 2017 के नियम 13 के उल्लंघन में पाया गया कि एनआईसीएसआई ने सलाहकारों से शदिलचस्पी की अभिव्यक्तिश प्राप्त करने के लिए की जाने वाली पूछताछ को केंद्रीय सार्वजनिक पोर्टल (सीपीपीपी) www.eprocure.gov.in पर, जीईएमपर और अपनी वेबसाइटपर, पब्लिश नहीं किया।
(2) जीएफआर, 2017 का नियम 18 कहता है कि संक्षिप्त सूची में रखे गए सलाहकारों की संख्या तीन से कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि केवल दो निविदाकर्ताओं ने ही निविदा जारी होने के प्रति उत्तर में निविदा जमा की थी और एनआईसीएसआई ने, निविदा को फिर से जारी करने के बजाए, निविदा प्रक्रिया को जारी रखा।
(3) सामान्य वित्त नियम 2017 के नियम 182 के अनुसार, सलाहकार (रों) को नियुक्त करने का प्रस्ताव देने वाले मंत्रालय या विभाग को प्रचलित बाजार परिस्थितियों का पता लगाने और ऐसी ही गतिविधियों में शामिल अन्य संगठनों से परामर्श कर इसके लिए उचित व्यय का अनुमान लगाना चाहिए। हालांकि, उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, एनआईसीएसआई द्वारा कोई अनुमान नहीं तैयार किया गया था।
(4) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 6 नेटवर्क लिंक के संबंध में दोनों विक्रेताओं द्वारा उद्धृत सकल मूल्य में भारी भिन्नता हैः–
<table>
<tr><th>कनेक्टिविटी विवरण</th><th>मेसर्स भारती एयरटेल लिमि.</th><th>मेसर्स टाटा कम्युनिकेशंस लिमि</th><th>बोलियों में अंतर (% में)</th></tr>
<tr><td>अफगानिस्तान से दिल्ली (अफ–दि) अफगानिस्तान से मुंबई (अफ–मुं)</td><td>उद्धृत नहीं किया गया</td><td>3,09,85,290</td><td>-</td></tr>
<tr><td>बांग्लादेश से कोलकाता (बादृको)</td><td>4,11,331</td><td>5,64,671</td><td>37.27</td></tr>
<tr><td>भूटान से कोलकाता (भू–को)</td><td>99,891</td><td>6,29,506</td><td>530.19</td></tr>
<tr><td>मालदीव से मुंबई (मा– मुं) या मालदीव से चेन्नई (मा–च)</td><td>24,63,167</td><td>48,24,960</td><td>95.88</td></tr>
<tr><td>नेपाल से दिल्ली (ने–दि)</td><td>3,14,994</td><td>4,08,613</td><td>29.72</td></tr>
<tr><td>श्री लंका से चेन्नई (एसएल–च) या श्री लंका से मुंबई (एसएलमुं)</td><td>13,44,731</td><td>19,59,386</td><td>45.70</td></tr>
</table>
इसलिए, निविदा के लिए उचित व्यय के अनुमान के अभाव में और दोनों निविदाकर्ताओं द्वारा उद्धृत दरों में भारी भिन्नता को देखते हुए, उद्धृत बोलियों की तर्क संगतता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
</td><td>
जैसा कि, उच्चदर के संबंध में उल्लेख किया गया है कि एनआईसीएसआई ने उत्पादों/सेवाओं के लिए दिनांक 27.08. 2020 को लिखे पत्र के माध्यम से एजेंसियों को नामित किया था लेकिन नए नामिकायन में 23.03.2018 के पिछले नामिकायन की तुलना में दरें कम थीं। 23.03.2020 की अवधि के दौरान, एनआईसीएसआई ने मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड की सूचीबद्ध दरों पर विभिन्न कार्य आदेश जारी किए थे किन्तु पाया गया कि–अनजाने में, नई पैनल बद्ध दरों की प्रयोज्यता की स्थिति (यदि ये पहले की दरों की तुलना में कम हैं) का पालन नहीं किया गया था। हालांकि, चूंकि शर्तें नामिकायन पत्र में थीं, एनआईसीएसआई ने अब कथित कार्य आदेश के लिए भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को वापस करने के मामले को मेसर्स भारती एयरटेल के समक्ष रखा है।
अफगानिस्तान लिंक के लिए, एनआईसीएसआई को केवल मेसर्स टाटा कम्युनिकेशनंस लिमि.से एकल निविदा प्राप्त हुई थी और इसके बारे में 20.08.2020 को एफईसी की आयोजित बैठक में बताया गया था। हालांकि एफईसी ने अनुशंसा की थी कि ”एनआईसीएसआई निविदा नियमों और शर्तों एवं जीएफआर नियमों के अनुसार अनिवार्य कार्रवाई कर सकता है”।
एनआईसीएसआई ने जीएफआर के नियम 166 और 173 के अनुसार उपरोक्त की जांच की और इसके प्रावधान का हवाला देते हुए 16.10.2020 को एफईसी (सदस्य संयोजक) को प्रस्ताव भेजा था लेकिन 04.10.2021 को, फाइल एनआईसीएसआई के निविदा अनुभाग को बिना किसी अनुशंसाध टिप्पणी के वापस कर दी गई ।उसके बाद, अफगानिस्तान लिंक के लिए किसी भी विक्रेता को पैनल में शामिल करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और परियोजना में गतिविधि स्वयं नहीं की गई थी।
सार्क देशों के लिए निविदा प्रक्रिया को आमंत्रित करने एवं अंतिम रूप देने के बारे में विवरण पहले ही उपर विस्तार से वर्णित है। हालांकि, जैसा कि ऊपर आश्वासन दिया गया है, एनआईसीएसआई भविष्य में एनकेएन या किसी अन्य गतिविधि के लिए किसी और पैनल को अंतिम रूप देते हुए जीएफआर के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।
जैसा कि ऊपर (5)के उत्तर में बताया गया है, एनआईसीएसआई, समय–समय पर, सार्क पैनल में जारी किए गए कार्य आदेशों के लिए एनकेएन परियोजना में एनआईसीएसआई द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को वापसकरने हेतु मामले को संबंधित विक्रेता के समक्ष मामले को रखा है। लेखापरीक्षक इसके बारे में अगली जांच में सत्यापन कर सकते हैं।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस पैरा को हटाने का अनुरोध है।
</td></tr>
</table>

क्र. सं.	पारासं.	लेखापरीक्षाराय	एनआईसीएसआई का उत्तर
		(5) एनआईसीएसआई के पास एनकेएन परियोजना के तहत सार्क देशों में दी जाने वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा के लिए नामिकायन की निविदा चल रही थी। मेसर्स टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (कोलकातादृ बांग्लादेश लिंक) और मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड (चेन्नई– श्रीलंका और दिल्ली भूटान लिंक) दो वर्षों के लिए पैनल में शामिल किए गए थे यानि 20.03.2020 तक। इस अवधि को दिनांक 20.05.2020 को लिखे पत्र के माध्यम से (30.11.2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया) इस शर्त के साथ कि एनआईसीएसआई 23. 03.2020 के बाद नए नामिकायन दर के अनुसार मूल्य का भुगतान करेगा, यदि निविदा से प्राप्त नई दरें वर्तमान दर की तुलना में कम हो। मार्च 2020 में जारी नई निविदा में दी गई दरें वर्तमान दरों की तुलना में कम थीं और एनआईसीएसआई को नई दरों के अनुसार मेसर्स भारती एयरटेल लिमि. को भुगतान करना था। हालांकि यह पाया गया कि विक्रेताओं के अनुरोध पर मेसर्स भारती एयरटेल लिमि. और मेसर्स टाटा कम्युनिकेशन लिमि को पुरानी दरों के अनुसार भुगतान किया गया, परिण ाम स्वरूप 15.94 लाख रु. का परिहार्य भुगतान किया गया, इस राशि को संबंधित विक्रेताओं से वसूल किए जाने की आवश्यकता है। (6) अफगानिस्तान लिंक के लिए, एनआईसीएसआई को केवल मेसर्स टाटा कम्युनिकेशन लिमि. से ही निविदा प्राप्त हुई थी। 16.10.2020 को स्वीकार किया गया था कि वित्तीय मूल्यांकन समिति जीएफआर, 2017 के प्रावधानों के आलोक में मेसर्स टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड की निविदा की जांच कर सकती है। हालांकि, अभिलेखों के अनुसार, एफईसी द्वारा निविदा की जांच के संबंध में फाइल पर कोई और विवरण उपलब्ध नहीं है कि क्या अफगानिस्तान लिंक की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 16.10.2020 के बाद फाइल पर इस संबंध में कोई प्रगति नहीं देखी गई थी। इस प्रकार एनआईसीएसआई ने प्रासंगिक सामान्य वित्त नियम, 2017 के उल्लंघन में चयनितसार्क देशों में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) को वैश्विक अनुसंधान और शिक्षानेट वर्क तक विस्तारित करने हेतु निविदा को अंतिम रूप दिया। लेखापरीक्षकों द्वारा इस बारे में पूछे जाने पर प्रबंधन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	

क्र. सं.	पारासं.	लेखापरीक्षाराय	एनआईसीएसआई का उत्तर
4	**वित्त वर्ष 2020–21 भाग–।। एकापारा सं.4**	पंचायती राज मंत्रालय (एम ओ पी आर) परियोजना 'ई–पंचायत–पीईएस की खरीद, रखरखाव और प्रशिक्षण' का कार्यान्वयन दस (10) वर्षों से भी अधिक समय से नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटरसर्विसेजइं कॉर्पोरेटेड द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए पंचायतीराज मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और एनआईसीएसआई के बीच वार्षिक आधार पर समझौता (एमओयू) किया जाता है। वर्ष 2020–21 के लिए एनआईसीएसआई के लेखा के अनुसार, यूनीफायडएप्ली केशन प्रोजेक्ट समेत ईदृ पंचायत मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग ऑफ पीईएसएप्ली केशन में, क्रमशः 67.35 लाख रु. और 3.75 करोड़ रु. (कुल राशि 4.42 करोड़ रु.) जो परियोजनाओं जिनकी संख्या–C170093GNND (वर्ष 2017–18 और 2018–19के लिए परियोजना) और C200026GNND (वर्ष 2020–21 के लिए परियोजना) सेसंबंधित है। हालांकि, वर्ष 2020–21 के लिए एनआईसीएसआई द्वारा पंचायती राज मंत्रालय की ई–पंचायत से संबंधित योजना के संबंध में प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) के अनुसार, 3.78 करोड़ रु. का रोकड़ शेष (अप्रयुक्त शेष) था। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि यूनीफायड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट समेत ई–पंचायत मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग ऑफ पीईएसएप्लीकेशंस से संबंधित 4 अन्य परियोजनाओं (Project No-81019/MIS/ND, C120488GNND, C132034GNND, C190054GNND) में 31.03.2021 के ईआरपी बहीखाते के अनुसार 2.30 करोड़ रु. की शेष राशि (1.54 करोड़ रु.0.51 करोड़ रु.0.27 करोड़ रु.0.02 करोड़ रु.) थी, जो खातों में नजर नहीं आ रही। इस प्रकार, ई–पंचायत में टेनेंस एंड ट्रेनिंग ऑफ पीईएस एप्लीकेशंस प्रोजेक्ट से संबंधित यूसी, ई आर पी बहीखाता के साथ–साथ एनआईसीएसआई के खातों में दिखनेवाले आंकड़ों में भिन्नता है। इसके अलावा, 2019–20 के बाद से, यह परियोजना अनुदान सहायता परियोजना नहीं है क्योंकि वित्तपोषण पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा अनुदान सहायता मद की बजाए कार्यालय व्यय मद से किया जा रहा है। लेखापरीक्षक द्वारा इस बारे में पूछे जाने पर प्रबंधन द्वारा कोई उत्त रनहीं दिया गया। लेखा परीक्षिती द्वारा की जानेवाली कार्रवाईः सहायता अनुदान परियोजना मद के अंतर्गत वर्ष 2020–21 के दौरान यूसी, ईआरपी बहीखाता और एनआईसीएसआई के खातों में प्रदर्शित होने वाले शेष के बीच अंतर के कारण और परोयजना के चित्रण के लिए लेखापरीक्षको सूचित किया जाए। शेष राशि के समायोजन हेतु उठाए गए कदमों के बारे में लेखापरीक्षा को भी सूचित किया जाए।	एनआईसीएसआई कई वर्षों से पंचायतीराज मंत्रालय (एमओपीआर) के एक से अधिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है और ईआरपीबही खाता/यूएसके आंकड़ों में कोई भिन्नता नहीं है। हालांकि. वित्त वर्ष 2020–21 में, यह महसूस किया गया कि पंचायतीराज मंत्रालय से एनआईसीएसआई के साथ अलग–अलग परियोनाओं की आई डी का शेष एक साथ कर दिया जाए और एक एकल यूसी तैयार किया जाए, जिसे तदनुसार तैयार भी किया गया। हालांकि, अलग–अलग परियोजनाओं में विभिन्न कार्य आदेश निष्पादित न होस के, इसके कारण ईआरपी बहीखाता और यूसी के आंकड़ों के बीच कुछ भिन्नता आई, जबकि, वास्तव में, एक साथ किए जाने वाली सभी परियोजनाओं के लिए आंकड़ों में कोई भिन्नता नहीं है। इसके अलावा, यह बताया गया है कि भारत सरकार की सभी परियोजनाओं के लेखा की लेखापरीक्षा प्रत्येक वर्ष सी एकंपनी द्वारा की जाती है और अब तक किसी भी लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र में किसी भी खाते के शीर्षध राशि के प्रति कोई प्रतिकूल अवलोकन नहीं किया गया है। कृपया परियोजना–वार विवरण को अगली लेखापरीक्षा के दौरान पुःसत्यापित किया जाए। **उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस पैरा को हटाने का अनुरोध है।**

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>पारासं.</th><th>लेखापरीक्षाराय</th><th>एनआईसीएसआई का उत्तर</th></tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>वित्त वर्ष 2020–21 भाग–।। एकापारा सं.5</td>
<td>
बोर्ड ने 30.12.2020 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित नामिकायन के संबंध में 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक या नई निविदा के पूरा होने की अवधि, जो भी पहले हो, अवधि में विस्तार किया है।
<table>
<tr><th>क्र. सं</th><th>विवरण</th><th>नामिकायन पत्र के अनुसार नामिकायन अवधि</th><th>नामिकायन पत्र के अनुसार विस्तार विकल्प</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आईसीयी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एवं ई–गवर्नेंस एप्लीकेशंस के समर्थन हेतु हेल्पडेस्क/कॉल सेंटर की स्थापनाए वं संचालन हेतु सेवा प्रदाताओं का नामिकायन</td><td>24.08.2015 to 23.08.2017 (2 वर्ष)</td><td>24.08.2017 to 23.08.2019 (2 वर्ष)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>जीआईएस और रिमोटसेंसिंग परियोजाएं–2020 के डिजाइन, विकास, रखरखाव और प्रशासन हेतु तकनीकी संसाधन का नामिकायन</td><td>22.04.2016 to 21.04.2018 (2 वर्ष)</td><td>22.04.2018 to 21.04.2019 (2 वर्ष)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>सिस्टमस्टडी, डिजाइन, विकास, वेबसाइटों का कार्यान्वयन और रखरखाव, वेब पोर्टल, वेब इनेबल एप्लीकेशन और मोबाइल एप के लिए नामिकायन।</td><td>01.07.2016 to 30.06.2018 (2 वर्ष)</td><td>01.07.2018 to 30.06.2018 (2 वर्ष)</td></tr>
</table>
इसलिए अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि से संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि इनमामलों में नामिकान अवधि को नामिकायन की वैधता अवधि के परे का विस्तार दिया गया था, इसमें नामिकायन पत्र के अनुसार विस्तारित अवधि भी शामिल है।
एनआईसीएसआई द्वारा नए नामिकायन निविदाओं को अंतिम रूम देने में बहुत देरी की गई है। तेज सूचना एवं संचार प्रौद्योगि की (आई सी टी) उन्नयन और दरों में कमी की प्रवृत्तियों के साथ, नए नामिकायन समय पर किया जाने की आवश्यकता है ताकि उपयोग कर्ता विभाग को इसका लाभ मिल सके।
वर्ष 2020–21 के दौरान, पुराने नामिकायन के संदर्भ में, 276.43 करोड़ रु. के कार्य आदेश ((8.96 करोड़रु. (हेल्पडेस्क/कॉल सेंटर से संबंधित) 4.62 करोड़ रु. (जीआईएस और रिमोट सें सिंग परियोजनाओं से संबंधित) . 262.85 करोड़ रु. (वेबसाइट डेवलपमेंट से संबंधित)) ऐसे विक्रेताओं को जारी किए गए जिनका नामिकायन अवधि समाप्त हो चुका था।
</td>
<td>
ये नामिकायन हेल्पडेस्क/कॉलसेंटर, जीआईएस और रिमोट सें सिंग परियोजनाओं और वेबसाइट डेवलपमेंट के संबंध में किए गए। इन नामिकायन में देरी का उत्तर उपरक्रम. सं. 1 में लेखा परीक्षा राय के खिलाफ ई–गवर्नेंस कंसल्टेंसी सर्विसेज के नामिकायन के लिए दिया गया है।
हालांकि, समय–समय पर एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल द्वारा विस्तार की अनुमति दी गई थी, क्योंकि नए नामिकायन की प्रक्रिया जारी थी। उक्त पैनल में वर्तमान जन बल सेवाओं की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जारी परियोजनाओं के लिए विस्तार किया गया है।
इन निविदाओं की वर्तमान स्थिति इस प्रकार हैः
1 आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं और ई–गवर्नेंस एप्लीकेशंस के समर्थन हेतु डेल्प डेस्क/कॉलसेंटर की स्थापना और संचालन के लिए सेवा प्रदाताओं के नामिकायन को अंतिम रूप दे दिया गया हैऔर 11.03.2021 को नामिकायन पत्र जारी किया गया।
2. जीआईएस और रिमोट सेंसिंग परियोजनाओं के लिए तकनीकी संसाधनों का नामिकायन। (टीयर–2 और स्टार्ट–अप) को अंतिम रूप दे दिया गया है और 27.08.2021 को नामिकायन पत्र जारी किया जा चुका है।
3. सिस्टमस्टडी, डिजाइन, विकास, वेबसाइटों का कार्यान्वयन और रखरखाव, वेबपोर्टल, वेब इनेबल एप्लीकेशन और मोबाइल एप के लिए नामिकायन को क्रमशः13.04.2021 और 24.11.2021 कोस्टार्ट अप और टियर–1 के लिए अंतिम रूप दे दिया गया है। टियर–II और III के लिए नामिकायन प्रक्रिया धीन है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस पैरा को हटाने का अनुरोध है।
</td>
</tr>
</table>

क्र. सं.	पारासं.	लेखापरीक्षाराय	एनआईसीएसआई का उत्तर
6	**वित्त वर्ष 2020–21 भाग– ।। एकापारा सं. 6**	एनआईसीएसआई शुद्ध एजेंट के रूप में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में नए कंप्यूटर और कंप्यूटर संचार परियोजनाओं को लागू करता है जिसके लिए एनआईसीएसआई समय–समय पर प्रशासनिक शुल्क लेता है। अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि एनआईसीएसआई ने निम्नलिखित प्रस्तावों में अपने नकद भंडार का निवेश किया हैरू (क) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के राष्ट्रीय डेटा केंद्र (एनडीसी), भुवनेश्वर में अनुमानित 97.76 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अव संरचना हेतु प्रस्ताव को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई) के निदेशक मंडल द्वारा 28.03.2017 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया था। 97.76 करोड़ रु. की लागत में 85.76 करोड़ रु. की पूंजीगत व्यय, संचालन व्यय के 9 करोड़ रु. और आकस्मिक खर्च के रूप में 3 करोड़ रु. भी शामिल हैं। व्यय पूरी तरह से एनआईसीएसआई के नकद भंडार से पूरे किए जाने थे। क्लाउड सेवाओं का उपयोग कर उत्पन्न राजस्व एनआईसीएसआई को मिला था। बोर्ड को 28.01.2020 को अपनी 112वीं बैठक में सूचित किया गया था कि एनआईसी एनडीसी भुवनेश्वर में बुनियादी ढांचा बनाने का कामक्लाउड पर सेवाएं देने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए पूरा कर लिया गया है। क्लाउड का पहचा चरण, जिसमें 14 रैक हैं, पूरा कर लिया गया है, जो अधिक चपलता के साथ क्लाउड पर सेवाओं के प्रावधान के प्रस्ताव को सुविधाजनक बनाएगा और एनआईसी नेशनल क्लाउड सेवाओं के साथ भी एकीकृत होगा। इसके अलावा, एनडीसी भुवनेश्वर में शेष 34 रैक के लिए सॉफ्टवेयर परिभाषित क्लाउड आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रावधान के प्रस्ताव को बोर्ड की 28.01.2020 को हुई 112 वीं बैठक में मंजूरी दी गई थी। परियोजना में शामिल कुल लागत लगभग 211 करोड़ रु. पूंजी के रूप में और जनबल के रूप में 17 करोड़ रु. आदि के रूप में (कुल 228 करोड़ रु.) होगी, पांच वर्ष और तीन चरण होंगे। 31.03.2021 तक, एनडीसी भुवनेश्वर में क्लाउड सेट अपके लिए एनआईसीएसआई ने 124.94 करोड़ रु. खर्च किए और एनडीसी भुवनेश्वर से एनआईसीएसआई को मार्च 2021 तककुल12.35 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त हुआ था। यह पाया गया कि एनआईसीएसआई के पास कोई अनुमोदित निवेध नीति नहीं थी। इसके अलावा, एनआईसीएसआई ने एनडीसी भुवनेश्वर में क्लाउड एनैबलमेंट के संबंध में आजतक एनआईसी के साथ कोई समझौता (एम ओयू) नहीं किया है।	एनआईसीएसआई रिजर्व की स्थिति की समीक्षा करीब 5–6 वर्ष पूर्व सरकार के स्तर पर की गई थी और यह महसूस किया गया था कि एनआईसीएसआई इसका उपयोग अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करेगी, इसके लिए एन आई सी विचार कर और प्रस्ताव दे सकती है। तदनुसार, इन दोनों प्रस्तावों को एनआईसी से वहां के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद प्राप्त किया गया था और इसके निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, एनआईसीएसआई ने इसे लागू किया था। हालांकि, इन परियोजनाओं में से एक यानि जिला अव संरचना का संवर्धन, निवेश पर आय के बिना था लेकिन चूंकि जिले पूरे देश को कवरिंग/संवर्धन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, एनआईसीएसआई ने, अपने आईटी अवसंरचना उन्नयन लक्ष्य के तहत खर्च किया। **उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस पैरा को हटाने का अनुरोध है।**

क्र. सं.	परासं.	लेखापरीक्षाराय	एनआईसीएसआई का उत्तर
		इस संबंध में एमईआईटीवाई का अनुमोदन भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। एनआईसीएसआई कैश रिजर्व के उपयोग के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा शुरू में बोर्ड द्वारा गठित उप–समिति की सिफारिश के आधार पर अनुमोदित किया गया था। उप–समिति को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या संशोधित स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) को एनआईसी और एनआईसीएसआई के बीच केंद्र में आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने की सुविधा साझा करने की आवश्यकता है, यदि इस संबंध में खर्च एनआईसीएसआई कैश रिजर्व से पूरा किया जाता है। हालांकि, उप–समिति की बैठक के कार्यवृत्त में इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा गया। इस प्रकार, एनआईसीएसआई ने एनआईसीएसआई एवं एनआईसी के बीच किसी समझौता ज्ञापन के बिना और अपने मंत्रालय यानि एमईआईटीवाई के अनुमोदन के बिना, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भुवनेश्वर के राष्ट्रीय डेटा केंद्र, में क्लाउड सक्षमता के लिए आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर को निधि देना जारी रखेगा। (ख) निदेशक मंडल ने 28.03.2017 को अपनी 100 वीं बैठक मेंडिस्ट्रिक्ट 2.0 'डिजिटल इंडिया पहल को पूरा करने के लिए जिला अव संरचना में विस्तार' के चरण। के लिए एनआईसीएसआई के नकद भंडार से 99 करोड़ रु. का वित्त पोषण, बिना निवेश पर आय के, करने की अनुमति देदी। 31.03.2021 तक, 85.20 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका था और बहीखाते में 13.80 करोड़ रु. आकस्मिक देनदारी के रूप में दिखाई गई। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, इस संबंध में एमईआईटीवाई से स्वीकृति ली गई थी। बिना निवेश पर आय के किसी परियोजना के वित्त पोषण के औचित्य के बारे में पूछा गया लेकिन प्रबंधन से अभी तक उत्तर की प्रतीक्षा है।	

क्र. सं.	पारासं.	लेखापरीक्षाराय	एनआईसीएसआई का उत्तर
7	**वित्त वर्ष 2020–21 भाग–।। एकापारा सं. 7**	सामाजिकन्याय एवं अधिकारिता निदेशालय (डी ओ एस जेई), जयपुर के चार निदेशालयों (डी ओ एस जेई, दिव्यांग विभाग, बाल अधिकार विभाग और एस सीडी सी विभाग) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू)– प्रबंधन का गठन किया गया था। निदेशालयनेजूनध जुलाई 2020 के माह में परियोजना शुरु करने के लिए एनआईसीएसआई को 28.05.2020 को एक परियोजना निष्पादन प्रपत्र दिया था और प्रासंगिक विवरण एवं विनिर्देशों के साथ मेसर्स अर्न्स्टएंडयंग द्वारा रखे जाने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता बताई थी। अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंकॉर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई) ने 13.07.2020 को मेसर्स अर्न्स्टएंडयंग को 10.76 करोड़ रु. का कार्य आदेश जारी किया। डीओएसजे ई जयपुर (जनवरी 2021) ने एनआईसीएसआई को सूचित किया कि मेसर्स अर्न्स्टएंडयंग ने कार्य आदेश के तहत आवश्यक पूरी टीम को जुलाई 2020 से काम पर नहीं रखा और इसकी बजाए 12.10.2020 से टीम को काम पर लगाया यानि10 सप्ताह की देरी से। इसके अलावा, डीओएस जेई, जयपुर ने एनआईसीएसआई को बताया कि मेसर्स अर्न्स्टएंडयंग द्वारा दी जाने वाली सेवाएं संतोषजनक न होने कारण 01.01.2021 से मेसर्सअर्न्स्टएंडयंग की सेवाओं को समाप्त किया जा रहा है। डीओएस जेई, जयपुर (अगस्त 2021) ने दिनांक 11.01.2021 और 01.02.2021 को लिखे ईमेल के माध्यम से एनआईसीएसआई के जरिए मेसर्स ईएंडवाई के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि परियोजना समापन की अवधि 01.10.2020 से किए जाने पर विचार किया जाए और एनआईसीएसआई से अनुरोध किया कि वह बतौर अग्रिम भुगतान की गई 2.88 करोड़ रु. की राशि को वापस कर दे।	संक्षेप में मामले का विवरण इस प्रकार हैः • एसजेईडी, जयपुर ने विभिन्न अवधियों के लिए विभन्न पदों पर कर्मचारी प्रदान करने हेतु एनआईसीएसआई को एक प्रस्ताव भेजा था। • एनआईसीएसआई ने उपरोक्त के लिए 19.05.2020 को 11.51करोड़ रु. के लिए प्रोफॉर्माचालान (पीआई) जारी किया था। • एसजेईडी ने एनआईसीएसआई को दिनांक 28.05.2020 को पीईएफ भेजा था, इस तिथि के अग्रेषण पत्र के साथ। • दिनांक 09.06.2020को, एसजेईडी ने एनआईसीएसआई को 2,58,64,523 / – रु. हस्तांतरित किए थे। • एनआईसीएसआई ने दिनांक 13.07.2020 को मेसर्स ईएंडवाई को 10.76 करोड़ रु. के लिए कार्य आदेश जारी किया था, इसमें एनआईसीएसआई का संचालन लाभ शामिल नहीं था। ईएंडवाई ने एसजेईडी में, दिनांक 29.06.2020 से 07.09.2020 के बीच अलग–अलग तिथियों पर कर्मचारियों को रखना शुरुकर दिया था। • एसजेईडी, ने दिनांक 27.08.2020 और दिनांक 7.09.2020 को लिखे ईमेल के माध्यम से एनआईसीएसआई को सूचित किया कि तब तक विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी। एसजेईडी ने दिनांक 17.09.2020 को लिखेपत्र के माध्यम से, एनआईसीएसआई को अपने उक्त 2 ईमेल के बारे में सूचित किया और एनआईसीएसआई से अनुरोध किया वह एसजेईडी / कोष उपयोग के लिए यूसी / उपलब्ध शेष राशि / कोष उपयोग के विरुद्ध बनाए गए चालान / एनआईसीएसआई द्वारा विप्रो और ईएमंडवाई के साथ परियोजना के तहत किए गए अनुबंध या समझौता ज्ञापन की प्रतिलिपि / जुर्माने की शर्त के बारे में बताए। • ऐसा लगता है कि एनआईसीएसआई द्वारा एसजेईडी को उपरोक्त पर कोई उत्तर दिया नहीं गया है, सिवाए दिनांक 07.10.2020 तक आंशिक निपटान के खाता विवरण के, जिसमें उपयोग की गई राशि "0" और 2,58,64,523 / –रु. की कुल राशि एनआईसीएसआई के पास उपलब्ध दिख रही है। • एसजेईडी ने दिनांक 01.01.2021 को लिखे पत्र के माध्यम से एनआईसीएसआई को सूचित किया कि ईएंडवाई द्वारा दी जा रही सेवाएं संतोषजनक नहीं थी औ रइसलिए 01.01.2021 से उनकी सेवाएं समाप्त की जार ही हैं।

क्र. सं.	पारासं.	लेखापरीक्षाराय	एनआईसीएसआई का उत्तर
		हालांकि, लेखा परीक्षा में मेसर्सईएंडवाई के खिलाफ एनआईसीएसआई द्वार की गई कोई भी कार्रवाई नहीं पाई और न ही डीओएस जेई द्वार मांगी गई राशि को वापस ही किया गया। इस बारे में एनआईसीएसआई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था।	• एसजेईडी ने दिनांक 05.01.2021 को लिखे पत्र के माध्यम से एनआईसीएसआई को सूचित किया कि ईएंडवाई को जुलाई, 2020 से कर्मचारियों को नियुक्त करना था लेकिन 10 सप्ताह बीत जाने के बाद भी यानि 12.10.2020 तक कर्मचारियों की नियुक्ति का कार्य पूरा नहीं हुई और इसलिए, कार्य आदेश के खंडसं. (सी)2के अनुसार, एनआईसीएसआई एस जेईडी को सूचित करते हुए ईएंडवाई पर "जुर्माना"लगाने संबंधी आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। • ईएंडवाई, दिनांक 11.01.2021 को लिखे पत्र के माध्यम से, परियोजना में उनकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए एनआईसीएसआई को बयान संलग्न किया। • एनआईसीएसआई ने दिनांक 11.01.2021 के ईमेल द्वारा एसजेईडी को कथित ईएंडवाई के पत्र को अग्रेषित किया था। • एसजेईडी ने दिनांक 15.01.2021 को लिखे ईमेल द्वारा, एनआईसीएसआई सेसंलग्न 'बयान' पर और साथ ही दिनांक 27.08.2020 / 07.09.2020 / 17.09.2020 / 29.09.2020 / 01.01.2021 / 05.01.2021 को लिखे उनके पत्रों / ईमेल पर भी टिप्पणी / विचार / इनपुट प्रदान करने का अनुरोध किया। एनआईसीएसआई ने दिनांक 01.02.2021 को लिखे ईमेल के माध्यम से एसजेईडी को सूचित किया कि ईएंडवाई के बयान के अनुसार, परियोजना आरंभ होने की तिथि 01.10.2020 से प्रभावी मानी जा सकती है और तदनुसार जुर्माने खंड पर विचारा किया जा सकता है। एनआईसीएसआई ने एस जेईडी से इसे स्वीकार करने और दिनांक 01.01.2021 और 05.01.2021 को जारी अपने नोटिस को वापस लेने का अनुरोध किया, इस आश्वासन के साथ किई एंडवाईकार्य आदेश के अनुसार अपने सभी दायित्वों को पूरा करेगा। • एसजेईडी ने दिनांक 17.08.2021 को लिखे पत्र के माध्यम से, एनआईसीएसआई से अनुरोध किया था कि वह कथित 2,87,92,583 / —रु. की संपूर्ण धनराशि को, कार्य आदेश में उक्तखंड सं. (सी)2के अनुसार मेसर्स ईएंडवाई से प्राप्त जुर्माना राशि के साथ, वापस कर दे। उपरोक्त के लिए, एनआईसीएसआई में दिनांक 21.03.2022 को जारी कार्यालय ज्ञापन (प्रतिलिपिसंलग्न) के माध्यम से, मामले पर विचार करने और अपनी अनुशंसा देने के लिए, एक समिति का गठन किया गया था। समिति की प्रक्रिया जारी है। जैसे ही समिति से अनुशंसाएं प्राप्त होंगी, और मामला सुलझा लिया जाएगा, लेखा परीक्षा कार्यालय को इसकी तत्काल सूचना दी जाएगी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस पैरा को हटाने का अनुरोध है।

क्र. सं.	पारासं.	लेखापरीक्षाराय	एनआईसीएसआई का उत्तर
8	**वित्त वर्ष 2020–21 भाग–।। एकापारा सं. 8**	एनआईसीएसआई ने निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद 13.02.2020 को, कार्यालय समर्थन सेवा (श्रेणी–1) और परियोजना प्रबंधन सहयोग एवं रोलऑउट सेवा (श्रेणी–2), एजेंसियों का नामिकायन किया था। आरंभ में यह नामिकायन अनुबंध तिथि से तीन वर्षों के लिए वैधथा और इशके बाद दो वर्ष का वार्षिक विस्तार किया गया था। दोनों ही श्रेणियों में, दस एजेंसियों को पैनल में रखा गया था जिनमें से चार सूक्ष्म और लघुउद्यम (एमएसएमई) और प्रत्येक में एक स्टार्ट अप एजेंसी थी। (क) निविदा अभिलेखों और उसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान, पाया गया किः– (i) निविदा अभिलेख में नियोजित किए जाने वाले कर्मचारियों की अनुमानित संख्या और कार्य के अनुमानित लागत का उल्लेख नहीं किया गया था। उल्लेखनीय है कि कंपनी इस निविदा के जरिए सैंकड़ों करोड़ रुपयों के कर्मचारियों को काम पररख रही है। (ii) कार्यालय सहयोग सेवा के तहत श्रेणी–1 में, संसाधन श्रेणी मल्टी टास्किंगसपोर्ट, कार्यालय सहायक सहयोग और लेखांकन सहयोग की है, जो प्रकृति में पूर्ण रूप से गैरदृ तकनीकी हैं और कंपनी के उद्देश्यों से मेल नहीं खाते। (iii) सफल निविदाकर्ताओं के बीच निविदा मात्रा आवंटित करने के मानदंड को निविदा अभिलेख में ही स्पष्ट किया जाना चाहिए। हालांकि, इस संबंध में निविदा अभिलेख में कुछ भी नहीं है। (iv) दोनों ही श्रेणियों में, विक्रेताओं द्वारा उद्धृत लाभ में बहुत अधिक भिन्नता है, यह 30% सेलेकर 90% तककी है (एक मामले को छोड़कर जिसमें भिन्नता 20.80% की है– मेसर्स अकाल इंफॉर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड और मेसर्सएसआईएसएल इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में)। इस प्रकार, एल 1 निविदा के मिलान हेतु एल 1 के अलावा अन्य निविदाकर्ताओं को काउंटर ऑफर देना, बड़ी भिन्नता के बावजूद, (20% से अधिक की भिन्नता होना) उचित नहीं है। (ख) सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के नियम 153 के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नेसूक्ष्म, लघु औ रमध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 11 के तहत खरीद नीति अधिसूचित की है। सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) आदेश, 2018 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/पीएसयू को एमएसई सेक्टर से 25% खरीद का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना होगा।	पिछली कार्य प्रणालियों के अनुसार एनआईसीएसआई प्रत्येक निविदा के तहत नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या और उनकी अनुमानित लागत का अनुमान नहीं लगा रही है। हालांकि, लेखा परीक्षक की सलाह के अनुसार, एनआईसीएसआई ने निविदा में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की अनुमानित मात्रा और उसकी अनुमानित लागत का उल्लेख करना आरंभ करदिया है। एनआईसीएसआई एक आईटी प्रदाता कंपनी है, हालांकि, प्रत्येक आईटी परियोजना में, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, संपूर्ण गतिविधि केवल तकनीकी कर्मचारियों द्वारा ही नहीं की जा सकती और गतिविधि को करने में, गैर–तकनीकी सहयोग का तत्व हमेशा शामिल होता है। एनआईसीएसआई, परियोजनाओं में समय–समय पर उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार, तकनीकी और गै–तकनीकी, दोनों ही प्रकार के कर्मचारी उपलब्ध करवाती है। एनआईसीएसआई के संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि यह किसी भी आई टी संबंधी परियोजना में गैर–तकनीकी सहायता प्रदान नहीं कर सकती है। एनआईसीएसआई के पास दिनांक 15.09.2020 का अपना एसओपी और दिनांक 2.12.2020 का अपना कार्यालय आदेश है, जिसके अनुसार, कर्मचारी प्रदान करनेवाली सेवाएं पैनल में शामिल एजेंसियों के बीच वितरित की जानी है। हालांकि, प्रत्येक परियोजना में, यह उपयोग कर्ता पर निर्भर करता है कि वह पीई एफ के माध्यम से एनआईसीएसआई को सूचित करे कि वह किस एजेंसी, उस के द्वारा नामिक कुल एजेंसियों में से, के माध्यम से आदेश दिया जाना है,जिसका विवरण प्रत्येक बार एनआईसीएसआई द्वारा उपयोगकर्ता को पीआई के जरिए दिया जाता है। इसके अलावा, जैसा कि इस रिपोर्ट के पैरा सं.10 के उत्तर में बताया गया है, निदेशक मंडल ने 26.03.2022 को आयोजित अपनी 121 वीं बैठक में 'परियोजना मोड' में गतिविधियों के लिए एसओपी के प्रावधानों और गतिविधियों के लिए कार्यालय आदेश का 'जनबलमोड' में पालन किए जाने को मंजूरी दी थी। अब एनआईसीएसआई इसी अनुसार काम कर रही है। आरएफपी अभिलेख कामसौदा और उसे अंतिम रूप देने का काम आर एफपी समिति करती है। निविदा अभिलेख ड़ालने के बाद, इस समिति द्वारा निविदा–पूर्व बैठक भी की जाती है और वहां पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार, समिति निविदा अभिलेखों पर विचार करती है, अनुशंसाएं देती है और संशोधन जारी करती हैएवं तदनुसार एनआईसीएसआई, समय– समय पर शुद्धि पत्र जारी करती है। लाभ के लिए प्रासंगिक प्रावधानों का ध्यान भी आरएफपी समिति द्वारा रखा जाता है। हालांकि, लेखा परीक्षा परामर्श के अनुसार, लाभ से संबंधित बिन्दु को नोट कर लिया गया है और भविष्य में जारी की जाने वाली निविदाओं में इसका ध्यान रखा जाएगा। लेखा परीक्षा मुद्दे की जांच की गई है और यह उल्लेख किया जाता है कि भविष्य में एनआईसीएसआई द्वारा जारी किए

क्र. सं.	परासं.	लेखापरीक्षाराय	एनआईसीएसआई का उत्तर
		इस निविदा के संबंध में दिए गए कार्य आदेश (2020–21) की समीक्षा के दौरान, हालांकि एनआईसीएसआई ने कुल 10 एजेंसियों में से 4 एमएसई (40% होने के नाते) को सूची में शामिल किया है, हालांकि, वर्ष 2020–21 के दौरान 4443.27करोड़ रु. के जारी किए गए कुल कार्य आदेश में से एमएसईको मात्र 46.32 करोड़ रु. का कार्य आदेश ही दिया गया जो कुल कार्य आदेश का मात्र 10.44 प्रतिशत है। इस प्रकार, यह सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) आदेश, 2018 के लिए सामान्य वित्तीय नियमों और सार्वजनिक खरीद नीति का उल्लंघन है। **प्रबंधन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है।**	जानेवाले पी आई (प्रोफॉर्माइनवायस) में प्रत्येक एजेंसी के खिलाफ इस का उल्लेख किया जाएगा चाहे वह एमएसएमईसे हो या किसी अन्य श्रेणी से। हालांकि, एनआईसीएसआई द्वारा किसी भी एजेंसी को आदेश देना उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है कि वह उस एजेंसी के नाम की सूचना दे जिसे आदेश दिया जाना है, एसओपी / कार्यालय आदेश के अनुसार। इस प्रकार. किसी भी परियोजना में कार्य आदेश जारी करने हेतु एजेंसी के चयन में एनआईसीएसआई की कोई भूमिका नहीं है। **उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस पैरा को हटाने का अनुरोध है।**
9	**वित्त वर्ष 2020–21 भाग–II एकापारा सं. 9**	एनआईसीएसआई हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, इंट्रा–नेटवर्किंग, वाइडएरिया नेटवर्किंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशनस पोर्ट आदि की खरीद करती है और इसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को उपलब्ध करवाती है। परामर्श एवं अन्य सेवाओं की खरीद पर नियमावली, 2017 के अनुसार, खरीद प्राधिकरणों के दायित्वों को सार्वजनिक खरीद के निम्नलिखित पांच मूलभूत सिद्धांतों में बांटा जा सकता है जिनका सभी खरीद प्राधिकरणों को पालन करना चाहिए और इसके लिए जवाब देह होना चाहिए: i. पारदर्शिता सिद्धांत; ii. व्यावसायिकता सिद्धांत; iii. व्यापकदायित्व सिद्धांत; iv. बाहरी कानूनी सिद्धांत और v. सार्वजनिक जवाबदेही सिद्धांत। इसके अलावा, नियमावली के अनुसार, परामर्श और अन्य सेवाऔँ की खरीद के दौरान निम्नलिखित अतिरिक्त सिद्धांतों पर विचार किया जाएगा:– i. खरीदी जाने वाली सेवाएं न्यायोचित होनी चाहिए। ii. परामर्शी सेवाओं के मामले में, कार्यकासु–परिभाषित दायता / संदर्भ शर्त (टीओआर–सेवाकाविवरण) और समय सीमा, जिसके लिए सेवाऔँ का लाभ लिया जाना है, खरीद निकाय के कुल उद्देश्यों के अनुरूप निर्धारित किया जाना चाहिए। अन्य (गैर–परामर्श सेवाऔँ) गतिविधि सूचीप = (कार्य कासु–परिभाषित दायरा / सेवाओं के विवरण और जिसके लिए सेवाएं ली जार ही हैं उसकी समय– सीमा को बताने वाला अभिलेख) खरीद निकाय के उद्देश्यों के अनुरूपहोना चाहिए; iii. सभी योग्य सेवा प्रदाता / सलाहकारों को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर मिलना सुनिश्चित किया जाए, iv. कार्य किफायती और कुशल होना चाहिए।	लेखा परीक्षा टिप्पणी है (i) एनआईसीएसआई के पास कोई अनुमोदित खरीद नियमावली नहीं है, जिसमें खरीद हेतु अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया दी गई हो, जो ऐसे संगठन के लिए एक अनिवार्यता है और (ii)वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, एनआईसीएसआई ने अपने पैनल में शामिल 47 एजेंसियों को करीब 843.94 करोड़ रु. के कार्य आदेश जारी किए, जिनमें से करीब 50% कार्य आदेश केवल 4 एजेंसियों को ही दे दिया गया। उपरोक्त के संबंध में, स्थिति इस प्रकार है: I. एनआईसीएसआई में 5–6 वर्ष पूर्व खरीद नियमावली काम सौदा तैयार किया गया था लेकिन उसे न तो अंतिम रूप दिया जा सका८ न अपनाया जा सका। लेखापरीक्षा की राय को नोट कर लिया गया है और एनआईसीएसआई में स्वंय की खरीद नियमावली के प्रस्ताव पर पुनःविचार किया जाएगा और तदनुसार एफएंडसी लेखापरीक्षा कार्यालय को स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। II. वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, एनआईसीएसआई ने अपनी सूची में शामिल एजेंसियों को कर्मचारियों को नियुक्त एवं कार्य आदेश पूर्ण करने का काम सौंपा, दिनांक 26.04. 2016 और 15.09.2020 के अपने एसओपी में दिए गए प्रावधानों के अनुसार (प्रतिलिपिसंलग्न), जिसके अनुसार उपयोगकर्ता संगठन ने परियोजना निष्पादन प्रपत्र (पीईएफ) के माध्यम से एनआईसीएसआई को अपने "पसंदीदा विक्रेता" के बारे में सूचित किया, प्रतिलिपि संलग्न है। हालांकि, एनआईसीएसआई ने अपने पैनल में शामिल सभी एजेंसियों के बीच व्यापार के बेतर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए "विक्रेता विकास कार्यक्रम" का आयोजन किया है। **उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस पैरा को हटाने का अनुरोध है।**

क्र. सं.	परासं.	लेखापरीक्षाराय	एनआईसीएसआई का उत्तर
		v. चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और अखंडता(यानि उच्चतम नैतिकमान कों के अनुसार प्रस्तावित, सम्मानित, प्रशासित और निष्पादित)। vi. इसके अलावा, परामर्श सेवाओं की खरीद में, परामर्शदाताओं की गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए, वर्ष 2020–21 से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि एनआईसीएसआई ने विभिन्न सरकारी विभागों और पीएसयू के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद हेतु अपनी नामिकायित एंजेंसियों को 1897.16 करोड़ रु. का कार्य आदेश जारी किया, हालांकि कंपनी के पास अनुमोदित खरीद नियमावली नहीं है। खरीद नियमावली, एक ऐसी नियमावली होती है जिसमें खरीद हेतु अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया का विवरण दिया गया होता है, एनआईसीएसआई जैसे संगठन के लिए एक अनिवार्यता है। प्रबंध ने उत्तर में कहा कि एनआईसीएसआई में लगभग 5–6 वर्ष पूर्व खरीद नियमावली काम सौदा तैयार किया गया था लेकिन उसे अंतिम मंजूरी नहीं मिली थी/ न उसे अपनाया गया। लेखा परीक्षा जांच में पाया गया है कि एनआईसीएसआई में स्वयं की खरीद नियमावली के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाएगा और तदनुसार स्थिति सूचित की जाएगी। सीवीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार, कार्य आवंटन की प्रणाली निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत होनी चाहिए हालांकि, केवल इन चारविक्रेताओं से विषम खरीद के मामले को देखते हुए, इक्विटी, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। वर्ष 2020–21 के दौरान 1897.16 करोड़ रु. के कुल कार्य आदेशों में से 843.94 करोड़ रु. (44.48%) के कार्य आदेश कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में जारी किए गए थे। वर्ष 2020–21 के दौरान एनआईसीएसआई द्वारा 47 नामिकायित एजेंसियों को, कर्मचारियों की नियुक्त करने के लिए कार्य आदेश जारी किए गए थे। हालांकि, चार विक्रेता यानि अकाल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड (12. 78%), एसआईएसएल इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड (9.04%), वेलोसिससि स्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (17.03%) और विप्रो लिमिटेड (10.5%) को वर्ष 2020–21 के दौरान करीब 50% कार्य आदेश दिए गए। चूंकि सभी एजेंसियों को एक ही दर पर पैनल में शामिल किया गया था, इन चार विक्रेताओं को अधिकांश काम दिए जाने संबंधी औचित्य अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। प्रबंधन ने उत्तर में कहा कि अपनी स्थायी संचालन प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता संगठन ने परियजोना निष्पादन प्रपत्र के माध्यम से एनआईसीएसआई को अपने "पसंदीदा विक्रेता" के बारे में सूचित किया था।	

क्र. सं.	पारासं.	लेखापरीक्षाराय	एनआईसीएसआई का उत्तर
10	**वित्त वर्ष 2020–21 भाग–।। एकापारा सं.10**	एनआईसीएसआई की" मानक संचालन प्रक्रिया" दिनांक 15.09.2020 जो "विक्रेताओं के नामिकायन और उन्हें कार्य दिए जाना" से संबंधित है, के अनुसार, यदि एक से अधिक विक्रेता पैनल में हैं तो उपयोगकर्ता विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर कार्य का आवंटननिर्धारित किया जाएगा। यदि उपयोगकर्ता विभाग किसी विशेष एजेंसी का नाम नहीं बताता तो ग्राहक विभाग द्वारा बनाई गई समिति की अनुशंसाओं के आधार प रकाम दिया जाएगा। समिति की अध्यक्षता उपयोगकर्ता विभाग द्वारा नामित और उससे संबंधित अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, समिति में एनआईसीएसआई के एक प्रतिनिधि भी होंगे। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि उपरोक्त अनुमोदित "मानक संचालन प्रक्रिया" के विपरीत दिनांक 02.12.2020 को जारी कार्यालय आदेश के माध्यम से, खरीद आदेश देने के दौरान एल1 निविदाकर्ताओं को तरजीह देने और मसौदा निविदा/निविदा अभिलेख में उस खंड में शामिल करने का निर्णय किया गया। **लेखापरीक्षक द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने पर प्रबंधन द्वारा को ईउत्तर नहीं दिया गया।**	एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल ने, 26.03.2022 को आयोजित अपनी 121वीं बैठ कमें, विचार विमर्श किया और इस बात की मंजूरी दी कि दिनांक 15.09.2020 के एसओपी के प्रावधानों को गति विधियों पर 'परियोजना मोड' में और दिनांक 02.12.2020 के कार्यालय आदेश को गतिविधियों में 'जनबलमोड 'में लागू किया जाएगा। एजेंडा और बैठक के कार्यवृत्त के प्रासंगिक उद्धरण संलग्न हैं। **उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस पैरा को हटाने का अनुरोध है।**
11	**वित्त वर्ष 2020–21 भाग–।। एकापारा सं.11**	नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंकॉर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई) ने 01.07.2017 से ईआरपी–अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लागू किया और वर्ष 2017–18 से एनआईसीएसआई का बहीखाता ईआरपी में बनाया जा रहा है। ईआरपी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट या कार्यान्वयन में लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां/खामियां पाई गईं (i) एनआईसीएसआई ने कार्यान्वयन के 4 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आजतक (जनवरी 2022) किसी बाहरी स्वतंत्र एजेंसी सेसिस्टम ऑडिट के माध्यम से ईआरपी का सत्यापन नहीं कराया। अपने उत्तर में प्रबंधन ने तथ्य को स्वीकार किया है और कहा है कि एनआईसीएसआई ने कार्य के दायरे को अंतिम रूप दे दिया है और अनिवार्य आंतरिक अनुमोदनों को प्राप्त करने के बाद, वह इसे जल्द ही जीईएम पोर्टल पर डालने की प्रक्रिया में है। संभावना है कि एल 1 आधार पर कार्य आवंटन के बाद करीब आगामी तीन माह में सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। (ii) एनआईसीएसआई के ईआरपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से देनदारों, लेनदारों, आपूर्तिकर्ताओं से अग्रिम और सहायता अनुदान का आयुवार विवरण नहीं तैयार हो पाता है। प्रबंधन ने अपने उत्तर में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि चूंकि आंकड़े एनआईसीएसआई की स्थापना वर्ष 1995 से संबंधित है, विवरण को टैली पैकेज से भी बुक किए जाने की आवश्यकता है जिसमें पहले बही खाता तैयार किया गया था।	बिन्दुवार उत्तर इस प्रकार हैः (i) एनआईसीएसआई ने 01.07.2017 से बही खातों और अन्य संबंधित फील्ड्स के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर परपूर्ण रूप से काम करना शुरु कर दिया था। वित्त वर्ष 2017–18 की लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि लेखांकन सॉफ्टवेयर का किसी भी तीसरी एजेंसी से सत्यापन नहीं करवाया गया था। तदनुसार एनआईसीएसआई ने एनआईसीएसआई के लेखांकन सॉफ्टवेयर के सत्यापन हेतु एसटीक्यूसी निदेशालय के समक्ष मामले को उठाया। मामले पर कुछ चर्चाएं और पत्राचा रहुए लेकिन किन्हीं कारणों से एवं वर्ष 2020 से कोरोना महामारी के कारण, प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसके बाद, एनआईसीएसआई ने अपनी नामिकायित एजेंसियों से इसके लिए निविदा आंत्रित की और एल–1 एजेंसी का चयन किया लेकिन एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल ने, 26.11.2021 को आयोजित अपनी 120वीं बैठक में इसके लिए एनआईसीएसआई को खुली निविदा चालू करने का निर्देश दिया था। एनआईसीएसआई ने अब "कार्य का दायरा' को अंतिम रूप दे दिया है और आवश्यक आंतरिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, यह जल्द ही इसे जीई एम (GeM) के पोर्टल पर डाल देगी। संभावना है कि एल1आधार पर कार्य आवंटन के बाद करीब आगामी तीन माह में सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। (ii) देनदारों, लेनदारों, आपूर्ति कर्ताओं से अग्रिम और सहायता अनुदान का आंकड़ा ईआरपी में उपलब्ध है और साथ ही, विवरण, जैसा और जब आवश्यक हो, ईआरपी से ही निकाला जा सकता है। हालांकि, कुछ अवसरों पर, चूंकि आंकड़े एनआईसीएसआई के स्थापना वर्ष 1995 से संबंधित हैं, विवरण को टैली पैकेज से भी बुक किए जाने की आवश्यकता है जिसमें पहले बहीखाता तैयार किया गया था, आख्यान आदि देखने के लिए।

क्र. सं.	पारासं.	लेखापरीक्षाराय	एनआईसीएसआई का उत्तर
		(iii) सहायता अनुदान से संबंधित विवरण एनआईसीएसआई द्वारा मैन्युअल रूप से तैयार किया जा रहा है और इसकी वजह से ईआरपी के अनुसार परियोजनाओँ और लेखा में दिखने वाले सहायता अनुदान के विवरण के अनुसार परियोजनाओं में भिन्नता है। इसके अलावा, वर्ष 2020–21 के लिए सहायता अनुदान परियोजनाओं के संबंध में ब्याज की गणना, एनआईसीएसआई में ईआरपी के काम करने के बावजूद बाहरी एजेंसी के माध्यम से की गई थी। प्रबंधन ने कहा कि वह जीआईए परियोजनाओं को अलग तरीके से नहीं ले रही और जीआईए परियोजनाओं से प्राप्त होने वाली राशि को पहले के जैसे ही "अग्रिम" मान रही है। संपूर्ण राशि सामान्य बचत खाते में आ रही थी, हालांकि, वर्तमान वित्त वर्ष 2021–22 से, नए व्यक्तिगत बचतखाते खोले गए हैं और इसलिए इस बात की संभावना है कि बाहरी व्यक्ति/एजेंसी से ब्याज की गणना करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। (iv) अचल संपत्ति अनुसूची के साथ–साथ मूल्य ह्रास गणना मैनुअल रूप से की जार ही है और कंपनी के खातों में दर्ज की जार ही है। अपने उत्तर में प्रबंधन ने स्वीकार किया कि ईआरपी सॉफ्टवेयर के अनुकूलन के समय, अचल संपत्ति अनुसूची को शामिल करने की आवश्यकता अनजाने में विकासटीम के ध्यान में नहीं लाई जा सकी और इसलिए इसे शामिल नहीं किया गया था। (v) एंबेडेड ऑडिट मॉड्यूल एक एप्लीकेशन प्रणाली का अभिन्न अंग है जिसे निर्धारित मानदंडों के आधार पर विशिष्ट लेन–देन या अन्य जानकारी की पहचान करने और रिपोर्ट करने हेतु डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट करने योग्य वस्तुओं की पहचान रीयल–टाइम प्रोसेसिंग के हिस्से के रूप में होती है। एंबेडेड ऑडिट मॉड्यूल नियंत्रणों पर निरंतर निर्भरता सुनिश्चित करने के लिए अलर्ट के साथदृ साथ सूचना भी देते हैं। हालांकि, यह देखा गया है कि एनआईसीएसआई ने अपने ईआरपी लेखादृ सॉफ्टवेयर में एंबेडेड ऑडिट मॉड्यूल को लागू नहीं किया है, एनआईसीएसआई (जुलाई–2017) में ईआरपी लागू होने के समय से चार वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी। इसलिए, ईआरपी सिस्टम में एंबेडेड ऑडिट मॉड्यूल की अनुपस्थिति में, सिस्टम उल्लंघन का जोखिम उच्च है। प्रबंधन ने कहा कि भविष्य में ईआरपी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड या नए अनुकूलन कराते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जाएगा। एनआईसीएसआई ईआरपी सॉफ्टवेयर डेवल पमेंट के लिए खुली निविदा के आधार पर एजेंसियों को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया में है और इसके लिए निविदा को अंतिम रूप देते समय इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाएगा।	(iii) वर्ष 1995 में एनआईसीएसआई की स्थापना के बाद से, यह विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है (वर्तमान में 3000 प्रति वर्ष), इनमें से बहुत कम को ही भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में वित्तपोषण मिलता है। चूंकि परियोजनाओं में प्राप्त सभी राशियों को पहले एनआईसीएसआई द्वारा "अग्रिम "माना जाता था, यह जीआईए परियोजनाओं को अलग तरीके से नहीं ले रही थी और इसलिए, संपूर्ण राशि सामान्य बचत खाते में आ रहीथी। हालांकि, लेखा परीक्षा की राय के अनुसार, यह निर्णय लिया गया था कि एनआईसीएसआई प्रत्येक परियोजना के आरंभ के बाद से अनुदान कर्ताविभागों को अर्जित ब्याज वापस कर सकती है और शुरुआत में, जी आईए परियोजनाओं को अलग करना प्रत्येक परियोजना की शुरुआत के बाद से वर्ग– वार ब्याज निकालना एक बड़ा काम रहा है, एनआईसीएसआई द्वारा एक सीए कंपनी को इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में जी आई एपरियोजनाओं के लिए व्यक्तिगत बचत खाता खोले गए और वर्तमान वित्त वर्ष 2021–22 में, अनदानकर्ता विभाग से एनआईसीएसआई में प्रशासनिक अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त होने के तुरंत बाद नए बचत खाते पीएनबी में खोले जा रहे हैं। चूंकि अर्जित ब्याज अब प्रत्येक जीआईए परियोजना के लिए संबंधित बचत खाते के माध्यम से विशेष रूप से उपलब्ध होगी, अर्जित ब्याज की गणना एनआईसीएसआई में आंतरिक रूप से की जाएगी और इस बात की संभावना है कि ब्याज गणना कार्य को किसी बाहरी एजेंसी को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। (iv) ईआरपी सॉफ्टवेयर को अनुकूलित करते समय, अचल परिसंपत्ति अनुसूची को उसमें शामिल करने की आवश्यकता, अनजाने में विकास टीम के ध्यान में नहीं ला जा सकी और इसलिए उसे शामिल नहीं किया गया था। हालांकि, इस पर मूल्यह्रास की गणना समेत इन सभी विवरणों को मैन्युअल रूप से तैयार किया जाता है और आंतरिक लेखा परीक्षा टीम पर सांविधिक लेखापरीक्षा टीम, दोनों द्वारा पूरी तरह से जांच की जाती है और इसमें अब तक कोई भिन्नता नहीं देखी गई है। (v) ईआरपी सॉफ्टवेयर को अनुकूलित करने के समय, एनआईसीएसआई को एंबेडेड ऑडिट मॉड्यूल के बारे में जानकारी नहीं थी और इसलिए, उसे इसमें शामिल नहीं किया गया था। हालांकि, भविष्य में ईआरपी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड या नए सिरे से अनुकूलन कराते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जाएगा। एनआईसीएसआई ईआरपी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए खुली निविदा के आधार पर एजेंसियों को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया में है और इसके लिए निविदा को अंतिम रूप देते समय इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाएगा। **उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस पैरा को हटाने का अनुरोध है।**

क्र. सं.	परासं.	लेखापरीक्षाराय	एनआईसीएसआई का उत्तर
12	**वित्त वर्ष 2020–21 भाग–।। एकापारा सं.12**	इलेक्ट्रॉनिकी औ रसूचना प्रौद्योगिकी विभाग (अब एम ई आई टी वाई) द्वारा 10.06.2014 को लिए गए निर्णय के आधार पर, एनआईसी ने दिनांक 18.06.2014 को जारी परिपत्र के माध्यम से निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए। भुगतान की गई परियोजनाओं को अब एनआईसीएसआई के माध्यम से लागू किया जाएगा। एनआईसीएसआई यह सुनिश्चित करेगी कि निविदा प्रक्रिया, बोली प्रक्रिया और रणनीतिक गठबंधन पूरी तरह से जीएफआर और अन्य प्रासंगिक नियमों का पालन करते हों। परियोजना संबंधी गतिविधियों के लिए बोली प्रक्रिया एनआईसीएसआई द्वारा संचालित की जाएगी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)के डीडीजी रैंक के अधिकारी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) और अन्य प्रासंगिक नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु विनिर्देश एवं मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता करेंगे। वर्ष 2020–21 के दौरान, एजेंसियों को एनआईसीएसआई द्वारा सहायता सेवाओं, ई–गवर्नेंस कंसल्टेंसी और" चुनींदा सार्कदेशों में वैश्विक अनुसंधान एवं शिक्षा नेटवर्क के लिए एनकेएन का विस्तार "के लिए नामित किया गया है। इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त नामिकायन से संबंधित निविदाओं के संबंध में समिति का गठन यानि आरएफपी और प्रीदृ बिड समिति, तकनीकी मूल्यांकन समिति और वित्तीय मूल्यांकन समिति, एनआईसीएसआई द्वारा केवल संयोजक सदस्य की नियुक्ति की गई थी और अध्यक्ष समेत बाकी के सदस्य एनआईसी से थे। इसलिए, निविदाओं को अंतिम रूप देने से संबंधित इन समितियों में एनआईसीएसआई का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं था। एमईआईटीवाई ने केवल एनआईसी के डीडीजी रैंक के अधिकारी की समिति के अध्यक्ष के रूप में शामिल किए जाने पर जोर दिया था और कहा था कि परियोजना संबंधी गतिविधियों के लिए निविदा प्रक्रिया एनआईसीएसआई द्वारा आयोजित की जाएगी। हालांकि, ई–गवर्नेंस कंसल्टेंसी और सपोर्ट सर्विसेस आदि जैसे पूर्वअवधि से संबंधित नामिकायन हेतु निविदाओं के संबंध में, समितियों में एनआईसीएसआई के संयोजक सदस्य के अलावा एक से अधिक सदस्य थे। इसलिए, इन समितियों में एनआईसीएसआई का पर्याप्त प्रतिनिधित्व आवश्यक है क्यंकि एनआईसीएसआई सीधे एनआईसी की आंतरिक परियोजनाओं के अलावा उपयोगकर्ता मंत्रालयों / विभागों / राज्यों और अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए भुगतान की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य करता है। इन पैनल के माध्यम से परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा, लेखा परीक्षको अभिलेखों में निम्नलिखित प्राप्त नहीं हुआः 1. इन समितियों में पर्याप्त संख्या में एनआईसीएसआई के सदस्यों को शामिल न करने का कारण / औचित्य। 2. मानक संचालन प्रक्रिया के साथ उपरोक्त कथित समितियों में एनआईसीएसआई के संयोजक सदस्य की भूमिका और उत्तर दायित्व। प्रबंधन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।	एनआईसी ने दिनांक 18.06.2014 को जारी परिपत्र में निर्धारित किया था कि"परियोजना संबंधी गतिविधियों के लिए बोली प्रक्रिया एनआईसीएसआई द्वारा संचालित की जाएगी, जिसमें एन आई सी के डीडीजी रैंक के अधिकारी जीएफआर और अन्य प्रासंगिक नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विनिर्देशों और मूल्यांकन समिति (समितियों) की अध्यक्षता करेंगे"। उपरोक्त परिपत्र में एनआईसी और एनआईसीएसआई से प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा गया था और इसलिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। हालांकि, लेखा परीक्षा की राय के बाद, प्रत्येक समिति में एनआईसीएसआई (संयोजक के अलावा) से अन्य सदस्यों को भी नामित किया जा रहा है। कृपया स्थिति का सत्यापन आगामी जांच के दौरान किया जाए। **उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस पैरा को हटाने का अनुरोध है।**

क्र. सं.	पारासं.	लेखापरीक्षाराय	एनआईसीएसआई का उत्तर
13	**वित्तवर्ष 2020–21 भाग– ।। एका पारा सं. 13 एनआईसीएसआई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमियां पाई गईं।**	अभिलेखों की जांच के दौरान, एनआईसीएसआई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियां पाई गईंः कंपनी ने मेसर्स एनबीसीसी लिमिटेड से क्रमशः वर्ष 2003 और 2001 में हॉल सं. 2 और 3, छठातल, एनबीसीसीटावर, भीकाजीप्लेस, नईदिल्ली, खरीदा था। हालांकि, इसके लिए वहनविलेख/स्वत्वविलेख 18 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद, अब भी पंजीकृत नहीं कराया गया है। एनआईसीएसआई ने सपोर्ट सर्विसेज के लिए मेसर्स इन्नोवेव आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का नामित किया था। मेसर्स इन्नोवेव आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का नामिकायन 31. 03.2020 तक वैध था। हालांकि, पाया गया कि अप्रैल 2020 में 61.45 लाख रु. का कार्य आदेश जारी किए गए थे, वैधता अवधि समाप्त होने के बाद,और इस से कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में चूक का पता चलता है। सितंबर 2021 तक, एनआईसीएसआई के बकाया देनदार और लेन दार (सहायता परियोजनाओं में अनुदान सहित ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम) की राशि 359.14 करोड़ रु. और 1551.13 करोड़ रु. है। जिनमें से तीन साल से अधिक के देनदार और लेनदार क्रमशः 107.89 करोड़ रु. और 445.49 करोड़ रु. है। इस पै राके अंत में देनदारों और लेनदारों का श्रेणी वार विवरण दिया गया है। तीन वर्षों से भी अधिक की अवधि के लिए देनदारों और लेनदारों पर बड़ी राशि का बकाया रहना कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमियों का संकेत है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 08.05. 2017 के अनुसार "सीपीएसई द्वारा अधिशेष निधि के निवेश पर दिशानिर्देश "पर, अधिशेष उपलब्ध ता का पूर्वानुमान सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए किसी भी समय निकाला जा सकता है ताकि बेहतर प्रतिफल पर उपलब्ध निधि को लंबी अवधि के आधार पर लगाया जा सके। यह पूर्वानुमान अभ्यास आदर्श रूप से तिमाही के हर महीने किया जाएगा। हालांकि, एनआईसीएसआई द्वारा अधिशेष निधि के निवेश से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि कंपनी द्वारा मासि कया त्रैमासिक समीक्षा नहीं की जार ही है और अधिशेषनिधि एवं उसके निवेश का पता लगाने के लिए कोई स्पष्ट आधार मौजूद नहीं है। उपयोगकर्ता विभाग/मंत्रालयों से मांग प्राप्त होने के बाद खरीद आदेश समय पर जारी करना सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास कोई अनुमोदित दिशा निर्देश और समय–सीमा नहीं है।	एनआईसीएसआई ने बीते 3–4 वर्षों में समय–समय पर एनबीसीसी के साथ पत्राचार किए हैं। साथ ही, इस मामले में एमईआईटीवाई द्वारा एनबीसीसी को संदर्भ दिया गया था। हालंकि, एनबीसीसी ने हाल ही में, एनबीसीसीटावर,–बीसीपी के छठे तल पर, दोनों हॉल के लिए पट्टा अनुबंध काम सौदा प्रस्तुत किया है और एनआईसीएसआई को यह भी सूचित किया है कि ग्राउंडरेट/रख रखाव संबंधी कुछ भुगतान, पूर्व अवधिका, बकाया है, जिन्हें जमा किया जा सकता है। एनआईसीएसआई ने अपने पूरे अभिलेखों का सत्यापन किया है और चेक आदि का विवरण एनबीसीसी को इस अनुरोध के साथ भेजा है कि वे अपने कार्यालय में मामले का पुनः सत्यापनकराएं। एनबीसीसी की प्रति क्रिया की प्रतीक्षा है। यह संभावना है कि बकाया मामले का समाधान होने के बाद जल्द ही पट्टा विले खोंका जीकरण नई दिल्ली में कराया जाएगा। **उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस पैरा को हटाने का अनुरोध है।** एनआईसीएसआई में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाया गया था और तदनुसार, इसकी ई आर पी प्रणाली को अनुकूलित किया गया था, जिसका अनुपालन 2017 से किया जा रहा है। ईआरपी के माध्यम से इस प्रकार की गलती नहीं होती है। हालांकि, इस संबंध में, नामिकायन अवधि मार्च, 2020 में समाप्त हो गई थी और कार्य आदेश अप्रैल 2020 में जारी किया गया था, इस बात का उल्लेख किया गया है किये सभी कार्य आदेश पिछली तिथि के थे। चूंकि इसके अनुसार 31.03. 2020 के बाद किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जानी थी। आश्वासन दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्तिन हीं होगी, इसे सुनिश्चित करने के लिए और अधिक ध्यान रखा जाएगा। **उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस पैरा को हटाने का अनुरोध है।** एनआईसीएसआई बकाया देनदारों और लेनदारों की नियमित रूप से समीक्षा करता है और उपयोगकर्ताओं को मेल/पत्र लिखकर या टेलीफोन पर चर्चा/व्यक्तिगत बैठकों के द्वारा तदनुसार कार्रवाई करता है। एनआईसीएसआई का निदेशकमंडल अपनी प्रत्येक बैठक में बीते 5 वर्षों से बकाया देनदारों और लेनदारों की स्थिति की समीक्षा करता है और एनआईसीएसआई को इस दिशा में की जाने वाली कार्रवाई पर परामर्श दे रहा है।

क्र. सं.	पारासं.	लेखापरीक्षाराय	एनआईसीएसआई का उत्तर
		कंपनी केवल मासिक प्रदर्शन रिपोर्ट प्राप्त करती है जिसमें विक्रेता ओंद्वारा काम पर रखे गए कर्मचारियों के नाम होते हैं, इस पर उपयोगकर्ता विभाग द्वारा हस्ताक्षर किया गया होता है, इसके साथ विक्रेताओं द्वारा जमा किए गए बिल होते हैं। इसके अलावा काम पर रखेगए कर्मचारी के अन्य विववरण जैसे आधार संख्या, वोटरआईडी, पैनकार्ड, फोटोआदि कंपनी के पास नहीं होता। इसलिए, एनआईसीएसआई द्वारा अपनाई जाने वाली परियोजना कार्यान्वय एवं गुणवत्ता आश्वासन की निगरानी प्रणाली को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है।	देनदारों/लेनदारों के लंबित होने की स्थिति में कमी आई है और 31.03.2022 तक इसकी स्थिति को अनुलग्नक ....- में दर्शाया गया है। वहां यह देखा जा सकता है कि जहां कुछ राशियों का समोयोजन किया जा रहा है, वहीं जी एफ आर प्रावधानों के अनुसार 40% तक अग्रिमजारी करने के कारण कुछ नई राशियों को जोड़ा जा रहा है। बकाया राशियों के निपटान और नई राशियों को जोड़ने की स्थिति को अगले लेखा परीक्षा के दौरान सत्यापित किया जा सकता है। **उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस पैरा को हटाने का अनुरोध है।** एनआईसीएसआई समय–समय पर अपने अधिशेष निधियों की स्थिति और जब एफडी नवीकरण हेतु देय हो जाए, उस स्थिति की भी समीक्षा करती है। एनआईसीएसआई अपने अधिशेष निधि के निवेश के संबंध में अपने निदेश कमंडल के परामर्श का पालन कर रही है। एनआईसीएसआई के पास पीओ जारी करने समेत विभिन्न गतिविधियों के लिए मानक कार्यालय प्रक्रियाएं (एसओपी) है। प्रत्येक की एक–एक प्रतिलिपि संलग्न है। **उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस पै राको हटाने का अनुरोध है।** एनआईसीएसआई विक्रेताओं से उपयोगकर्ताओं के विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराए गए कर्मचारियों के बिल प्राप्त करती है, इस के साथ एम पी आर होता है जो विधिवत सत्यापित और स्वीकृत/हस्ताक्षरित/मुहर बंद होता है और फिर इस के लिए भुगतान करती है। आधार/वोटर–आईडी/पैन/फोटो आदि के विवरण एकत्र करना/रखना/सत्यापन कराने का उत्तर दायित्व पूरी तरह से विक्रेता का है, क्योंकि वे ही हैं जो नियुक्त किए गए कर्मचारी को नियुक्ति पत्र आदि जारी करते हैं। **उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस पैरा को हटाने का अनुरोध है।**

क्र. सं.	विवरण	देनदार	लेनदार
1	केंद्र सरकार	79.09	159.10
2	राज्य सरकार	18.48	243.21
3	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	7.14	27.99
4	स्वायत्त संस्थान	3.18	15.19
कुल		**107.89**	**445.49**

क्र. सं.	पारासं.	लेखापरीक्षाराय	एनआईसीएसआई का उत्तर
14	**वित्त वर्ष 2020–21 भाग–।। एकापारा सं. 14**	98.30 करोड़ रु. की कुल अनुमानित लागत पर 'भारत सरकार के लिए ई मेल समाधान' नामक परियोजना के कार्यान्वय न हेतु सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति, दिनांक 24.11.2014 को लिखे पत्र के माध्यम से 3 पूर्ण वर्ष की अवधि के लिए दी गई थी। परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) थी। दिनांक 09.12.2014 को दिए प्रशासनिक अनुमोदन के परिशिष्ट के अनुसार, एनआईसीएसआई को एनआईसी के अतिरिक्त कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामिक किया गया था। दिनांक 29.08.2017 को परियोजना परिव्यय को बढ़ा कर 107.55 करोड़ रु. कर दिया गया और परियोजना की अवधि को और 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया यानि नवंबर 2019 तक। इसी परिव्यय के साथ परियोजना की अवधि को अप्रैल 2021 त के लिए बढ़ा दिया गया था और परियोजना अवधि को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा देने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। परियोजना में अब तक 106.05 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं। अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आईएफडी, एमईआईटीवाई (मई 2021) ने यह कहते हुए प्रश्न उठाया कि प्रशासनिक अनुमोदन, प्रशासनिक अनुमोदन परिशिष्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) समेत किसी भी परियोजना अभिलेख में एनआईसीएसआई के शुल्क का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा यह कहा गया है कि परियोजना प्रशासनिक अनुमोदन द्वारा शासित हो रही है न कि कार्य आदेश द्वारा। एनआईसीएसआई, आईएफडी, एमईआईटीवाई द्वारा दिए गए उत्तर अभिलेखों में उपलब्ध नहीं हैं। उपरोक्त परियोजना के संबंध में एनआईसीएसआई को अपना लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और यह 4.31 करोड़ रु. का है। इसके अलावा 16.31 करोड़ रु. की कर राशि अभी तक एनआईसीएसआई को प्राप्त नहीं हुई है।	एनआईसीएसआई भारत सरकार और राज्य सरकार के लगभग सभी मंत्रालोयं/विभागों एवं उनके संगठनों से प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन करती है। एनआईसीएसआई इन सभी परियोजनाओं के लिए शुल्क लेती है क्योंकि इसे भारत की संचित निधि से कोई बजटीय मदद नहीं मिलती है और यह अपना पूरा खर्च (वेतन आदि समेत), अपने बहुत कम लाभ में से पूरा करती है। "भारत सरकार के लिए ई–मेल समाधान" परियोजना के लिए भी, एनआईसीएसआई समय–समय पर अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दरों पर ही संचालन लाभ लेती है। इस परियोजना के लिए एमईआईटीवाई द्वारा प्रदत्त नियमों और शर्तों के अनुसार, एनआईसीएसआई वार्षिक आधार पर एक सी ए कंपनी द्वारा अपने बही खातों की लेखापरीक्षा करवाती है, जिसके लिए एनआईसीएसआई एमईआईटीवाई को लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र (सी ए कंपनी से प्राप्त) प्रस्तुत करती है जिसमें संचालन लाभ राशि का स्पष्ट रूप से उल्लेख है और अभी तक इस बारे में एमईआईटीवाई से कोई टिप्पणी नहीं प्राप्त हुई है। **उपरोक्तको ध्यान में रखते हुए, इस पैरा को हटाने का अनुरोध है।**

1. वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाय गए आरटीआई मामालें का विवरण 2021–22 68
2. 31.03.2022 तक लंबित आरटीआई मामलों का विवरण काई नहीं

BOARD OF DIRECTORS

(As on 31-03-2022)

Chairman	:	Dr. Rajendra Kumar, IAS, Additional Secretary, MeitY
Director	:	Shri Anil Kumar Nayak, IAS, SS & FA, MeitY
		Dr. Jaideep Mishra, JS, MeitY
		Shri S. K. Marwaha, Scientist G and Group Coordinator, MeitY
		Shri Sunil Kumar, Scientist-G, NIC
		Shri Inder Pal Singh Sethi, Scientist-G, NIC
		Shri Rajiv Rathi, Scientist-G, NIC
		Ms. Alka Misra, Scientist-G, NIC
		Ms. Suchitra Pyarelal, Scientist-G, & SIO (Assam), NIC
		Shri Ajay Singh Chahal, Scientist-G & SIO (HP), NIC
		Shri Prashant Kumar Mittal, MD, NICSI
Company Secretary	:	Shri Sunny Jain
Auditors	:	M/s. Agarwal & Saxena (CR0604), Chartered Accountants, I-79, 7th Floor, Himalaya House, 23, K.G.Marg, New Delhi-110001
Registered Office	:	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15th, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Bankers	:	Union Bank of India, Bank of India, CGO Complex Lodhi Road, Union Bank Of India, Punjab National Bank, State Bank of India, Bhikaji Cama Place, New Delhi and ICICI Bank Ltd, safdarjung Enclave, New Delhi, Indian Bank, Connaught, Circus, New Delhi
Pan No NICSI		**AAACN2185J**
GSTN No NICSI		**07AAACN2185J1ZE**
Website of NICSI		**www.nicsi.com**

BOARD OF DIRECTORS
(As on 30-09-2022)

Chairman	:	Dr. Rajendra Kumar, IAS, Additional Secretary, MeitY
Director	:	Dr. Jaideep Mishra, AS, MeitY
		Shri Rajesh Singh, JS & FA, MeitY
		Shri S. K. Marwaha, Scientist G and Group Coordinator, MeitY
		Smt. Sunita Verma, Scientist G and Group Coordinator, MeitY
		Shri Inder Pal Singh Sethi, Scientist-G, NIC
		Shri Sunil Kumar, Scientist-G, NIC
		Shri Rajiv Rathi, Scientist-G, NIC
		Ms. Alka Misra, Scientist-G, NIC
		Ms. Suchitra Pyarelal, Scientist-G, & SIO (Assam), NIC
		Shri Ajay Singh Chahal, Scientist-G & SIO (HP), NIC
		Dr. Vinay Thakur Scientist-G, NIC & MD, NICSI
Company Secretary	:	Shri Sunny Jain
Auditors	:	M/s. Agarwal & Saxena (CR0604), Chartered Accountants, I-79, 7th Floor, Himalaya House, 23, K.G.Marg, New Delhi-110001
Registered Office	:	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15th, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Bankers	:	Union Bank of India, Bank of India, CGO Complex Lodhi Road, Union Bank Of India, Punjab National Bank, State Bank of India, Bhikaji Cama Place, New Delhi and ICICI Bank Ltd, safdarjung Enclave, New Delhi, Indian Bank, Connaught, Circus, New Delhi, Canara Bank, Janpath Branch. New Delhi

NOTICE
27th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members of National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) that its 27th Annual General Meeting is scheduled to be held at shorter notice on Monday, 26th December, 2022, at 03:00 PM at Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003, to carry out the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March, 2022, the Income and Expenditure Account of the Company for the year ended 31st March, 2022, the Directors' Report along-with the Auditor's Report and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, and

2. To Fix the Remuneration of Statutory Auditors for Financial Year 2022-23 appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 142 of the Companies Act, 2013.

For and on behalf of the Board of Directors
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
(Sunny Jain)
Company Secretary
(M, No. A31700)

Place: New-Delhi
Date: 22.12.2022

TO:

1. All The Members

Also:

1. The Chairperson, NICSI
2. All the Board of Directors of NICSI

And also:

1. M/s Agarwal & Saxena, Chartered Accountant
2. M/s J N Mittal & Co., Statutory Auditor, NICSI

NOTE:

1. A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself.

2. As per rule 19(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a member of a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (erstwhile section 25 of the Companies Act, 1956) shall not be entitled to appoint any other person as his / her proxy unless such other person is also a member of such company.

3. This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the company, not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

For and on behalf of the Board of Directors
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
(Sunny Jain)
Company Secretary
(M, No. A31700)

Place: New-Delhi
Date: 22.12.2022

Directors' Report

Dear Shareholders,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Twenty Seventh Annual Report on the business and operations of National Informatics Centre Services Incorporated ("the Company") with the Audited Statement of Accounts and the Auditors' Report thereon for the Financial Year ended 31st March 2022.

The Summarized Financial Results for the year ended 31st March 2022, as compared with the previous year 2020-21, are as under:

Financial Highlights

(Rupees in crores)

S. No.	Description	2021-22	2020-21
(A)	**Income:**		
1	Revenue from Operations	1402.13	1282.02
2	Other Income	75.51	74.59
	Total (A)	**1477.64**	**1356.61**
(B)	**Expenses:**		
1	Purchases of Stock-in-Trade	179.56	119.84
2	Services Support Expenses	1082.83	969.83
3	Employees Benefits Expenses	9.64	8.68
4	Finance Cost	8.99	9.53
5	Depreciation and amortization expenses	65.98	65.62
6	Other Expenses	68.84	51.59
	Total (B)	**1415.84**	**1225.09**
	Income/(loss) before tax (A) – (B)	**61.80**	**131.52**
6	Tax expenses	15.63	33.29
7	**Income/(loss) for the year**	**46.17**	**98.23**

(1) <u>Operating Margin</u>

The Board of Directors in its 121st & 122nd meeting held on 26.03.2022 and 03.06.2022 respectively had approved the revised rates of NICSI's Operating Margin for all types of Projects / Services as under:

Project Value (Amount in Rs.)	Rate of Operating Margin
Up to 50 Crores	9%
More than 50 Crores and upto 100 Crores	7%
More than 100 Crores	5%

(2) Dividend

The Company is registered under (earlier Section 25 of the Companies Act, 1956) Section 8 of the Companies Act, 2013 and as per the provisions of the Section, the Company is prohibited to pay any dividend to its members.

(3) Transfer to reserves

The Company has not transferred any amount to reserves i.e. General Reserve, Capital Reserve, Capital Redemption Reserve etc.

(4) Grading of NICSI By DPE

Financial Year	Grading by DPE as per MoU Composite Score based on Audited Data
2020-21	Exempted
2019-20	Good
2018-19	Poor
2017-18	Fair
2016-17	Excellent
2015-16	Excellent

(5) Ongoing Projects/Activities in F.Y.2021-22

National Knowledge Network (NKN Project)

Initiated in March, 2010, NKN Project is approved by the Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) for a period of 10 years at a cost of around Rs.5990 crore. NIC is the Implementing Agency for this project, while NICSI is assisting in procurement and providing IT Support. The Project is to establish high speed data communication network which would inter-connect institutions of higher learning and research to enable creation, acquisition and establishing of knowledge resources amongst them. It would also facilitate collaborative research, countrywide classrooms etc by commissioning links to the institutions connectivity to NIC District Centres, setting up Centres in the States/UTs. MeitY has extended the project for two year i.e. up to March 2022. During F.Y.2021-22, NICSI has received Rs.500 crore from MeitY for this project, with total fund received till 31.03.2022 being Rs.5,134 crore. However NKN Project has been further extended by MeitY by one more year i.e. up to March, 2023 within same financial outlay.

(6) During F.Y. 2021-22, NICSI had received 1997 new projects for implementation from different Ministries/Departments.

(7) Business Divisions in NICSI.

Products Business Division (PBD)

PBD aims to facilitate Productization, Standardization & Promotion of NIC/NICSI software applications at national & international market in South Asean, African, Latin American etc. MEA consent to be obtained for each foreign project. Cost to be flexible as its development is met out of NIC Budget.

Central of Excellence for Data Analytics (CEDA)

Kick starting & fast tracking adoption of advanced analytic /machine learning capabilities by making it locus of expertise & excellence in Data Analytics field. It would provide quality data analytic services to Government Departments at all levels by identifying appropriate tools, technologies, deploying people with right expertise & help in solving complex policy issues.

Cloud Services & Data Centre Business Division

NICSI is implementing Cloud services from NDCs at Shastri Park, Pune & Bhubaneswar. New division has been set up to ensure more efficient & effective management of existing Cloud services & for future.

(8) Highlights for F.Y. 2021-22 compared with activities in F.Y. 2020-21

1. Proforma Invoices (PIs) Details.

(Rs. in Crore)

Service Type	F.Y. 2021-22		F.Y. 2020-21	
	Number of PIs issued	Total Amount of PIs	Number of PIs issued	Total Amount of PIs
Manpower	4064	785.06	4055	738.42
Miscellaneous	3130	562.75	3009	253.85
Network	114	24.98	170	27.05
Roll Out	29	3.29	92	11.63
Security Audit	106	1.52	138	1.45
Website Development	189	70.19	209	81.89
GeM	-	-	55	42.76
e-Office	254	75.81	347	115.06
e-Granthalaya	240	0.84	259	0.93
Software-OCI	-	-	4	116.12
Other Composite	919	1153.58	952	849.64
Vendor's Proposal Based	-	-	39	129.62
Grand Total	**9045**	**2678.03**	**9329**	**2368.42**

8.2. Work Orders (WOs) Details.

(Rs. in Crore)

Service Type	F.Y. 2021-22		F.Y. 2020-21	
	Number of WOs issued	Total Amount of WOs	Number of WOs issued	Total Amount of WOs
Manpower	6679	851.76	6535	758.13
Miscellaneous	69	14.78	68	43.75
Network	185	27.05	280	34.30
NKN	76	107.12	158	505.12
Roll Out	38	3.46	122	14.31
Security Audit	108	1.40	139	2.52
SMS	1505	94.75	1145	101.32
Website Development	241	177.65	217	97.21
LPC, GeM and Other	230	145.49	502	207.27
Grand Total	**9131**	**1423.46**	**9166**	**1763.93**

8.3. Segment-wise break-up of new projects received

	Item	01.04.2021 to 31.03.2022	01.04.2020 to 31.03.2021
(i)	Hardware items	1	1
(ii)	Manpower	666	678
(iii)	Website / Software Development	122	142
(iv)	Network	8	28
(v)	General Projects (combined of Hardware, Software, Manpower etc.	786	798
(vi)	Other projects (SMS/BAS/e-Mail etc.)	375	406
	Total	**1958**	**2053**

8.4. Tenders

	Tenders Floated		
(i)	No. of Open Tenders	20	21
(ii)	No. of Limited Tenders	-	1
	Total	**20**	**22**

8.5. MoU's / Agreements

Entered into by NICSI with different Departments/Organizations.	73	49

(9) Manpower

As per the manpower profile approved by the government through notification in the Gazette of India dated 03.03.1998, manpower in NICSI will be on temporary rotational deputation basis along with their posts from NIC.

The total staff strength in NICSI from NIC as on 31st March 2022 was 28

(10) Particulars of Employees

None of the employees of the Company was in receipt of remuneration in excess of limits prescribed under rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

(11) Corporate Social Responsibility

National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) is a Section 8 Company (Erstwhile Section 25 Company). NICSI's objective is to promote ICT Solutions and Technology and to apply its profits, if any, or other income in promoting its objects and prohibited to pay any dividend to its members.

The Board in its 99th Meeting held on 26th December, 2016 had constituted the CSR Committee, with the terms of reference as per below:

- To formulate and recommend to the Board, a CSR policy which shall indicate the activities to be undertaken by NICSI as per the Companies Act, 2013;
- To review and recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities to be undertaken by the company;
- To monitor the CSR policy of the Company from time to time;
- Any other matter as the CSR Committee may deem appropriate after approval of the Board of Directors or as may be directed by the Board of Directors from time to time.

The Company Secretary to NICSI shall act as Secretary to the CSR Committee.

The quorum for the CSR Committee Meeting shall be one-third of its total strength (any fraction contained in that one third be rounded off as one) or two members, whichever is higher.

The Board in its 120th Meeting held on November 26, 2021 had re-constituted the CSR Committee, comprising the following members:

Sr. No.	Name & designation	Designation
1	Dr. Jaideep Mishra, AS, MeitY	Chairman
2	Shri Sunil Kumar, Scientist-G, NIC	Member
3	Shri IPS Sethi, Scientist-G, NIC	Member
4	Ms. Alka Misra, Scientist-G, NIC	Member

As per the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and other provisions, as applicable, the amount to be incurred on CSR activities for F.Y. 2021-22 by NICSI works out to Rs.1.12 Crores as per below:

(Rupees in Crore)

Financial year	Net Profit Before Tax (Rs. in Crore)	Average Net Profit in preceding 3 years (Rs. in Crore)	2% of Average Net Profit in preceding 3 years (Rs. in Crore)
2018-19	(97.86)	55.56	1.12
2019-20	132.99		
2020-21	131.53		

The Company has made the provision of Rs.1.12 Crores in the accounts for FY 2021-22 towards expenditure of CSR. As per direction of the Board of Directors in its 121st meeting held on 26.03.2022, NICSI had opened a separate bank account and transferred the amount of Rs.1.12 Crores as prescribed under the Companies Act, 2013, the same has been contributed in PM CARES Fund on 29.04.2022.

(12) Corporate Governance

Corporate Governance is an ethically driven business process that is committed to values aimed at enhancing an organization's brand and reputation. This is ensured by taking ethical business decisions and conducting business with a firm commitment to values. At NICSI, it is imperative that our company affairs are managed in a fair and transparent manner. This is vital to gain and retain the trust of our stakeholders.

Number of Board Meetings and General Meetings Convened in Financial Year 2021-22:

Sr. No.	F.Y. 2020-21	Date	Venue
1	118th Board Meeting	28-06-2021	Through Video Conference
2	119th Board Meeting	29-07-2021	Through Video Conference
3	120th Board Meeting	26-11-2021	Through Video Conference
4	121st Board Meeting	26-03-2022	Through Video Conference
5	26th Annual General Meeting	30-11-2021	Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

Sr. No.	F.Y. 2020-21	Date	Venue
6	Extra Ordinary General Meeting	25-01-2022	Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

(13) Audit Committee

The Company, being a wholly owned Government Private Limited Company was not required to constitute an Audit Committee under Section 177 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014. However, the Board of Directors in its 99th meeting held on 26th December, 2016, keeping in view of good governance practices, had constituted the Audit Committee in NICSI to review its Financial and Audit matters and ensure that NICSI follows prescribed financial rules and regulations. The Company Secretary to NICSI shall act as Secretary to the Audit Committee.

The Audit Committee comprises the following members:

Sr. No.	Name & designation	Designation
1	Shri Rajesh Singh, JS&FA, MeitY	Chairman
2	Shri S K Marwaha, Scientist G & Group Coordinator, MeitY	Member
3	Smt. Sunita Verma, Scientist G & Group Coordinator, MeitY	Member
4	Shri Sunil Kumar, DDG, NIC	Member
5	Ms. Alka Misra, DDG, NIC	Member

The 7th meeting of the Audit Committee was held on 26-07-2021 in which the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2022 were considered and recommended for submission to the Board of Directors and the Shareholders.

(14) Declaration by Independent Directors

The Company was not required to appoint Independent Directors under Section 149(4) and Rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 hence no declaration has been obtained.

(15) Company's policy on directors' appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under sub-section (3) of section 178

The Company, being a wholly owned Government Private Limited Company was not required to constitute a Nomination and Remuneration Committee under Section 178(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 and Stakeholders Relationship Committee under Section 178(5) of the Companies Act, 2013.

(16) Extract of the Annual Return in Form MGT-9

Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Extract of Annual Return is placed at Annexure-I.

(17) Material Changes and Commitments affecting financial position between the end of financial year and date of the Board report

There have been no material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the Company which have occurred between the end of the financial year of the Company to which the financial statements relate and the date of the report.

(18) Change in the nature of business

There is no change in the nature of business of the company.

(19) Annual Accounts for the Financial Year 2021-22 as per Ind AS

Annual Accounts for the Financial Year 2021-22 have been prepared as per Ind AS.

(20) The Conservation of Energy, Technological Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo

The information on Conservation of Energy and Technological Absorption is NIL. Foreign Exchange earnings was NIL and outgo of the company during the year was also NIL.

(21) Particulars of loans, guarantees or investments under section 186 of the Companies Act, 2013

During the year under review, the Company has not advanced any loans/ given guarantees/ made investments.

(22) Related Party Transactions

Particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 in the form AOC-2 of the Companies (Accounts) Rules, 2014

Related party transactions that were entered into during the financial year were on an arm's length basis and were in the ordinary course of business.

Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014:

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis: Nil
2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis: Nil

(23) Significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future

During the year under review there has been no such significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

(24) Subsidiary Company

As on March 31, 2022, the Company does not have any subsidiary.

(25) Auditors

M/s. Agarwal & Saxena (CR0604), Chartered Accountants, I-79, 7th Floor, Himalaya House, 23, K.G.Marg, New Delhi-110001 were appointed by the Comptroller and Auditor General of India as Statutory Auditors of the Company u/s 139 of the Companies Act, 2013, to audit the accounts of NICSI for the year ended 31st March 2022.

(26) Directors' Responsibility Statement

Pursuant to the requirement under section 134 (3) (c) of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the company hereby state that:

a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

e) the Directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

f) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

(27) Acknowledgement

The Board places on record its gratitude to acknowledge the cooperation, assistance and guidance extended to the Company by Central and State Government Ministries/Departments / Organizations and PSUs etc. including NIC and MeitY. The Directors are also grateful to the Comptroller and Auditor General of India and Auditors for their cooperation. The Board expresses its sincere gratitude to the members, bankers and clients for their continued support. The Board also wholeheartedly acknowledges with thanks the dedicated efforts of all the staff and employees of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors
of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Chairperson

Place: New Delhi

Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

as on the financial year ended on 31.03.2022

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i)	CIN	U74899DL1995NPL072045
ii)	Registration Date	29.08.1995
iii)	Name of the Company	National Informatics Centre Services Incorporated
iv)	Category / Sub-Category of the Company	Private Limited Section 25 (Now Section 8 Company) Company under National Informatics Centre, Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India.
v)	Address of the Registered office and contact details	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 Tel.: 91-11-26105054, 26105193
vi)	Whether listed company Yes / No	No
vii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	Nil

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:

Sr. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/Service	% to total turnover of the company
1	Sales of Traded Goods	-----	12.48
2	Service and other Income	-----	87.52

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr. No.	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSUDUARY/ ASSOCIATES	% of shares held	Applicable Section
1	NIL				

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters (1) **Indian** a) Individual/HUF **b) Central Govt** c) State Govt (s) d) Bodies Corp. e) Banks / FI f) Any Other.... **Sub-total (A) (1)**	NIL	200000	200000	100	NIL	200000	200000	100	NIL
(2) **Foreign** a) NRIs -Individuals b) Other Individuals c) Bodies Corp. d) Banks / FI e) Any Other.... **Sub-total (A) (2)**	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)	NIL	200000	200000	100	NIL	200000	200000	100	NIL
B. Public Shareholding Institutions a) Mutual Funds b) Banks / FI c) Central Govt d) State Govt(s) e) Venture Capital Funds f) Insurance Companies g) FIIs h) Foreign Venture Capital Funds Others (specify) **Sub-total (B)(1)** **2 .Non-Institutions** a) Bodies Corp. i) Indian ii) Overseas	**Not Applicable**								

b) Individuals i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh c) Others (specify) **Sub-total (B)(2)**	**Not Applicable**								
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	Not Applicable								
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	Not Applicable								
Grand Total (A+B+C)	NIL	200000	200000	100	NIL	200000	200000	100	NIL

(ii) Shareholding of Promoters

Sr. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year			
		No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	% Change in share holding during the year
1	President of India through NIC	200000	100	NIL	200000	100	NIL	NIL
	Total	**200000**	**100**	**NIL**	**200000**	**100**	**NIL**	**NIL**

(iii) Change in Promoters' Shareholding:

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
1		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
2	At the beginning of the year	Not Applicable			
3	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
4	At the End of the year				

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Top 10 Shareholders	**No. of shares**	**% of total shares of the company**	**No. of shares**	**% of total shares of the company**
	At the beginning of the year	Not Applicable			
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc):				
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sr. No.		Shareholding at the Beginning of the year		Cumulative Shareholding during the Year	
	For Each of the Directors and KMP	**No. of shares**	**% of total shares of the company**	**No. of shares**	**% of total shares of the company**
	At the beginning of the year	NIL			
	Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment / transfer /bonus/sweat equity etc):				
	At the End of the year				

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of ASQ the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	**Not Applicable**			
Total (i+ii+iii)				
Change in Indebtedness during the financial year • Addition • Reduction				

Net Change	Not Applicable
Indebtedness at the end of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	
Total (i+ii+iii)	

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

NICSI is promoted by Government of India through National Informatics Centre (NIC), as a Private Limited Section 25 Company (Now Section 8 Company). As per Article 59(i) of the Articles of Association of the company, the Managing Director shall be appointed by the Director General, NIC on behalf of the President of India by deputing suitable officer of NIC.

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager	Total Amount (in Rs.)
		Shri Prashant Kumar Mittal	
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-Tax Act, 1961	Rs.40.47 Lakh	Rs.40.47 Lakh
2	Stock Option	Not Applicable	
3	Sweat Equity		
4	Commission - as % of profit - others, specify...		
5	Others, please specify Total (A) Ceiling as per the Act		

B. Remuneration to other directors

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors			Total Amount	
		-----	-----	-----	-----	
	1. Independent Directors • Fee for attending board / committee meetings • Commission • Others, please specify	Not Applicable				
	Total (1)					

	2. Other Non-Executive Directors • Fee for attending board / committee Meetings • Commission • Others, please specify	Not Applicable
	Total (2)	
	Total (B)=(1+2)	
	Total Managerial Remuneration	
	Overall Ceiling as per the Act	

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sr. No.	**Particulars of Remuneration**	**Key Managerial Personnel Company Secretary**	
		Shri Sunny Jain	**Total**
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income tax Act, 1961	Rs.11.43 Lakh	Rs.11.43 Lakh
2	Stock Option	Not Applicable	
3	Sweat Equity		
4	Commission - as % of profit - others, specify...		
5	Others, please specify		

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
Penalty					
Punishment			**NIL**		
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty					
Punishment			**NIL**		
Compounding					

For and on behalf of the Board of Directors
of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Chairperson

Place: New Delhi

The Annual Report on CSR activities

Annexure

1. Brief outline on CSR Policy of the Company: **To spend on the CSR activities as per the provisions of the Companies Act, 2013 including Rules made there under.**

2. Composition of CSR Committee as on 31st March 2022:

S. N0	Name of Director	Designation/ Nature of Directorship	Number of Meeting of CSR Committee held during the year	Number of Meeting of CSR Committee attended during the year
1	Dr. Jaideep Mishra, AS, MeitY	Chairperson	3	3
2	Shri . Sunil Kumar, Scientist-G, NIC	Member	3	2*
3	Shri. IPS Sethi, Scientist-G, NIC	Member	3	1*
4	Smt.. Alka Misra, Scientist-G, NIC	Member	3	2*

** Shri. Sunil Kumar, Shri. IPS Sethi and Smt. Alka Misra has been nominated as member in CSR committee with the approval of Board of Directors in the 120th meeting held on November 26, 2021.*

3. Provide the web-link(s) where Composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the board are disclosed on the website of the company. www.nicsi.com

4. Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable. Not Applicable

5. (a) Average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135. Rs 55.56 (Rs. In Crore)
   (b) Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135. Rs 1.12 (Rs. In Crore)
   (c) Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial years. NIL
   (d) Amount required to be set-off for the financial year, if any. NIL
   (e) Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)]. Rs 1.12 (Rs. In Crore)

6. (a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project). NIL
   (b) Amount spent in Administrative Overheads. NIL
   (c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable. NIL
   (d) Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)]. NIL
   (e) CSR amount spent or unspent for the Financial Year:

Total Amount Spent for the Financial Year (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per sub-section (6) of section 135		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
NIL	NIL	NIL	PM Cares Fund#	Rs 1.12 (Rs. In Crore)	30.04.2022

#Amount of CSR spend after the ending of Financial Year 2021-22, and due to which the said amount has been transferred to a scheduled bank according to applicable provisions of the Companies Act, 2013 includes Rules made there under.

   (f) Excess amount for set-off, if any: NIL

Sl. No.	Particular	Amount (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135	
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	
(iii)	Excess amount spent for the Financial Year [(ii)-(i)]	

(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous Financial Years, if any	
(v)	Amount available for set off in succeeding Financial Years [(iii)-(iv)]	

7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years: NIL

1	2	3	4	5	6		7	8
Sl. No.	**Preceding Financial Year(s)**	**Amount transferred to Unspent CSR Account under sub- section (6) of section 135 (in Rs.)**	**Balance Amount in Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)**	**Amount Spent in the Financial Year (in Rs)**	**Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to sub- section (5) of section 135, if any**		**Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in Rs)**	**Deficiency, if any**
					Amount (in Rs)	**Date of Transfer**		
1	FY-1							
2	FY-2							
3	FY-3							

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year: NO

Yes No

If yes, enter the number of Capital assets created/ acquired

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

Sl. No.	**Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]**	**Pincode of the property or asset(s)**	**Date of creation**	**Amount of CSR amount spent**	**Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address

(All the fields should be captured as appearing in the revenue record, flat no, house no, Municipal Office/Municipal Corporation/ Gram panchayat are to be specified and also the area of the immovable property as well as boundaries)

9. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per subsection (5) of section 135: The Company has published the advertisement in the newspaper to call the application to take the CSR activities on behalf of the Company. After evaluation of the proposal submitted by the eligible organization(s)/NGO(s), the company does not find any proposal which meets the Company objective. Hence the complete eligible CSR amount of Rs.1.12 Crores was transferred to PM CARES Funds on 30.04.2022.

Sd/- (Managing Director).	Sd/- (Chairman CSR Committee).

Form No. MGT-8

[Pursuant to section 92(2) of the Companies Act, 2013 and rule 11(2) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CERTIFICATE BY A COMPANY SECRETARY IN PRACTICE

I have examined the registers, records and books and papers of **NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INCORPORATED**, a Section 8 Company having CIN: U74899DL1995NPL072045 and registered office at Hall No 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066, India ("the Company") as required to be maintained under the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder for the financial year ended on March 31, 2022. In my opinion and to the best of my information and according to the examinations carried out by me and explanations furnished to me by the company, its officers and agents, I certify that:

A. The Annual Return states the facts as at the close of the aforesaid financial year correctly and adequately.

B. during the aforesaid financial year the Company has complied with provisions of the Act & Rules made there under in respect of:

1. Its status under the Act;

2. Maintenance of registers/records & making entries therein within the time prescribed therefor;

3. filing of forms and returns as stated in the annual return, with the Registrar of Companies, Regional Director, Central Government, the Tribunal, Court or other authorities within/beyond the prescribed time;

   Calling/ convening/ holding meetings of Board of Directors as on 28-06-2021, 29-07-2021, 26-11-2021 & 26-03-2022 or its committees Meetings as on 24-09-2021, 16-03-2022, 24-03-2022 for Corporate Social Responsibility (CSR) Committee and 26-07-2021 for Audit Committee and the meetings of the members of the company as on 30-11-2021 (Annual General Meeting) and 25-01-2022 (Extra-Ordinary General Meeting) on due dates as stated in the annual return in respect of which meetings, proper notices were given and the proceedings including the circular resolutions and resolutions passed by postal ballot, if any, have been properly recorded in the Minute Book/registers maintained for the purpose and the same have been signed;

5. The Company was not required to close its Register of Members, during the financial year under review.

6. There was no Advance/ loan to Directors and /or persons or firm or Companies referred in Section 185 of the Act,

7. There was no contract or arrangements made with related parties as defined under Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review;

8. There were no event of issue or allotment or transmission or buy back of securities/ redemption of preference shares or debentures/ alteration or reduction of share capital/ conversion of shares/ securities and issue of security certificates in all instances during the financial year ended as on 31st March, 2022.

9. Keeping in abeyance the rights to dividend, rights shares and bonus shares pending registration of transfer of shares in compliance with the provisions of the Act. **There was no such activity during the Financial Year 2021-22;**

10. Declaration/ payment of dividend; transfer of unpaid/ unclaimed dividend/other amounts as applicable to the Investor Education and Protection Fund in accordance with section 125 of the Act. **Not Applicable as Declaration/Payment of Dividend is prohibited under Section 8 (1)(C) of the Act.**

11. Signing of audited financial statement as per the provisions of section 134 of the Act and report of directors is as per sub - sections (3), (4) and (5) thereof;

12. The Company has complied with the provision of the Companies Act, 2013 with regard to appointment & Cessation of Directors. Further remuneration paid to Key Managerial Personnel during the financial year;

   - Mr Nagesh Shastry, Rachna Srivastava, Pawan Kumar Joshi, Shahid Ahmed and K. Srinivasa Raghawan has retired from the Directorship on 30-09-2021,
   - Further Inderpal Singh Sethi, Suchitra Pyarelal, Sunil Kumar, Alka Misra, Rajiv Rathi was appointed as Directors on 01/10/2021,
   - Further Ms. Geeta Kathpalia and Bulusu Krishna Murthy has retired from Directorship and Mr. Sudhir Kumar Marwaha was appointed as Director on 31-12-2021,
   - Further Ms. Jyoti Arora was retired from Directorship and Mr. Anil Kumar Nayak was appointed as Director on 25/01/2022.

13. Appointment of auditor as per the provisions of the Companies Act, 2013. M/s. Agarwal & Saxena (CR0604), Chartered Accountants, was appointed by the Comptroller and Auditor General of India as Statutory Auditors of the Company u/s 139 of the Companies Act, 2013, for the year ended 31st March 2022.
14. No approvals was required to be taken from the Central Government, Tribunal, Regional Director, Registrar, Court or such other authorities under the various provisions of the Act;
15. The Company had not accepted /renewed / repayment of deposits during the Financial Year 2021-22 as per the provisions of the Companies Act, 2013
16. The Company has not taken the Borrowings from its directors, members, public financial institutions, banks and others during the financial year under review,
17. The Company has not made any Loans and investments or guarantees given or providing of securities to other bodies corporate or persons falling under the provisions of section 186 of the Act;
18. The Company has altered the Article of Association for change in the composition of Board of Directors by way of passing of Special Resolution dated 25th Day of January, 2022 during the financial year under review;

Place: New Delhi

for AGRAWAL MANISH KUMAR & CO
COMPANY SECRETARIES

Sd/-

UDIN: F009528D001469899

MANISH KUMAR AGRAWAL
(Proprietor)
C.P. NO. 7057
Membership No: F-9528

National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI)

Addendum to the Directors Report for Financial Year 2021-22

Replies to the Observations of the Statutory Auditors Report from M/s. Agarwal & Saxena, Chartered Accountants on the Accounts of NICSI for F.Y. 2021-22

AUDIT OBSERVATION	NICSI REPLY
Basis for Qualified Opinion.	
1. Certain balances relating to Trade Payables (Note 18), Trade Receivables (Note 9), Advances received from customers (Including Grants-in-aid project) (Note 20), Security deposits Payable (Note 17), and Advances to Suppliers (Note 8 & 14) are subject to confirmation and/ or reconciliation as at the year end. The management is in the process of reconciling the same and is of the opinion that the impact, if any, would not be material. Impact on the income/expenses and/or assets/ liabilities consequent to such confirmations being obtained/ received and/ or the consequential reconciliation being drawn up is presently not ascertainable at the year-end.	Balance Confirmation Letters have been issued towards the balances as on 31.03.2022 against all the concerned Account heads, It is a regular feature that such letters are issued to the Departments / Organisations / Vendors etc. but very negligible response is received and NICSI takes necessary action on the same. However, efforts would be further intensified hereafter, to get the confirmations from them in future.
2. Reference is invited to Note No. 20 of the financial statement with respect to the Advances received from customers amounting to Rs. 1,92,452.00 lakhs. A review of individual accounts reveals numerous customers wherein balances have remained outstanding for more than 3 years as at the year- end. These advances, received mostly from Public Sector Undertakings (PSUs) and Government of India Ministries, have been invested by the Company in Fixed deposits with various banks at varied rates of interest and maturity profiles. In view of the fact that such idle funds with respect to the Advance from Customers have remained unutilised and invested in Fixed Deposits, the management needs to review each such Advance and return the same to the customer based on the corresponding terms and conditions of the contract with each of the customer. In the absence of the documents, contracts and details being available in respect of each such Advance, the overall impact of matters referred to in the preceding paras on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure consequent to such details being made available is presently not ascertainable.	NICSI receives thousands of new Purchase Orders from the various Government Departments /Organisations / Public Sector Enterprises etc. After completion of the activities against those orders, NICSI prepares the Final Settlement of Accounts Statement and send the same to the concerned user, to reimburse the amount against the excess expenditure or to intimate their complete Bank details for refund of the unspent balances therein. While some of the users provide the Bank details, in many cases these are not received and thus, the unspent amounts remain with NICSI. However, as per Audit Observation, NICSI would make efforts on priority to review such cases and to refund the unspent amounts to the users at the earliest. NICSI would also consider to set-up a specific team to pursue with the users for early settlement of such amounts in future. However, for new projects, NICSI Board of Directors, in its 121st meeting held on 26.03.2022, while revising the rates of Operating Margin, had also approved to refund the interest earned by NICSI to the users on unspent amounts in all the projects (i.e. GIA or non-GIA) from time to time. This has since been made effective from 01.07.2022.

3. The Company has not complied with Ind AS 115 on "Revenue from Contracts with Customers" prescribed by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 in view of revenue on Sales of services being erroneously recognised at the time of generating the invoice in terms of the Significant Accounting Policy (Refer to Note 2 (vii) and Note 2(xii)) instead of recognising the same at the time of transfer of "control" i.e. on transfer of the promised service. Impact of the same together with the default under Rule 47 of the CGST Act on account of non-raising of the invoice within 30 days of completion of service on the reported income/ expense and assets/ liabilities of the Company is presently not ascertainable.	As per NICSI Policy/ practice, it has been recognising its revenue at the time of generation of Invoice towards Sale of Goods. The company has duly complied with all the provisions and requirements of applicable Ind AS, while preparing the financials for F.Y. 2021-22 and as per matching concept on Revenue recognition.
4. Hitherto, the Company was recognising expenses and the corresponding income in the next financial year with respect to the invoices received from the vendors after the year end without accruing the same as at the end of each year. During the year the Company has however accounted for such invoices received after the year end by providing for expenses to the tune of Rs. 9957.54 lakh and corresponding unbilled revenue of Rs. 9439.13. Lakh (Refer Note 58 to the financial statements). The Company has however, not complied with the provisions of Ind AS 8 on "Accounting Policies, Change in Accounting Estimates and Errors" prescribed by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 which requires retrospective restatement of the financial statements of the previous year on application a new accounting policy. Accordingly, the previous year figures with respect to the financial year 2020-21 should also have been restated in terms of recognising expenses and corresponding income with respect to the vendor invoices not received till the year end.Impact of the same on the reported income/ expenditure and assets/ liabilities of the Company consequent to such restatement in terms of Ind AS 8 is presently not ascertainable.	As per observation on previous year's Accounts, NICSI Board of Directors had considered an Accounting Policy on "Prior Period Bookings", in its 119th meeting held on 29.07.2021 and approved. In the Financial Statements for the year ended on 31.03.2022, NICSI has booked the amounts accordingly and provided the provision under books of accounts. During the current Financial Year 2021-22 provision has been made for invoices pertaining to FY 2021-22 amounting to Rs. 99.58 cr with corresponding income of Rs. 94.39 cr recorded as unbilled revenue refer No. 58 of financial Statement.
Qualified Opinion on Internal Financial Controls over Financial Reporting	
According to the information and explanations given to us and based on our audit, we have qualified our audit opinion on the financial statements for the year ended March 31, 2022, in respect of the System relating to reconciliation/ confirmation of vendor balances as the same could potentially result in a material misstatement of the outstanding balances. (Refer to para 1 under Basis for Qualified Opinion of our Independent Auditors Report of even date) wherein the existing internal controls need to be strengthened.	Balance Confirmation Letters have been issued towards the balances as on 31.03.2022 against all the concerned Account heads, It is a regular feature that such letters are issued to the Departments / Organizations / Vendors etc. but very negligible response is received and NICSI takes necessary action on the same. However, efforts would be further intensified hereafter, to get the confirmations from them in future.
Other Matters	

a) The Company needs to strengthen the existing controls relating to the mapping of individual items of Property, Plant & Equipment on their physical verification by introducing controls where by all the individual items physically verified are mapped through their specific identification numbers with the corresponding PPE records.	The existing internal control systems towards Property Plant & Equipment reconciliation have been strengthened during the year. However, due to COVID-19 epidemic, the progress has been relatively slow in following up these items with the concerned. All these activities have again been taken up and would be completed in the near future, with proper mapping of identification numbers for Assets. However, Asset details are being maintained in prescribed registers. Also, Physical verification of all the Assets is carried out every year by a 3 member Committee each at NICSI HQ and its units at the close of each financial year. Similar physical verification of Assets has also been carried out as on 31.03.2022 both at NICSI HQ and its units.
b) Although the Company implemented the ERP accounting software w.e.f July 01, 2017, certain control weaknesses relating to the mapping of individual party balances and carry forward of opening balances need to be strengthened and identified based on the existing controls being validated by a Systems Audit carried out by an external independent agency.	NICSI had completely adopted the ERP Software w.e.f 01.07.2017 towards Accounts and other related fields. During the inspection NICSI Accounts, it had been observed that it needs validation accordingly, NICSI has got its ERP System validated from M/s Dr. CBS Cyber Security Services LLP. In its Report dated 06.07.2022 finalized by conducting the onsite Audit, the firm has observed that "the application is free from various functional errors as per business requirement. Further, the Audit of Oracle EBS Application Software & related IT Infrastructure shall be carried out atleast once a year or at any significant upgradation of process / computer resource. Also, the Application must be updated to the latest version using strong encryption & authentication for additional security of user's personal data". NICSI is in the process of Considering the same and would take appropriate action in the matter.

For and on behalf of the Board of Directors
of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Chairperson

Place : New Delhi

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise
Under Section 8 of the Companies Act, 2013)

CIN: U74899DL1995NPL072045

Balance Sheet as at March 31, 2022

₹ in lakhs

Particulars	**Note No**	**As at 31-03-2022**	**As at 31-03-2021**
ASSETS			
Non-current assets			
Property, Plant and Equipment	3	**2,336.88**	**2,377.57**
Right of use Assets	4	**16,035.80**	**17,227.19**
Other Intangible Assets	5	**6,275.10**	**8,682.03**
Financial Assets:			
Others Financial Assets	6	1,077.32	642.98
Deffered Tax Assets (Net)	7	3,578.62	3,167.11
Other non-current Assets	8	8,544.57	2,316.68
Current assets			
Financial Assets:			
(a) Trade receivables	9	34,429.17	26,360.57
(b) Cash and cash equivalents	10	93,139.05	75,247.95
(c) Bank balances other than '(b)' above	11	1,14,759.60	1,04,355.89
(d) Others Financial Assets	12	2,832.51	3,678.34
Current Tax Assets (Net)	13	17,165.29	13,830.45
Other Current Assets	14	32,541.67	28,149.64
Total Assets		**3,32,715.57**	**2,86,036.40**
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
Equity Share capital	15	200.00	200.00
Other Equity	16	73,986.10	69,368.66

₹ in lakhs

Particulars	Note No	As at 31-03-2022	As at 31-03-2021
LIABILITIES			
Non-current liabilities			
Financial Liabilities			
(a) Lease Liablity	34	14,623.62	15,741.75
(b) Other Financial Liabilities	17	59.46	39.46
Current liabilities			
Financial liabilities:			
(a) Lease Liablity	34	3,219.74	2,319.17
(b) Trade payables	18		
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises		8,491.68	2,668.91
Total outstanding dues of Creditors Other Than Micro Enterprises and Small Enterprises		35,590.04	27,898.71
(c) Other financial liabilities	19	1,261.16	1,574.46
Other current liabilities	20	1,95,209.26	1,66,150.76
Provisions	21	74.52	74.52
Total Equity and Liabilities		**3,32,715.57**	**2,86,036.40**
Significant accounting policies	2		

The accompanying notes (1 - 61) are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002405C

For and an behalf of the Board of Directors of
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Varnika Gupta
Partner
Membership No.430967

Sd/-
Inderpal Singh Sethi
Managing Director
DIN: 09512006

Sd/-
Dr. Rajendra Kumar
Chairman
DIN: 02677079

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Mahendra Pal
FA&CA

Place: New Delhi
Date: 28.07.2022

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise
Under Section 8 of the Companies Act, 2013)

CIN: U74899DL1995NPL072045

Income and Expenditure Account for the year ended 31.03.2022

₹ in lakhs

Sl. No.	Particulars	Note No.	Year ended 31-03-2022	Year ended 31-03-2021
	INCOME			
I	Revenue From Operations	22	1,40,213.47	1,28,202.26
II	Other Income	23	7,551.07	7,459.87
III	**Total Income (I+II)**		**1,47,764.54**	**1,35,662.13**
IV	**EXPENSES**			
	Purchases of Stock-in-Trade	24	17,956.39	11,983.57
	Services Support Expenses		1,08,283.71	96,983.33
	Employee benefits expenses	25	964.22	867.72
	Finance Cost	26	899.26	953.23
	Depreciation and amortization expenses	27	6,597.29	6,561.78
	Other expenses	28	6,883.76	5,160.44
	Total Expenses (IV)		**1,41,584.63**	**1,22,510.08**
V	**Income/(loss) before tax (III-IV)**		6,179.91	13,152.06
VI	**Tax expense:**		**1,562.48**	**3,329.11**
	(1) Current tax		1,966.91	3,504.78
	(2) Deferred tax		(411.51)	1,142.35
	(3) Tax for Earlier Years adjusted/(Written back)		7.07	(1,318.02)
VII	**Income/ (Loss) for the year from continuing operations (V-VI)**		**4,617.43**	**9,822.95**

₹ in lakhs

Sl. No.	Particulars	Note No.	Year ended 31-03-2022	Year ended 31-03-2021
VIII	**Other Comprehensive Income**			
IX	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Income/ (Loss) and Other Comprehensive Income for the year)		**4,617.43**	**9,822.95**
X	**Earnings per equity share (Nominal value per share Rs.100):**			
	(1) Basic (in ₹)	29	2,308.72	4,911.47
	(2) Diluted (in ₹)	29	2,308.72	4,911.47

Significant Accounting Policies 2

The accompanying notes (1 - 61) are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002405C

Sd/-
Varnika Gupta
Partner
Membership No.430967

For and an behalf of the Board of Directors of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Inderpal Singh Sethi
Managing Director
DIN: 09512006

Sd/-
Dr. Rajendra Kumar
Chairman
DIN: 02677079

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Mahendra Pal
FA&CA

Place: New Delhi
Date: 28.07.2022

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise
Under Section 8 of the Companies Act, 2013)

CIN: U74899DL1995NPL072045

Statement of changes in equity for the year ended 31 March 2022

A. Equity share capital for issued, subscribed and paid up equity share of Re. 100/- each

₹ in lakhs

Particulars	**Note**	**Amount**
As at March 31, 2020	15	200.00
Changes during the year		-
As at March 31 2021	15	200.00
Changes during the year		-
As at March 31 2022	15	200.00

B. Other equity (Refer note 16)

₹ in lakhs

Particulars	**Reserves and Surplus Retained earnings**	**Total other equity**
As at March 31 2020	59,014.02	59,014.02
Prior Period Income (Manpower)	531.69	531.69
Surplus/(Deficiency) for the year	9,822.95	9,822.95
As at March 31 2021	**69,368.66**	**69,368.66**
Surplus/(Deficiency) for the year	4,617.43	4,617.43
Total Surplus for the year	4,617.43	4,617.43
As at March 31 2022	**73,986.10**	**73,986.10**

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002405C

Sd/-
Varnika Gupta
Partner
Membership No.430967

For and an behalf of the Board of Directors of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Inderpal Singh Sethi
Managing Director
DIN: 09512006

Sd/-
Dr. Rajendra Kumar
Chairman
DIN: 02677079

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Mahendra Pal
FA&CA

Place: New Delhi
Date: 28.07.2022

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise
Under Section 8 of the Companies Act, 2013)

CIN: U74899DL1995NPL072045

Statement of Cash Flow for the year ended March 31, 2022

₹ in lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021
Cash Flow from Operating Activities		
Surplus /(Deficit) before tax and extraordinary items	**6,179.91**	**13,683.75**
Adjustments for:		
Depreciation and amortization Expenses	6,597.30	6,561.79
Profit/(Loss) on sale of Property Plant & Equipment	(0.18)	(0.28)
Finance Cost	899.26	953.23
Interest income	(5,747.59)	(7,001.70)
Provision/(Recoverable) against Advances	82.90	283.65
Operating Surplus /(Deficit) before Working Capital changes	**8,011.60**	**14,480.44**
Adjustments for :		
(Increase) /Decrease in trade receivables	(8,068.60)	(7,373.05)
(Increase) /Decrease in loans and advances and other assets	(14,429.92)	247.15
Increase/(Decrease) in trade payable & other liabilities	42,279.30	24,903.83
Cash Generated from Operations	**27,792.38**	**32,258.37**
Income tax Paid	(1,966.91)	(3,504.78)
Income tax for Previous Years	(7.07)	1,318.02
Net Cash inflow/(outflow) from Operating activities (A)	**25,818.40**	**30,071.61**
Cash Flow from Investing Activities		
Purchase of fixed assets	(1,876.35)	(6,198.19)
Investment in FDR	(10,403.72)	(28,218.41)
Sale of fixed assets	0.24	0.44
Interest received	6,551.33	7,344.04
Net Cash inflow/(outflow) from Investing activities (B)	**(5,728.50)**	**(27,072.12)**
Cash Flow from Financing Activities		
Interest paid	(899.26)	(953.23)
Payment of Principal portion of lease Liablity	(1,299.54)	(1,406.73)

Net Cash inflow/(outflow) from Financing activities (C)	(2,198.80)	(2,359.96)
Net increase /(decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	**17,891.10**	**639.53**
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	**75,247.95**	**74,608.42**
Cash and Cash Equivalents at the closing of the year	**93,139.05**	**75,247.95**

Notes

1) The above statement of cash flow has been repared in the indirect method as said out int the Ind As -7," Satement of Cash Flows".
2) Cash and Bank Balances at the end of the year consist of Cash and Balances with Banks. The detail of these is as follows:

₹ in lakhs

Particulars	**As at March 31, 2022**	**As at March 31, 2021**
Cash and Cash Equivalents		
Balances with Banks	54,642.59	29,226.99
Imprest Account	0.50	0.50
Other Bank Balances		
Fixed Deposits	38,495.96	46,020.46
	93,139.05	**75,247.95**

3) The above Statement of Cash Fow includes Rs. 112.00 Lakhs (PY Rs. 57.20 Lakhs) towards CSR activities. Refer note no. 55.

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002405C

Sd/-
Varnika Gupta
Partner
Membership No.430967

For and an behalf of the Board of Directors of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Inderpal Singh Sethi
Managing Director
DIN: 09512006

Sd/-
Dr. Rajendra Kumar
Chairman
DIN: 02677079

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Mahendra Pal
FA&CA

Place: New Delhi
Date: 28.07.2022

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise Incorporated Under Section 8 as per Companies Act, 2013)

Notes to the Financial Statements for the year ended March 31, 2022

1. Corporate Information

National Informatics Centre Services Inc. ('The Corporation') was incorporated on August 29, 1995 under Section-25 of the Companies Act, 1956 (Now section 8 of Companies Act, 2013) under National Informatics Centre ('NIC'), Ministry of Electronics And Information Technology, Government of India. The Corporation is engaged to provide Total IT Solutions to the Government Ministries/Departments/Organizations.

The Financial Statements were authorised for issue in accordance with a resolution of the Board of Directors dated July 28, 2022.

2. Significant Accounting Policies

i. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Accounting standards (herein after refer to 'Ind AS') as notified by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016 issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for certain financial assets and liabilities measured at fair value (refer accounting policy regarding financial instruments).

The financial statements have been prepared on going concern basis in accordance with accounting principles generally accepted in India.

The financial statements are presented in Indian Rupees (INR), which is also the Company's functional currency. All amounts disclosed in the financial statements and notes have been rounded off to the nearest to lakh rupees as per the requirement of Schedule III, unless otherwise stated. Rounding of errors have been ignored.

ii. Current Vs Non-Current Classification of Assets & Liabilities:

An Asset is treated as Current when it is:

- Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle;
- Held primarily for the purpose of trading;
- Expected to be realized within 12 months after the reporting period;
- Cash or Cash Equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as Non-Current.

A Liability is treated as Current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle;
- It is held primarily for the purpose of trading;
- It is due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting

period.

All other liabilities are classified as Non-Current.

Deferred Tax Assets & Liabilities are classified as Non-Current Assets & Liabilities.

The Operating Cycle is the time between the acquisition of assets for processing & their realization in cash & cash equivalents. The Corporation has identified 12 months as its operating cycle.

iii. Property Plant & Equipment (PPE) & Depreciation

(a) Recognition and initial measurement

Property, plant and equipment are stated at their cost of acquisition. On transition to Ind-AS, the company had elected to measure all of its property, plant and equipment at the previous GAAP carrying value (deemed cost)

The cost comprises of purchase price, borrowing cost, if capitalization criteria are met and directly attributable cost of bringing the assets to its working condition for the intended use. Any trade discount and rebate are deducted in arriving at the purchase price. Subsequent cost is included in the asset's carrying amount or recognised as separate assets, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the items will flow to the company. When significant parts of plant and machinery are required to be replaced at intervals, the company depreciates them separately based on their useful lives. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the plant and equipment are replacement if the recognition criteria is satisfied. All other repair and maintenance costs are recognised in the statement of profit or loss as incurred.

(b) Subsequent measurement (depreciation and useful life)

Depreciation on the items of PPE has been provided on the Written Down Value Method & at the rates as prescribed in Schedule II of the Companies Act, 2013. The Corporation has determined the useful life of all the items of PPE in alignment with Schedule II of the Companies Act, 2013.

The residual values, useful lives and method of depreciation are reviewed at the end of each financial year.

(c) Derecognition

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the income statement when the asset is derecognised. The residual values, useful lives and methods of depreciation of property, plant and equipment are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

Gains or losses arising from de-recognition of Property, plant and equipment are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the statement of profit and loss when the asset is derecognized.

iv. Intangible Assets and Amortization

The intangible assets have been initially measured at costs. The intangibles assets have been subsequently measured at costs less accumulated amortization & accumulated impairment losses. The useful life of the intangible assets may be finite or infinite. Intangible assets with finite lives have been amortized over their useful economic life as per the Written Down Value Method. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognized in the statement of Income and Expenditure unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

As per companies act, costs relating to computer software and server are capitalized and amortized on straight line method over their estimated useful economic life of one year, three years, five years and six years respectively. Costs relating to ERP software are capitalized and amortized on straight line method over its estimated useful economic life of ten years.

v. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial recognition and measurement

All financial assets are recognised initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction costs that are attributable to the acquisition of the financial asset. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognised on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the asset.

Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in following categories:

Debt instruments at amortised cost

A 'debt instrument' is measured at the amortised cost if both the following conditions are met:

a) The asset is held within a business model whose objective is to hold assets for collecting contractual cash flows, and

b) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

All financial liabilities are recognized at fair value on initial recognition. Transaction costs that are directly attributable to the issue of financial liabilities, that are not at fair value through income or loss are added to the fair value on initial recognition. After initial measurement, such financial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in finance income in the profit or loss. The losses arising from impairment are recognised in the profit or loss.

Debt instruments at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

A 'debt instrument' is classified as at the FVTOCI if both of the following criteria are met:

a) The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and

b) The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the P&L. On derecognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from the equity to P&L. Interest earned whilst holding FVTOCI debt instrument is reported as interest income using the EIR method.

Debt instruments at fair value through profit or loss (FVTPL)

FVTPL is a residual category for debt instruments. Any debt instrument, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

In addition, the company may elect to designate a debt instrument, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. However, such election is allowed only if doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency (referred to as 'accounting mismatch'). The company has not designated any debt instrument as at FVTPL.

Debt instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the P&L.

Equity investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading and contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which Ind AS103 (Business Combinations) applies are classified as at FVTPL. The classification is made on initial recognition and is irrevocable.

If the company decides to classify an equity instrument as at FVTOCI, then all fair value changes on the instrument, excluding dividends, are recognized in the OCI. There is no recycling of the amounts from OCI to P&L, even on sale of investment. However, the company may transfer the cumulative gain or loss within equity.

Equity instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the P&L.

De-recognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized when:

The rights to receive cash flows from the asset have expired, or

The respective company has transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed the obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass- through' arrangement and

Either the Company:

(a) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or

(b) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognise the transferred asset to the extent of the continuing involvement of Company. In that case, the Company also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the company could be required to repay.

Impairment of financial assets

In accordance with Ind AS 109, the company applies expected credit loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets and credit risk exposure:

a) Financial assets that are debt instruments, and are measured at amortised cost e.g., loans, debt securities, deposits, trade receivables and bank balances.

The company recognizes impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, right from its initial recognition.

ECL impairment loss allowance (or reversal) recognized during the period is recognized as income/expense in the statement of profit and loss (P&L).

vi. Fair value measurement

The Company measures financial instruments, at fair value at each balance sheet date.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable
- Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy

At each reporting date, the management of the Company analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be remeasured or re-assessed as per the accounting policies of the Company.

For assets and liabilities that are recognised in the Financial Statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

This note summarises the accounting policy for determination of fair value. Other fair value related disclosures are given in the relevant notes as following:

- Disclosures for significant estimates and assumptions
- Quantitative disclosures of fair value measurement hierarchy
- Financial instruments (including those carried at amortised cost)

vii. Revenue from contracts with customers

Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognised: -

Revenue in respect of sale of goods/service

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Corporation & the revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, taking into account the contractually defined terms of payment & excluding taxes or duties collected on behalf of the government.

Revenue in respect of sale of goods/stock & sale items is recognized at the time of generation of invoice or at the time when controls of the goods have passed to the buyers, usually on delivery of the goods and proof of delivery. Revenue from the sale of goods is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of returns & allowances, trade discounts & volume rebates.

Revenue in respect of sale of service is recognized at the time of generation of invoice or at the time when service completed to the buyers, usually on proof of service. Revenue from the sale of service is measured at the fair value of the consideration received or receivable.

The Corporation recognizes operating margin at the slab rates prescribed from time to time depending upon the project costs. Usually the operating margin rates are inversely proportionate to the project costs i.e. higher the project costs, lower the operating margin rate. Any subsequent decrease in operating margin rate on account of an increase in project costs is accounted for by issuing corresponding credit notes at the year end or at the time of project closing. The Credit Notes so issued are netted off from the respective heads of income.

Revenues in excess of billing are classified as unbilled revenue while billing in excess of revenues are classified as contract liabilities

Interest income

For all debt instruments measured either at amortised cost or at fair value through other comprehensive income, interest income is recorded using the effective interest rate (EIR). EIR is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the gross carrying amount of the financial asset or to the amortised cost of a financial liability. When calculating the effective interest rate, the company estimates the expected cash flows by considering all the contractual terms of the financial instrument (for example, prepayment, extension, call and similar options) but does not consider the expected credit losses. Interest income is included in finance income in the statement of profit and loss.

viii. Advance for Grant- in- project from different Ministries/Departments of Government.

NICSI received advance for Sales of good and service from different Ministries/ Departments of Government. These transactions are normal trading transaction of the entity. Advance received for Ministries disclosure in the financial statements has been made separately under the head 'Other Current Liabilities' as 'Grant in Aid received from Customers', as these are normal trading transactions. These advances are utilized for the purposes of execution of respective projects and if there is balance available with NICSI at the close of the respective Project, the same is refunded to the Grantor Institution along with the interest (if any). All the grant in aid amounts are received for the Projects only.

NICSI implements various orders from the government departments/ organizations towards procurement of hardware/ software and providing manpower. It takes Operating Margin on the Total cost of each order, as per the rates approved by its Board of Directors from time to time. NICSI receives fund against those orders from the departments/ organizations as advances. No other form of government assistance is received by NICSI, from which it is directly benefited. There is no grant of monetary or non-monetary asset given to NICSI at concessional rate or free of cost.

NICSI fulfils all the terms & conditions attached to the administrative approvals/ sanctions towards release of grants-in-aid by the Ministries/ Departments.

ix. Inventories

The Cost of Inventories comprises all cost of purchase, cost of conversion and other cost incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Inventories (including inventory of software's) have been valued at cost or net realizable value, whichever is lower on the First-In-First-Out (FIFO) method. Consumable stores have been charged to revenue in the year of purchase, being negligible.

x. Retirement Benefits

As per arrangement with NIC, the amount towards leave salary and pension contribution are calculated on basic pay and grade pay of the respective employee based on the percentage prescribed by Government of India and passed on to NIC. The Company is not liable to pay any other retirement benefits to employees, which shall entirely be borne by NIC in future.

xi. Prior Period Items

Prior Period items are omissions/misstatements in an entity's earlier period financial statements, including balance sheet misclassifications. Ind AS 8 requires the rectification of prior period errors retrospectively in the first set of financial statements approved, after their discovery, by restating the comparative amounts for the prior periods presented in which the error occurred. However, if such restatement is impracticable i.e. when an entity can't apply it after making every reasonable effort to do so, then Ind AS doesn't require restatement of such prior period items in comparatives of earlier periods.

xii. Events after the Reporting Period

The Corporation, has a cut-off date approved by Management every year upto which the invoices of the Vendors are submitted for the services rendered upto 31 March and accounted for accordingly as expenditure in previous year. Income realized till that date for the period upto 31st March is also accounted for in same financial year. Accordingly, matching concept is ensured in Accounts. Thus, expenses, towards invoices raised by the vendors after 31st March or actually received late in NICSI after that date, are booked in next year and corresponding income is also booked in next year, as all these invoices are received after the scheduled / last date of depositing of GST/ filling of GST returns for March.

Considering the above mentioned accounting matching concepts of expenses and income, GST Provisions & Income Tax Provisions, The Corporation to book the invoices from the vendors as per said cut-off date fixed by Management and as per the invoice date/ actual receipt date in view of type of business being executed by company.

The above booking should not exceed 0.25% of total revenue generated in respective financial year.

xiii. Leases

The company has applied Ind AS 116 using the modified retrospective approach and therefore the comparative information has not been restated and continues to be reported under Ind AS 17.

As a lessee

The company recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. The estimated useful lives of right-of-use assets are determined on the same basis as those of property and equipment. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain re-measurements of the lease liability.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate (i.e. average interest rate of government bond -7.75%).

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

– Fixed payments, including in-substance fixed payments.

- Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- Amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and
- The exercise price under a purchase option that the company is reasonably certain to exercise, lease payments in an optional renewal period if the company is reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the company is reasonably certain not to terminate early.

The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the company's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if company changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The company presents right-of-use assets that do not meet the definition of investment property in 'property, plant and equipment' and lease liabilities in 'other financial liabilities' in the Balance Sheet.

Short-term leases and leases of low-value assets

The company has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short term leases of real estate properties that have a lease term of 12 months. The company recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

A lease is classified at the inception date as a finance lease or an operating lease. A lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership to the Company is classified as a finance lease. Finance leases are capitalised at the commencement of the lease at the inception date fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognised in finance costs in the statement of profit and loss, unless they are directly attributable to qualifying assets, in which case they are capitalized in accordance with the Company's general policy on the borrowing costs. Contingent rentals are recognised as expenses in the periods in which they are incurred.

A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the company will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognised as an expense in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the lease term.

The determination of whether an arrangement is (or contains) a lease is based on the substance of the arrangement at the inception of the lease. The arrangement is, or contains, a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

Arrangements containing a lease have been evaluated as on the date of transition i.e. 1st April 2016 in accordance with Ind-AS 101 First-time Adoption of Indian Accounting Standards for classification as finance or operating lease as at the date of transition to Ind AS basis the facts and circumstances existing as at that date.

xiv. Income taxes

Current income tax

Current income tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date in India.

Current income tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity). Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

Current income tax assets and liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off these.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences.

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. Unrecognised deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered.

In situations where company is entitled to a tax holiday under the Income-tax Act, 1961, enacted in India, no deferred tax (asset or liability) is recognized in respect of temporary differences which reverse during the tax holiday period.

Deferred taxes in respect of temporary differences which reverse after the tax holiday period are recognized in the year in which the temporary differences originate.

However, the company restricts the recognition of deferred tax assets to the extent that it has become reasonably certain that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in OCI or equity). Deferred tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

Minimum Alternate Tax

Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws, which gives future economic benefits in the form of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax. Accordingly, MAT is recognised as an asset in the Balance Sheet when it is probable that future economic benefit associated with it will flow to the Company.

xv. Impairment of non-financial assets

The company assess, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the company estimate the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating units (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or group of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre -tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less

costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded companies or other available fair value indicators.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognised impairment losses no longer exist or have decreased. If such indication exists, the company estimates the asset's or CGU's recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The reversal is limited so that the carrying of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the Statement of Profit or Loss unless the asset is carried at a revalued amount, in which case, the reversal is treated as an increase in revaluation.

xvi. Impairment of Financial Assets/Provision for Bad & Doubtful Debts

A Provision towards Doubtful Debts is recognized considering 100% for the period of more than 10 years, 50% between 5-10 years & 25% between 3-5 years as at the Balance sheet date.

xvii. Provision towards outstanding Advances to Suppliers

A provision is recognized towards outstanding advances to suppliers which are outstanding for more than three years as at the Balance Sheet date.

xviii. Earnings per equity share

Basic earnings per equity share is computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share is computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per equity share and also the weighted average number of equity shares that could have been issued upon conversion of all dilutive potential equity shares. The dilutive potential equity shares are adjusted for the proceeds receivable had the equity shares been actually issued at fair value (i.e. the average market value of the outstanding equity shares). Dilutive potential equity shares are deemed converted as of the beginning of the period, unless issue data later date. Dilutive potential equity shares are determined independently for each period presented.

The number of equity shares and potentially dilutive equity shares are adjusted retrospectively for all periods presented for any share splits and bonus shares issues including for changes effected prior to the approval of the financial statements by the Board of Directors.

xix. Provisions and Contingencies

A provision is recognized when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Long term provisions may be discounted to their present values at an appropriate risk adjusted discounted rate. Short term provisions are not required to be discounted. The provisions are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. Provisions are also required to be created in respect of constructive obligations. However, the Corporation was not having any constructive obligations in the reporting period.

Contingent liabilities are disclosed in respect of possible obligations that have arisen from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of future events not wholly within the control of the Company.

xx. Cash and Cash-Equivalents

Cash and short-term deposits in the balance sheet comprise cash at banks and cash in hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value.

Cash and cash equivalents include bank overdrafts which form an integral part of Company's cash management.

2.1 Significant accounting judgements, estimates and assumptions

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements. Estimates and assumptions are continuously evaluated and are based on management's experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of assets or liabilities affected in future periods.

In particular, the Company has identified the following areas where significant judgements, estimates and assumptions are required. Further information on each of these areas and how they impact the various accounting policies are described below and also in the relevant notes to the financial statements. Changes in estimates are accounted for prospectively.

Judgements

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgements, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Contingencies

Contingent liabilities may arise from the ordinary course of business in relation to claims against the Company, including legal, contractor, land access and other claims. By their nature, contingencies will be resolved only when one or more uncertain future events occur or fail to occur. The assessment of the existence, and potential quantum, of contingencies inherently involves the exercise of significant judgments and the use of estimates regarding the outcome of future events.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market change or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

(a) Impairment of non-financial assets

The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs of disposal and its value in use. It is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded subsidiaries or other available fair value indicators.

(b) Fair value measurement of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the DCF model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

(c) Impairment of financial assets

The impairment provisions for financial assets are based on assumptions about risk of default and expected loss rates. The Company uses judgments in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation, based on Company's past history, existing market conditions as well as forward looking estimates at the end of each reporting period.

Recognition of deferred tax assets – The extent to which deferred tax assets can be recognized is based on an assessment of the probability of the future taxable income against which the deferred tax assets can be utilized.

2.2 Standard issued but not yet effective

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standard or amendments to the existing standards. There is no such notification which would have been applicable from April 01, 2021.

Recent Pronouncements

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standard or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time. On March 23, 2022, MCA amended the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2022, applicable from April 1, 2022, as below:

Ind AS 103 – Reference to Conceptual Framework

The amendments specify that to qualify for recognition as part of applying the acquisition method, the identifiable assets acquired and liabilities assumed must meet the definitions of assets and liabilities in the Conceptual Framework for Financial Reporting under Indian Accounting Standards (Conceptual Framework) issued by the Institute of Chartered Accountants of India at the acquisition date. These changes do not significantly change the requirements of Ind AS 103. The Company does not expect the amendment to have any significant impact in its financial statements.

Ind AS 16 – Proceeds before intended use

The amendments mainly prohibit an entity from deducting from the cost of property, plant and equipment amounts received from selling items produced while the company is preparing the asset for its intended use. Instead, an entity will recognise such sales proceeds and related cost in profit or loss.

The Company does not expect the amendments to have any impact in its recognition of its property, plant and equipment in its financial statements.

Ind AS 37 – Onerous Contracts - Costs of Fulfilling a Contract

The amendments specify that the 'cost of fulfilling' a contract comprises the 'costs that relate directly to the contract'. Costs that relate directly to a contract can either be incremental costs of fulfilling that contract (examples would be direct labour, materials) or an allocation of other costs that relate directly to fulfilling contracts. The amendment is essentially a clarification and the Company does not expect the amendment to have any significant impact in its financial statements.

Ind AS 109 – Annual Improvements to Ind AS (2021)

The amendment clarifies which fees an entity includes when it applies the '10 percent' test of Ind AS 109 in assessing whether to derecognise a financial liability. The Company does not expect the amendment to have any significant impact in its financial statements.

Ind AS 116 – Annual Improvements to Ind AS (2021)

The amendments remove the illustration of the reimbursement of leasehold improvements by the lessor in order to resolve any potential confusion regarding the treatment of lease incentives that might arise because of how lease incentives were described in that illustration. The Company does not expect the amendment to have any significant impact in its financial statements.

3. Property, plant and equipment

₹ in Lakhs

Particulars	Buildings	Furniture and Fixtures	Vehicles	Office Equipments	Computers	Total
Cost						
As at April 1, 2020	1,985.85	1,599.67	7.02	4,335.20	6,995.16	14,922.90
Additions	-	3.82	10.61	45.87	293.63	353.93
Disposals	-	-	-	-	5.43	5.43
As at March 31, 2021	**1,985.85**	**1,603.49**	**17.63**	**4,381.07**	**7,283.36**	**15,271.40**
Additions	-	4.12	-	418.47	305.96	728.55
Disposals	-	-	-	-	0.06	0.06
As at March 31, 2022	**1,985.85**	**1,607.61**	**17.63**	**4,799.54**	**7,589.26**	**15,999.89**
Depreciation						
As at April 1, 2020	**1,105.55**	**1,312.12**	**6.68**	**3,466.82**	**4,338.98**	**10,230.15**
Depreciation charge for the year	43.06	72.63	1.75	324.11	370.65	812.20
Impairment Loss		-				-
Others adjustment (Refer 2 below)	-	-	-	-	1,856.74	1,856.74
Disposals	-	-	-	-	5.26	5.26
As at March 31, 2021	**1,148.61**	**1,384.75**	**8.43**	**3,790.93**	**6,561.11**	**12,893.83**
Depreciation charge for the year	40.96	53.96	2.34	361.53	310.39	769.18
As at March 31, 2022	**1,189.57**	**1,438.71**	**10.77**	**4,152.46**	**6,871.50**	**13,663.01**
Net book value :						
As at March 31, 2022	**796.28**	**168.90**	**6.86**	**647.08**	**717.76**	**2,336.88**
As at March 31, 2021	**837.24**	**218.74**	**9.20**	**590.14**	**722.25**	**2,377.57**

1. Refer the Note No. 36 for disclosure or Capital commitment for equation of Property Plant and Equipment.
2. During the period from FY 2017-18 to FY 2019-20 depreciation on "Computers" to the tune of Rs. 1856.74 Lakhs was erroneously deducted from the head "Other Intangible Assets". Since the depreciation on Computers was correctly calculated in terms of the rates prescribed under Schedule II to the Companies Act, 2013, the said regrouping/restatement has not resulted in any financial impact. The same has been regrouped/restatement during the previous financial year 2020-21 by way of "other adjustments"

Details of title deeds of immovable properties not held in name of the Company

Relevant line item in the Balance Sheet	Description of item of property	Gross carrying value	Title deeds in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/ director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
Buildings	Hall No.. 2 &3. 6th Floor, 15 NBCC Tower, Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 110066	931.50	NBCC	NO	Since 2001 & 2003	Execution of Title Deed in the name of NICSI is pending has taken up the matter with NBCC.**"Refer Note -43"**

4. Right of use assets

₹ in Lakhs

Particulars	Right of use assets	Total
As at March 31, 2020	21,285.61	21,285.61
Additions	694.52	694.52
Modification of Right	18.18	18.18
Disposals	842.06	842.06
As at March 31, 2021	**21,119.89**	**21,119.89**
Additions	1,081.98	1,081.98
Modification of Right	-	-
Disposals	-	-
As at March 31, 2022	**22,201.87**	**22,201.87**
Amortisation		
As at March 31, 2020	**2,360.92**	**2,360.92**
Amortisation charge for the year	2,373.84	2,373.84
Disposals	842.06	842.06
As at March 31, 2021	**3,892.70**	**3,892.70**
Amortisation charge for the year	2,273.37	2,273.37
Disposals	-	-
As at March 31, 2022	**6,166.07**	**6,166.07**
Net book value :		
As at March 31, 2022	**16,035.80**	**16,035.80**
As at March 31, 2021	**17,227.19**	**17,227.19**

5 - Other Intangible Assets

₹ in Lakhs

Particulars	Software	Total
Cost		
As at April 1, 2020	17,583.30	17,583.30
Additions	5,844.26	5,844.26
Disposals		-
As at March 31, 2021	**23,427.56**	**23,427.56**
Additions	1,147.81	1,147.81
Disposals	-	-
As at March 31, 2022	**24,575.37**	**24,575.37**
Amortisation		
As at April 1, 2020	**13,226.53**	**13,226.53**
Amortisation charge for the year	3,375.74	3,375.74

Particulars	Software	Total
Others adjustment (Refer 2 below)	(1,856.74)	(1,856.74)
As at March 31, 2021	**14,745.53**	**14,745.53**
Amortisation charge for the year	3,554.74	3,554.74
Disposals	-	-
As at March 31, 2022	**18,300.27**	**18,300.27**
Net book value :		
As at March 31, 2022	**6,275.10**	**6,275.10**
As at March 31, 2021	**8,682.03**	**8,682.03**

1. Refer the Note No. 36 for disclosure on Capital commitment for acquisition of Property Plant and Equipment.

2. During the period from FY 2017-18 to FY 2019-20 depreciation on "Computers" to the tune of Rs. 1856.74 Lakhs was erroneously deducted from the head "Other Intangible Assets". Since the depreciation on Computers was correctly calculated in terms of the rates prescribed under Schedule II to the Companies Act, 2013, the said regrouping/ restatement has not resulted in any financial impact. The same has been regrouped/restatement during the previous financial year 2020-21 by way of "other adjustments

Note No. - 6 - Other Financial Assets

₹ in Lakhs

Particulars	Non-current	
	As at March 31, 2022	**As at March 31, 2021**
Security Deposits		
Security Deposits	500.60	108.34
Fixed Deposits		
Fixed Deposit having maturity more than 12 months*	291.60	291.60
Interest Accrued on Fixed Deposits		
Interest Accured	285.12	243.04
TOTAL	**1,077.32**	**642.98**

* Fixed Deposit with banks held as margin money deposits against guarantees.

Note No. - 7. Deffered Tax

The major components of income tax expense for the year.

A. Amount recognition in Income & Expenditure Account:

₹ in Lakhs

Particulars	**As at March 31, 2022**	**As at March 31, 2021**
(i) Income or Loss Section		
Current income tax charge	1,966.91	3,504.78
Adjustments in respect of current income tax of previous year	7.07	(1,318.02)
Deferred tax:		
Relating to origination and reversal of temporary differences	(411.51)	1,142.35
Income tax expense reported in the Income and Expenditure Account	**1,562.47**	**3,329.11**
(ii) Other Comprehensive Income (OCI) Section		
Deferred tax related to items recognised in OCI during the year:	-	-
Total	**1,562.47**	**3,329.11**

B. Reconciliation of tax expense and the accounting profit multiplied by India's domestic tax rate for FY ended 31 March 2021 and 31 March 2022:

₹ in Lakhs

Particulars	**As at March 31, 2022**	**As at March 31, 2021**
Accounting Income before tax from continuing operations	6,179.91	13,152.06
Income before tax from a discontinued operation	-	-
Accounting Income before income tax	6,179.91	13,152.06
At India's statutory income tax rate of 25.17% (31 March 2021: 25.17%)	1,555.35	3,310.11
Adjustments in respect of current income tax of previous years	7.07	(1,318.02)
Government grants exempted from tax		-
Other Difference	0.05	
Due to Change in income tax Rate	-	1,337.02
Other Assets		
Non-deductible expenses for tax purposes		
At the effective income tax rate of 25.28% (31 March 2021: 25.31%)	1,562.47	3,329.11
Income tax expense reported in income and expenditure account	1,562.47	3,329.11
Income tax attributable to a discontinued operation	-	-
Total	**1,562.47**	**3,329.11**

Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961, provides an option to companies for paying income tax at reduced rates in accordance with the provisions/conditions defined in the said section and accordingly, the Company has decided to adopt the new tax rate and recognised provision for income tax on the basis of the rate prescribed in the said section and remeasured its deferred tax assets/liabilities accordingly for the year ended March 31, 2022

C. Deferred tax :

Deferred tax relates to the following:

₹ in Lakhs

Particulars	Balance sheet		Statement of Income & Expenditure	
	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Accelerated depreciation for tax purposes	173.68	183.02	9.34	272.86
Provision for Doubtful Debts and Advances to Suppliers	2,553.06	2,387.43	(165.63)	1,000.43
Expense disallowed in Current Year Allowable in Subsequent Financial Year	29.43	11.50	(17.93)	(11.50)
Right to use assets net of Lease Liabilities	822.45	585.16	(237.29)	(119.44)
Deferred tax expense/(income)			**(411.51)**	**1,142.35**
Net deferred tax assets/(liabilities)	**3,578.62**	**3,167.11**		

Reflected in the balance sheet as follows:

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Deferred tax assets	3,578.62	3,167.11
Deferred tax liabilities		-
Deferred tax Assets/(liabilities), net	**3,578.62**	**3,167.11**

Note No. -8 - Other Non-Current Assets

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Unsecured, considered good		
To parties other than related parties		
a) Capital Advance*	6,957.69	1,105.61
b) Advances other than capital advances;		
-Advances to Suppliers	1,586.88	1,211.07
Total	**8,544.57**	**2,316.68**

* Advance for purchase of office space at World Trade Tower, Nauroji Nagar, New Delhi

Note No. - 9 - Trade Receivables

₹ in Lakhs

Particulars	**As at March 31, 2022**	**As at March 31, 2021**
To parties other than related parties		
Unsecured, considered good	34,429.17	26,360.57
Unsecured, considered doubtful*	9,249.75	8,508.75
Less: Provision for doubtful debts	(9,249.75)	(8,508.75)
Total	**34,429.17**	**26,360.57**

Ageing schedule of Trade Receivables

₹ in Lakhs

Particulars	**Outstanding for following periods from due date of payment**						**Total**
	Not Due	**Less than 6 months**	**6 months - 1 year**	**1 - 2 years**	**2 - 3 years**	**More than 3 years**	
As at March 31, 2022							
Undisputed – considered good		6,115.79	5,059.00	6,529.00	4,743.00	11,793.00	34,239.79
Less : Allowance for doubtful trade receivables						(9,249.75)	(9,249.75)
Unbilled Trade receivables considered good	9,439.13						9,439.13
	9,439.13	6,115.79	5,059.00	6,529.00	4,743.00	2,543.25	34,429.17
As at March 31, 2021							
Undisputed – considered good		4,947.32	9,823.00	7,506.00	1,514.00	11,079.00	34,869.32
Less : Allowance for doubtful trade receivables						(8,508.75)	(8,508.75)
Unbilled Trade receivables considered good	-	4,947.32	9,823.00	7,506.00	1,514.00	2,570.25	26,360.57

* Provision for Doubtful Debts amounting to Rs.8508.75 Lakh of F Y 2020-21 has been reversed during FY 2021-22. Further, during FY 2021-22 provision for doubtful debts has been made for Rs.9249.75 Lakh refer Note No. 52.

10 - Cash and Cash Equivalents

₹ in Lakhs

Particulars	**Current Assets**	
	As at March 31, 2022	**As at March 31, 2021**
Balances with banks		
Saving Account	54,642.59	29,226.99
Others		
Imprest Account	0.50	0.50
Fixed Deposit (original maturity less than 3 months)*	38,495.96	46,020.46
Total	**93,139.05**	**75,247.95**

* Includes Bank Balances of Sweep Deposit Accounts.

Note No. - 11 - Bank balances other than above

₹ in Lakhs

Particulars	**Current Assets**	
	As at March 31, 2022	**As at March 31, 2021**
Fixed Deposit	1,12,588.44	1,03,253.45
Fixed Deposit held as margin money deposits against guarantees	2,171.16	1,102.44
Total	**1,14,759.60**	**1,04,355.89**

Note No. - 12 - Other Financial Assets

₹ in Lakhs

Particulars	**Current**	
	As at March 31, 2022	**As at March 31, 2021**
Interest Accrued on Fixed Deposits		
Interest Accured	2,832.51	3,678.34
Total	**2,832.51**	**3,678.34**

13 - Current Tax Assets (Net)

₹ in Lakhs

Particulars	**As at March 31, 2022**	**As at March 31, 2021**
Income tax paid (Net of provision Rs.8940.87 Lakh (Previous Year Rs.6973.96 Lakh)	19,001.17	15,666.33
Less: -		
Provision for Income Tax (Refund Not Received)	(1,835.88)	(1,835.88)
(See Notes to Accounts No. 55)		
Total	**17,165.29**	**13,830.45**

14 - Other Current Assets

₹ in Lakhs

Particulars	**As at March 31, 2022**	**As at March 31, 2021**
Other than Capital Advance		
Advances to Employees		
Unsecured, considered good	31.96	24.31
Total (A)	**31.96**	**24.31**
Other advances		
Unsecured, considered good		
GST on Advances and Others	30,839.78	27,246.47
Prepaid expenses	149.41	1.52
Total(B)	**30,989.19**	**27,247.99**
Unsecured, considered Doubtful		
Sales Tax/DVAT & TDS on Work Contract Recoverable*	120.45	120.45
Less: -		
Provision for Sales Tax/ VAT (Not refunded back)	117.91	117.91
Provision for TDS on WCT (Not refunded back)	2.54	2.54
(See Notes to Accounts No. 55)		
Total (C)	-	-
Unsecured, considered good		
Advances to Suppliers	1,520.52	877.34

Unsecured, considered Doubtful		
Advances to Suppliers	894.32	977.22
Less: -		
Provision for Advances to Suppliers (not adjusted/settled)	894.32	977.22
(See Notes to Accounts No. 53)		
Total (D)	**1,520.52**	**877.34**
GRAND Total (A+B+C+D)	**32,541.67**	**28,149.64**

15 - Equity Share Capital

₹ in Lakhs

Particulars	**As at March 31, 2022**	**As at March 31, 2021**
Authorised		
200,000 (Previous Year 200,000) Equity Shares of Rs.100/- each	200.00	200.00
Issued, subscribed and fully paid-up		
200,000 (Previous Year 200,000) Equity Shares of Rs.100/- each	200.00	200.00
TOTAL	**200.00**	**200.00**

a. Shareholders holding more than 5% share in the company* : -

Name of Shareholder	**As at March 31, 2022**		**As at March 31, 2021**	
	No. of Equity shares held	**Percentage (%)**	**No. of Equity shares held**	**Percentage (%)**
President of India through DG, NIC	1,99,995	99.9975	1,99,995	99.9975
Smt. Rachna Srivastava	1	0.0005	1	0.0005
Sh. Nagesh Shastry	1	0.0005	1	0.0005
Sh. Deepak Chandra Misra	1	0.0005	1	0.0005
Sh. Vishnu Chandra	1	0.0005	1	0.0005
Sh. R S Mani	1	0.0005	1	0.0005
Total	**2,00,000**	**100**	**2,00,000**	**100**

* The information of Shareholding has been given of all shareholders irrespective of holding more than 5% shares due to held on behalf of Government of India

b. Reconciliation of the paid up shares outstanding at the beginning and end of the reporting year

₹ in Lakhs

Particluars	As at March 31, 2022		As at March 31, 2021	
	Number	**Amount**	**Number**	**Amount**
Shares outstanding at the beginning of the year	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00
Add: - Shares Issued/ (buy back) during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00

c. Rights, Preference and Restriction attached to equity shares

The Company has one class of equity shares having a par value of Rs. 100 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share.

d. Over the period of five years immediately preceding March 31, 2022, neither any bonus shares were issued nor any shares were allotted for consideration other than cash. Further, no shares were brought back during the said period.

e. Shareholding of promoters

Promoter name	Shares held at March 31, 2022		Percentage change during the year ended March 31, 2022
	No. of shares	**% of total shares**	
President of India through DG, NIC and Others	2,00,000	100	-

16 - Other Equity

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Surplus as per Income and Expenditure Account		
Opening balance	69,368.66	59,014.02
Prior Period Income (Manpower)	-	531.69
Add: - Surplus/(Deficiency) for the year	4,617.43	9,822.95
TOTAL	**73,986.10**	**69,368.66**

* Refer Note no. 45

17 - Other Financial Liabilities (Non -Current)

₹ in Lakhs

Particulars	Non-current	
	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Security Deposits Payable	59.46	39.46
Total	**59.46**	**39.46**

18 - Trade Payables

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Trade Payables		
- Due to Micro and Small Enterprises*	8,491.68	2,668.91
- Other than Micro and Small Enterprises	35,590.04	27,898.71
Total	**44,081.72**	**30,567.62**

* Refer Note No. 45

Ageing Schedule of Trade Payable

₹ in Lakhs

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Not Due	Less than 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
As at March 31, 2022						
Micro, small and medium enterprises	-	8,419.36	70.85	1.10	0.37	8,491.68
Others	-	18,785.73	357.29	650.88	3,234.18	23,028.07
Disputed Micro, small and medium enterprises	-	-	-	-	-	-
Disputed Others	-	2,623.21	61.39	11.58	407.13	3,103.30
Unbilled Trade Payable	9,458.67	-	-	-	-	9,458.67
	9,458.67	**29,828.30**	**489.53**	**663.56**	**3,641.68**	**44,081.72**
As at March 31, 2021						
Micro, small and medium enterprises	-	2,351.66	316.88	0.10	0.26	2,668.91
Others	-	20,789.01	891.31	963.37	2,434.61	25,078.30
Disputed Micro, small and medium enterprises	-	-	-	-	-	-
Disputed Others	-	2,401.70	11.58	-	407.13	2,820.41
Unbilled Trade Payable						-
	-	**25,542.37**	**1,219.77**	**963.47**	**2,842.00**	**30,567.62**

19 - Other Financial Liabilities (Current)

₹ in Lakhs

Particulars	Current	
	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Earnest Money Deposit Payable	675.36	983.27
Employee Benefits Payable	251.10	208.80
Expenses Payable	85.33	139.36
Retention Money *	249.37	243.03
Total	**1,261.16**	**1,574.46**

* Retention from vendor against performance bank guarantee.

20 - Other Current Liabilities

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Advances received from customers	1,65,660.32	1,41,188.48
Grants-in-Aid received from customers	26,791.68	20,856.11
Others		
Statutory Dues and Taxes	2,645.26	4,106.17
Corporate Social Responsibilities	112.00	-
Total	**1,95,209.26**	**1,66,150.76**

21 - Provisions

₹ in Lakhs

Particulars	Current	
	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Provision for Stamp Duty (Refer Note No. 43)	74.52	74.52
Total	**74.52**	**74.52**

22 Revenue From Operations

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021
Revenue from operations		
Sale of Traded Goods	17,420.15	12,383.61
Service Income*	1,22,143.31	1,15,125.37
Total (A)	**1,39,563.46**	**1,27,508.98**
Other Operating Revenue		
Administrative Charges	650.01	693.28
Total (B)	**650.01**	**693.28**
Total Revenue from operations (A)+(B)	**1,40,213.47**	**1,28,202.26**

*Unbilled Revenue Booked in Current Period amount to Rs. 9439.13 lakh under the head Service income.

23 Other Income

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021
Interest Income*	6,023.66	7,220.98
Less: -		
Interest on Grants-in-Aid Projects (other than NKN)	267.10	190.30
Interest on NKN Projects (Grants-in-Aid)	8.97	28.97
Other non-operating income	1,720.58	174.51
Advances to Suppliers (not adjusted/settled) (Refer Note No. 53)	82.90	283.65
	7,551.07	**7,459.87**

* Includes NIL Lakhs (PY- Rs.226.02 Lakh) towards interest on refund of Income Tax

24 Purchases

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021
Purchases: -		
Hardware	7,376.73	9,043.86
Software	10,579.66	2,939.71
Total	**17,956.39**	**11,983.57**

25 Employee Benefits Expense

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2022	Year Ended March 31, 2021
Salaries and incentives	942.69	842.98
Staff Welfare	21.53	24.74
Total	**964.22**	**867.72**

26 Finance Cost

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021
Interest Expenses on Unbinding of Lease Liability	899.26	953.23
Total	**899.26**	**953.23**

27 Depreciation and amortization Expenses

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021
Property, plant and equipment (Refer Note No. 3)	769.18	812.20
Right of use assets (Refer Note No. 4)	2,273.37	2,373.84
Other Intangible assets (Refer Note No. 5)	3,554.74	3,375.74
Total	**6,597.29**	**6,561.78**

28 Other Expenses

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2022	Year Ended March 31, 2021
Audit Fees (Reference Note No. 38)	10.04	9.98
Bank Charges	4.57	1.74
Board Meeting Expenses	0.21	-
Books & Periodicals	2.95	12.95
Business Promotion	0.92	3.86
GST (Non-Cenvatable)	47.79	29.56
Conference Seminar W/Shop Expenses	19.46	67.46
Consumable Stores	43.03	37.92
Conveyance Expenses	8.07	4.83
Corporate Social Responsibilities Expenses	112.00	57.20
Diesel for D.G. Set	1.60	1.69
Provision for Doubtful Debts (Refer Note No. 52)	741.00	73.40
Electricity & Water Charges	948.99	821.18
Hire Charges	5.25	7.24
House Keeping & Cleaning Charges	394.02	352.88
House Lease Charges	0.94	4.66
Membership & Subscription Charges	1.09	0.92
Miscelleneous Expenses	70.37	9.64
Office Expenses	2,761.16	2,570.99
Office Rent	374.38	0.57
Printing & Stationery	2.06	4.32
Professional & Consultancy Charges	475.73	349.61
Rent Rates & Taxes	9.99	10.18
Repairs & Maintenance	445.70	352.56
Taxi Hire Charges	283.34	276.69
Telephone Expenses	51.06	42.51
Travelling Expenses	65.88	54.56
Vehicle - Expenses	2.16	1.34
Total	**6,883.76**	**5,160.44**

29 - Earning per Share

₹ in Lakhs

Particulars	**Year Ended March 31, 2022**	**Year Ended March 31, 2021**
Earning per share		
Surplus attributable to Equity shareholders (A)	4,617.43	9,822.95
Weighted average number of equity shares (B)	2,00,000	2,00,000
Weighted average number of equity shares for calculation of diluted earning per share(C)	2,00,000	2,00,000
Basic earning per share (A/B) (in ₹)	**2,308.72**	**4,911.47**
Diluted earning per share (A/C) (in ₹)	**2,308.72**	**4,911.47**
Face value per share	100.00	100.00

30. Fair values measurements

(i) Financial instruments by category

₹ in Lakhs

Particulars	**As at 31 March 2022**		**As at 31 March 2021**	
	FVTPL	**Amortised cost**	**FVTPL**	**Amortised cost**
Trade receivables	-	34,429.17	-	26,360.57
Cash and cash equivalents	-	93,139.05	-	75,247.95
Other bank balances	-	1,14,759.60	-	1,04,355.89
Interest Accrued (current)	-	2,832.51	-	3,678.34
Security deposits	-	500.60	-	108.34
Fixed deposits	-	291.60	-	291.60
Interest Accrued (non-current)	-	285.12	-	243.04
Total financial assets	-	2,46,237.65	-	2,10,285.73
Financial liabilities				
Trade payables	-	44,081.72	-	30,567.62
Other financial liabilities (current)	-	4,480.90	-	3,893.63
Other financial liabilities (non-current)	-	14,683.08	-	15,781.21
Total financial liabilities	**-**	**63,245.70**	**-**	**50,242.46**

(ii) Fair value hierarchy

All financial instruments for which fair value is recognised or disclosed are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is insignificant to the fair value measurements as a whole.

Level 1 : quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2 : valuation techniques for which the lowest level inputs that has a significant effect on the fair value measurement are observable, either directly or indirectly.

Level 3 : valuation techniques for which the lowest level input which has a significant effect on fair value measurement is not based on observable market data.

The following table provides the fair value measurement hierarchy of the Company's assets and liabilities, other than those whose fair values are close approximations of their carrying values.

There have been no transfers between Level 1, Level 2 and Level 3 during the year.

For cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, trade payables and other financial liabilities the management assessed that their fair value is approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.

The fair values of the Company's long-term interest free security deposits are determined by applying discounted cash flows ('DCF') method, using discount rate that reflects the market borrowing rate as at the end of the reporting period. They are classified as level 3 fair values in the fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk.

Note No. - 31. Financial risk management objectives and policies

The Company's principal financial liabilities comprise trade payables, security deposits, earnest money deposits and employee liabilities. The Company's principal financial assets include trade receivables, security deposits, fixed deposits, cash and bank balances that derive directly from its operations.

The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's management oversees the management of these risks. The Company's senior management is supported by the Board of Directors that advises on financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Company. The board provides assurance to the Company's management that the Company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risks are identified, measured and managed in accordance with the Company's policies and risk objectives. The management reviews and agrees policies for managing each of these risks, which are summarised below.

I. Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, currency risk and other price risk. Financial instruments affected by market risk include fixed deposits.

A. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Company's investment in fixed deposits with banks. The company's fixed deposits are carried at fixed rate. Therefore not subject to interest rate risk as defined in Ind AS 107, since neither the carrying amount nor the future cash flows will fluctuate because of a change in market interest rates.

B. Foreign currency sensitivity

Foreign currency risk is the risk that the fair value of future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in exchange rates. Foreign currency risk senstivity is the impact on the Company's profit before tax is due to changes in the fair value of monetary assets and liabilities. The company is not exposed to foreign currency risk as it does not have any foreign currency monetary assets and liabilities.

II. Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty fails to discharge its obligation to the Company. The Company's exposure to credit risk is influenced mainly by cash and cash equivalents, trade receivables and financial assets measured at amortised cost. The Company continuously monitors defaults of customers and other counterparties and incorporates this information into its credit risk controls.

Credit risk management

The Company provides for expected credit loss based on the following:

Credit risk	Basis of categorisation	Provision for expected credit loss
Low credit risk	Cash and cash equivalents, banks deposit and other bank balances	12 month expected credit loss
Moderate credit risk	Trade receivables, and other financial assets	Life time expected credit loss or 12 month expected credit

Based on business environment in which the Company operates, a default on a financial asset is considered when the counter party fails to make payments within the agreed time period as per contract. Loss rates reflecting defaults are based on actual credit loss experience and considering differences between current and historical economic conditions. Assets are written off when there is no reasonable expectation of recovery, such as a debtor declaring bankruptcy or a litigation decided against the Company. The Company continues to engage with parties whose balances are written off and attempts to enforce repayment. Recoveries made are recognised in the Income and Expenditure Accounts.

₹ in Lakhs

Credit rating	Particulars	As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
Low credit risk	Cash and cash equivalents, banks deposit and other bank balances	2,11,307.89	1,83,816.82
Moderate credit risk	Trade receivables, Loan and other financial assets	34,929.77	26,468.91

Concentration of trade receivables

Trade receivables consist of a large number of customers spread across various states in India with no significant concentration of credit risk.

Credit risk exposure Provision for expected credit losses The Company provides for 12 month expected credit losses for following financial assets –

₹ in Lakhs

Particulars	Gross carrying amount	Expected credit losses	Carring amount net of expected
As at 31 March 2022			
Trade Receivables	43,678.92	(9,249.75)	34,429.17
As at 31 March 2021			
Trade Receivables	34,869.32	(8,508.75)	26,360.57

Reconciliation of loss provision – lifetime expected credit losses

₹ in Lakhs

Reconciliation of loss allowance	Trade Receivables
Loss allowance As at March 31, 2010	**8,435.35**
Impairment loss recognised/(reversed) during the year	73.40
Amounts written off	
Loss allowance As at March 31, 2021	**8,508.75**
Impairment loss recognised/(reversed) during the year	741.00
Amounts written off	
Loss allowance As at March 31, 2022	**9,249.75**

III. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. The Company's approach to managing liquidity is to ensure as far as possible, that it will have sufficient liquidity to meet its liabilities when they are due. Management monitors rolling forecasts of the Company's liquidity position and cash and cash equivalents on the basis of expected cash flows. The Company takes into account the liquidity of the market in which the entity operates.

The table below summarises the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

₹ in Lakhs

	On demand	Less than 3 months	3 to 12 months	1 to 5 years	> 5 years	Total
Year ended As at March 31, 2022						
Trade payables	44,081.72	-	-	-	-	44,081.72
Other financial liabilities	1,261.16	813.10	2,406.64	3,166.00	11,517.07	19,163.97
Total	**45,342.88**	**813.10**	**2,406.64**	**3,166.00**	**11,517.07**	**63,245.69**
Year ended As at March 31, 2021						
Trade payables	30,567.62	-	-	-	-	30,567.62
Other financial liabilities	1,574.46	709.87	1,609.30	3,720.80	12,060.41	19,674.84
Total	**32,142.08**	**709.87**	**1,609.30**	**3,720.80**	**12,060.41**	**50,242.46**

32 . Capital Management

The objective of the Company's capital management structure is to ensure that there remains sufficient liquidity within the Company to carry out committed work programme requirements. The Company monitors the long term cash flow requirements of the business in order to assess the requirement for changes to the capital structure to meet that objective and to maintain flexibility.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes to economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital, issue new shares for cash, repay debt, put in place new debt facilities or undertake other such restructuring activities as appropriate. No changes were made in the objectives, policies or processes during the year ended 31 March 2022.

₹ in Lakhs

Particulars	As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
Borrowings		
Trade payables	44,081.72	30,567.62
Other payables	2,14,447.75	1,85,900.12
Less: Cash & cash equivalents	(93,139.05)	(75,247.95)
Net Debt	**1,65,390.42**	**1,41,219.79**
Total equity	**74,186.10**	**69,568.66**
Capital and Net debt	**2,39,576.52**	**2,10,788.45**
Gearing ratio (%)	**69.03%**	**67.00%**

Note No. - 33. Financial ratios

The ratios for the years ended March 31, 2022 and March 31, 2021 are as follows :

Ratio / Measure	Measured In	Numerator	Denominator	For the year ended		Variance (in %)
				March 31, 2022	March 31, 2021	
Current ratio	Times	Current assets	Current liabilities	1.21	1.25	-3.56%
Debt – Equity ratio	Times	Total debt*	Shareholder's equity	0.24	0.26	-7.35%
Debt service coverage ratio	Times	EBIT	Total Debt**	0.40	0.78	-49.20%
Return on Equity (ROE)	%	Net profits after taxes	Average shareholder's equity	6.42%	15.26%	-57.89%
Trade receivables turnover ratio	Times	Revenue	Average trade receivable	4.61	5.65	-18.41%
Trade payables turnover ratio	Times	Purchases of services and other expenses	Average trade payables	3.38	3.96	-14.68%
Net capital turnover ratio	Times	Revenue	shareholder's equity	1.89	1.84	2.56%
Net profit ratio	%	Net profit	Revenue	3.29%	7.66%	-57.02%
Return on Capital Employed (ROCE)	%	Earning before interest and taxes	Capital employed	7.69%	16.10%	-52.21%
Return on Investment (ROI)	%	Interest Income	Fixed Deposit	3.74%	4.65%	-19.45%

*Debt represents only lease liabilities

**Total Debt represents only Lease Liability

EBIT - Earnings before interest and taxes.

Capital employed refers to total shareholders' equity and debt

Explanation for variances exceeding 25%

Revenue for Higher Operating margin has been reduced along with increase in other cost

34 Leases

As Lessee

(A) Additions to right of use assets

₹ in Lakhs

Particulars	**As at March 31, 2022**	**As at March 31, 2021**
Right-of-use assets, except for investment property	1,081.98	694.52

(B) Carrying value of right of use assets at the end of the reporting period by class **₹ in Lakhs**

Particulars	**Class 1**	**Class 2**	**Total**
Balance at 1 April 2020		18,924.69	18,924.69
Additions		694.52	694.52
Modification of Rights		18.18	18.18

Depreciation charge for the year		2,373.84	2,373.84
Balance at 1 April 2021		17,227.19	17,227.19
Additions		1,081.98	1,081.98
Modification of Rights		-	-
Depreciation charge for the year		2,273.37	2,273.37
Balance at 31 March 2022		16,035.80	16,035.80

(C) Maturity analysis of lease liabilities

₹ in Lakhs

Particulars	**As at March 31, 2022**	**As at March 31, 2021**
Opening Balance	18,060.91	18,791.29
Additions	1,081.98	694.52
Interest	899.26	953.23
Modification of Rights	-	(18.18)
Payment of Liabilities	(2,198.80)	(2,359.96)
Closing Balance	17,843.35	18,060.91

₹ in Lakhs

Maturity analysis – contractual undiscounted cash flows	**As at March 31, 2022**	**As at March 31, 2021**
Less than one year	3,219.74	2,319.17
One to five years	10,497.20	10,367.95
More than five years	11,517.07	12,060.42
Total undiscounted lease liabilities	**25,234.01**	**24,747.54**

₹ in Lakhs

Lease liabilities included in Balance Sheet	**As at March 31, 2022**	**As at March 31, 2021**
Current	3,219.74	2,319.17
Non-Current	14,623.62	15,741.75
Total	**17,843.36**	**18,060.92**

(D) Amounts recognised in profit or loss

₹ in Lakhs

Particulars	**Year ended March 31, 2022**	**Year ended March 31, 2021**
Interest on lease liabilities	899.26	953.23
Variable lease payments not included in the measurement of lease liabilities	-	-
Income from sub-leasing right-of-use assets	-	-
Expenses relating to short-term leases	374.38	0.57
Expenses relating to leases of low-value assets, excluding short-term leases of low value assets	-	-

-

(E) Amounts recognised in the statement of cash flows **₹ in Lakhs**

Particulars	**Year ended March 31, 2022**	**Year ended March 31, 2021**
Total cash outflow for leases	2,198.80	2,359.96

35. Contingent Liabilities

As at Balance Sheet date, the contingent liability in respect of offsite warranty provided by the company to the users is not considered since all the equipments supplied towards projects are covered under AMC from the vendors/suppliers from time to time, after warranty period.

Contingent liabilities, other than the above, not provided for are as under: - **₹ in Lakhs**

Particulars	**As at 31 March 2022**	**As at 31 March 2021**
Claim against the Company not acknowledged as debts.	164.78	99.66
Guarantees	1275.47	691.10
Delhi VAT Demand (September 2005 to November 2008)	678.00	-
Income Tax Demand (Assessment Year 2014-15)	206.29	206.29
Income Tax Demand (Assessment Year 2015-16)	350.60	350.60
Income Tax Demand (Assessment Year 2018-19)*	2434.58	2434.58
Total	**5109.72**	**3782.23**

* The above demand is net off after the adjustment of refund claimed in ITR of Rs.5139.45 Lakh.

36. Commitments

The Company has made commitment to procure the trading goods and to avail the services in the subsequent period based on the purchase orders and agreements made with suppliers. Those commitments can be amended as per the agreed terms. However, the amount of such revenue commitments towards internal projects of the company is Rs.532.05 Lakh (PY Rs.509.70 Lakh) as at March 31, 2022. In addition, Commitment towards capital expenditure out of "Reserves" is as follows:-

₹ in Lakhs

Sl. No.	Particulars	As at 31 March 2022	As at 31 March 2021
1.	National Data Centre, Bhubaneswar	20543.48	22501.31
2.	Enhancement of NIC Cloud Services	1600.02	1874.07
3.	District 2.0-Augmentation of Digital India Initiative	1380.21	1380.21
4.	2nd Floor in Block-1, Shastri Park, Delhi on Lease Rent from DMRC - CPWD (Interior Furnishing for Data Centre- 1305.68 / Development Sheets- 875.00) (Advance of Rs.382.18 Lakh released in 2021-22 previous year NIL)	1898.50	2280.68
5.	Purchase of Office space at World Trade Tower, Nauroji Nagar, New Delhi (Unit No. A-300) (Total Cost 13043.31 less 1105.61 paid in 2020-21 & 5852.07 in 2021-22, both excluding taxes)	6085.63	11937.70
	Total	**31507.84**	**39973.97**

37. Information pursuant to Para 5(viii) of the General Instructions for preparation to the Income & Expenditure Account given under schedule III of Companies Act, 2013.

i. Value of Imports on C.I.F Basis: NIL (PY Rs. NIL)

ii. Expenditure in foreign currency (on accrual basis):

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2022	Year Ended March 31, 2021
Travelling - Staff (Foreign)	NIL	NIL
Total	**NIL**	**NIL**

iii. Earnings in foreign currency (on accrual basis): Rs. Nil (PY Rs. Nil)

38. Auditor Remuneration*

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2022	Year Ended March 31, 2021
Auditor Fee including Tax Audit Fee	7.01	6.36
Income Tax Audit	0.93	0.85
GST Audit	0.00	0.85
For Reimbursement of expenses	2.10	1.91
Total	**10.04**	**9.97**

* Exclusive of applicable taxes. Further, Rs. 2.10 Lakhs (PY Rs.1.80 Lakhs) excluding GST are provided for certification work for various projects which are directly debited in the respective projects.

39. Disclosure pursuant to Ind-As 19 - 'Employee Benefits'

i. Contribution to Provident Fund

The company is not having any Provident Fund scheme as the employees of the company are on deputation from NIC, along-with their posts, as per the Government of India Notification dated 3rd March, 1998. The Provident Fund is deducted from their salary every month as per the rates prescribed for the purpose and government guidelines thereon subsequently, passed on to NIC as its entire account is maintained by them. There is thus, no liability of the company towards any payment to the employees on Provident Fund Account.

ii. Leave Salary

Since the employees are on deputation from NIC as per the Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the leave salary contribution (as per the prescribed rates to the salary of the respective employee), is calculated / provided by the company in its account every month and subsequently, passed on to NIC. No liability is thus, there on the company towards payment of leave salary/encashment.

iii. Pension Contribution

Since the employee are on deputation from NIC as per the said Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the pension contribution (as per the prescribed rates to the salary of the respective employee), is calculated / provided by the company in its account every month and subsequently, passed on to NIC. No liability is thus, there on the company towards payment of Pensionery benefits.

iv. Gratuity

Since the employees are on deputation from NIC as per the said Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the company is not liable to pay any Gratuity, as the same shall entirely be borne by NIC.

40. Related Party disclosures

List of related parties

Name of the Party	Relationship
Shri Prashant Kumar Mittal (Managing Director)	Key Managerial Personnel
Shri Sunny Jain (Company Secretary)	Key Managerial Personnel

Transactions with Related Parties: -

₹ in Lakhs

Name of Party	Nature of Transaction	Year Ended March 31, 2022	Year Ended March 31, 2021
Sh. Prashant Kumar Mittal	Managerial Remuneration	40.47	36.88
Sh. Sunny Jain	Managerial Remuneration	11.43	10.36
	Total	**51.90**	**47.24**

Balance payable as on March 31, 2022 to Related Parties: Rs. 3.85 Lakh (PY Rs.3.39 Lakh)

41. Disclosure pursuant to Ind AS– 108 'Operating Segments'

The company is providing services in 'Information Technology' segment only from a centralized office in Delhi. Considering the same as one segment only, no disclosure according to Ind AS– 108 'Operating Segments' have been made in the financial statements.

42. Balance Confirmation

The balance confirmation letters have been issued under various heads. The response there against is awaited.

43. Non-execution of Conveyance/Title Deed

The Company had purchased Hall No's 2&3 at 6th Floor, NBCC Towers, Bhikaiji Cama Place, New Delhi from M/s. NBCC Limited in the year 2003 and 2001 respectively. However, the Conveyance Deeds / Title Deeds towards the same amounting to Rs. 931.50 lakh (PY 931.50 lakh) have not yet been got registered by NBCC despite several requests from the company. Hence, the initial provision of Rs 74.52 lakh (PY Rs 74.52 lakh) towards amount of Stamp Duty has been provided in the financial statements and the differential amount, if any, shall be provided for in the year the same is got registered. In this regard NICSI has taken up the matter with NBCC from time to time on different occasions and the latest detailed reference had been made on 17.07.2020 with reminders issued on 10.09.2020, 01.10.2020, 08.12.2020, 26.03.2021 & 14.06.2021. Thereafter, NBCC has provided the draft Deed to NICSI and before getting the same registered with the concerned authorities, the payment status towards Ground Rent etc. is being re-concerned between NICSI and NBCC.

44. In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances & trade receivable have a value on realization in ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated.

45. Disclosure u/s 22 of the MSMED Act, 2006

₹ in Lakhs

Sl. No.	Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
1	The Principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier*.	8491.68	2668.91
2	The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount of the payment made to the supplier.	NIL	NIL
3	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	NIL	NIL
4	The amount of interest accrued and remaining unpaid.	NIL	NIL
5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	NIL	NIL

*The above however, does not include the interest payable on the mentioned amount.

46. Disclosure pursuant to IND AS – 36 'Impairment of Assets'

As per IND AS – 36 'Impairment of Assets', the assessment of impairment of Assets has been carried out during the FY 2021-22 in respect of Data Centre at Laxmi Nagar, National Data Centre at Shastri Park towards investment on "Enhancement of NIC Cloud Services" and Development Centre at Shastri Park locations, which are cash generating units of the company and no impairment loss has been identified thereon.

47. Revenue Generation (GR/ AGR) towards VSAT Projects against DOT License No. 815-100/NICSI/2009-DS dated 20.11.2009 (surrendered by NICSI on 31.03.2017 and accepted by DoT) and payment of License Fee and Spectrum Charges to DOT thereon.

NICSI had surrendered the DoT License on 31.03.2017 and accepted by DoT. As per the mandate given by DoT, NICSI has since paid entire amount towards License Fee / Spectrum Charges till 31.03.2017 on the revenue related to this activity only. Also, the

amounts from MHA/NDRF are received. However, the O/o the Pr. CCA Office, DoT has levied interest / penalty on NICSI by taking revenue of entire company, for which MeitY had taken up the matter with DoT.

O/o the Pr. CCA DoT, vide letter dated 17.07.2020, has withdrawn all Demand Notices against NICSI towards License Fee and Spectrum Usage Charges (based on Hon'ble Supreme Court of India Judgement dated 11.06.2020 and DoT OM No. 12-25/2019-LFP dated 17.07.2020. The F&C Audit Office had accordingly, been informed by NICSI, vide letter no. NICSI / Fin/ Insp. F&C Adt./2018-19/289 dated 20.07.2020 & accordingly, that office had admitted / closed the para, vide letter no. AMG-II/ NICSI/F-2516/2019-20/323 dated 23.09.2020.

However, NICSI had deposited 4 Bank Guarantees (BG's) to DoT towards the above totaling to Rs. 92 lakh which had been renewed from time to time. NICSI had taken up the matter with DoT to return all these BG's, vide its letter dated 10.08.2020, with reminder dated 09.11.2020. In response there-to, O/o Pr.CCA, DoT, vide letter no. 50-4/2018-Clarification & Rulings / Pr.CCA /Delhi /1413 dated 05.02.2021, had requested DoT (LFP Divison) to issue the guidelines for re-assessment of LF / SUC in respect to Non-Telecom PSU's, as the demand raised by the DoT had been withdrawn, vide its order no. 12-25 / 2019-LFP dated 13.07.2020. NICSI has further issued reminders to DoT, vide letters dated 11.03.2021, 27.05.2021, 22.06.2021, 22.07.2021, 09.08.2021, 13.09.2021, 22.11.2021, 08.03.2022 & 21.04.2022 but no progress so far and the BG's are still with DoT. In this regard, the Secretary, MeitY has also written a DO letter on 13.05.2022 to the Chairman, DCC & Secretary, DoT.

48. Income/Expenditure on National Data Centre Projects

National Data Centre, Shastri Park, Delhi had been set up with financial assistance from MeitY and NIC and had become operational in July, 2011. As per approval by the Standing Finance Committee, NICSI was to bear Operational Expenditure thereon @ Rs.800 Lakh per annum for initial 2 years. To meet its Operational Expenditure, NICSI was to get income from 60 Racks allotted to it. While NICSI continued to meet Operational Expenditure thereon even after 2 years, MeitY had approved that from 01-04-2014 onwards, NICSI would be incurring operational expenditure head-wise on the National Data Centre, Shastri Park, Delhi upto Rs.800 Lakh on the heads Rent & Maintenance/ Basic Infrastructure Maintenance/ Basic Infrastructure O & M Manpower and NIC would reimburse the expenditure from its Budgetary Provision to NICSI towards Electricity & Diesel Charges/ Physical Security & Housekeeping Charges/ Water Charges/ Logistics Support/ Contingency Charges upto 3% of all these charges, after these expenditure are initially incurred by NICSI. With the setting-up of National Data Centre at Bhubaneswar, NICSI and NIC had worked out an arrangement for operation and management of the same and also, for National Data Centre at Shastri Park, Delhi. NICSI Board of Directors, in its 108th meeting held on 27.12.2018, had considered the same and approved as under with retrospective effect from 01 April 2018: -

- NICSI may create a separate project pool account for Shastri Park and Bhubaneswar Data Centers
- Income generated through Co-location Services at both these Data Centers shall be pooled under the proposed project heads.
- Income shall be used for meeting the O&M expenditure and up-gradation of basic infrastructure at both these Data Centers.
- In addition to existing 60 Racks being used for co-location service at Shastri Park by NICSI, NIC may add more Racks to generate enough funds to meet O&M expenses for years to come and also for upgrading the basic infrastructure.
- NICSI would not incur Rs.800 Lakh per annum towards O&M Expenditure at Shastri park from F.Y.2018-19 and onwards. Revenue generated per annum through said 60 Racks and more Racks to be added by NIC, would be utilized for meeting O&M expenditure and up-gradation of basic infrastructure.
- NICSI would charge its 7% Operating Margin and Taxes thereon as per Board approval from F.Y.2018-19 and onwards on the said O&M Expenditure.

NICSI has accordingly booked its Income & Expenditure in F.Y.2021-22 at National NDC-SP & Bhubaneswar.

NICSI Board of Directors, in its 114th meeting held on 29.07.2020, had requested a Director from NIC to look into and advise on the item related to meeting of deficit between expenditure & income (excluding on Cloud) towards NDC-SP & Bhubaneswar. The matter is still under consideration.

49. Interest on Un-utilized fund of Grant in Aid projects.

NICSI has worked out the interest in GIA Projects in FY 2021-22 on actual basis as per the interest rates on which NICSI had made FDs in the year and in F.Y.2021-22 as per below:

₹ in Lakhs

Period	NKN Project	Other GIA Projects	Total
For F.Y.2020-21	28.97	190.30	219.27
For F.Y.2021-22	8.97	267.10	276.07

50. Draft Audit Para from P&T Audit Office on Refund of Interest in GIA Projects.

Till F.Y. 2011-2012, the Company was treating the amount received from Grantor Institution for execution of projects as 'Advances received from customer' instead of treating them as Grant in Aid receipt and accordingly, no interest was provided on un-utilized fund to Grantor Institution.

Board of Directors, vide meeting dated 21-12-2011, had approved to calculate and refund the interest earned on un-utilized fund available in Grant in Aid Projects from time to time as per the rate of interest applicable in the Saving Bank Accounts in the Public Sector Banks. Accordingly, the Company had calculated and refunded the amount of interest to the Grantor institution i.e. rate of interest applicable in the Saving Bank Accounts in the Public Sector Banks, whereas as per terms and conditions laid down by the Grantor Institution, the actual interest earned on un-utilized balance of Grant in Aid projects is to be refunded. The grantor departments have accepted the interest as credited to the individual project till F.Y.2016-17 and most of these projects are since completed and their accounts settled. However, a para is continuing from the C&AG Office towards less refund of interest in GIA Projects by the company to the Government. NICSI had provided the reply on the para and it is still under consideration of the C&AG Office.

In the meantime, the Board of Directors, in its 100th meeting held on 28.03.2017, had re-considered the matter and advised NICSI to refund the interest on Grants-in-Aid Projects on actual basis.

Accordingly, in F. Y. 2018-19, NICSI has worked out the interest in GIA Projects on actual basis as per the interest rates on which NICSI had made FDs in the past and based on that, has provided the differential interest in each ledger of the respective project for the period upto 31.03.2018 Totaling to Rs.4766.01 Lakh (i.e. Rs.1414.74 Lakh in NKN Project and Rs.3351.27 Lakh in other GIA Projects).

F&C Audit Office, vide letter no. AMG-II / Rep PSU / DAP / 9993 /NICSI / D-2024 dated 14.01.2020, has provided a Draft Audit Para (DAP) to NICSI on "Loss of Rs.26.36 crore and understatement of liability by Rs.78.38 crore due to non-compliance of terms & conditions governing grants in aid projects". The Audit observation is that NICSI has deducted the Corporate Tax paid on its GIA Interest Income during past years and while refunding the differential interest, it has deducted the Corporate Tax already paid and thus, it should take-up the matter with CBDT / Income Tax Department regarding refund of Corporate Tax paid previously. NICSI, vide reply dated 09.12.2019 to their Audit Memo No. 12 dated 04.12.2019 and also, vide letter dated 12.06.2020 has informed the F&C Audit office that since the Corporate Tax is paid to the Government of India i.e. Income Tax Department continuously since F.Y.2012-13, it has not taken up the matter with the Income Tax Department, since even after refund of the Corporate Tax to NICSI, it would have to refund again to the Government of India (i.e. Grantor Departments). However, on the Accounts of NICSI for F.Y. 2019-20, the C&AG organization (PDA, F&C), vide letter no. Rep-FA/F-255/NICSI/2019-20/416 dated 13.11.2020, had pointed out "Proper mechanism to segregate the interest earned on NICSI funds and GIA funds may be derived" to make the Accounts more clear and transparent.

51. Trade Receivables

NICSI implements a large number of new projects every year from various Ministries/ Departments / Organizations of the Government of India and States / UTs. As per the provisions in the General Financial Rules (GFRs), they restrict the release of advances to NICSI to 40% or so, whereas in many cases mainly related to procurement of ICT Hardware, NICSI has to release the

work orders to full extent and after delivery / installation of those items, NICSI has to release the payments to the vendors as per the payment terms in the work orders. This, on many occasions, resulted in Trade Receivables, disclosed in note no. 9 of the financial statements, amount of Rs. 43678.92 Lakh (PY Rs. 34,869.32 Lakh) as at March 31, 2022, which is followed up by NICSI from time to time with the concerned Departments /Organizations to recover the same.

52. Provision for Doubtful Debt amounts un-likely to be recovered.

NICSI has been making a "Provision" towards Doubtful Debts in its Accounts continuously since F.Y. 2018-19 considering 100% for the period of more than 10 years, 50% between 5-10 years & 25% between 3-5 years.

A Committee was formed in NICSI to review and give their recommendations towards making provision in the Accounts for F.Y.2021-22 for the doubtful amounts un-likely to be recovered.

Based on the Committee Recommendations as per the said Policy, the "Provision" has been made in NICSI Accounts for F. Y. 2021-22 towards doubtful amounts un-likely to be recovered as per below: -

₹ in Lakhs

Duration	Outstanding amount	Provision in %age	Provision in F.Y.2021-22	Provision in F.Y.2020-21
More than 10 years	7452.00	100	7452.00	6300.00
5 to 10 years	2852.00	50	1426.00	2028.50
3 to 5 years	1487.00	25	371.75	180.25
Upto 3 years	31887.92	NIL	NIL	NIL
Total	**43678.92**		**9249.75**	**8508.75**

53. Provision for Advances to Suppliers.

F&C Audit while conducting the Audit for FY 2017-18 had observed that "Advances to Suppliers amounting to Rs.984.16 Lakh were more than 3 years old. Being more than 3 years old provisioning should have been created in this respect. Non-provision had resulted into overstatement of current assets and understatement of provisions leading to overstatement of profit".

Considering the above observation of F&C Audit, a Committee was formed in NICSI to review and give their recommendations to consider and recommend the provision to be made towards Advances to Suppliers un-likely to be settled. The Committee had recommended to make "Provision" in Accounts for amounts towards Advances to Suppliers outstanding for more than 3 years. Accordingly, the Provision had been made in Accounts for F.Y. 2018-19 to 2020-21.

On the above basis, a Committee had been set-up to recommend the provision to be made towards Advances to Suppliers in Accounts for F.Y. 2021-22. On Committee's Recommendations, the Provision amounting to Rs 894.32 Lakh has been made in F. Y. 2021-22 towards amounts outstanding for more than 3 years as on 31.03.2022 and un-likely to be settled (as against Rs.977.22 lakh in PY 2020-21), except for NKN Project.

54. Expenditure of Corporate Social Responsibility (CSR)

₹ in Lakhs

Particulars	For the year ended	
	March 31, 2022	March 31, 2021
Amount required to be spent by the Company during the year	112.00	57.20
Amount of expenditure incurred on purpose other than construction/ acquisition of any asset*	-	57.20
Excess spend of prior years set off during the year	-	-
Shortfall at the end of the year [(d)=(a)-(b)-(c)]	112.00	-

Total of previous years shortfall	-	-
Reason for shortfall*	NA	NA
Nature of CSR activities	Contribution in PM CARES Fund	Contribution in PM CARES Fund

* NICSI has made provision of Rs. 112 Lakh (PY 57.20 Lakh contributed in PMCARES Fund) in the accounts for FY 2021-22 towards expenditure of Corporate Social Responsibility (CSR). As per direction of the Board of Directors in its 121st meeting held on 26.03.2022, NICSI had opened a separate bank account and transferred the amount of Rs.112 Lakh as prescribed under Companies Act 2013, the same has been contributed in PM CARES Fund on 29.04.2022.

55. Provision towards Income Tax & Sales Tax etc.

F&C Audit while conducting the Audit for FY 2017-18 had observed that "an amount of Rs. 2,281.03 Lakh on account of TDS/ Income Tax recoverable pertaining to FY 2007-08 to 2014-15 is pending from Income Tax Department. The above amount being relating to more than 3 years old, provision in this regard should have been created by the company. However, no provision has been created. Non provision of this amount has resulted into overstatement of current assets and understatement of provision leading to overstatement of income".

Considering the above observation of F&C Audit, a Committee was formed in NICSI to review and give recommendations on the provision to be made in Accounts for F.Y.2018-19 for the amounts towards Income Tax refund, Sales Tax recoverable and TDS on Work Contract un-likely to be recovered. Based on the Committee recommendations, the provision has been made in NICSI accounts for FY 2021-22 as per below: -

₹ in Lakhs

Particulars	**Year Ended March 31, 2022**	**Year Ended March 31, 2021**
Income Tax	1835.88	1835.88
Sales Tax/VAT/DVAT	117.91	117.91
TDS on Works Contract	2.54	2.54
Total	**1956.33**	**1956.33**

NICSI is still following up with the concerned Tax Authorities regarding recovery of Tax and the matter is still under discussion at higher level with their authorities and accordingly, the recovery of the said amount is still awaited.

56. Obsolete Items

While conducting review on NICSI Accounts for F.Y.2017-18, the F&C Audit team had observed that the provision was not made in Accounts for that year towards difference between Depreciated Value of the Obsolete items as on 31st March and Estimated Sale Value against the same. Accordingly, a Committee had been set up in NICSI to examine and recommend the "Provision" to be made in NICSI Accounts for F.Y.2018-19 towards obsolete items as on 31.03.2019 between the Depreciated Value and the Estimated Sale Value. The Committee had recommended that the Depreciated Value of the Obsolete Asset items as on 31.03.2019 be taken as the Estimated Sale value and therefore, no Provision on this account was required to be made in the Accounts for that year. Similarly, no 'Provision' had been thereafter in NICSI Accounts for F.Y. 2019-20 and 2020-21 and also in F.Y. 2021-22. However, based on the physical verification of assets, the estimated value of obsolete asset items as on 31.03.2022 has been worked out at Rs. 0.90 Lakh (PY 2.06 Lakh).

57. Provision of Year-end expense and unbilled Revenue

While reviewing the Financial Statement for 2019-20 & 2020-21, P&T Audit (CAG) observed that no provision was being made in books of accounts for invoices pertaining to the expenditure incurred for the preceding previous year for which invoices had been received after the end of the financial year but prior to the date of finalisation of the annual financial statements. The P&T audit had suggested making an appropriate provision against these expenses. Accordingly, during the current financial year

2021-22 provision has been made for invoices pertaining to FY 2021-22, amounting to Rs. 9957.54 lakhs. The corresponding income of Rs. 9439.13 lakhs has also been recorded during the current financial year as Unbilled Revenue.(PY Nil)

58. Appeal before GST authorities

In November, 2017 the GST of Rs. 4,73,37,107/- was deposited in excess by NICSI on the assumption that many invoices of vendors would be booked in that year but owing to receipt of less invoices, it is resulted in non-settlement of GST to that extent. The claim was rejected by the Assessing officer on 25.09.2020 being time-barred. NICSI had filed an Appeal before the Commissioner (Appeal-II), CGST, Delhi on 18.12.2020 for refund of excess tax deposited but the concerned Commissionrate had rejected the same. NICSI is in process of filing a fresh Appeal with the GST Tribunal but it is held up, as the Tribunal is yet to be constituted by the Government.

59. The Company did not have any transactions with companies struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 or section 560 of the Companies Act. 1956 during the FY 2021-22.

60. COVID-19 Impact

The Company has assessed the possible effects that may result from the pandemic relating to COVID-19 on the carrying amounts of Receivables, Fixed Deposits and other assets / liabilities. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic, the Company, as at the date of approval of these financial statements has used internal and external sources of information. As on current date, the Company has concluded that the impact of COVID – 19 is not material based on these estimates. Due to the nature of the pandemic, the Company will continue to monitor developments to identify significant uncertainties in future periods, if any.

61. Previous year figure reclassification

The company has re-classified previous year figures to confirm current year classification.

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002405C

Sd/-
Varnika Gupta
Partner
Membership No.430967

For and an behalf of the Board of Directors of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Inderpal Singh Sethi
Managing Director
DIN: 09512006

Sd/-
Dr. Rajendra Kumar
Chairman
DIN: 02677079

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Mahendra Pal
FA&CA

Place: New Delhi
Date: 28.07.2022

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.

Report on the Audit of the Ind AS Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the Financial Statements of National Informatics Centre Services Inc. ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31stMarch 2022, and Income and Expenditure account, the Statement of Changes in Equityand the Statement of cash flows for the year then ended, and notes to the Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31st, 2022 and itsexcess of income over expenditure, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

1. Certain balances relating to Trade Payables (Note 18), Trade Receivables (Note 9), Advances received from customers (Including Grants-in-aid project) (Note 20), Security deposits Payable (Note 17), and Advances to Suppliers (Note 8 & 14) are subject to confirmation and/ or reconciliation as at the year end. The management is in the process of reconciling the same and is of the opinion that the impact, if any, would not be material. Impact on the income/ expenses and/ or assets/ liabilities consequent to such confirmations being obtained/ received and/ or the consequential reconciliation being drawn up is presently not ascertainable at the year-end.

2. Reference is invited to Note No. 20 of the financial statement with respect to the Advances received from customers amounting to Rs. 1,92,452.00lakhs. A review of individual accounts reveals numerous customers wherein balances have remained outstanding for more than 3 years as at the year-end. These advances, received mostly from Public Sector Undertakings (PSUs) and Government of India Ministries, have been invested by the Company in Fixed deposits with various banks at varied rates of interest and maturity profiles.

   In view of the fact that such idle funds with respect to the Advance from Customers have remained unutilised and invested in Fixed Deposits, the management needs to review each such Advance and return the same to the customer based on the corresponding terms and conditions of the contract with each of the customer. In the absence of the documents, contracts and details being available in respect of each such Advance, the overall impact of matters referred to in the preceding paras on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure consequent to such details being made available is presently not ascertainable.

3. The Company has not complied with Ind AS 115 on "Revenue from Contracts with Customers" prescribed by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 in view of revenue on Sales of services being erroneously recognised at the time of generating the invoice in terms of the Significant Accounting Policy (Refer to Note 2 (vii) and Note 2(xii)) instead of recognising the same at the time of transfer of "control" i.e. on transfer of the promised service. Impact of the same together with the default under Rule 47 of the CGST Act on account of non-raising of the invoice within 30 days of completion of service on the reported income/ expense and assets/ liabilities of the Company is presently not ascertainable.

4. Hitherto, the Company was recognising expenses and the corresponding income in the next financial year with respect to the invoices received from the vendors after the year end without accruing the same as at the end of each year. During the year the Company has however accounted for such invoices received after the year end by providing for expenses to the tune of Rs. 9957.54 lakh and corresponding unbilled revenue of Rs. 9439.13. Lakh (Refer Note 58 to the financial statements).

   The Company has however, not complied with the provisions of Ind AS 8 on "Accounting Policies, Change in Accounting Estimates and Errors" prescribed by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 which requires retrospective

restatement of the financial statements of the previous year on application a new accounting policy. Accordingly, the previous year figures with respect to the financial year 2020-21 should also have been restated in terms of recognising expenses and corresponding income with respect to the vendor invoices not received till the year end.Impact of the same on the reported income/ expenditure and assets/ liabilities of the Company consequent to such restatement in terms of Ind AS 8 is presently not ascertainable.

The impact of matters referred to in the above paragraphs (1) to (4) on the assets/liabilities and/or income/expenditure and excess of income over expenditure for the year is not ascertainable.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to note No. 43 of the Ind-AS Financial Statements whereby the conveyance/ title deed in respect of the building at BhikajiCama place, New Delhi amounting to Rs. 931.50 lakhs is pending for registration as at the year-end.

Our opinion is not modified in respect of the matters reported in the paragraphs above.

Information other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Company's Annual Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance,changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation, and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Financial Statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level ofassurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. Matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 have not been commented upon since the said order is not applicable to the Company in view of the exemption available to a company licensed to operate under Section 8 of the Companies Act, 2013.

2. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

b) Except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

c) Except for the effects of the matters described in the Basis of Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, the Balance Sheet, the Income and Expenditure Account, the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flow dealt with by this report are in agreement with the books of account;

d) Except for the matters described in basis of qualified opinion, in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;

e) The matter(s)described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the company;

f) Since the company is a Government company, sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 regarding director's disqualification, is not applicable to the Company in terms of Notification No. GSR-463 (E) dated 05.06.2015;

g) The qualifications relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion paragraph above;

h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses a qualified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting;

  i) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company being a Government company, the provisions of Section 197 read with Schedule V to the Act are not applicable to the Government company in terms of Notification No. GSR-463 (E) dated 05.06.2015;

  j) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

  i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in itsfinancial statements (Refer Note no. 36 to thefinancial statements);

  ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

  iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

iv. (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall:

- directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Company or

- provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

  (b) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been received by the Company from any persons or entities, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall:

- directly or indirectly, lendor invest in other personsor entities identified inany manner whatsoever("Ultimate Beneficiaries") byor on behalf of the FundingParty or

- provide any guarantee, security or the like from or on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

  (c) Based on such audit proceduresas considered reasonable andappropriate in the circumstances,nothing has come to our noticethat has caused us to believe thatthe representations undersub-clause(iv) (a) and (iv) (b) contain anymaterial mis-statement.

  (d) Since the Company has been incorporated under Section 8 of the Companies Act, 2013 and it cannot declare dividend, reporting under clause 143 (11) (e) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is not applicable to the Company.

3. Our separate report on directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013 is attached as Annexure B.

For Agarwal & Saxena
Chartered Accountants
(FRN002405C)

Sd/-
Varnika Gupta
Partner
Membership No.: 430967
UDIN:-22430967ANTTCU7829

Place: New Delhi
Date: 28 July 2022

Annexure 'A' to the independent auditor's report on the Ind as financial statements of National Informatics Centre Services Inc. for the year ended 31st March 2022

(Referred to in paragraph under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" Section of our Report of even date)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of National Informatics Centre Services Inc. ("the Company") as of March 31, 2022 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act 2013,Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the IND AS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Ind AS financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Ind AS financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the IND AS financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, we have qualified our audit opinion on the financial statements for the year ended March 31, 2022, in respect of the System relating to reconciliation/confirmation of vendor balances as the same could potentially result in a material misstatement of the outstanding balances. (Refer to para 1 under Basis for Qualified Opinion of our Independent Auditors Report of even date) wherein the existing internal controlsneed to be strengthened.

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual Ind AS financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2022, Ind AS financial statements of the Company, and these material weaknesses do not affect our opinion on the financial statements of the Company.

Other Matters

a. The Company needs to strengthen the existing controls relating to the mapping of individual items of Property, Plant & Equipment on their physical verification by introducing controls wherebyall the individual items physically verified are mapped through their specific identification numbers with the corresponding PPE records.

b. Although the Company implemented the ERP accounting software w.e.f July 01, 2017, certain control weaknesses relating to the mapping of individual party balances and carry forward of opening balances need to be strengthened and identified based on the existing controls being validated by a Systems Audit carried out by an external independent agency.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

For Agarwal & Saxena
Chartered Accountants
(FRN002405C)

Sd/-
Varnika Gupta
Partner
Membership No.: 430967
UDIN:-22430967ANTTCU7829

Place: New Delhi
Date: 28 July 2022

Annexure 'B' to the independent auditor's report on the Ind as financial statements of National Informatics Centre Services Inc. for the year ended March 31, 2022

Report on Directions issued by the comptroller and auditor general of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013

1. **Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.**

   The Company has an accounting system in place to process all the accounting transactions through an ERP accounting software which was implemented w.e.f. July 01, 2017. However, the ERP software was implemented and is still in operation without being validated by a Systems Audit being carried out by an external independent agency. Impact, if any, on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure as disclosed in the Financial Statements on account of possible system weakness in the data integrity is presently not ascertainable.

   Furthermore, Fixed Assets accounting with respect to addition/ deletion/ depreciation is currently being done manually and thereafter has been uploaded into the ERP system as no automation module is available in the ERP. It is advisable that the said process is also automated at the earliest to avoid possible errors on account of manual intervention.

2. **Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/ loans/ interests etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.**

   Not applicable as the company did not have any outstanding loan during the year 2021-22. Accordingly, therewas no case of waiver/write offofdebts/loans/interest etc. made by any lender to the company due to the company's inability to repay the loan.

3. **Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.**

   During the year 2021-22 no funds were either received or were receivable by the company from any Central/State agencies. Hence the question of their proper accounting and utilisation does not arise.

For Agarwal & Saxena
Chartered Accountants
(FRN002405C)

Sd/-
Varnika Gupta
Partner
Membership No.: 430967
UDIN:-22430967ANTTCU7829

Place: New Delhi
Date: 28th July 2022

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC. (NICSI) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022

The preparation of financial statements of National Informatics Centre Services Inc.(NICSI) for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act,2013(Act) is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditor/Auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act are /is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28.07.2022

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of NICSI for the year ended 31 March 2021 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personal and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. Comment on Profitability

1. Income and Expenditure Account

Expenses-Other Expenses Rs. 6883.76 Lakh (Note no. 28)

The above head is understated by an amount of Rs. 285.34 lakh due to non-provisioning of interest payable to MSMEs in compliance of MSMED Act 2006. This has also resulted in overstatement of income by the same amount.

B. Comment on Disclosure

2. Note of Financial Statement

As per Indian Accounting Standard 7 (IND-AS 7) statement of cash flow an entity shall disclose, together with a commentary by management, the amount of significant cash and cash equivalent balance held by the entity that are not available for use by the group. Cash flow from investing activities includes investment in Fixed Deposit Receipt (FDR) of Rs.2171.16 lakh given as margin money against guarantees, which is not available for freely use for the Company. This has not been disclosed by the Company.

C. Other Comments

3. Commitments-Capital Commitments: Rs. 31507.84 lakh (Note No. 36)

The above head is understated by an amount of Rs. 2315.95 lakh due to non-inclusion of amount towards increased cost for setting up mini data centre at shahtri park, Delhi.

4. Contingent liabilities

The above head is understated by an amount of Rs. 125.92 lakh due to non-provisioning of interest on reversal of ICT due to non-payment to vendors after 180 days of date of billing.

D. Comment on the Statutory Auditor

5. Report on other Legal and Regulatory Requirements

The statutory Auditor's response to the direction of CAG of India issued under section 143 (5) of the Companies Act, 2013 Point no.3

funds received/receivables for specific schemes) is factually incorrect. The Company received funds of Rs. 55603.54 lakh during the year 2021-22 from different ministries/departments for specific schemes whereas as per the report of statutory Auditors during the year 2021-22 no such funds were either received or were receivable by the Company from any central/State agencies.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor general of India

(Aman Deep Chatha)
Director General of Audit
(Finance & Communication)

Date: 29-09-2022
Place: New Delhi

Replies to Audit Observations from C&AG Inspection Report for 2021-22 (F.Y. 2020-21)

Sr. No.	Para No.	Audit Observation	NICSI Reply
1.	**F.Y.2020-21 Para No.1 of Part-II A**	National informatics Centre Services Incorporated (NICSI) empanelled five consulting companies i.e. M/s Pricewaterhouse Coopers private Limited, M/s Wipro Limited, M/s Deloitte Tohmatsu India LLP, M/s KPMG (Registered) and M/s Ernst & Young LLP for E-Governance Project/ Services on ICT Area for Tier 1 during 2016-17. The empanelment was valid for two years i.e. upto 15.06.2019. The empanelment letter contained the provision for extension for one year of empanelment through mutual consent i.e. 15.06.2019. However, there is no provision in the empanelment letter to extend the validity beyond 15.06.2020. During the review of records, it was observed that even after 15.06.2020, five extensions of 3 months each have been provided in respect of this empanelment i.e. extension up to 31.12.2021. Further, there was delay in starting the process of fresh empanelment which was started in July 2020 and the tender was floated only in January 2021, even after the expiry of the six months from the extended period as per the empanelment letter. The process of fresh empanelment was completed in October 2021 and M/s Deloitte Touche was empanelled w.e.f. 22.10.2021. There was significant variation in the rates as per the extended empanelment and rates as per new empanelment given at the end of this para. During the period 16.06.2020 to 21.10.2021 (date of fresh empanelment), NICSI has issued Work Orders amounting to Rs. 302.35 crore in respect of E-Governance Projects on the basis of extended empanelment. This has resulted in excess payment of Rs.24.18 crore (being calculated @ 8% on Rs.302.35 crore) by the user departments. Thus, the undue delay in floating of tender as well as finalization of tender by NICSI resulted in avoidable payment of Rs.24.18 crore by the user departments in respect of E-Governance Project/ Services in ICT Area and but also extended undue favour to the Consulting Companies by repeatedly extending the empanelment period in contravention of the provisions of empanelment letter. On being pointed out by audit, no reply was furnished by the management.	NICSI Board of Directors, in its 112th meeting held on 28.01.2020, had been informed that "NICSI was not considering floating any new tender towards empanelling Consulting Agencies, as it was likely that such services would be available on GeM in the near future". Subsequently, due to demand from users, the existing empanelment for "e-Governance Projects/Services in ICT Area' was extended upto 15.06.2020 as per tender clause mentioned in empanelment and thereafter, with the approval of Chairman, NICSI upto 31.12.2020 In the meantime, the process of floating a new tender was initiated in the month of July, 2020 but due to COVID-19 pandemic& corresponding delays, the fresh empanelment could not be finalized timely and to fulfill the critical/ ongoing project requirements from various Ministries/ Departments, the Board had approved the extension of Consultancy empanelment beyond 31.12.2020 from time to time up to 31.12.2021.Fresh empanelment was however, finalized on 22.10.2021 and empanelment letters issued. NICSI had issued the PO's against earlier empanelment as per the requests from Ministries/ Departments and approvals of Competent Authority from time to time but after fresh empanelment; no PO had been issued by NICSI as per earlier empanelled rates. NICSI had initiated the process timely for fresh empanelment of the Agency through open tender as per the Provisions in the GFRs. However, due to Covid-19 epidemic and consequent delays, the empanelment could not be finalized in time. It is not correct to conclude that NICSI had extended the undue favour to the existing empanelled agencies However, it would be ensured that NICSI starts the empanelment process quiet well in time and finalize the same before expiry of the existing empanelments, unless un-foreseen circumstances are there. (The chronological wise statement of all the tender activities is prepared and placed as Annexure-C and placed at the end of table) **In view of above, it is requested to dropped the para.**

Sr. No.	Para No.	Audit Observation	NICSI Reply

Sr. No.	Description	Vendor Rate / Manmonth as per extended empanelment (In Rupees)	Rate as per new empanelment (In Rupees)	Difference in Rates (In Rupees)	Percentage Deference in rates
1.	Consultants with 15 years and above experience (Management/Functional/Technology profile)	3,88,000	3,50,000	38,000	9.79
2.	Consultants with 10 years and less than 15 years experience ((Management/Functional/Technology profile)	3,84,800	3,00,000	84,800	10.39
3.	Consultants with 6 years and less than 10 years experience ((Management/Functional/Technology profile)	3,02,400.00	2,75,000.00	27,400.00	9.06
4.	Consultants with 3 years and less than 6 years experience ((Management/Functional/Technology profile)	2,70,000.00	2,35,000.00	35,000.00	12.96
5.	Consultants with less than 3 years experience ((Management/Functional/Technology profile)	2,16,000.00	2,10,000.00	6,000.00	2.78
6.	Subject Matter Expert	3,34,800.00	3,34,800.00	0.00	0.00
	Total	18,46,000.00	17,04,800.00	1,41,200.00	7.65

Sr. No.	Para No.	Audit Observation	NICSI Reply
2.	**F.Y.2020-21 Para No.2 of Part-II A**	On the basis of request received from Ministry of External Affairs (MEA), National Informatics Centre Service Incorporated (NICSI) has empanelled M/s Standard Trading Company for Personalization of Machine Readable Passport(MRP) at all Regional Passport Offices (RPOs) across the Country vide empanelment letter dated 27.08.2018. In the empanelment letter for hiring of agency for personalization of Overseas Citizens of India (OCI) and other similar travel documents of GOI, an amendment had been made on 04.09.2018 vide which a foreign exchange fluctuation rate had been incorporated. The clause states that if foreign exchange rate is more than 10% than the rate recorded on the last date of submission of tender, rate revision is applicable. As per the terms and conditions of the work order with Ministry, MEA shall place 40% (of annual estimated work) as advance with NICSI against the Indemnity Bond. Further, NICSI shall raise a monthly bill to MEA including NICSI administrative charges @ 7% plus GST as applicable. During the review of the records relating to payment received by NICSI from MEA, it was observed that an amount of Rs.3.34 crore on account of variation in foreign exchange rate has been lying unrecovered from the Ministry of External Affairs as no action was taken by the management to recover the same. No correspondence relating to recovery of the same was available in the records made available to audit and no payment has been made by MEA till date. On being pointed out by audit no reply was furnished by the management.	NICSI has taken up the matter with the Ministry of External Affairs to pay the difference in amount due to Foreign Exchange variation. In this regard, NICSI had written mail / letter to MEA on 21.06.2021 & 07.07.2021. MEA, vide letter dated 13.09.2021, had requested NICSI to provided certain information / clarifications in the matter. NICSI had accordingly, provide the same to MEA, vide letter dated 28.09.2021 and again, vide letter dated 04.04.2022. However, the amount from MEA is still awaited. NICSI has also held meeting with MEA recently to clarify the details in person and it is likely that the amount be released by MEA to NICSI in the near future. **In view of above, it is requested to drop the para.**

Sr. No.	Para No.	Audit Observation	NICSI Reply
3.	**F.Y.2020-21 Para No.3 of Part-II A**	National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) floated an open tender (March 2020) for extending National Knowledge Network (NKN) to Global Research and Education Network in selected SAARC nations for six network links i.e. Afganistan to Delhi(Af-De) or Afganistan to Mumbai (Af-Mu), Bangladesh to Kolkata (Ba-Ko), Bhutan to Kolkata (Bh-Ko), Maldives to Mumbai(Ma-Mu) or Maldives to Chennai (Ma0Ch), Nepal to Delhi (Ne-De), Sri Lanka to Chennai (Sl-Ch) or Sri lanka to Mumbai (Sl-Mu). The Tender Evaluation Committee constituted by NICSI opened the bids received from the bidders on 25.06.2020 and only two bidders namely M/s Bharti Airtel Limited and M/s Tata Communications Limited had participated in the tender. The Committee observed that both the bidders were meeting all the requirements of Technical specifications. As per the minutes of Financial Evaluation Committee meeting dated 04.08.2020, the committee recommended M/s Bharti Airtel as the lowest financial bidder (L1) for all the network links except the Afganistan link and the empanelment letter was issued to M/s Bharti Airtel on 27.08.2020 in respect of five links. During scrutiny of records the following lapses were observed by audit:- (I) Rule 183 of GFR, 2017 which inter alia states that: (i) Where the estimated cost of the consulting service is up to Rupees Twenty-Five lakhs, preparation of a long list of potential consultants may be done on the basis of formal or informal enquiries from other Ministries or Department or Organizations involved in similar activities, Chambers of Commerce & Industry, Association of consultancy firms etc-Rule 183(i). (ii) Where the estimated cost of the consulting services is above Ruppes Twenty-Five lakhs, in addition to (i) above, an enquiry for seeking 'Expression of Interest' from consultants should be published on Central Public Procurement Portal (CPPP) at www.eprocure.gov.in and on Government eMarketplace (GeM). An organization having its own website should also publish all the advertised tender enquiries on the website-Rule 183(ii).	NICSI would start to maintain a list of potential Consultants in the relevant field and would follow the GFR provisions in this regard in future. NICSI did not publish the EOI and as per past practice, it had followed the recommendations of RFP Committee. However, as per audit observation, NICSI has now started following EOI route for Consultancy Services as per GFR provisions, before floating the bids. NICSI had followed the Technical Evaluation Committee Recoommendations with the approval of Competent Authority and had not re-tendered, as it would have further delayed the empanelment process. Estimation of expenditure has not been done as per past practice. However, the Audit advice has been noted and its compliance would be done in future. NICSI had empanelled the vendors segment-wise as per L-1 rates as per the recommendation of Financial Evaluation Committee. However, after the Audit observation, NICSI has started doing estimation of the reasonable expenditure for all the tenders as per the GFR provisions. NICSI had adopted NIC empanelments (M/s. Bharti Airtel Limited & M/s. Tata Communications Limited vide letter both dated 23.03.2018), vide letters dated 24.04.2018 to both the agencies; for a period upto 23.03.2020 only. Subsequently, NIC, vide letter dated 15.05.2020, had extended the periodicity of empanelment for both the agencies for the period from 23.03.2020 to 30.09.2020. Accordingly, after obtaining internal approvals, NICSI had also extended the empanelment period of both these agencies for the period from 23.03.2020 to 30.09.2020 on same terms and conditions, mentioning there-in that "NICSI would pay the price as per new empanelment rate after 23.03.2020, if the new rates discovered through the tender were less than the current rate". However, no document is available in the tender file towards further extension of the periodicity of the empanelment from 01.10.2020 to 30.11.2020 neither from NIC side nor from NICSI. As regards, the high rate given it is mentioned that NICSI had empanelled the agencies vide letter dated 27.08.2020 for the products/ services but in the new empanelment the rates had been less as compared to previous empanelment of 23.03.2018. During the period from 23.03.2020, NICSI had issued various work orders to M/s Bharti Airtel Limited at the earlier empanelled rates but it is seen there-from that inadvertently, the condition towards applicability of new empanelled rates (in case these are lower than the earlier rates, had not been followed. However, since the condition was there in empanelment letter, NICSI is now taking up the matter with M/s Bharti Airtel to refund the excess amount paid against the said work orders.

<table>
<tr><th>Sr. No.</th><th>Para No.</th><th>Audit Observation</th><th>NICSI Reply</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
It was observed that in violation of Rule 13 of GFR 2017, NICSI did not publish an enquiry for seeking 'Expression of Interest' from consultants on Central Public Portal (CPPP) at www.eprocure.gov.in, on GeM and on its website
(2) Rule 184 of GFR, 2017 states that the number of shortlisted consultants should not be less than three, however, only two bidders had submitted the bids in response to the tender floated and NICSI, instead of retendering, proceeded with the tendering process.
(3) As per the Rule 182 of the General Financial Rules 2017, Ministry or Department proposing to engage consultant(s) should estimate reasonable expenditure for the same by ascertaining the prevalent market conditions and consulting other organizations engaged in similar activities. However, as per the record available, no estimation is prepared by NICSI.
(4) There is huge variation in the Gross Total Value quoted by both the vendors in respect of 6 network links as detailed below:-
<table>
<tr><th>Connectivity Description</th><th>M/s. Bharti Airtel Limited</th><th>M/s Tata Communication Limited</th><th>Variation in bids (in %)</th></tr>
<tr><td>Afganistan to Delhi (Af-De) Afganistan to Mumbai (Af-Mu)</td><td>Not quoted</td><td>3,09,85,290</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Bangladesh to Kolkata (Ba-Ko)</td><td>4,11,331</td><td>5,64,671</td><td>37.27</td></tr>
<tr><td>Bhutan to Kolkata (Bh-Ko)</td><td>99,891</td><td>6,29,506</td><td>530.19</td></tr>
<tr><td>Maldives to Mumbai (Ma-Mu) or Maldives to Chennai (Ma-Ch)</td><td>24,63,167</td><td>48,24,960</td><td>95.88</td></tr>
<tr><td>Nepal to Delhi (Ne-De)</td><td>3,14,994</td><td>4,08,613</td><td>29.72</td></tr>
<tr><td>Sri Lanka to Chennai (Sl-Ch) or Sri Lanka to Mumbai (Sl-Mu)</td><td>13,44,731</td><td>19,59,386</td><td>45.70</td></tr>
</table>
Thus, in the absence of the estimation of the reasonable expenditure for the tender and considering the huge variation involved in the rates quoted by the two bidders, the reasonableness of the bids quoted cannot be ensured.
(5) NICSI had an ongoing tender of empanelment of Internet Connectivity Service providing to SAARC nations under NKN Project. M/s. Tata Communications Limited (Kolkata-Bangladesh link) and M/s. Bharti Airtel Limited (Chennai-Sri Lanka and Delhi Bhutan link) were empanelled for a period of two years i.e. till
</td><td>
For the Afghanistan links, NICSI had received a single bid from M/s. Tata Communications Limited only and the same was mentioned by the FEC in its meeting held on 20.08.2020. The FEC had however recommended that "NICSI may take necessary action as per Tender terms & conditions and GFR rules".
NICSI had examined the above as per Rule 166 & 173 of the GFRs and quoting the provision there-of, had forwarded the proposal to the FEC (Member Convenor) on 16.10.2020, but the file returned back to NICSI Tender Division without any recommendations/ observations on 04.10.2021. There-after, no action had been taken there-in towards empanelment of any vendor for Afghanistan link and the activity itself not been undertaken in the project.
The details towards inviting and finalizing the tender process for SAARC nations is already mentioned above in detail. However, as assured above NICSI would take necessary actions as per GFRs in future while finalizing any further empanelment either for NKN or any other activity.
As mentioned in reply to (5) above, NICSI is taking up the matter with the concerned vendor to refund the excess amount paid by NICSI in NKN project against work orders issued towards SAARC empanelment from time to time. Audit may verify the same during next inspection.
In view of above, it is requested to drop the para.
</td></tr>
</table>

Sr. No.	Para No.	Audit Observation	NICSI Reply
		20.03.2020 (further extended till 30.11.2020) respectively vide letters dated 20.05.2020 with a condition that NICSI will pay the price as per new empanelment rate after 23.03.2020, if the new rates discovered through the tender is less than the current rate. The rates discovered in the new tender floated in March 2020 were discovered less than and NICSI was supposed to make the payment to M/s Bharti Airtel Limited as per new rates. However, it was observed that the payment made to M/s. Bharti Airtel Limited and M/s Tata Communication Limited was as per the old rates on the insistence of vendors resulted into an avoidable payment of Rs.15.94 lakh, which needs to be recovered from the concerned vendors. (6) For the Afghanistan link, NICSI received a single bid from M/s. Tata Communication Limited only. It was approved on 16.10.2020 that Financial Evaluation Committee may examine the bid of M/s Tata Communication Limited in light of provisions of GFR, 2017. However, as per the records no further details are available on the file regarding examination of the bid by FEC regarding whether the Afghanistan link was not required as no progress in this regard was noticed on file after 16.10.2020. Thus NICSI finalized the tender for extending National Knowledge Network (NKN) to Global Research and Education Network in selected SAARC nations in violation of relevant General Financial Rules 2017. On being pointed out by audit, no reply was furnished by the management.	

Sr. No.	Para No.	Audit Observation	NICSI Reply
4	**F.Y.2020-21 Para No.4 of Part-II A**	The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) Project" Procurement of E-Panchayat-PES Maintenance & Training is being implemented by National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) for more than 10 years. A memorandum of Understanding (MOU) is being entered on yearly basis between MoPR with National Informatics Centre (NIC) and NICSI. As per the accounts of NICSI for the year 2020-21, E-Panchayat Maintenance & Training of PES Applications including unified application Project has a net balance of Rs.67.35 lakh and Rs.3.75 crore (total amounting to Rs.4.42 crore) respectively relating to two project numbers-C170093GNND(Project for the year 2017-18 and 2018-19) and C200026GNND(Project for the year 2020-21). However, as per the Utilization Certificate (UC) submitted by NICSI for the year 2020-21 in respect of the scheme relating to E-Panchayat of MoPR, there was a closing balance (unutilized balance) of rs.3.78 crore. Further, it was also observed that there are 4 other projects (Project No.81019/MIS/ND, C120488GNND, C132034GNND, C190054GNND) relating to E-Panchayat Maintenance & Training of PES Applications including unified application Project having balances of Rs.2.30 crore (Rs.1.54 crore+Rs.0.51 crore+Rs.0.27 crore+Rs.0.02 crore) as per ERP ledger as on 31.03.2021, which are not appearing in the accounts. Thus, there is a variation in the figures appearing in UC, ERP ledger as well the accounts of NICSI relating to E-Panchayat Maintenance & Training of PES Applications Project. Further, from 2019-20 onwards, the Project is not a Grant in Aid project as the funding is being made by MoPR from Office Expenses Head instead of Grant in Aid Head. On being pointed out of audit, no reply was furnished by the management. Action to be taken by auditee: The reasons for difference between balances appearing in UC, ERP ledger and accounts of NICSI and for depiction of the project during the year 2020-21 under Grant-in-Aid project Head may be intimated to the audit. Steps taken to reconcile the balances may also be intimated to audit.	NICSI has been implementing a number of projects from Ministry of Panchayati Raj (MoPR) for several years and there has been no variation in the figures between ERP Ledger / UC's. However, in F.Y. 2020-21, it was felt that the balances of different project Id's with NICSI from MoPR be merged and a single UC be prepared, which was accordingly done. However, as various Work Orders remained unexecuted in different projects, it had resulted some variations between the figures of ERP Ledgers and the UC, whereas, in actual, there is no difference in the figures for all the projects taken together. Further, it is mentioned that the Accounts of all the GIA Projects are Audited by CA Firm every year and there has been no adverse observation towards any head of Account/ amount in any of the Audit Certificates so far. The details project-wise may please be re-verified during next Audit. **In view of above, it is requested to drop the para.**

<table>
<tr><th>Sr. No.</th><th>Para No.</th><th>Audit Observation</th><th>NICSI Reply</th></tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>F.Y.2020-21 Para No.5 of Part-II A</td>
<td>The Board in its meeting held on 30.12.2020 extended the period from 1st January 2021 to 31st March 2021 or finalization of new tender whichever is earlier in respect of following empanelments.
<table>
<tr><th>S. n.</th><th>Description</th><th>Empanelment period as per empanelment letter</th><th>Extension option as per empanelment letter</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Empanelment of service providers for establishment and operations of Help Desk/ Call Centre to support ICT Infrastructure service & e-Governance applications.</td><td>24.08.2015 to 23.08.2017 (2 years)</td><td>24.08.2017 to 23.08.2019 (2 years)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Empanelment of Technical Resource for Desigh, Development, Maintenance & Administration of GIS and Remote Sensing Projects-2020</td><td>22.04.2016 to 21.04.2018 (2 years)</td><td>22.04.2018 to 21.04.2019 (2 years)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Empanelment of agencies for System study, Design, development, Implementation and Maintenance of Websites, Web portals, Web enables applications and Mobile Apps.</td><td>01.07.2016 to 30.06.2018 (2 years)</td><td>01.07.2018 to 30.06.2018 (2 years)</td></tr>
</table>
Thus it was observed during the review of records relating to the period April 2020 to March 2021 that the empanelment period in these cases has been extended beyond the validity of empanelment including the extended period as per the empanelment letter.

There is considerable delay in finalisation of fresh empanelment tenders by the NICSI. With the fast Information & Communication Technology (ICT) upgradation and the download trends in the rates, the fresh empanelments need to be finalised timely so that the user department will get the benefit of the same.

During the year 2020-21, in respect of old empanelments, work orders amounting to Rs.276.43 crore (Rs.8.96 crore (relating to Help Desk/ Call Centre) + Rs.4.62 crore (relating to GIS & Remote sensing projects) + Rs.262.85 crore (relating to Website development) have been issued to the vendors the empanelments of whom were already expired.</td>
<td>These empanelments relate to Help Desk/ Call centre, GIS & Remote Sensing projects and Website Development. Reply towards delay in these empanelments is same, as given for the empanelment of e-Gov Consultancy Services against Audit Observation at Sl. No. 1 above.

However, extension was granted by the NICSI Board of Directors from time to time, as the fresh empanelment was under process. To maintain the further continuity of the existing manpower services under the said empanelment, the extension has been done for ongoing projects.

The present status of these tenders is as under:

1 Empanelment of service providers for establishment and operation of Help Desk/Call Centre to support ICT Infrastructure services & e-Governance applications has finalized and empanelment letter issued on 11.03.2021.

2. Empanelment of Agencies to Engage Technical Resources for GIS and Remote Sensing Projects. (Tier-2 and Start-up) has finalized and empanelment letter issued on 27.08.2021.

3. Empanelment of Agencies for System Study, Design, Development, Implementation and Maintenance of Websites, Web Portals, Web Enabled Applications and Mobile Apps has finalized for Start Up & Tier-1 on 13.04.2021 & 24.11.2021 respectively. For Tier-II & III tender is under process.

In view of above, it is requested to drop the para.</td>
</tr>
</table>

Sr. No.	Para No.	Audit Observation	NICSI Reply
6	**F.Y.2020-21 Para No.6 of Part-II A**	NICSI implements large number of new computer and computer communication projects every year from various Ministries/departments/Organizations as a pure agent, for which NICSI charges administrative charges fixed from time to time. During the review of the records it was observed that NICSI made the investment of its cash reserves in the following proposals: (A) The proposal for Information & Communication Technology (ICT) Infrastructure for cloud enablement at National Data Centre (NDC), Bhubaneswar of National Informatics Centre (NIC) with an estimated outlay of Rs. 97.76 crore was approved by the Board of Directors of National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) in its meeting held on 28.03.2017. The cost of Rs.97.76 crore included Rs.85.76 crore towards capital expenditure, Rs.9 crore for operation expenditure and Rs.3 crore as contingencies for three years. The expenditure was to be met out entirely out of the NICSI's cash reserves. The revenue generated by using the cloud services was to accrue to NICSI. The Board was informed in its 112th meeting held on 28.01.2020 that the establishment of basic infrastructure at NIC's NDC Bhubaneswar is completed keeping in view the present trend of offering services over the cloud. First phase of the cloud, populating 14 racks, has been completed, which will facilitate the proposal for provisioning of services over cloud with more agility and also integrate with NIC National Cloud services. Further, the proposal for provisioning of software defined cloud ICT Infrastructure for remaining 34 racks at NDC Bhubaneswar was approved bt the Board in its 112th meeting held on 28.01.2020. The total cost involved in the project would be around Rs.211 crore as capital and Rs.17 crore towards manpower etc. (total Rs.228 crore) involving three phases in five years. As on 31.03.2021, the total expenditure incurred by NICSI for cloud set up at NDC Bhubaneswar was Rs.124.94 crore and the revenue generated from NDC Bhubaneswar by NICSI till March 2021 amounted to Rs.12.35 crore. It was observed that NICSI did not have any approved Investment Policy. Further, NICSI has not entered into any Memorandum of understanding (MoU) with NIC till date in respect of the cloud enablement at NDC Bhubaneswar. The approval of the MeitY in this regard was also not available on records. The proposal for utilization of NICSI cash reserve was approved by the Board initially on the basis of recommendation of sub-committee formed by the Board.	The status of NICSI Reserves had been reviewed at Government Level around 5-6 years back and it had been felt that NICSI to use the same towards strengthening its objectives, for which the NIC may consider & give proposals. Accordingly, both these proposals had been received from NIC after approval by the Competent Authority there and after obtaining approval from its Board of Directors, NICSI had implemented the same. However, one of these projects i.e. Augmentation of District Infrastructure was without any return on investment but since the Districts have been providing the services covering / augmentation entire nation, NICSI had incurred the expenditure, as upgradation of IT Infrastructure has been one of its objectives. **In view of above, it is requested to drop the para.**

Sr. No.	Para No.	Audit Observation	NICSI Reply
		The sub-committee formed by the Board. The sub-committee was asked to examine the issue whether the revised Standing Finance Committee (SFC) is required for sharing the facility towards providing ICT Infrastructure at the centre between NIC and NICSI in case the expenditure in this regard is met out of the NICSI cash reserves. However, the minutes of meeting of sub-committee were silent on the issue. Thus, the NICSI continued to fund the ICT Infrastructure for Cloud Enablement at national Data Centre, Bhubaneswar of National Informatics Centre out of its own cash reserves without any MoU between NICSI and NIC and without the approval of its Ministry i.e. MeitY. (B) The Board of Directors in its 100th Meeting held on 28.03.2017 approved funding of Rs. 99 crore out of NICSI's cash reserves for phase I of District 2.0 "Augmentation of District Infrastructure to cater to Digital India Initiative" without any return on investment. Till 31.03.2021, an expenditure of Rs. 85.20 crore had been incurred and contingent liability of Rs. 13.80 crore had been provided in the books of accounts. As pert the records available, the approval of MeitY was taken in this regard. The justification for funding a project without any return on investment was called for but the reply was awaited from the Management.	
7	**F.Y.2020-21 Para o.7 of Part-II A**	A Project Management Unit (PMU)-Management was constituted at directorate of Social Justice and Empowerment (DoSJE), Jaipur to take care of requirements of four of its Directorates (DoSJE, Department of Specially Abled Persons, Department of Child Rights and Department of SCDC). The Directorate submitted a Project Execution Form on 28.05.2020 to NICSI to start the Project in the month of June/ July 2020 and submitted the requirements of manpower to be deployed by M/s Ernst & Young with relevant details and specifications. During scrutiny of records, it was observed that National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) issued the work order on 13.07.2020 amounting to Rs.10.76 crore to M/s Ernst & Young. DoSJE, Jaipur (January 2021) communicated to NICSI that M/s Ernst & Young did not deploy the complete team as required under work order w.e.f. July 2020 and had instead deployed the team from 12.10.2020 onwards i.e. with a delay of 10 weeks. Further, DoSJE, Jaipur communicated to NICSI that the services of M/s Ernst & Young were being terminated w.e.f. 01.01.2021 as the services provided by M/s Ernst & Young were not found satisfactory.	In brief, the details of the matter are as under: • SJED, Jaipur had forwarded proposal to NICSI to provide manpower at various positions for different periods. • NICSI had issued Performa Invoice (PI) dated 19.05.2020 for Rs. 11.51 crore towards the above. • SJED, had submitted PEF dated 28.05.2020 to NICSI, along-with forwarding letter of same date. • On 09.06.2020, SJED transferred the amount of Rs. 2,58,64,523/- to NICSI. • NICSI had issued Work Order dated 13.07.2020 to M/s E&Y for Rs. 10.76 crore excluding NICSI Operating Margin. E&Y started deploying manpower at SJED, from different dates between 29.06.2020 to 07.09.2020. • SJED, vide mails dated 27.08.2020 and 07.09.2020, had informed NICSI that manpower at various positions was not deployed till then. SJED, vide letter dated 17.09.2020, had informed NICSI towards their said 2 mails and requested NICSI to intimate about the funds received from SJED / UC for fund used / balance amount available / invoices generated against fund used / copy of Agreement or MoU entered into by NICSI with Wipro and E&Y in the project / penalty clauses.

Sr. No.	Para No.	Audit Observation	NICSI Reply
		DoSJE, Jaipur (August 2021) turned down the offer of M/s E&Y submitted through NICSI vide email dated 11.01.2021 and 01.02.2021 to consider the period of intimation of the project from 01.10.2020 and requested the NICSI to refund the amount of Rs.2.88 crore given to NICSI as advance. Audit, however, did not find any action taken by NICSI against M/s E&Y in this regard on record, nor the amount as demanded by DoSJE refunded. No reply was furnished by nICSI in this regard.	• No reply seems to have been issued by NICSI to SJED to the above, except Partial Settlement of Account Statement dated 07.10.2020 sent to them showing "0" amount utilized & entire fund of Rs. 2,58,64,523/-available with NICSI. • SJED, vide letter dated 01.01.2021, informed NICSI that the services provide by E&Y were not satisfactory and therefore, are terminated from 01.01.2021 itself. • SJED, vide letter dated 05.01.2021, informed NICSI that E&Y was to deploy manpower from July, 2020 but even after 10 weeks i.e. till 12.10.2020, it was not entirely deployed and therefore, as per Clause No. (C)2 of the Work Order, NICSI may take necessary action towards "Penalty" on E&Y under intimation to SJED. • E&Y, vide mail dated 11.01.2021, attached representation to NICSI towards termination of their services in the project. • NICSI, vide mail dated 11.01.2021, had forwarded said E&Y letter to SJED. • SJED, vide mail dated 15.01.2021, had requested NICSI to provide comments / views / input on the "presentation" submitted and also, on their letters / mails dated 27.08.2020 / 07.09.2020/17.09.2020/29.09.2020/01.01.2021/05.01.2021. NICSI, vide mail dated 01.02.2021, informed SJED that as per E&Y representation, the project start date may be considered w.e.f. 01.10.2020 and penalty clause can be deliberated accordingly. NICSI requested SJED to accept it and to withdraw their notices dated 01.01.2021 & 05.01.2021, assuring that E&Y would comply with all its obligations as per the Work Order. • SJED, vide letter dated 17.08.2021, had requested NICSI to return the entire said amount of Rs. 2,87,92,583/- , along-with penalty amount received from M/s E&Y as per said Clause No. (C)2 in the Work Order. Towards the above, a Committee has been set-up in NICSI, vide OM dated 21.03.2022 (Copy Enclosed) to consider and gives its recommendation on settling the matter. The Committee is still in process of the same. As soon as, the Recommendations of the Committee are received and the matter is resolved , the Audit office would be immediately informed of the same. In view of above, it is requested to drop the para.

Sr. No.	Para No.	Audit Observation	NICSI Reply
8	**F.Y.2020-21 Para No. 8 of Part-II A**	NICSI has empanelled agencies on 13.02.2020 to provide Office Support Service (Category-1) and Project Management Support and Rollout Service (Category-2) on finalisation of tender relating to the same. The empanelment is initially valid for three years from the date of the contract awarded and additionally two years annual extension. In both the categories, ten agencies have been empanelled which include four Micro & Small Enterprises (MSE) and one start up agency each. (A) During the review of tender documents and its finalization process, it was observed that:- (i) The estimated number of manpower to be engaged and estimated cost of the work was not mentioned in the tender document. It is pertinent to mention that the Company is procuring manpower worth hundreds of crores of rupees through this tender. (ii) In the Category-1 under Office Support Service, the resource category is Multi Tasking Support, Office Assistance Support and Accounting Support which are purely non-technical in nature and are not covered in objectives of the Company. (iii) The criteria for allocating the tender quantity among the successful bidders need to be articulated in the tender document itself. However the tender document is silent in this respect. (iv) In both the categories, there is huge variation in the margins quoted by the vendors ranging from 30% to 90% (except in one case where the variation is 20.80%-in respect of M/s Akal Information Services Limited and M/s SISL Infotech Private Limited). Thus, giving the counter offers to bidders other than L1 for matching the L1 bid despite the huge variation (variations being more than 20%) is not justified. (B) As per Rule 153 of General Financial Rules (GFR), 2017, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) have notified procurement policy under section 11 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. As per public procurement policy for Micro & Small Enterprises (MSEs) Order, 2018, every Central Ministry/ department/ PSUs shall set an annual target for 25% procurement from MSE Sector.	As per past practice NICSI has not been estimating the number of manpower to be engaged and its estimated cost against each tender. However, as per Audit advice, NICSI has started mentioning in the tender the estimated quantity of the services to be provided and its estimated cost. NICSI is an IT providing company however in each & every IT project, be it in any field, it cannot be construed that the entire activity is to be performed by the Technical persons only and in performing the activity, the element of Non-Technical support is always involved. NICSI provides the manpower both on Technical & Non-Technical side, as per the requirements of the users from time to time in the projects. No-where in NICSI constitution, it is mentioned that it cannot provide Non-Technical support in any IT related project. NICSI has its SoP dated 15.09.2020 and Office orderdated 02.12.2020, according to which the manpower providing services are to be distributed amongst the empanelled agencies. However, in each& every project, it depends on the user to intimate to NICSI through the PEF as to which agency the order is to be placed, out of total agencies empanelled with it, details of which are every time provided by NICSI to user through the PIs. Further, as mentioned in reply to para no.10 of this report, the Board of directors in its 121st meeting held on 26.03.2022 had approved that the provisions of SoPs be followed for the activities in 'Project Mode' & office order for activities in 'Manpower Mode'. NICSI is now be operating accordingly. The RFP document is drafted and finalized by a RFP committee. After floating the bid document, the pre-bid meeting is also held by this committee and as per queries there-at, the committee considers and recommended and issues amendment to the bid document and NICSI accordingly, issues the Corrigendum from time to time. The relevant provisions towards margin are also taken care of by the RFP committee. However, as per Audit advice, the point related to margin has been noted and would be taken care of in the bids to be floated in future. The audit point has been examined and it is mentioned that in the PI's (Performa Invoice) to be issued by NICSI to the users in future it would be mentioned against each agencies whether is MSME or in any other category. However, placing of order to any agency by NICSI depends on the user intimating the name of agency to which order is to be placed, as per its SoP/ Office order. NICSI has thus, no role in selecting the agency for issue of Work Order in any project. **In view of above, it is requested to drop the para.**

Sr. No.	Para No.	Audit Observation	NICSI Reply
		During the review of work order placed (2020-21) in respect of this tender, though NICSI has empanelled 4 MSEs (being 40%) out of total 10 agencies, however, out of total work orders of Rs.4443.27 crore issued during the year 2020-21, the work orders issued to MSE amounts to Rs.46.32 crore which is 10.44 per cent only of the total work orders. Thus, the same is in violation to General Financial Rules and Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2018. No reply was furnished by the management.	
9	**F.Y.2020-21 Para No.9 of Part-II A**	NICSI procure the hardware, system software, application software, software development, customized software, intra-networking, wide area networking, video conferencing, Information Technology Training, Information Technology Consultancy and Information Technology Implementation support etc. and provides the same to Central Government, state Government and Public Sector Undertakings etc. As per Manual for Procurement of Consultancy & Other Services, 2017 the obligations of Procuring authorities can be grouped into following five fundamental principles of public procurement, which all procuring authorities must abide by and be accountable for: i. Transparency principle; ii. Professionalism principle; iii. Broader obligations principle; iv. Extrinsic Legal principle and v. Public accountability principle. Further, as per manual, the following additional principles shall be considered during Procurement of Consultancy and other services:- i. Services to be procured should be justifiable. ii. In case of Consultancy Services – well-defined scope of work / Terms of Reference (ToR-description of services) and the time frame, for which services are to be availed of, should be determined consistent with overall objectives of Procuring Entity. In other (non-consultancy services) Activity Schedule (a document covering well-defined scope of work/description of services and the time frame for which services are to availed of) should be consistent with overall objectives of Procuring Entity; iii. Equal opportunity to all qualified service provider / consultants to complete should be ensured,	The Audit Observation is **(i)** NICSI does not have any approved Procurement Manual, laying down the detailed procedure to be followed for procurement, which is an essentiality for such organization and **(ii)** during F.Y. 2020-21, NICSI had issued Work Orders for around Rs. 843.94 crore towards manpower supply to its 47 empanelled agencies, out of which around 50% Work Orders were placed on 4 agencies only. Towards the above, the position is as under: I. A draft Procurement Manual had been drafted around 5-6 years back in NICSI but was not finally approved / adopted. The Audit Observation has been noted and the proposal would be re-considered in NICSI to have its own Procurement Manual and the position would be informed to the F&C Audit office accordingly. II. During F.Y. 2020-21, NICSI had assigned the manpower procurement & supply Work Orders to its empanelled agencies, as per the provisions in its SOP's dated 26.04.2016 & 15.09.2020 **(copies enclosed)**, according to which the User organization informs its "Preferred Vendor" to NICSI (out of the empanelled agencies) through the Project Execution Form (PEF), copy **enclosed.** However, NICSI has organized "Vendor Development Programme" for all its empanelled partners to have better distribution of business amongst them. **In view of above, it is requested to drop the para.**

Sr. No.	Para No.	Audit Observation	NICSI Reply
		iv. Engagements should be economical and efficient. v. Transparency and integrity in the selection process (i.e. proposed, awarded, administrated and executed according to highest ethical standards). vi. Additionally, in procurement of consultancy services, consultants should be high quality, During scrutiny of records related to the year 2020-21, it was observed that NICSI issued works orders of Rs. 1897.16 crore to its empanelled agencies for procurement of goods and services for various government department and PSUs, however, the Company does not have approved procurement manual. The procurement manual being a manual lying down the detailed procedure to be followed for procurement is an essentiality for organization like NICSI. The Management in the reply stated that a draft procurement manual had been drafted around 5-6 years back in NICSI but was not finally approved/ adopted. The Audit Observation has been noted the proposal would be reconsidered in NICSI to have its own procurement manual and the position would be informed accordingly. As per the CVC guidelines, the system of allocation of work should be fair, transparent and equitable, however, considering the skewed procurement from these four vendors only, equity, fairness and transparency cannot be ensured. Out of total work orders issued during the year 2020-21 of Rs. 1897.16 crore, work orders amounting to Rs. 843.94 crore (44.48%) were issued in respect of manpower procurements. For manpower procurements, work orders were issued to 47 empanelled agencies by NICSI during the year 2020-21.However, four vendors i.e. Akal Information systems Limited (12.78%), SISL InfoTech Private Limited (9.04%), Velocis systems Private Limited (17.03%) and Wipro Limited (10.5%) were having approx. 50% of the work orders during the year 2020-21. As all the agencies were empanelled on the same rates, the justification for providing majority of work to these four vendors was not available on record. Management in the reply stated that as per the provisions in its Standing Operating Procedure, the user organization informs its "Preferred Vendor" to NICSI (out of its empanelled agencies) through the Project Execution Form.	

Sr. No.	Para No.	Audit Observation	NICSI Reply
10	**F.Y.2020-21 Para No.10 of Part-II A**	As per the "Standard Operating Procedure" dated 15.09.2020 of NICSI relating to "Empanelment of vendors and assignment of work to them", in case more than one vendor are empanelled then the assignment of work shall be decided on receipt of request from a user department. In case the user department does not indicate any particular agency, the work would be awarded based on the recommendations of a committee to be set up by the client department. The committee would be headed by a chairperson to be nominated by and belonging to the user department including a representative of NICSI. Audit observed that contrary to the above approved "Standard Operating Procedure" vide office Order dated 02.12.2020 decided to offer Preference to L1 bidders while giving the procurement orders and to incorporate the same clause in the draft bid/ tender document. On being pointed out by audit no reply was furnished by the management.	NICSI Board of Directors, in its 121st meeting held on 26.03.2022, had considered and approved that the provisions of the SoP dated 15.09.2020 would be applicable to the activities in 'Project Mode' and of the Office Order dated 02.12.2020 to the activities in 'Manpower Mode'. Relevant extracts from the Agenda & Minutes of the meeting are enclosed. **In view of above, it is requested to drop the para.**
11	**F.Y.2020-21 Para No.11 of Part-II A**	National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) implemented the ERP-the Accounting Software from 01.07.2017 and the accounts of NICSI from Financial Year 2017-18 onwards are being prepared in ERP. The following shortcomings/ deficiencies in ERP software development or in the implementation of same have been observed by Audit. (i) NICSI has got the ERP validated through System audit carried out by an external independent agency till date (January 2022) despite the lapse of more than 4 years since implementation. Management in the reply accepted the fact and stated that NICSI has finalized the scope of work and after taking the necessary internal approvals, it is in the process to float the same on GeM portal shortly. It is likely that the validation work would be completed in next around three months after awarding the work on L1 basis. (ii) Age wise details of debtors, creditors, advances from suppliers and Grant in Aid are not generated through ERP software of NICSI. Management in the reply accepted that as the data pertains since inception of NICSI in the year 1995, the details are also required to be booked into from the Tally Package in which the accounts were maintained earlier.	The point –wise replies are as under: **(i)** NICSI had completely adopted the ERP Software w-e-f 01.07.2017 towards Accounts and other related fields. During the Audit for F.Y. 2017-18, it was observed that the Accounting Software had not been validated by any 3rd agency. Accordingly, NICSI had taken up the matter with STQC Directorate for validation of NICSI Accounting software. Some discussions and correspondence had taken placed but due to some reasons and the Corona epidemic during since 2020, the proposal was not finalized. Subsequently, NICSI had invited Bids from its empanelled agencies for the same and had finalized the L-1 agency but NICSI Board of Directors, in its 120th meeting held on 26.11.2021, had directed NICSI to float open tender towards the same. NICSI has now finalized the "Scope of Work" and after taking the necessary internal approvals, it is in the process to float the same on GeM shortly. It is likely that the validation work would be completed in the next around 3 months after awarding of the work on L-1 basis. **(ii)** The data towards Debtors, Creditors , Advances to Suppliers and Grants-In-Aid(GIA) is available in the ERP and also, the Statements, as & when required, are taken out from the ERP only. However, on some occasions, as the data pertains since inception of NICSI in the year 1995, the details are also required to be looked into from the Tally package, in which the Accounts were maintained earlier, to see the narrations etc.

Sr. No.	Para No.	Audit Observation	NICSI Reply
		(iii) The statement relating to Grant in Aid is being prepared manually by NICSI and this led to variation in the projects as per ERP and projects as per Statement of Grant in Aid appearing in Accounts. Further, the interest calculation in respect of Grant in Aid projects for the year 2020-21 was made through an external agency despite the implementation of ERP in NICSI. Management stated that it was not treating the GIA projects in a different manner and treated the amount received in GIA Projects as "Advance" earlier. The entire amounts were being received in common savings account however, from the current Financial Year 2021-22, new individual savings bank accounts have been opened and therefore it is likely that the necessity to award the interest calculation work to external would not be there. (iv) The fixed assets schedule as well as depreciation calculation is being done manually and incorporated in the Accounts of the Company. Management in the reply accepted the fact that at the time of customization of ERP Software, the need to include the fixed asset schedule was not inadvertently brought to the notice of development team and therefore it was not incorporated. (v) Embedded Audit Module is an integral part of an application system that is designed to identify and report specific transactions or other information based on pre-determined criteria. Identification of reportable items occurs as part of real-time processing. The Embedded Audit Modules throw up alerts as well information to ensure continued dependence on controls. However, it was observed that NICSI has not implemented Embedded Audit Module in its ERP-Accounting Software even after a lapse of more than four years from the time when ERP was implemented in NICSI (July-2017). Thus, in the absence of the Embedded Audit Module in ERP system, there is higher risk of system violation. The Management stated that this aspect would be kept in view while getting the ERP Software upgraded or newly customized in future. NIcSI is also in the process of empanelling the agencies through open tender basis for undertaking ERP software development and for this aspects would also be kept in view while finalizing the bid for the same.	(iii) Since inception of NICSI in the year 1995, it has been implementing various projects (currently 3000 per year), very few of which had been funded by the Govt. of India as Grants-In-Aid. As all the amounts received in the projects had earlier been treated by NICSI as "advance", it was not treating the GIA projects in a different manner and therefore, entire amounts were being received in a common Saving Account. However, as per an Audit observation, it was decided that NICSI may refund the interest earned to the Granter Departments since start of each project and initially, it having been a big exercise to segregate the GIA projects and to work out the year-wise interest therein since start of each project, the work had been given by NICSI to a CA Firm to workout the same. Thereafter, individual Saving Accounts had been opened in the Punjab national Bank(PNB) for the GIA projects and from the current F.Y. 2021-22, new Saving Account is being got opened in the PNB, immediately the Administrative Approval / Sanction is received in NCISI from the Granter Department. As the interest earned would now be exclusively available for each GIA Project through the respective Saving Account, the interest earned would be worked out within NICSI internally and it is likely that the necessity to award the interest calculation work to an outside agency would not be there. (iv) At the time of customizing the ERP Software, the need to include the fixed Asset schedule there-in was not inadvertently brought to the notice of the development team and therefore, it was not incorporated. However, all these details, including working out the depreciation there-on, are worked out manually and are also thoroughly check by both the Internal Audit Team & Statutory Audit Team and no variation there-in has so far been observed. (v) At the time of customizing the ERP Software, NICSI was not aware about the Embedded Audit Module and therefore, it had not been included in the same. However, this aspect would be kept in view while getting the ERP Software upgraded or newly customized in future. NICSI is also in the process of empanelling the agencies through Open Tender basis for undertaking ERP Software Development and this aspect would also be kept in view while finalizing the bids for the same. **In view of above, it is requested to drop the para.**

Sr. No.	Para No.	Audit Observation	NICSI Reply
12	**F.Y.2020-21 Para No.12 of Part-II A**	Based on the decision taken by Department of Electronics & Information Technology (now MeitY) on 10.06.2014, NIC issued the following guidelines vide circular dated 18.06.2014. The paid projects will henceforth be implemented through NICSI. NICSI will ensure that the tendering process, bidding process and strategic alliances fully comply with GFR and other relevant rules. The bidding process for project related activities will be conducted by NICSI, with a DDG rank officer of National Informatics Centre (NIC) chairing the specifications and evaluation committees for ensuring compliance with General Financial Rules (GFR) and other relevant rules. During the year 2020-21, the agencies have been empanelled by NICSI for Support Services, E-Governance Consultancy and for "Extending NKN to Global Research & Education Network in selected SAARC Nations". In this regard, the Audit observed that the constitution of the committees in respect of tenders relating to above empanelments i.e. RFP and Pre-Bid Committee, Technical Evaluation Committee and Financial Evaluation Committee, only the Member Convener was appointed by NICSI and remaining members including the Chairman were of NIC. Thus, the representation of NICSI in these committee relating to finalization of tenders was not adequate. MeitY emphasized only on inclusion of DDG rank Officer of NIC as Chairman of the Committee and the bidding process for project related activities is required to be conducted by NICSI. However, in respect of the tenders for empanelment related to earlier periods such as E-Governance Consultancy and Support Services etc., the committees comprised of one more member of NICSI besides the Member Convener of NICSI. Thus, the adequate representation of NICSI is essential in these Committees as NICSI directly undertakes the implementation of paid projects for User Ministries/ departments/ States and other Government Agencies besides the in-house projects of NIC. The requirements of the projects are being fulfilled through these empanelment. Further, Audit did not find on record: 1. The reason/ justification for non-inclusion of adequate number of members of NICSI in these committees. 2. The role and responsibilities of Member Convener of NICSI in the above said committees along with a Standard Operation Procedure. No reply was furnished by the management	NIC Circular dated 18.06.2014 stipulated that "the bidding process for project related activities will be conducted by NICSI, with a DDG Rank officer of NIC chairing the specifications and evaluation Committee(s) for ensuring compliance with GFR and other relevant rules". The above Circular had been silent on the number of members to be taken from NIC & NICSI in each Committee and therefore, the said position had occurred. However, after the Audit observation, other members are also being nominated from NICSI side (apart from the Convenor) on each Committee. The position may please be verified during next Inspection. **In view of above, it is requested to drop the para.**

Sr. No.	Para No.	Audit Observation	NICSI Reply
13	**F.Y.2020-21 Para No.13 of Part-II A Lapses observed in Internal Control system of NICSI.**	During the records, the following lapses were observed in the Internal Control System of NICSI: The Company had purchased Hall Number 2 & 3 at 6th Floor, NBCC Towers, Bhikaji Cama Place, New Delhi from M/s. NBCC Limited in the year 2003 and 2001 respectively. However, the Conveyance Deeds/ Title Deeds towards the same have not yet been got registered even after a lapse of more than 18 years. NICSI had empanelled M/s. Innowave IT Infrastructure Limited for hiring of support services. The empanelment of M/s Innowave IT Infrastructure Limited was valid till 31.03.2020. However, it was observed that work orders of Rs.61.45 Lakh were issued in the April 2020 i.e. after expiry of empanelment term and this highlights lapse in Internal Control System of the Company NICSI has outstanding Debtors and Creditors (Advances received from customers including the Grant in Aid Projects) amounting to Rs. 359.14 crore and Rs.1551.13 crore as on September 2021. Out of which debtors and creditors for more than three years amounts to Rs.107.89 crore and Rs.445.49 crore respectively. The category wise details of debtors and creditors is given at the end of this para. Having huge amount of debtors and creditors remain outstanding for a period more than three years is indicative of deficiencies in the Internal Control System of the Company. As per Department of Public Enterprises Office Memorandum dated 08.05.2017 on "Guidelines on Investment of Surplus Funds by the CPSEs", the forecast of surplus availability may be worked out normally for a period of one year at any point of time so as to deploy available fund on longer term basis at better yields. This forecasting exercise shall ideally be done every month of quarter. However, during the review of records relating to Investment of Surplus Funds by NICSI, it is observed that monthly or quarterly review is not being conducted by the Company and no clear cur basis exists for finding out the surplus funds and its investment. The Company does not have any approved Guidelines and Timelines for ensuring timely issuance of Purchase Orders after the receipt of demand from User Departments/ Ministries.	NICSI had made various correspondence with NBCC from time to time in the last 3-4 years. Also, references had been made by MeitY to NBCC in the matter. NBCC has however, recently, submitted the draft Lease Agreements for both the Halls on the 6th floor at NBCC Tower-BCP and has also informed NICSI that some payments towards Ground Rent / Maintenance are outstanding for earlier period, which may be deposited. NICSI has verified its entire record and informed the details of Cheques etc. to NBCC with the request to get the matter re-verified in their office. Further feedback from NBCC is awaited. It is likely that the Lease Deeds would now be got registered with the concerned office shortly at New Delhi after the outstanding dues matter is resolved. **In view of above, it is requested to drop the para.** Internal Control Systems in NICSI had being strengthened and accordingly, its ERP System had been customized, which is being followed since July 2017. Through the ERP such shortcoming do not occur. However, as regards, Empanelment having been over in March, 2020 but the Work Orders issued in April 2020, it is mentioned that all these Work Orders were back dated. since no manpower was to be deployed beyond 31.03.2020as per these It is assured that more care would be taken in future to ensure that such shortcomings do not recur. **In view of above, it is requested to drop the para.** NICSI reviews it outstanding Debtors and Creditors regularly and takes action accordingly either by writing mails / letters to the users or by telephonic discussions / personal meetings. NICSI Board of Directors has also been reviewing in its every meeting the status of Outstanding Debtors & Creditors for the last 5 years and advising NICSI on the Actions to be taken towards the same. The status of pendency of debtors / creditors has come down and the status towards the same as on 31.03.2022 is shown in **Annexure..........** It is seen therefrom that while some amounts are being adjusted, some new amounts are being added due to releasing the amounts in Advance upto 40% only as per the GFR Provisions. The position of settlement of outstanding amounts and addition of new amounts may be verified during next Audit. **In view of above, it is requested to drop the para.** NICSI reviews the status of its Surplus funds from time to time and also, as & when the FD becomes due for renewal. NICSI has been following the advice of its Board of Directors towards investment of its surplus funds. NICSI has Standard Office Procedures (SOPs) towards its various activities, including the issue of POs. A copy each of the same are **enclosed.**

Sr. No.	Para No.	Audit Observation	NICSI Reply
		The Company only obtains Monthly Performance Report which contains the name of the employees hired by the vendor signed by the User Department along with the bill submission form by the vendors. The other details such as Aadhaar Number, Voter ID, PAN Card, Photo etc. of the hired employees are not available with the company. Thus, the monitoring system of Project Implementation and Quality Assurance followed by NICSI needs to be strengthened.	**In view of above, it is requested to drop the para.** NICSI receives the bills from the vendors towards the manpower provided at different locations of the users along-with the MPRs duly verified & accepted / signed / stamped and releases the payments towards the same. The responsibility of collecting / keeping /verifying the details towards Aadhaar /Voter-ID/PAN/Photo etc. is entirely of the vendor, as they only issues the appointment letters etc. to the staff deployed. **In view of above, it is requested to drop the para.**

S. No.	Particulars	Debtors	Creditors
1	Central Government	79.09	159.10
2	State Government	18.48	243.21
3	Public Sector undertakings	7.14	27.99
4	Autonomous Organizations	3.18	15.19
Total		**107.89**	**445.49**

Sr. No.	Para No.	Audit Observation	NICSI Reply
14	**F.Y.2020-21 Para No.14 of Part-II A**	The administrative Approval of competent authority for implementation of Project entitled "Email Solution for Government of India" at a total estimated cost of Rs.98.30 crore was given vide letter dated 24.11.2014 with a perfect duration of 3 years. The implementing agency of the Project was National Informatics Centre (NIC). As per Addendum to Administrative Approval dated 09.12.2014, NICSI was designated as on implementing agency in addition to NIC. The project outlay was enhanced to Rs. 107.55 crore on 29.08.2017 and duration of the project was extended for a further period of 2 years i.e. up to November 2019. The project duration was extended till April 2021 with the same outlay and a proposal has been moved to extend the project duration till March 2022. The amount released till date in the Project is Rs.106.05 crore. During the review of records relating to the project, it was observed that IFD, MeitY (may 2021) raised the queries stating that the NICSI charges are not mentioned in any of the project documents including Administrative Approval, Addendum to Admin approval and Detailed Project Report (DPR). Further it is stated that the project is being governed by the administrative approval and not the work order. The reply sent by the NICSI o IFD, MeitY is not available on records. NICSI has not received its margin in respect of the above project and the same has been worked out to Rs.4.31 crore. Besides tax amount of Rs.16.31 crore is yet to be received by NICSI till date.	NICSI implements a large no. of new projects every year from almost all the Ministries / Department of the Govt. of India and States, including their organizations. NICSI implements all these projects on charging basis, as it does not get any budgetary support from the Consolidated Fund of India and meets its entire expenditure (including Salary etc.) from the very nominal margin it take. Towards "E-Mail Solution for GoI" project also, NICSI takes its Operating Margin as per the rates approved by its Board of Directors from time to time. As per the terms & conditions provided by MeitY towards this project, NICSI gets its Accounts Audited by a CA Firm on yearly basis, the Audit Certificate towards which is submitted by NICSI to MeitY (as received from the CA Firm) which also distinctly mentions the Operating Margin Amount and so far there has been no observation from MeitY so far on the same. **In view of above, it is requested to drop the para.**

1. .Detail of RTI matters disposed off during FY 2021-22 68
2. Detail of RTI matters pending as on 31.03.2022 None

NATIONAL INFORMATICS CENTRE
SERVICES INCORPORATED
Empowering Digital India Since 1995

NATIONAL INFORMATICS CENTRE NICSI
SERVICES INCORPORATED

CIN : U74899DL1995NPL072045

Design & Printed by: VIBA PRESS PVT. LTD. - 9810049515